खण्ड-334, अंक-1
सोमवार, 30 श्रावण, शक संवत् 1900
(21 अगस्त, 1978 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 334 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९७८

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1–6
प्रश्नोत्तर	7–65
व्यवस्था का प्रश्न	65
भूतपूर्व सदस्य, श्री मसुरिया दीन तथा श्री मदन मोहन उपाध्याय के निधन पर शोकोद्गार	65–69
हिन्डालको के राष्ट्रीयकरण के संबंध में मंत्रियों के परस्पर विरोधी वक्तव्य तथा पत्राचार को सदन के पटल पर रखे जाने की मांग ..	69–71
रविवार नामक पत्रिका में एक 'एक मंत्री' के संबंध में छपे लेख पर आपत्ति ..	71–72
प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की परीक्षाओं में अनिश्चितता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	73
गोरखपुर मंडल में झुलसा, खैरा रोग तथा गन्ने की फसल में रेडरार रोग के प्रकोप के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना ..	73–74
इलाहाबाद तथा लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर लगे प्रधान मंत्री विरोधी पोस्टरों के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	74
प्यारे लाल शर्मा अस्पताल, मेरठ में डाक्टरों तथा दवाइयों के अभाव के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	75
इलाहाबाद के ग्राम महंगपुर में गिरे गुब्बारे में चोरी सामग्री प्राप्त होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	75
इटावा जनपद के थाना दिविलापुर में चल रहे अवैध हथियार बनाने के कारखाने तथा पुलिस साजिश के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना	76
आश्वासन समिति के सदस्य, श्री राधे श्याम शर्मा तथा विधान परिषद् सदस्य, श्री अब्बास अली के साथ मथुरा में घटी घटना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग	76–78
अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखने पर आपत्ति	78–79
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (सदन के पटल पर रखा गया)	79
उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (सदन के पटल पर रखा गया)	79
उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (सदन के पटल पर रखा गया)	79

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (सदन के पटल पर रखा गया)	79
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (सदन के पटल पर रखा गया)	80
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्प-कालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (सदन के पटल पर रखा गया)	80
उत्तर प्रदेश आबकारी (ततीय संशोधन) अध्यादेश, 1978 (सदन के पटल पर रखा गया)	80
उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) अध्यादेश, 1978 (सदन के पटल पर रखा गया) ..	80
सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1978 (सदन के पटल पर रखा गया)	80
उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (सदन के पटल पर रखा गया)	80
उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1978 (सदन के पटल पर रखा गया)	80
दी उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लि0, मुरादाबाद का वर्ष 1976–77 का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं कार्य विवरण (सदन के पटल पर रखा गया)	81
उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड की वार्षिक समीक्षा वर्ष 1974–75 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	81
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 1978 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	81
उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों की) (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1978 (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	81
यू0 पी0 स्टेट ऐग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि0, लखनऊ की दसवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1976–77 (सदन के पटल पर रखे गये)	81
वित्त बिक्री-कर अनुभाग–2 की विज्ञप्ति (सदन के पटल पर रखी गयी) ..	82
उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1978 में किया गया आनुषंगिक संशोधन (सदन के पटल पर रखा गया)	82

विषय	पृष्ठ संख्या
सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	82
उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1978 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	82
उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधियों का संशोधन बिधेयक, 1978 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	83
आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	83
उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1978 (राष्ट्रपति महोदय की अनुमति की घोषणा)	83
उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1978 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	83
उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1978 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	84
उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1978 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	84
एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग ..	84–85
सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध में सूचनाएं ..	85
श्री अरविन्द कुमार शुक्ल, विधान भवन रक्षक के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ..	85–86
दैनिक रण स्थली के सम्पादक के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	86
नियोजन राज्य मंत्री श्री लक्ष्मणसिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	86–87
श्री मन्जूर अहमद की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सदन में दी गयी सूचना पर आपत्ति	
कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें	88–90
हरदोई जनपद में बूढ़े बाबा मंदिर में विषाक्त भोजन से कुछ व्यक्तियों के बेहोश हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य	91–96
उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्य काल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	96–97
श्री राज्यपाल के अभिभाषण के अवसर पर किये गये अशोभनीय एवं अवांछनीय व्यवहार पर गठित जांच समिति के कार्य-काल में वृद्धि का प्रस्ताव (स्वीकृत)	97–100 100

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्प-कालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1978 (पुर:स्थापित किया गया)	100–101
उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक (द्वितीय) विधेयक, 1978 (पुर:स्थापित किया गया) ..	101
सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 (पुर:स्थापित किया गया)	101
उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1978 (पुर:स्थापित किया गया)	102
उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 (पुर:स्थापित किया गया)	102
उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1978 (पुर:स्थापित किया गया)	102
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1978 (पुर:स्थापित किया गया)	103
उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1978 (पुर:स्थापित किया गया)	103
उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1978 (पुर:स्थापित किया गया)	103
उत्तर प्रदेश ईंट के भट्ठों पर निर्बन्धन (बागों का संरक्षण) विधेयक, 1978 (पुर:स्थापित किया गया) . ..	104
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी)	105–106
लखनऊ में जी0 पी0 ओ0 पार्क के सामने एक जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के संबंध में सूचना	106
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	106
प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा (जारी) ..	106–143
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	143–144
मत्थियां	145–165

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार 21 अगस्त, 1978

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री बनारसी दास की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—374

अकबर हुसैन, श्री
अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अजीत सिंह सेठी, श्री
अनवार अहमद, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अरुण कुमार, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अवैध नाथ, श्री
अशफाक, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
आरिफ मोहम्मद खां, श्री
इन्द्रमणी बडोनी, श्री
ईश दत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदय नाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
उदय प्रताप सिंह, श्री
उदित नरायन, श्री
ऊदल, श्री
एदल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राईस, श्री
ओंकार नाथ, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हई सिंह, श्री
कन्हैया लाल गुप्त, श्री
कन्हैया लाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
कमला प्रसाद सिंह, श्री
करन सिंह, श्री
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मुहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
किशन लाल, श्री
कृपा शंकर आर्य, श्री
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्ण वीर सिंह कौशल, डाक्टर

कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान गुफरान जाहिदी, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गंजी प्रसाद, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेश दत्त बाजपेयी, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरुदत्त सोलंकी, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोकरन प्रसाद, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैय्या, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्र पाल सिंह, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
चन्द्र सेन सिंह, श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)
छोटे लाल, श्री
छोटे लाल 'निर्भय', श्री

जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगन्नाथ सिंह परमार, श्री
जमुना प्रसाद, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जामेश्वर, श्री
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेजभान सिंह, श्री
तेज भान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिलोक चन्द्र, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दशरथ सिंह, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीप नरायन, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
दुर्ग बिजय सिंह, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धरम राम, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)

धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगा राम, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हें लाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेश चन्द्र, श्री
नरेशपाल सिंह यादव, श्री
नाथू राम शिक्षक, श्री
नारायण दत्त तिवारी, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह मैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेम सिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पुरुषोत्तम कौशिक, श्री
पुरुषोत्तम दास, श्री
पुष्पा तलवार, श्रीमती
पूरन चन्द्र, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रताप सिंह पुष्पवान, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुरहमान अन्सारी, श्री
फजलुल बारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बदन सिंह, श्री
बनारसी दास चांदना, श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बशीर अहमद, श्री
बसन्त, श्री
बांके लाल, श्री
बाबू राम प्रभाती, डाक्टर
बाबू राम वर्मा, श्री
बाबू राम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल सरोज, श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बिशुन दयाल, श्री
बिहारी लाल हंस, श्री
बुद्धू राम, श्री
बृज लाल, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद वर्मा, श्री
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री
ब्रज बल्लभ, श्री
ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण निर्मोही, श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवान दीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
मामी, श्री
भारत सिंह, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
भीषम, श्री
मंगल देव, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मकबूल अहमद, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री
मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्नालाल, श्री
मन्नीलाल, श्री
मन्नू राम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मन्सूर अली, श्री

मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मान पाल सिंह एडवोकेट श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन, श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुख्तार अनीस, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मुलायम सिंह यादव, श्री
मुश्ताक अहमद, श्री
मुहम्मद खलील उल्लाह कुरैशी, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूल चन्द्र, ठाकुर
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोतीराम, श्री
मोतीलाल देहलवी श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहन सिंह, श्री (जिला रायबरेली)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव,' श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
रवीन्द्र सिंह, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज किशोर तिवारी, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन, श्री
राजनाथ सिंह, श्री
राजपति मिश्र, श्री
राज ब्रज राज सिंह, श्री
राज मंगल तिवारी, श्री
राज मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राजेश कुमार सिंह, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे, श्री
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोविन, श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम जी, श्री
राम दत्त जोशी, श्री
राम दयाल, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री

राम प्रकाश, श्री
राम फेर कोरी, श्री
राम बक्स, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
रामरति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सागर, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणि जी)
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नारायन, श्री
लक्ष्मी शंकर यादव, श्री
लाल दास, श्री
लील वत सिंह, श्री
वंशगोपाल चौबे, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्ध प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान वर्क, श्री
शमशाद अहमद, हाजी
शम्भू नाथ, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शशि प्रभा, श्रीमती
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शोबन सिंह जीना, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्याम देव, श्री
श्याम धर मिश्र, श्री
श्याम नारायण तिवारी, श्री,
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्री चन्द, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ मुलई भाई)
श्री राम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्य देव त्रिपाठी, श्री
सत्य पाल सिंह यादव, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सियाराम सागर, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द्र गोयल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूबेदार प्रसाद, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूर्य मुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन वीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हर गोविन्द सिंह, श्री

हरदेव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरिकेवल प्रसाद, श्री
हरि चरण यादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी कृष्ण श्रीवास्तव, श्री
हरीराम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
हरी सिंह, श्री
हाकिम लाल, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—विद्युत मंत्री, श्री रवीन्द्र किशोर शाही तथा हरिजन एवं समाज कल्याण मंत्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, 21 अगस्त, 1978

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

क्षेत्र समिति जिला परिषद् अधिनियम की चुनाव सम्बन्धी धारा के संशोधन की मांग

**1—श्री देवबहादुर सिंह (जिला नैनीताल) तथा श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या क्षेत्र समिति जिला परिषद् अधिनियम, 1961 में क्षेत्र समिति तथा उसके प्रमुखों के चुनाव सम्बन्धित जो धारायें हैं उसमें कोई संशोधन किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री जमुना प्रसाद)—

जी नहीं ।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् अधिनियम में क्षेत्र समिति तथा उसके प्रमुखों के चुनाव सम्बन्धित जो धारायें हैं उनमें पहले यह था कि प्रत्यक्ष चुनाव होगा । क्या अप्रत्यक्ष चुनाव कराने के बारे में सरकार के पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में अशोक मेहता कमेटी बैठी है । यह कमेटी भारत सरकार की ओर से बैठायी गयी है । उसकी क्या रिपोर्ट है, उसके आने पर ही इस पर विचार किया जायेगा कि चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होंगे या अप्रत्यक्ष रूप से होंगे ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

इस पर सरकार विचार नहीं कर रही है, यह स्पष्ट उत्तर दिया गया, तो अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के इन्तजार करने की क्या आवश्यकता है ?

श्री जमुना प्रसाद—

माननीय सदस्य ने पूछा तो उसके उत्तर में मैंने कहा था कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आजायेगी तब यह देखा जायेगा कि चुनाव सीधे कराये जायं या अप्रत्यक्ष रूप से कराये जायं ।

श्री देव बहादुर सिंह—

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जब अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आ जावेगी तब इस पर विचार किया जायेगा, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कमेटी की रिपोर्ट कब आने की संभावना है ? क्या तब तक यह चुनाव स्थगित रहेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

15 अगस्त तक रिपोर्ट आ जानी चाहिए थी परन्तु आयी नहीं है । हम आशा करते हैं कि सितम्बर के महीने में आ जावेगी । उसके आने पर ही हम तय करेंगे ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि फिलहाल सरकार चुनाव कब तक कराने की मन्शा रखती है ?

श्री अध्यक्ष—

इसका उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह चुनाव कब हो जाने चाहिए थे और कब तक होने की आशा है ?

श्री अध्यक्ष—

पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए । दूसरे का दिया जा चुका है ।

श्री जमुना प्रसाद—

चुनाव आगामी वर्ष में हो जावेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आपका प्रश्न यह है कि चुनाव कब होने वाले थे ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, इनका कार्यकाल अभी फरवरी में समाप्त हुआ है और जैसे ही रिपोर्ट आयेगी. उसके आधार पर विचार किया जायेगा ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

क्या यह बात सही है कि माननीय मत्री जी ने पिछले सत्र में यह वक्तव्य दिया था कि चुनाव जल्द होंगे । उस समय तक अशोक मेहता कमेटी का कोई प्रश्न नहीं था । मैं यह कहना चाहता हूं कि बिलम्ब करने की दृष्टि से इसको मेहता कमेटी की रिपोर्ट से जोड़ दिया गया है ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, मेहता कमेटी की रिपोर्ट के संबंध में हम पहले भी आशा करते थे कि शीघ्र ही आ जायेगी और अब भी आशा है कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट शीघ्र ही आ जायेगी और उसी के आधार पर हम चुनाव करायेंगे ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या जिला परिषद् क्षेत्र समिति अधिनियम में संशोधन करके प्रमुखों का कार्यकाल समाप्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या इस बात को दृष्टि में रखते हुये समाप्त किया गया है कि उनके चुनाव शीघ्र करा दिये जायं? यदि हां, तो क्या इस बात को भी मद्दे नजर रखकर किया गया है कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद कराये जायेंगे या उसके पहले ही कराने का इरादा रखकर क्षेत्र समितियों के प्रमुखों का कार्यकाल समाप्त किया गया है ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट की हम आशा करत थे कि शीघ्र ही आ जायेगी । जब क्षेत्र समितियों का कार्यकाल समाप्त किया गया है, तो मैं समझता हूं कि शीघ्र ही हम चुनाव करायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य का यह प्रश्न नहीं है । उनका प्रश्न है कि क्या अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद उसकी सिफारिशों पर विचार करने के बाद चुनाव होंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, हम आशा करते हैं कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट शीघ्र आ जायेगी और उसके बाद ही देख सकेंगे कि उन्होंने क्या सुझाव दिये हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जैसे भी होगा हम प्रतीक्षा नहीं करते रहेंगे और चुनाव करायेंगे ।

श्री गुलाब सेहरा (जिला आगरा)—

क्या मंत्री जी यह बतायेंगे कि यह जो अशोक मेहता कमेटी है, उसके टर्म्स आफ रेफरेन्स क्या हैं और क्या चुनाव की तिथि भी वही घोषित करेगी?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, अशोक मेहता कमेटी की नियुक्ति भारत सरकार ने की है और उसकी रिपोर्ट करीब-करीब तैयार हो गयी है । वह हमारे सामने पेश होने वाली है और वह जैसे ही पेश होगी उस पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि अशोक मेहता कमेटी के टर्म्स आफ रफरेन्स क्या हैं ? अगर आपको मालूम है, तो बताइये कि इस कमेटी के टर्म्स आफ रेफरेन्स क्या हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, सूचना की आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी आपने अशोक मेहता कमेटी के प्रतिवेदन का जिक्र किया, तो टर्म्स आफ रेफरेन्स इससे सम्बन्धित हो जाता है । अतः इसका उत्तर भी आपके पास होना चाहिए। आप कृपया इसका उत्तर दें ।

श्री जमुना प्रसाद—

इस सम्बन्ध में मान्यवर, मुझे यह कहना है कि अशोक मेहता कमेटी यहां पर आई थी और उसने एक प्रश्नावली तमाम प्रदेशों के कोने-कोने में भेजी । उसमें टर्म्स आफ रेफरेन्स के मोटे-मोटे सिद्धान्त यह थे कि चुनाव किस प्रकार होंगे और ग्राम सभाओं, क्षेत्र समितियों, जिला परिषदों को हम कैसी और कौन सी पावर्स देंगे । यह उसके मूल सिद्धान्त थे—उसी के ऊपर वह रिपोर्ट तैयार हो रही है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मेरा विशेषाधिकार का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न पर 10 मिनट हो चुके हैं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, इन्होंने सदन को गुमराह किया है। पहले तो कहा है कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार करेंगे, फिर कहा कि हमारे पास टर्म्स आफ रेफरेन्स नहीं हैं। मान्यवर, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं और सदन की अवमानना कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष—

अशोक मेहता कमटी के टर्म्स आफ रेफरेन्स क्या हैं, उनका उत्तर उन्होंने दे दिया है।

श्री देव बहादुर सिंह—

पहले माननीय मंत्री जी ने कहा कि सूचना नहीं आयी है।

श्री अध्यक्ष—

आपको उत्तर दे तो दिया है।

श्री देव बहादुर सिंह—

मान्यवर, मैं चाहूंगा कि उस रिपोर्ट को सदन में लाया जाय और उस पर यहां पर विचार हो जाय। इन्होंने पहले कहा कि सूचना की आवश्यकता है और टर्म्स आफ रेफरेन्स बतायें। मैं चाहूंगा कि आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

आप चाहें तो इस पर विवाद मांग सकते हैं ?

प्रदेश की चीनी मिलों के बन्द होने की तिथि एवं बकाया गन्ना मूल्य

**2—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) तथा श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

क्या गन्ना विकास मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि प्रदेश में चीनी मिलें बन्द होने की इस वर्ष अन्तिम तिथि क्या थी और दिनांक 1-8-78 तक किसानों के कितने गन्ने की कीमत किस-किस चीनी मिल पर बकाया है तथा उसकी अदायगी की क्या व्यवस्था की जा रही है ?

गन्ना विकास मन्त्री (श्री शिव मंगल सिंह)—

पेराई सीजन 1977-78 में अन्तिम चीनी मिल दिनांक 6 अगस्त, 1978 को बन्द हुई।

दिनांक 1-8-78 को प्रदेश की 85 चीनी मिलों में 258.18 करोड़ रुपया मूल्य का गन्ना क्रय किया गया था, जिसमें 206.19 करोड़ रुपये का भुगतान करने के उपरान्त 80 चीनी मिलों पर 51.99 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य बकाया रह गया था, जो कुल देय धनराशि का लगभग 20 प्रतिशत है। मिलवार विवरण संलग्न है। इस बकाया का भुगतान कराने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 145-148 पर)

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, जो तालिका दी है, उसमें सबसे ज्यादा बकाया उन फैक्ट्रीज पर है, जो रिसीवर्स के मातहत हैं, तो जो रिसीवर्स उनके अन्डर में काम करते हैं, उन्हीं की फैक्ट्रीज में किसानों का ज्यादा शेष है, तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात की जांच करायेंगें कि ऐसा क्यों है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जो निजी क्षेत्र की मिलें हैं, उनमें 30 प्रतिशत और जो मिलें रिसीवर्स द्वारा चलायी जा रही हैं, उनमें 27 प्रतिशत शेष है, तो नहीं कहा जा सकता है कि सरकार की जो मिलें हैं, उनसे कम प्राइवेट वाली मिलों में है। जहां तक किसानों के पैसे के भुगतान का प्रश्न है, हमने हर जगह यह कोशिश की है और कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पैसे का भुगतान किया जाय।

श्री रियासत हुसैन—

जिन फैक्ट्रीज पर बकाया है, उनमें यह धारणा व्याप्त है कि हम पर दवाव डाल कर फैक्ट्रीज को 16 जुलाई और अगस्त तक चलवाया गया है जबकि रिकवरी 5 तक हो गयी, तो 13 रुपये गन्ने का दाम नहीं देंगे। वे इस विवाद को खड़ा कर रहे हैं, तो क्या उसको रोकने के लिए माननीय मंत्री जी कोई कदम उठाने की कृपा करेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जनता पार्टी की सरकार ने किसानों से वायदा किया था कि हम गन्ने का मूल्य 13 1/2 रुपया था 12 1/2 रुपया दिलायेंगे। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि चूंकि इस बार मिल्स कुछ देर से चलने शुरू हुए, तो जाहिर था कि समय के भीतर गन्ने की पेराई नहीं हो सकी क्योंकि उत्पादन भी पिछले वर्ष से अधिक था। सरकार के सामने जो जरूरी प्रश्न आया, वह यह था कि जो वचन सरकार ने किसानों को दिया था कि उसका पूरा गन्ना पेराया जायगा और मूल्य भी उनको पूरा मिलेगा, तो इस कारण अनिवार्यतः मिलों को जुलाई तक गन्ना पेरना पड़ा। सरकार का उद्देश्य था कि गन्ने की अधिक से अधिक पेराई करा सकें और उसको निकाल सकें।

श्री रियासत हुसैन--

मेरे सवाल का जबाव नहीं आया। मेरा स्पष्ट प्रश्न है कि आज प्रदेश में बाढ़ आयी हुई है और हर किसान को पैसे की जरूरत है। किसान अपने पेट से पर्चियां बांधे फिर रहा है। इस चीज को देखते हुए क्या सरकार घोषणा करेगी कि सीमा-बद्ध करके, किसान को पैसा, फैक्ट्री से दिलवाया जायगा, पूरे प्रदेश भर में ?

श्री शिव मंगल सिंह—

सही तारीख बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन प्रयास यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी गन्ने के मूल्य का भुगतान हो सके। इस संबंध में यह भी सूचित कर देना चाहता हूं कि कुछ सहूलियतें भी हमने प्रदान की हैं, जहां तक हमारे विभाग का सवाल है। क्योंकि जितने भी बकाया हैं उनके लिए हम कोई को अर्सिव मेथड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, भुगतान के लिए। जहां तक कोआपरेटिव ड्यूज है 75 प्रतिशत जो पर्चियां . . .

श्री रियासत हुसैन—

किसान के ऊपर जो ड्यूज हैं उनसे क्या मतलब है ? . . . .

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

माननीय मंत्री जी इसी तरह से जवाब देते हैं ताकि कोई कायदे के सवाल न होने पायें ।

श्री शिव मंगल सिंह—

मैं जो कह रहा हूं उसे आप सुनें । आपने यही पूछा था कि पूरा भुगतान जो नहीं हुआ है, उसके लिए क्या सुविधा दे रहे हैं, दूसरे यह कि जल्दी से जल्दी इसको कराया जाय । मैं वही बतला रहा था, इसमें कहां इरैलिवेंसी है ? मैं यह बता रहा हूं कि जहां तक जल्दी से जल्दी मूल्य के भुगतान करने का प्रश्न है, उसके लिए आदेश जारी कर दिये हैं सारे विभागीय अधिकारियों को कि वसूली करके शीघ्र गन्ने का मूल्य दिलाया जाय और जो सुविधाएं दी जा सकती हैं वह दी जायं ताकि कोई हार्ड-शिप न हो । वह हमने बता दिया ।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या गन्ना विकास मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जैसे किसानों पर बकाया होता है, सरकार का और उसको वसूल करने के लिए उनको छोटी सी हवालात में जाकर के ठूंस देते हैं, तो क्या इन मिल मलिकों पर जो करोड़ों रुपये बकाया है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ? उसके लिए वही व्यवहार हो रहा है, शिष्ट व्यवहार, जिलाधीशों को लिखा जा रहा है, सरकारी कार्यवाही हो रही है और अगस्त का महीना आ गया, तो क्या मिल-मालिकों को गिरफ्तार करके, बन्द करके उसी प्रकार उनसे पैसा वसूल करने का आदेश जारी करेंगे ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मिल मालिक भी अगर गन्ने के मूल्य का भुगतान करने में अड़ंगा लगायेंगे, जानबूझ कर कठिनाई पैदा करेंगे, तो हम सख्त से सख्त जो कार्यवाही हो सकती है, वह करेंगे ।

श्री दीप नरायन (जिला गोंडा)—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो अभी ब्यौरा दिया है कि इतना मिल मालिकों पर पैसा बाकी है, क्या उनको इत्तला है कि कुछ मिल-मालिकों ने गन्ना बगैर पर्ची के खरीद लिया है और गोंडा में मसौदा पर केस रिजर्व हुआ है, तो उसके लिये भी कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री शिव मंगल सिंह—

इससे कोई संबंधित नहीं है इसकी सूचना की आवश्यकता है ।

श्री अध्यक्ष—

उनका प्रश्न मैंने मंजूर किया है कि क्या आपको इत्तला है कि मिल-मालिकों ने ऐसा भी गन्ना लिया है, जिसकी नियमानुसार पर्चियां नहीं दी गयी हैं, क्या आपको जानकारी है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

अभी इसकी जानकारी नहीं है । अगर आप कहेंगे, तो सूचना मंगा लूंगा ।

श्री कन्हैयालाल गुप्त (जिला मथुरा)—

मथुरा जिले की छाता शुगर मिल पर किसानों का कितना रुपया बकाया है और उसके भुगतान के लिये सरकार क्या करने जा रही है ? क्या रुपया भुगतान न करने का कारण यह है कि चीनी मिल में बहुत ज्यादा स्टाक चीनी का जमा पड़ा हुआ है और वह नहीं निकल पा रहा है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

कुल 63.18 करोड़ भुगतान के लिये बकाया था जिसमें से भुगतान होकर शेष 50.18 रह गया है.।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

सरकार ने जो यह घोषणा की थी कि प्रदेश की चीनी मिलें तब तक बन्द नहीं की जायेंगी जब तक कि प्रदेश के गन्ना किसानों का सारा गन्ना पेर नहीं दिया जायेगा । तो क्या सरकार को ऐसी सूचना है कि प्रदेश का सारा गन्ना पेरने के बाद ही चीनी मिलें बन्द हुई हैं ? यदि नहीं, तो कितना गन्ना पेरने से रह गया है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, इसमें कुछ भ्रम है । सरकार ने जो घोषणा की थी, वह केवल सुरक्षित क्षेत्र के गन्ने के लिये की थी कि चीनी मिलों के सुरक्षित क्षेत्र का जितना गन्ना है, उसको पेरने के बाद ही बन्द होंगी न कि प्रदेश के सारे किसानों का । सुरक्षित क्षेत्र के अन्दर हमारा टोटल प्रोडक्शन करीब 680 लाख टन का है । उसी के बारे में कहा गया था । यह गन्ना, हमारा अनुमान है, लगभग 7 लाख टन बाकी बच गया है, बाकी सब पिर गया है ।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

हमारे क्षेत्र की जितनी भी गन्ना मिलें हैं उन सभी पर गन्ना किसानों का काफी रुपया बकाया है और वहां बाढ़ के कारण लोगों में त्राहि-त्राहि मची हुई है तो क्या बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों के किसानों के गन्ने का भुगतान सरकार तुरन्त कराने की कृपा करेगी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

बाढ़ ग्रस्त के लिये तथा जहां बाढ़ नहीं आयी है वहां के लिये भी हमारा यह प्रयास है कि भुगतान जल्दी से जल्दी कराया जाये ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

इस साल के 51 करोड़ के अलावा पिछले साल का भी लगभग 15 करोड़ रुपये चीनी मिलों पर बकाया हैं । तो क्या सरकार पिछले साल के 15 करोड़ रुपये जो बकाया हैं, उनको शीघ्र दिलवाने के लिये कोई कदम उठा रही है ? क्या उन चीनी मिलों की चीनी जब्त करके उसे बाजार में बेंच कर उससे उस रुपये का भुगतान सरकार करायेगी ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, पिछले वर्षों का जो डिटेल और शेष है, वह 6.20 करोड़ है और बकाये के भुगतान की जो बातें कही जाती हैं, तो निश्चित रूप से यह भी रकम उसमें शामिल है। जहां तक प्रयास का सवाल है, मैंने निवेदन किया है कि सरकार ने 2–3 मुख्य बातों की तरफ इसमें संकेत किया है। सारे जिलाधिकारियों को आदेश दे दिया गया है कि जहां पर कैश कम हो गया है उसका इन्तजाम किया जाय, इस पैसे को पहले किसानों के मूल्य के भुगतान में लगायें, उसके बाद अन्य कामों में लगायें।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं मैं इनकी गलत बयानी पर ब्रीच आफ प्रिविलेज की नोटिस दे रहा हूं। माननीय मंत्री जी ने अभी अवगत कराया कि 6.20 करोड़ बकाया है और पहले यह बयान दिया है कि 1 करोड़ 82 लाख बकाया है। मैं ब्रीच आफ प्रिविलेज की नोटिस देता हूं। यह सब मिथ्या बात है।

श्री अध्यक्ष—

जब आप लिख कर देंगे, तब मैं देखूंगा, इस तरह से नहीं।

श्री ऊदल—

मंत्री जी जवाब दे रहे थे, वह अधूरा रह गया, जवाब तो मंत्री जी से दिलवा दें, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष—

इसकी वसूलयाबी के लिये क्या कदम उठाने जा रहे हैं ?

श्री चेतराम गंगवार—

मान्यवर, फीगर सही हो जाती, तो देश के लोगों को जानकारी हो जाती।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, जवाब आने दीजिए।

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, जो मार्जिन बचता है, उसका पहले भुगतान किया जाय और आवश्यकतानुसार लेबर वगैरह को जो कुछ हो वह दिया जाय, लेकिन प्राथमिकता गन्ना मूल्य पर दिया जाय, कैश लिमिट को भी बढ़ाया जाय। इस पर भी हमने जोर दिया है। जो एडवांस मिला है, उस पैसे में से अधिकांश भाग किसानों के गन्ने के भुगतान में दिया जाय और जो बहुत आवश्यकता हो, जैसे मजदूरों के वेतन वगैरह उसमें और फैक्टरी को चलाने में दिया जाय।

श्री मुनीन्द्र पाल सिंह (जिला पीलीभीत)—

सबसे ज्यादा किस फैक्टरी में काश्तकारों का बकाया है ?

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं .....

श्री मुनीन्द्र पाल सिंह—

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री मन्जूर अहमद—

जो भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री, भारत सरकार ने घोषणा की थी हाउस में, कि करोड़ों मन गन्ना खड़ा है, उसके मुआवजे में किसानों को 75 करोड़ रुपये इस उत्तर प्रदेश सरकार को देना चाहिये । क्या यह सही है कि वह देने की कोई व्यवस्था कर रहे हैं ? दूसरा प्रश्न यह है कि मेरी सूचना को सही मानते हुए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 20 परसेंट गन्ना खड़ा है, उसके बारे में सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री अध्यक्ष—

मैं पहले सवाल की अनुमति नहीं देता हूं । दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिये । पहला प्रश्न मैंने नामंजूर किया है ।

श्री शिव मंगल सिंह—

आपका अनुमान कि 20 परसेंट गन्ना खड़ा है यह सही नहीं है ।

(प्रश्न संख्या 3 पुकारे जाने पर)

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, एक प्रश्न की अनुमति दे दें ।

श्री अध्यक्ष—

रियासत साहब, आप बैठिये ।

श्री मित्रसेन—

मान्यवर दूसरे प्रश्न में मेरा भी नाम था । मैं बराबर खड़ा होता रहा । मैं आपको नोटिस देता हूं । मुझे अवसर मिलना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं इस पर अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री कृष्णा राय (जिला देवरिया)—

किसानों का पैसा रोका जा रहा है । गन्ना विकास मंत्री उधार खाता चला रहे हैं ।

ग्राम्य पंचायतों, विकास क्षेत्रों व जिला परिषदों के चुनाव की मांग

**3—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला-सीतापुर)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा प्रधान विकास क्षेत्र प्रमुख तथा जिला परिषद् सदस्यों के चुनाव कब कराये जा रहे हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—

ग्राम पंचायतों के चुनाव आगामी वर्ष में करा दिये जाने की संभावना है । इसी चुनाव के उपरान्त क्षत्र समितियों के प्रमुख एवं जिला परिषदों के चुनाव सम्भव हो सकेंगे ।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

एक वर्ष का समय क्यों बढ़ गया । आगामी वर्ष तक चुनाव क्यों टाल दिये गये हैं ?

श्री जमुना प्रसाद--

अभी एक सब कमेटी की बैठक हुयी थी, उसके सामने विभागीय अधिकारी भी थे । चुनाव आयोग की ओर से यह हुआ कि जो असेंबली की मतदाता सूची है, उसका प्रयोग ग्राम सभा के चुनाव में नहीं हो सकता, तो पंचायत राज संस्थान को अपनी मतदाता सूची स्वयं तैयार करनी होगी । उसमें समय लगेगा और कम से कम 5-6 महीने का समय लगेगा । इसलिये कहा गया कि आगामी वर्ष में होंगे ।

श्री राजेंद्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इसमें कहा गया है कि ग्राम सभा के चुनावों के उपरान्त जिला परिषदों और क्षेत्र समितियों के चुनाव होंगे । मैं जानना चाहता हूं कि पूरी प्रक्रिया कब तक पूरी हो जायगी ? माननीय मंत्री जी ने बताया कि पंचायत राज संस्था मतदाताओं की सूची बनायेगी, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मतदाताओं की आयु 21 वर्ष के बजाय 18 वर्ष रखने पर विचार करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद---

मान्यवर, इस संबंध में मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि 18 वर्ष की आयु पर निर्णय लेने का प्रश्न शासन के सामने विचाराधीन है और आशा की जाती है कि 18 वर्ष की ही आयु चुनाव में होगी ।

श्री अध्यक्ष---

दूसरा प्रश्न उनका था कि चुनाव की सारी प्रक्रिया कब तक समाप्त होगी उसका भी उत्तर दे दें ?

श्री जमुना प्रसाद---

मान्यवर, मैंने पहले बतलाया था कि जो मतदाता सूची है, उनको तैयार होने में 5-6 महीने लग जायेंगे और उसके बाद ही चुनाव हो सकेंगे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी---

श्रीमन्, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि जो शासन ने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 और 3 में शुरू में उत्तर दिये हैं और प्रश्न 3 में फिर जो संशोधित उत्तर मिला है, उसमें बिल्कुल परस्पर विरोधी नीति का परिचायक है । इसलिए ऐसे प्रश्नों के बारे में आपकी नीति निर्धारित करने की व्यवस्था के अन्तर्गत शासन एक स्थिर नीति को निर्धारित करके कैबिनेट निर्णय ले और उसके बाद उत्तर दिया जाय। आश्चर्य का विषय है कि श्री गिरीशचन्द्र तिवारी ने कहा कि पहले लिखा गया कि ग्राम पंचायतों के चुनाव इस वर्ष के अन्त तक करा दिये जायेंगे और फिर संशोधित उत्तर आया कि आगामी वर्ष में कराये जानें की संभावना है और फिर आगामी वर्ष में कब तक चुनाव होंगे । सबसे महत्वपूर्ण बात चुनाव इंडाइरेक्ट होंगे । मंत्रीजी ने अशोक मेहता कमेटी का हवाला दिया, तो यदि डाइरेक्ट चुनाव होंगे, तो ग्राम पंचायतों और क्षत्र समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव एक साथ हो सकते हैं । लेकिन जो उत्तर दिया है वह भिन्न है । उत्तर में है कि ग्राम पंचायतों के चुनाव के बाद क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव होंगे जिसका मतलब इंडाइरेक्ट चुनाव होंगे । तो इसमें अशोक मेहता कमेटी का प्रश्न ही क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

तिवारी जी ने जो प्रश्न किया, तो उसमें पहले और तीसरे के संबंध में पहले उन्होंने यह कहा कि अशोक महता कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद हम विचार करेंगे। तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया इस वर्ष के अन्त तक चुनाव करेंगे जिसका संशोधित उत्तर दिया तो चुनाव बराबर स्थगित होते रहते हैं और शासन का यह अधिकार है कि चुनाव को वह स्थगित कर सकता है। इसलिये संशोधित किया है। संशोधन करने का सरकार को अधिकार है। यह प्रश्न करना कि मंत्रि परिषद के सामने यह प्रश्न गया कि नहीं, यह तो कार्यभारी मंत्री जाने। यह धारणा होती है कि जो मंत्री उत्तर देते हैं, वह उत्तर-दायी हैं और पूरे तरीके से मंत्रि परिषद का समर्थन उनको प्राप्त है।

इसलिये जो प्रश्न आपने उपस्थित किया है इसको मैं उचित नहीं समझता।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आपने व्यवस्था नहीं दी कि अशोक मेहता समिति इस बात को तय करेगी कि इलेक्शन डायरेक्ट होंगे या इनडाइरेक्ट होंगे माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है उससे स्पष्ट होता है कि इनडाइरेक्ट होंगे ?

श्री अध्यक्ष--

पार्लियामेंट का तथा असेम्बली का चुनाव अलग-अलग होता है। अब चुनाव इन-डाइरेक्ट हो अथवा डाइरेक्ट हो तो क्या यह आवश्यक है कि सब चुनाव एक साथ हों ? काल्पनिक प्रश्नों के आधार पर कोई व्यवस्था नहीं होती। इसलिये मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)--

ग्राम पंचायतों, क्षेत्र समितियों तथा जिला परिषदों के चुनाव कई दफा स्थगित किये जा चुके हैं। इस प्रकार स्थानीय निकायों के चुनाव इतनी बार स्थगित किये जा चुके हैं, जिससे प्रदेश की जनता में यह विश्वास उत्पन्न हो गया है कि पता नहीं कब चुनाव होंगे। तो क्या माननीय मंत्री सदन को यह आश्वासन देंगे कि ये चुनाव अमुक महीने में, वर्ष में निश्चित रूप से करा दिये जायेंगे ताकि प्रदेश की जनता में यह विश्वास पैदा हो सके कि निश्चित रूप से सरकार अपने वायदे को पूरा करेगी ?

श्री जमुना प्रसाद--

निश्चित रूप से चुनाव कब हो जायेंगे इसके लिये मैं यह सूचना देना चाहता हूं कि मार्च तथा मई के बीच में निश्चित रूप से चुनाव हो जायेंगे।

जिला परिषदों के चुनाव की प्रणाली एवं हरिजनों तथा पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों का आरक्षण

**4--श्री शम्भू नाथ चौधरी (जिला बलिया)--

क्या सरकार ने जिला परिषदों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर करने का निर्णय ले लिया है ? यदि हाँ, तो कब से ? किस नीति और आधार पर और इस चुनाव में हरिजन और पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों का आरक्षण किस अनुपात में रहेगा ?

श्री जमुना प्रसाद—

शासन द्वारा इस सबध में भारत सरकार द्वारा गठित अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या यह सही है कि विभाग के अधिकारी जानबूझकर इन चुनावों को समय-समय पर टालते जा रहे हैं ? अगर यह सही नहीं है, तो प्रमुखों का कार्यकाल किस कारण से समाप्त कर दिया गया ?

श्री जमुना प्रसाद—

अधिकारियों का प्रश्न ही नहीं आता है । प्रमुखों की जो बात कही जा रही है तो फरवरी में उनका कार्यकाल स्वतः समाप्त हो गया था ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

सरकार ने जिला परिषदों के चुनाव को प्रत्यक्ष प्रणाली पर कराने का निर्णय ले लिया था, तब अब कौन सी दिक्कतें हैं कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट का आप इन्तजार कर रहे हैं ?

श्री जमुना प्रसाद—

अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट की प्रतीक्षा इसलिए की जा रही है कि पंचायत राज की क्या रूप रेखा होगी यह उसमें निहित होगा और चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली तथा अप्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर होंगे, यह भी उसमें निहित है और इस सबकी उसमे अपेक्षा की जा रही है । इसी कारण से उस रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मंत्री जी ने कुछ समय पहले यह बात कही थी कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आने की प्रतीक्षा नहीं की जायगी और आवश्यकता होने पर चुनाव करा दिये जायेंगे, तो क्या मंत्री जी यह बात स्पष्ट करेंगे कि अगर अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है, तो उस स्थिति में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से जिला परिषद के चुनाव कराने के ऊपर विचार करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

इसमें कुछ भ्रम सा हो गया है । इसमें दो बातें निहित हैं। मैंने अभी बतलाया था कि चुनाव जो हैं वे मार्च और मई के बीच में करा दिये जायेंगे । लेकिन हम आशा करते हैं कि अशोक मेहता कमेटी की रिपोर्ट शीघ्र आ जायगी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

क्या पंचायती राज मत्री जी बतायेंगे कि अशोक मेहता कमेटी जब यहाँ आई तो राज्य सरकार ने क्या राय उसके सामने रखी ? प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किस प्रणाली से चुनाव कराये जायें ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, जब यहां अशोक मेहता कमेटी आई तो उस कमेटी के सामने विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि मिले और उन्होंने विभिन्न राय दी । शासन की ओर से कोई राय नहीं दी गई ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

श्रीमन्, क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि क्या कारण है कि इतने महत्वपूर्ण प्रश्न पर जिसमें जिला परिषदों के चुनाव किस तरह हों और उनके क्या अधिकार हों तथा क्षेत्र समितियों, ग्राम सभाओं आदि के कैसे चुनाव हों, जैसा कि पंचायती राज मंत्री जी ने कहा कोई राय शासन की तरफ से नहीं दी गई, तो इसका क्या कारण है ?

श्री जमुना प्रसाद—

माननीय तिवारी जी ने इस प्रश्न को करने में व्यंगात्मक हंसी की । उनके प्रश्न का उत्तर मैं देना चाहता हूं कि पंचायती राज के संबंध में किस प्रकार उसकी रूपरेखा हो और क्या सुझाव उसमें हों इसके लिए शासन बाइंडिग नहीं करना चाहता । तमाम विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने राय दी उससे अशोक मेहता समिति जिस निष्कर्ष पर पहुंचेगी उसके आधार पर हम सोचेंगे ।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

माननीय मुख्य मंत्री जी बतायें कि आज की तारीख तक क्या आपने कोई राय बनाई है ? जब अशोक मेहता समिति आई तो उसको कोई राय उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं दी, इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है ?

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने कहा कि सरकार ने अपनी राय व्यक्त नहीं की ।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियमों के अनुसार किसी सदस्य से प्रश्न पूछा जा सकता है ।

तो मैं श्री नारायण दत्त तिवारी, एम0एल0ए0, नैनीताल से यह पूछने का हकदार हूं कि अशोक मेहता कमेटी ने सारे सदस्यों से उसकी रूपरेखा भेज कर पूछा था कि आप अपनी राय लिख कर भेज दें । तो तिवारी जी ने अपनी क्या राय भेजी ?

श्री अध्यक्ष—

आप लिखित सूचना दें ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

भूतपूर्व कांग्रेसी सरकार जिसका नेतृत्व बहुगुणा जी कर रहे थे, ने निर्णय ले लिया था कि जिला परिषदों के चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली के आधार पर होंगे । तो क्या सरकार ने उस आदेश को निरस्त कर दिया है ? यदि हां, तो कब, यदि नहीं, तो उसका पालन क्यों नहीं हो रहा है ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, बहुगुणा जी के शासन काल में प्रत्यक्ष चुनाव कराने का निर्णय ले लिया था, यह आपका कहना है । इस संबंध में मेरी कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने निर्णय लिया था या नहीं ।

श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि अशोक मेहता कमेटी जो भी अपनी संस्तुति चुनाव प्रणाली के संबंध में दे देगी, वह उसको मान लेंगे अथवा वह उस पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री जमुना प्रसाद—

जब मेहता कमेटी की रिपोर्ट सम्मुख आयेगी, तो उस पर विचार किया जाएगा और चीज मानने लायक होगी, मानी जाएगी ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार की ओर से अशोक मेहता से कोई निश्चित अवधि तय हुयी थी कि इतने समय के अन्दर उनकी रिपोर्ट पेश हो जाएगी ?

श्री जमुना प्रसाद—

मान्यवर, यह समिति केवल उत्तर प्रदेश से संबंधित नहीं है, पूरे देश स संबंधित है , इसलिए प्रदेश सरकार उनसे कोई तिथि निश्चित नहीं कर सकती थी। जहां तक मेरी जानकारी है, वह रिपोर्ट करीब-करीब महीने दो महीने में आ जायेगी ।

श्री देवबहादुर सिंह—

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित, जैसा उन्होंने कहा कि इनके चुनावों के पंचायतों के चुनाव आधार हैं, इसलिये वह अपनी मतदाता सूची बनायेंगे और इसमें 5–7 महीने तैयार होने में लगेंगे । तो पहले यह था कि इनके चुनाव विधान सभा की मतदाता सूची के आधार पर कराए जाते थे, तो अब क्या इस कानून को निरस्त कर दिया गया है और किस अध्यादेश के अनुसार ?

श्री जमुना प्रसाद—

शासन के सामने इस संबध में चुनाव आयोग की तरफ से लिखकर आया कि जो विधान सभा चुनावों की मतदाता सूची है, उनका प्रयोग पंचायती राज चुनाव में नहीं हो सकता है, इसलिये शासन के सामने यह मजबूरी थी, एक ही रास्ता था कि मतदाता सूची को पंचयतीराज विभाग की ओर से पुनः तैयार करावें ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के लिए जिला परिषद्, मेरठ द्वारा औषधियों की खरीद के विरुद्ध शिकायत

*1—श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ)—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद, मेरठ द्वारा अपने आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के लिये 24 हजार सात सौ रुपए की औषधियां 1977–78 में जनपद की स्थानीय आत्रेय फार्मेसी से उनकी मूल्य सूची का "डाबर" व "गुरुकुल" कांगड़ी की मूल्य सूची से मुकाबिला करके बिना नमूने लिए खरीदी गयी और वैद्यों द्वारा दवाइयां खराब होने की शिकायतें आने के बावजूद अधिकांश चिकित्सालयों में दवाई भेजी गयी ? क्या यह भी सही है कि आयुवत महोदय की स्वीकृति के बिना अदायगी भी कर दी गयी ? यदि हां, तो इस खरीदारी के लिये कौन कर्मचारी, अधिकारी उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जमुना प्रसाद—

जिला परिषद, मेरठ द्वारा वर्ष 1977–78 में अपने आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के लिये 24,700 रुपये की औषधियां टेंडर मांग कर खरीदी गयी थीं। यह औषधियां क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी की संस्तुति के आधार पर आत्रेय फार्मेसी, बड़ौत से न्यूनतम मूल्य के आधार पर खरीदी गई थीं। औषधियों के संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर दिनांक 22–2–78 से औषधियों का वितरण बन्द कर दिया गया। वर्ष 1977–78 के लिये औषधियां खरीदने की स्वीकृति आयुक्त द्वारा पहले ही दी जा चुकी थी। इसके भुगतान की स्वीकृति केवल औपचारिक होने के कारण स्वीकृति की आशा में भुगतान कर दिया गया है।

जांच कराकर फर्म के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने का निर्णय ले लिया गया है।

श्री नरेन्द्र सिंह—

मैं जानना चाहता हूं कि जिला परिषद चिकित्सकों को औषधियां खरीदने की स्वीकृति आयुक्त ने किस तारीख को दी और उसकी अनुमति के बिना जो दवाएं खरीदी गईं, उसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ शासन ने क्या कार्यवाही की है?

श्री जमुना प्रसाद—

इसमें तारीख नहीं है, लेकिन वक्त है—जिला परिषद मेरठ द्वारा वर्ष 77–78 में अपने आयुर्वेदिक चिकित्सालयों के लिये 24,700 रुपये की औषधियां, टेंडर मंगाकर खरीदी गईं। इसके अलावा 20–7–78 को जब मालूम हुआ कि औषधियां खराब हैं, तो उनका वितरण बंद कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

वह यह जानना चाहते हैं कि उस अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही हुई है, जिसने यह अनुमति दी है?

श्री जमुना प्रसाद—

दो कार्यवाहियां की हैं। एक तो उनके खिलाफ कार्यवाही करने के आदेश दिये हैं, जिन्होंने खराब दवायें दीं। दूसरे उनके खिलाफ जिन्होंने बिना आयुक्त की स्वीकृति के पैसे का भुगतान किया।

श्री कल्पनाथ सिंह—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी की सहमति पर यह दवायें खरीदी गयीं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया। क्या मंत्री जी के पास इस बात की सूचना है कि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी ने इन दवाओं की खरीदारी के सिलसिले में कोई रिपोर्ट दी है? यदि हां, तो उसक खिलाफ कार्यवाही करने का कौनसा प्रस्ताव स्वास्थ्य विभाग को भेजा है?

श्री जमुना प्रसाद—

जो क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी थे, उन्होंने अपनी स्वीकृति दी कि औषधियां खरीदी जांय। औषधियां खराब पायी गयीं, तो उसके संबंध में जैसा मैंने पहले उत्तर दिया कार्यवाही की जा रही है दूसरी कार्यवाही उनके विरुद्ध हो रही है जिन्होंने पैसे का भुगतान किया। अभी माननीय सदस्य ने कहा कि क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी के खिलाफ क्या कार्यवाही हो रही है तो मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि उनके खिलाफ भी कार्यवाही होगी।

*2--श्री मुनीन्द्रपाल सिंह--

[8-5-78 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 4 द्वारा उत्तरित]

कृषि उत्पादन एवं ग्रामीण विकास सम्बन्धी दिल्ली में मुख्य मन्त्रियों का सम्मेलन एवं मुख्य मन्त्री की कथित उपस्थिति

*3--श्री शम्भूनाथ चौधरी तथा चौधरी अनवार अहमद (जिला गाजियाबाद)--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा ग्रामीण विकास को बढ़ाने के प्रयासों पर विचार करने के लिए दिल्ली में दिनांक 11 और 12 दिसम्बर, सन् 1977 को मुख्य मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन सम्पन्न हुआ जिसमें मुख्य मंत्री ने भी हिस्सा लिया ? यदि हां, तो इस सम्मेलन में मुख्य निर्णय क्या लिये गए हैं और इन निर्णयों को क्रियात्मक रूप देने के लिए राज्य सरकार क्या कर रही है?

कृषि मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)--

11 और 12 दिसम्बर, 1977 को दिल्ली में किसी सम्मेलन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने हिस्सा नहीं लिया ।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि दिसम्बर में किसी तारीख को ऐसा सम्मेलन हुआ था, जिसमें मुख्य मंत्री जी ने हिस्सा लिया था ? यदि हां, तो उसमें क्या-क्या बातें हुईं ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

यह प्रश्न निश्चित तारीखों के बारे में पूछा गया था इसलिये वही सूचना है । वैसे दिसम्बर में किसी ऐसी मीटिंग में मुख्य मंत्री जी ने भाग नहीं लिया ।

दि किसान सहकारी चीनी मिल, कायमगंज, फर्रुखाबाद के विरुद्ध ज्ञापन

*4--श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद की जिला किसान एवं कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने दिनांक 21 जनवरी, 1978 को दि किसान सहकारी चीनी मिल, कायमगंज, फर्रुखाबाद में 83 लाख रुपया के घाटे के संबंध में कोई ज्ञापन दिया था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह--

शासन को फर्रुखाबाद जिले की किसान सभा एवं जिला कमेटी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मा0) का उक्त आशय का यह ज्ञापन मिला है, जो दिनांक 21-1-78 का नहीं, बल्कि 2-2-78 का है । उपर्युक्त ज्ञापन के संबंध में जांच कराई गई तथा आरोप निराधार पाये गये ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह--

मंत्री जी के उत्तर से संबंधित । क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि किस अधिकारी से जांच करायी गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह--

निदेशालय से जांच हुई है ।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

क्या उस मिल के मजदूर यूनियन की तरफ से बैलेंसशीट मांगी गयी थी 83 लाख रुपये के घुटाले के विषय में, जिसे दिखाने से इंकार कर दिया गया ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मांगने पर इंकार किया गया, ऐसी सूचना नहीं है। सचाई यह है कि 1976–77 की बैलेंसशीट पेश की गयी थी, उसमें अभी करीब 46.94 लाख रुपया एक्साइज रिबेट, जो मिलता है वह नहीं दिखाया जा सका। यदि यह शामिल कर लिया जाय, तो घाटा नहीं आयेगा।

श्री गनेशीलाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

मंत्री जी से मैं यह जानना चहता हूं कि प्रश्न से यह बिलकुल साफ है कि 83 लाख रुपये के घाटे के संबंध में कोई ज्ञापन दिया गया था । मंत्री जी ने कहा कि जांच करायी गयी और झूठी पायी गयी । मंत्री जी कृपया यह साफ तौर पर बतला दें कि वह मिल घाटे पर चल रही है या फायदे पर चल रही है?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, यह तो मैंने साफ बतला दिया है कि उसमें 43.65 लाख का घाटा हुआ था और 83 का नहीं हुआ जैसा कि ज्ञापन में कहा गया है । चूंकि बैलेंसशीट पूरी नहीं थी इसलिये जब कम्पलीट बैलेंसशीट होगी, तो उसमें 3.29 लाख का फायदा हो जाता है । तो घाटे का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

जो ज्ञापन दिये थे, उसमें मुख्य-मुख्य आरोप क्या थे ?

श्री शिव मंगल सिंह—

मान्यवर, मुख्य आरोप थे—चीनी मिलों में गन्ने की पेराई में गड़बड़ी, क्रय-केन्द्रों के बारे में, मिल के अधिकारियों के आचरण के संबंध में ।

भूमि संरक्षण अनुभाग में समतलीकरण हेतु प्रयुक्त ट्रैक्टरों की भुगतान की दर

*5—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि यू0पी0एग्रो के ट्रैक्टर व कृषि विभाग के ट्रैक्टर भूमि संरक्षण अनुभाग में समतलीकरण हेतु 35 रु0 प्रति घंटे की दर से भुगतान किये जाते हैं तथा उद्यमकर्ताओं व निजी व्यक्तियों के ट्रैक्टरों का भुगतान मिट्टी को नाप करके किया जाता है ? यदि हां, तो दर की भिन्नता का आधार क्या है?

श्री राजेन्द्र सिंह—

उद्यमकर्ताओं व निजी व्यक्तियों के ट्रैक्टरों का भुगतान मृदा की माप के अनुसार और यू0पी0 एग्रो व कृषि विभाग के ट्रैक्टरों का भुगतान प्रति घंटे की दर से, जो ट्रैक्टरों की अश्वशक्ति के अनुसार 25 रु0 से 35 रु0 प्रति घंटा है, किया जाता है बशर्ते यह सम्पादित मृदा कार्य के मूल्य से अधिक न हो। अतएव किसी भी विधि से कार्य कराने में भुगतान का मूल आधार वास्तविक मृदा कार्य की माप रहती है ।

नोट:—नियम 38(2) के तारांकित प्रश्न संख्या 4 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया ।

सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति, मुरादाबाद द्वारा गन्ना क्रय केन्द्र, अकरौली का निरीक्षण

*6--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या गन्ना बिकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास समिति, बिलारी, मुरादाबाद के सचिव ने दिनाँक 21 दिसम्बर, 1974 को क्रय केन्द्र, अकरौली का अचानक निरीक्षण किया और अनेक अनियमिततायें पायीं, इन्सपेक्शन नोट अयोध्या शुगर मिल्स, राजा का सहसपुर, जिला गन्नाधिकारी तथा चीनी आयुक्त को भेजे गये थे ? यदि हाँ, तो उक्त इंस्पेक्शन नोट के आधार पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या यह भी सही है कि उक्त सचिव के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं अन्य अनेक अनियमितताओं से संबंधित गम्भीर शिकायतें प्रश्नकर्ता के पत्र के साथ किसान यूनियन, मुरादाबाद की ओर से 30 सितम्बर, 1977 को प्रेषित की हुई प्राप्त हुई थी ? उस संबंध में संबंधित सचिव के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो बिलम्ब का क्या कारण है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति, बिलारी, मुरादाबाद द्वारा दिनाँक 21-12-74 को अकरौली क्रय केन्द्र का निरीक्षण किया गया था तथा निरीक्षण के दौरान तौल आदि में गड़बड़ी तथा कतिपय अभिलेख आदि उपलब्ध न होने की अनियमितताऐं पाई गई थीं । निरीक्षण रिपोर्ट सचिव द्वारा सहायक चीनी आयुक्त, मुरादाबाद, जिला गन्ना अधिकारी, मुरादाबाद तथा उप गन्ना आयुक्त, रुहेलखण्ड, बरेली को भेजी गई थी जिसके आधार पर आवश्यक कार्यवाही करके अभियुक्तों के विरुद्ध चीफ जुडीशियलमजिस्ट्रेट, मुरादाबाद के न्यायालय में अभियोजन दायर किया गया है जो कि विचाराधीन है ।

माननीय प्रश्नकर्ता का शिकायती पत्र दिनाँक 30-9-77 प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है ।

उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, लखनऊ मण्डल के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

*7--श्री राम आसरे वर्मा--

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि उप कृषि निदेशक, भूमि संरक्षण, लखनऊ मण्डल द्वारा जब वे कृषि अधिकारी सीतापुर के पद पर थे, लाखों रुपयों का गोलमाल उर्वरक की ढुलाई आदि पर जब वे उप कृषि निदेशक, शुष्क योजना राबर्ट्सगंज, मिर्जापुर में कार्यरत थे हजारों रुपयों का गोलमाल अनुदान में किया गया तथा उनका निजी ट्रैक्टर यू0 टी0 जी0 7544 द्वारा भूमि संरक्षण अधिकारी, लखीमपुर खीरी व लखनऊ के अन्तर्गत भूमि को समतलीकरण हेतु कार्य में लगाकर भिन्न-भिन्न नामों पर भुगतान किया गया तथा उनके कार्यकाल में तमाम नियुक्तियाँ बिना रोजगार दफ्तर के माध्यम से की गयीं ? यदि हाँ, तो उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

कानपुर सहकारी मिल्क बोर्ड में घाटा

*8--श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर सहकारी मिल्क बोर्ड अपनी स्थापना के समय से ही निरन्तर घाटे पर चल रहा है ? यदि हाँ, तो 31 मार्च, 1978 तक मिल्क बोर्ड को कुल कितना घाटा हुआ ? बोर्ड के घाटे को पूरा करने हेतु क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)--

जी हाँ, कानपुर सहकारी मिल्क बोर्ड को दिनाँक 30 जून, 1977 तक कुल संचित हानि रु01,15,75,168·00 की हुई । सहकारी वर्ष 1977-78 (30-6-1978 तक) का संतुलन पत्र अभी बनाया जा रहा है । कानपुर मिल्क बोर्ड के सुदृढ़ीकरण एवं पुनर्जीवीकरण करने की दृष्टि से एक योजना बनायी गयी है तथा इसके कार्य क्षेत्र में नयी पद्धति के अनुसार प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को संगठित किया जा रहा है । मिल्क बोर्ड की तात्कालिक आवश्यकताओं के लिये राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में रु0 16-00 लाख की वित्तीय सहायता दी है । कानपुर मिल्क बोर्ड को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की दृष्टि से मिल्क बोर्ड के कार्यों का एक स्वतंत्र संस्था द्वारा विस्तृत विश्लेषणात्मक अध्ययन भी कराया जा रहा है ।

किसान सहकारी चीनी मिल्स, लिमिटेड, बीसलपुर, पीलीभीत की अनौपचारिक बैठक

*9--श्री मुनीन्द्र पाल सिंह--

क्या चीनी उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जिलाधिकारी, पीलीभीत द्वारा दिनाँक 3 दिसम्बर, 1977 को एक किसान सहकारी चीनी मिल की अनौपचारिक बैठक को उनके द्वारा नियमित किया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह--

प्राप्त सूचनानुसार दिनाँक 3-12-77 को जिलाधिकारी/अध्यक्ष, किसान सहकारी चीनी मिल्स लि0, बीसलपुर के द्वारा एक अनौपचारिक बैठक बुलाई गई थी । यह अनौपचारिक बैठक दिनाँक 3-12-77 को चयन समिति की बैठक में, चयन संबंधी प्रक्रिया के सम्बन्ध में उत्पन्न हुए विवाद के निस्तारण हेतु ही बुलाई गई थी ।

बरेली जिले के कस्बा फतेहगंज पूर्वी से खेड़ा बझेड़ा मार्ग पर चलने वाली अनधिकृत बस

*10--श्री सत्य पाल सिंह यादव (जिला शाहजहाँपुर)--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बरेली के कस्बा फतेहगंज पूर्वी से जनपद शाहजहाँपुर के ग्राम खेड़ा बझेड़ा तक प्राइवट बसें अनधिकृत रूप से चल रही हैं ? क्या सवारी ढोने का इन्हें लाइसेन्स प्राप्त है ? यदि नहीं, तो यह बसें क्यों चलने दी जा रही हैं ।

परिवहन मन्त्री (श्री आबिद अली)--

इस मार्ग पर दो प्राइवेट बसों के अनधिकृत रूप से चलने की शिकायतें प्राप्त हुई थीं । शिकायतें मिलने पर इस मार्ग पर आकस्मिक चेकिंग कराई गई जिसके दौरान एक बस

(यू0एस0एन0 6526) अनधिकृत रूप से चलती हुई पायी गयी और उसका चालान कर दिया गया। यह मार्ग आधा कच्चा आधा पक्का है और इस पर चलने के लिए कोई परमिट किसी बस को नही दिया गया है । भविष्य के लिये इस मार्ग पर और कड़ी चेकिंग करने के आदेश दे दिये गये हैं।

जिला सहकारी बैंक, देवरिया के काउन्टर का निर्माण

*11--श्री राजमंगल तिवारी (जिला देवरिया)--

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि जहाँ प्रदेश के समस्त जिला सहकारी बैंकों में काउन्टर निर्माण अधिकतम 200 रु0 प्रति रनिंग फुट की दर से कराया, वहीं जिला सहकारी बैंक, देवरिया के प्रशासक व सचिव ने 400 रुपए प्रति फुट की दर से निर्माण करा कर बैंक के कई लाख रुपए का गोल माल किया ? यदि हाँ, तो क्या शासन जाँच करा कर सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

देवरिया कोआपरेटिव बैंक ने शाखाओं के लिए काउन्टर का निर्माण रु0 400 प्रति फुट की दर से कराया था। इन कार्यों का केवल साठ प्रतिशत ही भुगतान किया गया है। उद्योग निदेशक से 1 जुलाई, 1978 को अनुरोध किया गया था कि तकनीकी विशेषज्ञ के माध्यम से फर्मों द्वारा दिये गये दरों का सत्यापन करायें और शीघ्रातिशीघ्र जाँच आख्या भेजें ताकि यह निर्णय लिया जा सके कि फर्मों द्वारा दिये गये दर वास्तविक व्यय से अधिक हैं अथवा नहीं और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कायवाही की जा सके । उद्योग निदेशक से आख्या प्रतीक्षित है।

किसान सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर के विरुद्ध भ्रष्टाचार की कथित सी० आई० डी० की जांच

*12--श्री मुनीन्द्र पाल सिंह--

क्या चीनी उद्योग मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि किसान सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर के प्रबन्ध में भ्रष्टाचार के विरुद्ध सी0 आई0 डी0 द्वारा जाँच की जा रही है ? यदि हाँ, तो इस समय तक उसकी क्या प्रगति है, और कब तक पूरे होने की सम्भावना है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

किसान सहकारी चीनी मिल, बीसलपुर के प्रबन्ध में तथाकथित भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई जाँच सी0 आई0 डी0 द्वारा नहीं की जा रही है ।

जिला परिषद्, देवरिया के भवनों का बकाया किराया

*13--श्री कृपा शंकर आर्य (जिला देवरिया), श्री राम नरेश पाँडेय (जिला देवरिया) तथा श्री बाँके लाल--

क्या ग्राम्य विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि देवरिया जनपद में जिला परिषद के कितने भवन अब तक सरकारी अधिकारियों तथा अन्य लोगों के नाम एलाट किये गये हैं, और उक्त भवनों से प्रति माह कितनी धनराशि वसूल की जा रही है ? क्या यह सही है कि जिन

लोगों के नाम भवन एलाट किये गये हैं उनमें अधिकांश ने निर्धारित धनराशि अदा नहीं की है ? यदि हाँ, तो भवन के किराया की वसूली के लिये कौन-सी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री जमुना प्रसाद--

जिला परिषद, देवरिया द्वारा कुल 54 भवन सरकारी अधिकारियों तथा गैर सरकारी लोगों को आवंटित किये गये हैं। जिनका वार्षिक किराया रु0 35,327.86 है। वर्ष 1977-78 में 73,573.39 के बकाया के विरुद्ध कुल 23,835.18 रु0 की वसूली की गई।

यह सही है कि अधिकांश व्यक्ति प्रति माह किराया अदा नहीं करते हैं।

किराया वसूली के लिये कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध सार्वजनिक भू-गृहादि अधिनियम के अन्तर्गत भवन खाली कराने तथा शेष लोगों से धनराशि वसूल करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रस्तावित किसान सहकारी चीनी मिल, मैनपुरी के क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन

*14—श्री हरीराम शाक्य (जिला मैनपुरी)--

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1977 के पाँचवें सोमवार के प्रश्न नं0 27 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि भोगाँव (मैनपुरी) क्षेत्र के आस-पास जहाँ किसान सहकारी चीनी मिल लगाई जा रही है कितने क्षेत्र फल में कितना गन्ना पैदा होता रहा है तथा कितने क्षेत्रफल में गन्ना पैदा किया जा सकता है ? क्या सरकार ने इसके सर्वे का आदेश दे दिया है ? यदि हाँ, तो कब तक रिपोर्ट आने तथा चीनी मिल लगने की सम्भावना है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

प्रस्तावित चीनी मिल के आस-पास (चारों ओर) लगभग 1310 हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की खेती होती है तथा गन्ना की अनुमानित पैदावार लगभग 52,400 टन है। मिल लगने पर 550 हेक्टेयर गन्ने के क्षेत्रफल की वृद्धि की संभावना है, जिससे कुल मिलाकर लगभग 74,400 टन गन्ना पैदा होगा। 1250 टन दैनिक पेराई क्षमता की चीनी मिल को 180 दिन चलाने हतु लगभग 2,25,000 टन गन्ना चाहिये। चूंकि भारत सरकार द्वारा उक्त मिल के लाइसेन्स को निरस्त कर दिया गया है व वाँछित मात्रा में गन्ना उपलब्ध होने की संभावना नहीं है और न ही वाँछित अंश पूंजी एकत्रित की जा सकती है, अतः पुनः सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं समझी गई।

भूमि संरक्षण विभाग द्वारा कानपुर जिले के कतिपय ग्रामों की भूमि का अधिग्रहण एवं लगान की वसूली

*15--श्री मौजी लाल कुरील (जिला कानपुर)--

क्या कृषि मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत हो रहे भूमि-संरक्षण के नाम पर 210 हैक्टैयर जमीन चार गाँवों—सराय अमिलिया, चपरघटा, कछगांव के किसानों की सन् 1972-73 में ले ली गयी थी ? यदि ली गयी, तो बदले में क्या दिया ? यदि नहीं, तो क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित बीहड़ सुधार की योजना के अन्तर्गत इन चार गाँवों की 440.49 हैक्टर कृषि अयोग्य कटी-फटी बीहड़ भूमि पर वनीकरण कार्य किया गया। इस भूमि में से 326.71 हैक्टर ग्राम समाज की भूमि है तथा शेष 113.78 हैक्टर कृषकों की भूमि है। 30–5–78 से इस भूमि को उत्तर प्रदेश भूमि एवं जल संरक्षण अधिनियम की धारा 14(1) के अन्तर्गत पाँच वर्षों के लिये अधिग्रहण कर लिया गया है।

*16—श्री मौजी लाल कुरील—

क्या कृषि मन्त्री यह भी बतायेंगे कि उक्त 210 हैक्टेयर किसानों की अधिग्रहित हुई भूमि का लगांन किसानों से वसूल हो रहा है? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री राजेन्द्र सिंह—

30–5–78 के पूर्व भूमि का स्वामित्व कृषकों का बना रहा, फलस्वरूप लगान उनके द्वारा देय थी अधिग्रहण की अवधि के पश्चात् यह भूमि बन सहित कृषकों को नियमानुसार वापिस कर दी जावेगी।

बटेश्वर मेला हेतु भूमि का अधिग्रहण एवं मुआवजा

*17—श्री गुलाब सेहरा—

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि 1977 में जिला परिषद् में बटेश्वर मेला लगाने के लिये कुछ काश्तकारों की 400 एकड़ जमीन ली थी? यदि हां, तो क्या उसका मुआवजा व हर्जाना दे दिया गया? यदि नहीं दिया गया, तो इसके कारण क्या हैं?

श्री जमुना प्रसाद—

पूर्व वर्षों की भांति मेला बटेश्वर वर्ष 1977 में 356 बीघा 12 विस्वा, 15 विस्वासीं जमीन पर लगा था, जिसमें काश्तकारों की केवल 232 बीघा, 14 विस्वा, 10 विस्वाँसी जमीन ही मेला के काम में आई है। इस जमीन का मुआवजा/हर्जाना 115 काश्तकारों को दिया जा चुका है। शेष 14 काश्तकारों को (विवरण संलग्न) उनके मौके पर उपस्थित न होने के कारण मुआवजा/हर्जाना नहीं दिया जा सका। इन काश्तकारों को जिला परिषद् में उपस्थित होकर अपना मुआवजा/हर्जाना लेने के लिए दैनिक समाचार पत्र 'अमर उजाला' में विज्ञापन दे दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 149 पर)

[दिनांक 21 अगस्त, 1978 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

नैनीताल जिले में रामनगर नैनीताल मार्ग पर बस सर्विस चालू किए जाने की मांग

*1–श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद नैनीताल में रामनगर–नैनीताल रोडवेज (निगम) बस सर्विस जो वर्ष 1976–77 तक रामनगर हल्द्वानी फारेस्ट रोड से आती जाती थी उसे पुनः उपरोक्त फारेस्ट रोड से जारी किये जाने के लिए विगत सितम्बर, 1977 से 15 अप्रैल, 1978 तक ग्रामवासी किसानों के कितने प्रार्थना पत्र मंत्री तथा चेयरमैन, राज्य सड़क परिवहन निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्राप्त हुए हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री आबिद अली—

जनपद नैनीताल में रामनगर-नैनीताल मार्ग पर रामनगर हल्द्वानी फारेस्ट से होते हुये बस सेवा चालू करने के संबंध में सितम्बर, 1977 से 15 अप्रैल, 1978 तक 10 प्रार्थना-पत्र परिवहन मंत्री अथवा अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को प्राप्त हुये थे किन्तु उक्त सेवा यात्री सुरक्षा के हित में न होने के कारण नहीं चालू की जा सकी।

उन्नाव–हरदोई–कानपुर मार्ग पर चलने वाली प्राइवेट लारियों की चेकिंग

*2—श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)—

क्या परिवहन मंत्री को यह जानकारी है कि उन्नाव-हरदोई रोड पर सर्वाधिक यातायात होने के कारण लगभग 70 प्राइवेट लारियां चलती हैं और अधिकांश मालिकान कर चोरी करते हैं तथा ओवर लोड गाड़ियां चलाते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त मार्ग पर राजकीय बसें चलायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आबिद अली—

उन्नाव-हरदोई मार्ग पर जिसमें उन्नाव-हरदोई-कानपुर मार्ग भी सम्मिलित है, 66 स्टेज कैरिज चलने के लिये अधिकृत हैं । चेकिंग के दौरान गाड़ियों में ओवरलोडिंग और बिना टिकट सवारियां ले जाने के कुछ मामले पकड़े गये हैं । इस मार्ग पर चेकिंग तेज किये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं । यह कहना सही नहीं है कि अधिकांश मालिकान कर चोरी करते हैं एवं ओवरलोड गाड़ियां चलाते हैं । राजकीय बसें चलाने हेतु राष्ट्रीयकरण की कार्यवाही हो रही है।

*3—श्री रियासत हुसैन—

[3रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 7 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

चीनी मिलों को छोटे काश्तकारों द्वारा गन्ने की आपूर्ति का कोटा

*4—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश की किन-किन चीनी मिलों में 1 फरवरी, 1978 तक छोटे काश्तकारों से गन्ना आपूर्ति का कोटा पूरा कर दिया गया था ? जिनमिलों में उक्त तिथि तक ऐसा नहीं किया गया, उनके सिलसिले में सरकार ने क्या कार्यवाही की ? यदि कार्यवाही नहीं की, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री शिव मंगल सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

*5—श्री राम आसरे वर्मा—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

*6—श्री संगम लाल—

[10-10-77 को अतारांकित प्रश्न संख्या 13 द्वारा उत्तरित।]

सहकारी गन्ना विकास समिति गौर, जिला बस्ती द्वारा कृषक डिग्री कालेज, गौर को दी गयी धनराशि

*7—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 24 अप्रैल, 1973 से 21 मार्च, 1975 तक की अवधि में एक लाख एक्तीस हजार पांच सौ रुपया गन्ना सहकारी संघ लि0, गौर, जिला

बस्ती में कृषक शिक्षा समिति के अन्तर्गत चल रहे कृषक डिग्री कालेज, गौर, जिला बस्ती ने दिया ? यदि हां, तो यह धन किसके हस्ताक्षर से निकाला गया, किस-किस मद में खर्च किया गया ? क्या यह सही है कि धन का अपव्यय किया गया ? इसके लिये दोषी कौन है और सरकार जांच कराकर उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ?

श्री शिव मंगल सिंह--

प्रश्न पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो रहा है । माननीय प्रश्नकर्ता का आशय कदाचित सहकारी गन्ना विकास समिति, गौर, जिला बस्ती द्वारा प्रश्नगत अवधि में दिये गये धन के उपयोग आदि के संबंध में जानकारी से है । इसके अनुसार वस्तुस्थिति इस प्रकार है :

उक्त समिति ने दिनांक 24-4-73 से 21-3-75 की अवधि में कृषक डिग्री कालेज, गौर, जिला बस्ती को 1,27,500 रुपया दिया था । इसके बाद दिनांक 29-3-75 को समिति ने उक्त कालेज को 4,000 रुपया और दिया । इस प्रकार समिति ने दिनांक 29-3-75 तक (न कि 21-3-75 तक) कुल रुपया 1,31,500 उक्त कालेज को दिया । यह धन समिति के सचिव के हस्ताक्षर से निकाला गया तथा उक्त कालेज के तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा प्राप्त किया गया । इस धनराशि को तत्कालीन उपाध्यक्ष द्वारा निम्नलिखित मदों पर व्यय किया गया :--

मद	धनराशि रु0
1--ईट का मूल्य तथा ढुलाई	8,840-00
2--बालू का मूल्य	890-00
3--लोहे का मूल्य	5,970-00
4--मजदूरी	4,932-00
5--सीमेंट का मूल्य	7,870-00
6--सीमेंट की ढुलाई	340-00
7--मौरंग का मूल्य एवं ढुलाई	2,902-00
8--पत्थर की गिट्टी का मूल्य तथा ढुलाई	4,643-00
9--फर्नीचर	8,730-00
10--लेखन-सामग्री	2,835-00
11--कालेज की मान्यता संबंधित व्यय	8,757-72
12--लकड़ी का मूल्य	473-80
13--कालेज कर्मचारियों का वेतन	6,239-86
14--पंजाब बैंक बस्ती में जमा	7,000-00
15--कालेज के नाम फिक्स डिपाजिट	55,000-00
16--कालेज के पैनल संबंधी व्यय	1,826-42
17--कर्मचारियों के नियुक्ति संबंधी प्रकाशन में व्यय	2,892-20
कुल योग	1,31,500-70

उक्त धनराशि 1,31,500 रुपये में से रुपया 62,000 (55,000+7,000) जो विभिन्न बैंकों में जमा हैं, के अतिरिक्त शेष धनराशि रुपया 69,500 के उपयोग के संबंध में औपचारिक उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही जारी है । जब तक उपयोग संबंधी अभिलेख उपलब्ध नही हो जाते तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि इस धन का अपव्यय किया गया है अथवा नहीं ।

जिला परिषदों के चिकित्सालयों में आयुर्वेद स्नातकों की नियुक्ति

*8--श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश जिला परिषद् सेवा नियमावली, 1970 के विपरीत जिला परिषदों के चिकित्सालयों पर अन्य प्रदेशों के आयुर्वेद स्नातकों को नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद --

जी हां ;

संबंधित जिला परिषद्, जो प्रश्नगत पद के नियुक्ति प्राधिकारी है, के अनुसार कुछ ऐसी नियुक्तियां उनके द्वारा निम्नांकित मुख्य कारणों से की गईं:---

(1) एम0बी0बी0एस0 डाक्टर उपलब्ध न होने से ।
(2) उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी उपलब्ध न होने से।
(3) चयन समिति की संस्तुति पर।
(4) कोई योग्य अभ्यर्थी न मिलने के कारण ।

गन्ना विभाग के अधिकारियों को वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति

*9--श्री सुखपाल पाण्डेय तथा श्री दिवाकर विक्रम सिंह (जिला बस्ती)--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विभाग के कितने अधिकारियों को 5 साल से ज्यादा अवधि तक वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर भेज रखा है ? क्या शासन के प्रतिनियुक्ति पर भेजने संबंधित नियम इन अधिकारियों पर लागू हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह--

वर्तमान समय में इस विभाग के चार राजपत्रित अधिकारी 5 वर्ष से ज्यादा अवधि से वाह्य सेवा में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं । शासन के प्रतिनियुक्ति के नियमों के अनुरूप ही इन अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर रखा गया है ।

*10-11--श्री ऊदल--

[6ठें मंगलवार के तारांकित प्रश्न संख्या 7-8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*12--श्री रवीन्द्र सिंह--

[1-5-78 को तारांकित प्रश्न संख्या 13 द्वारा उत्तरित]

उन्नाव जिले की नगरपालिका बांगरमऊ की मन्डी समिति के भवन के निर्माण हेतु जमा धनराशि

*13--श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी--

क्या कृषि मंत्री को यह जानकारी है कि उन्नाव जनपद की नगरपालिका, बांगरमऊ में कृषि उत्पादन मंडी समिति भवन बनाने का शासन ने कोई निर्णय लिया था और इस संबंध में समिति का लगभग 5-6 लाख रुपया भी जमा है ? यदि हां, तो उक्त मंडी समिति के भवन का निर्माण न होने का क्या कारण है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी नहीं, 31 मार्च, 1978 को मंडी समिति की निधि में 7,61,713 रुपये जमा थे । भूमि उपलब्ध न होने के कारण अभी तक मंडी स्थल का निर्माण कार्य आरम्भ नहीं कराया जा सका है ।

सहकारी बैंकों एवं सहकारी संस्थाओं के मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी में लिए जाने की मांग

*14—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

क्या सहकारिता मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सेवारत रहते हुए मर जाने पर उनके आश्रितों को नौकरी में लिए जाने की व्यवस्था सहकारी बैंकों तथा अन्य सहकारी संस्थाओं में न होने का क्या कारण है ? यह सुविधा देना कब से प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्रीं मुलायम सिंह यादव —

उत्तर प्रदेश सहकारी संस्थागत सेवामंडल के क्षेत्राधिकार में अने वाली संस्थाओं के कर्मचारियों की सेवारत रहते हुए मृत्यु हो जाने पर उनके आश्रितों को उसी संस्था में उनकी अर्हता के अनुसार नौकरी देने से संबंधित मामला शासन के विचाराधीन है ।

9072 **कृषि अभियन्त्रण विभाग के स्कल्टन कार्यालय हेतु स्वीकृत पद**

*15—श्री राम नरायन वर्मा(जिला सीतापुर)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासन द्वारा वर्ष 1968 में कृषि विभाग अभियंत्रण अनुभाग के अंर्तान स्कल्टन कार्यालय हेतु केवल 6 माह के लिए स्वीकृत पद वर्तमान समय तक बिना किसी स्वीकृति के चलाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

राजकीय कृषि कर्मशाला, तालकटोरा, लखनऊ के एग्रो को स्थानान्तरण के फलस्वरूप वर्ष 1968 में शासन द्वारा 6 स्थायी पदों को स्केल्टन कार्यालय चलाने के लिए अनुमोदित किया गया । इस कार्यालय इकाई की स्थापना का उद्देश्य राजकीय कृषि वर्कशाप, तालकटोरा, लखनऊ के यू0पी0 एग्रो को 1-5-68 से हस्तांतरित किये जाने के कारण उक्त वर्कशाप के अवशेष मामलों का निस्तारण करना था । इसी के साथ-साथ स्टेट ट्रैक्टर आरगेनाईजेशन के वर्ष 1964 में विघटित किये जाने के फलस्वरूप उसके मामलों को भी निस्तारित करना था । प्रथमत: इन कार्यों के लिए 6 माह की अवधि का अनुमान लगाया गया, किन्तु कार्यभार इतना अधिक पाया गया कि उक्त कार्यालय इकाई समाप्त नहीं की जा सकी ।

गोण्डा–अयोध्या मार्ग पर बस की चेकिंग एवं सम्बन्धित कागजात

*16—श्री फजलुल बारी (जिला गोंडा)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चेकिंग स्क्वाड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा दिनांक 17 अप्रैल, 1978 को चैत रामनवमी मेला के अवसर पर गोंडा-अयोध्या रूट पर बस नं0 9713 में साढ़े सत्ताइस यात्री बिना टिकट पकड़े गये और संबंधित केस अन्य कागजातों के साथ लखनऊ से गोरखपुर भेजा गया परन्तु क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर में कागजात गायब कर दिये गये ? यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री आबिद अली—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बस स्टेशन, गोंडा के गायब पे-बिल एवं लिखाई गयी रिपोर्ट

*17—श्री फजलुल बारी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31 जनवरी, 1977 को गोंडा बस स्टेशन से 1,000 पे-बिल गायब हुए थे जिसकी रिपोर्ट थाना कोतवाली नगर गोंडा व क्षेत्रीय प्रबन्धक, गोरखपुर को तत्कालीन स्टेशन प्रबन्धक, गोंडा द्वारा दिनांक 2 फरवरी, 1977 को दी गयी और पुनः क्षेत्रीय प्रबन्धक, गोरखपुर के दबाव में आकर कोतवाली गोंडा में उनके बिलों के मिल जाने की गलत सूचना लिखाई गयी जबकि उन्हीं के बिलों में से कुछ पे बिल दिनांक 13 मई, 1978 को लखनऊ-कानपुर मार्ग पर चेकिंग स्क्वाड लखनऊ द्वारा गोंडा डिपो की बस सं0 यू0टी0ए0 365 में पकड़ी गयी ? अगर हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री आबिद अली—

सूचना एकत्र की जा रही है।

झांसी जिले के सामुदायिक विकास विभाग के कर्मचारियों की पदोन्नति में अनुसूचित जाति का आरक्षण

*18—श्री प्रेम नारायण अहेरवार (जिला झांसी)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सरकार ने ऐसे कोई आदेश प्रसारित किये हैं कि सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की पदोन्नतियों में 18 प्रशित का कोटा आरक्षित रहेगा ? यदि हां, तो 20 मार्च, 1974 से अब तक कितने अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की वर्गवार पदोन्नति झांसी जनपद में सामुदायिक विकास विभाग में की गयी ? क्या ऐसी पदोन्नति के लिए कर्मचारियों ने प्रतिवेदन भी दिये ? यदि हां, तो उन प्रतिवेदनों पर क्या निर्णय लिया गया?

श्री जमुना प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विकास खण्ड पडरौना व विशुनपुरा के बकुलहा–दुबौली–छितौनी मार्ग के निर्माण की मांग

*19––श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)––

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को जानकारी है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक पिछड़े विकास खंड पडरौना तथा विशुनपुरा के अन्तर्गत ग्राम बकुलहा, ब्रह्मस्थान, दूनरही, पटेरा खुर्द, पटेरा बुजुर्ग, दुबौली, हजारी पट्टी, बलकुडिया, सिसवा, गोइली, बिरइछ, डिबनी होते हुए छितौनी जाने वाले महत्वपूर्ण मार्ग का निर्माण न होने से गरीब ग्रामीणों को अपार कष्ट है ? यदि हाँ, तो ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा इस महत्वपूर्ण सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराया जायेगा ?

श्री जमुना प्रसाद––

सड़क के अभाव में ग्रामीणों को कष्ट होना स्वाभाविक है, परन्तु इस सड़क का निर्माण ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा कराया जाना सम्भव नहीं है क्योंकि उस विभाग के बजट में इस प्रकार के निर्माण कार्य के लिये कोई धनराशि का प्राविधान नहीं है ।

गोरखपुर जिले के परतावल में शीतघर व महाराजगंज में राइस मिल की स्थापना की मांग

*20––श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (जिला गोरखपुर)––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मंडलीय विकास निगम, गोरखपुर ने परतावल बाजार में शीतघर तथा महाराजगंज में चावल मिल लगाने का जो निर्णय लिया था उसे हाल ही में स्थगित कर दिया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह––

गोरखपुर मंडल विकास निगम द्वारा परतावल बाजार में शीतघर लगाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया था । निगम द्वारा एक राईस मिल महाराजगंज में लगाने का प्रस्ताव था । यह मिल हरिजन आवास हेतु निर्धारित खाली भूमि पर बनायी जानी थी । शासन स्तर से उक्त भूमि को निगम के पक्ष में आवंटन के अभाव में निदेशक मंडल ने महाराजगंज में फिलहाल राईस मिल लगाने के निर्णय को स्थगित रखा है ।

सहकारी कलेक्शन एकाउन्ट का आडिट

*21––श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी––

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि सहकारी कलेक्शन एकाउन्ट का आडिट पहिले सहकारी लेखा परीक्षा विभाग से कराया जाता था जो बाद में पिछली सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया ? यदि हाँ, तो यह कार्य क्यों और कब किया गया तथा सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार और गबन की व्यापक शिकायतों को देखते हुए क्या सरकार उक्त स्कीम को फिर से चालू करेगी ?

श्री मुलायम सिंह यादव––

सहकारी कलेक्शन एकाउन्ट का आडिट सहकारी लेखा परीक्षा विभाग द्वारा कराये जाने के आदेश निबन्धक द्वारा दिनाँक 10 मई, 1968 को दिये गये थे किन्तु 7 नवम्बर, 1968 को निबन्धक ने यह आदेश प्रसारित किया कि चीफ आडिट आफिसर द्वारा आडिट कराने में आडिट फीस के व्यय का बड़ा भार पड़ेगा अतः मंडलीय लेखा अधिकारी उपरोक्त लेखे की जाँच करेंगे।

उक्त स्कीम अभी शासन के विचाराधीन नहीं है।

सहकारी संस्थाओं की विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट में पाई गयी अनियमितताएं

*22—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि प्रदेश की विभिन्न सहकारी संस्थाओं के संबंध में सहकारी लेखा परीक्षा विभाग द्वारा करोड़ों रुपये के गबन, धन के दुरुपयोग तथा अनियमितता की विशेष लेखा परीक्षा रिपोर्ट, चीफ आडिट आफिसर, सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें, उत्तर प्रदेश तथा अन्य अधिकारियों को मिल चुकी हैं ? यदि हाँ, तो ऐसे सभी मामलों में सख्ती से निपटने तथा इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार की क्या नीति और योजना है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

ऐसे सभी गबन संबंधी मामलों में सख्ती से निपटने के लिये सहकारिता विभाग में पुलिस की एक विशेष अनुसंधान शाखा का गठन किया गया है जो अभियुक्तों के विरुद्ध तत्परता से गिरफ्तारी एव विवेचना की कार्यवाही करती है । धन के दुरुपयोग एव अनियमितताओं के लिए दोषी पाये गये कर्मचारियों, अधिकारियों एव पदाधिकारियों के विरुद्ध सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की धारा 68 के अन्तर्गत क्षतिपूर्ति हेतु अधिभार लगाने की कार्यवाही की जाती है तथा विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है ।

संस्थाओं में धन के अपहरण दुरुपयोग एवं अनियमितता की पुनरावृत्ति को रोकने के दृष्टिकोण से सहकारी ऋण वितरण प्रणाली में चैक पद्धति लागू की गई है । सहकारिता विभाग के अधिकारियों द्वारा सहकारी संस्थाओं का निरीक्षण किया जाता है । आडिट अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष लेखा परीक्षण कराया जाता है । निरीक्षण एवं लेखा परीक्षण दुरुपयोग एवं अनियमितता के संबंध मे पुलिस में रिपोर्ट एव अन्य कार्यवाही की जाती है । अपहरण को रोकने एवं प्रभावी कार्यवाही करने के उद्देश्य से मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी एवं निबन्धक सहकारी समितियां, उ0 प्र0 के द्वारा अधिकारियों की सम्मिलित बैठकें जिला, मंडल तथा राज्य स्तर पर की जाती है । ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिये सभी सम्भव प्रयास किये जा रहे हैं ।

गोरखपुर जिले के परियोजनाधिकारी, श्री प्रमोद कुमार सिंह के विरुद्ध आरोप-पत्र

*23—श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के परियोजनाधिकारी (श्री प्रमोद कुमार सिंह) के विरुद्ध प्रश्नकर्ता ने दिनांक 25 अप्रैल, 1978 व 8 मई, 1978 को गम्भीर आरोपों के साथ पत्र दिया था, उस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? किस अधिकारी द्वारा जांच कराई गई ? क्या परियोजनाधिकारी द्वारा दर्जनों स्थानान्तरण कृषि सेवा के तृतीय वर्ग कर्मचारियों का करके और पुनः उनका स्थानान्तरण निरस्त करना उचित है ? क्या शासन परियोजनाधिकारी, गोरखपुर के भ्रष्टाचार की जांच सी0बी0आई0 से कराने की कृपा करेगा?

श्री राजेन्द्र सिंह—

दिनांक 8-5-78 का पत्र प्राप्त हुआ है । स्थानान्तरण के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

सी0बी0आई0 से जांच कराने की अभी जरूरत नहीं है ।

गोरखपुर जिले के सहायक कृषि निरीक्षकों के वेतन से क्षतिपूर्ति हेतु कटौती

*24—श्री ओम प्रकाश—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जिले के कितने सहायक क्षेत्रीय निरीक्षकों ने क्षतिपूर्ति की कटौती के संबंध में शासन में अपील कर रखी है और कितने लोगों की कटौती वेतन से हो रही है, क्या मंत्री बतायेंगे कि कटौती वेतन संबंधी अपीलों का निस्तारण कब तक हो जायेगा?

श्री राजेन्द्र सिंह—

क्षतिपूर्ति के लिये गोरखपुर जिले के 11 सहायक कृषि निरीक्षकों के वेतन से कटौती की जा रही है जिनमें से एक सहायक कृषि निरीक्षक ने शासन को अपील की है जिस पर विचार किया जा रहा है ।

साधन सहकारी समिति, अखबाई, जिला आगरा के सरपंच श्री बदन सिंह के विरुद्ध दायर किया गया कथित दावा

*25—श्री श्याम दत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सन् 1970 में जिला सहकारी बैंक, आगरा में साधन सहकारी समिति, अखवाई, विकास क्षेत्र अकोला, जिला आगरा के भूतपूर्व सरपंच श्री बदन सिंह के विरुद्ध लगभग रु0 29,000 का दावा दायर किया गया था? यदि हां, तो उसका निर्णय कब और क्या हुआ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

साधन सहकारी समिति, अखवाई, जिला आगरा के अभिलेखों से विदित होता है कि आगरा जिला सहकारी बैंक लि0, आगरा में सन् 1970 में अखवाई सहकारी समिति के भूतपूर्व सरपंच, श्री बदन सिंह के विरुद्ध कोई दावा दायर नहीं किया गया था।

फैजाबाद जिले में आचार्य नरेन्द्रदेव कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अनुसन्धान केन्द्र की स्थापना

*26—श्री हरीराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद, तहसील व परगना अकबरपुर के ग्राम बनगांव में आचार्य नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद का कृषि अनुसंधान केंद्र खुल गया है ? यदि नहीं, तो कब तक खुल जायेगा इसके लिये सीलिंग भूमि के अलावा बंजर भूमि कितनी ली जा रही है?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी नहीं । अभी मामला विचाराधीन है । सीलिंग की भूमि के अलावा बंजर भूमि लेने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

आगरा–दिल्ली मार्ग पर सिकन्दरा के निकट बसों की जांच एवं चालान

*27—श्री राजेश कुमार सिंह (जिला आगरा)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 5 मार्च, 1978 को आगरा के आर0टी0ओ0 द्वारा आगरा-देहली मार्ग पर सिकन्दरा के निकट दिल्ली से आने वाली प्राइवेट डी0एल0पी0 बसों की जांच पड़ताल के दौरान अवैध रूप से पर्यटकों को लाते हुए पकड़ा गया था ? यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री आबिद अली—

जी हां । दिनांक 5 मार्च, 1978 को आगरा-दिल्ली मार्ग पर सिकन्दरा के निकट दिल्ली से आने वाली 4 डी0एल0पी0बसों के चालान इस अभियोग में किये गये थे कि उन पर पर्यटक परमिट शर्तों के विरुद्ध फुटकर सवारियों के रूप में ले जाये जा रहे थे ।

उक्त गाड़ियों के चालान करके चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के न्यायालय को भेज दिए गए जिनमें से एक वाहन पर रुपया 120 व एक पर रुपया 200 जुर्माना किया गया । शेष 2 वाहनों के वाद अनिर्णित हैं ।

सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल द्वारा कर्मचारियों का चयन एवं जिला सहकारी बैंकों में कर्मचारियों की अनियमित नियुक्ति

*28—श्री हाकिम लाल (जिला मैनपुरी)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी, 1977 से मई, 1978 तक जिला सहकारी बैंकों में यू0पी0 सहकारी संस्थागत सेवा मंडल के कथित चयन को आधार बनाकर श्री आर0एस0 टोलिया, अतिरिक्त निबन्धक ने कितनी और किन-किन पदों की नियुक्तियों के आदेश किन-किन बैंकों द्वारा जारी करने के लिये निर्देश किया ? जब कि उन बैंकों में प्रशासनिक एवं विविध व्यय कार्यशील पूंजी का 2 प्रतिशत या सकल आय का 3 प्रतिशत से अधिक था ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सेवा मंडल द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने के लिये आवंटन-पत्र निर्गत किये गये थे जिसकी सूची संलग्न है । संबंधित जिला सहकारी बैंकों द्वारा अनियमित ढंग से तदर्थ नियुक्तियां एवं पदोन्नतियां समाप्त किये जाने की दृष्टि से निबन्धक कार्यालय द्वारा परिपत्र सं0 सी-28/विधि 25/7–12–77 द्वारा निर्गत किया गया था तथा इस निदेश के अनुसार बैंकों में नियमित नियुक्ति हेतु जो स्थान नियमानुसार उपलब्ध हो सकते थे उन्हीं की पूर्ति हेतु आवंटन किया गया । इससे व्ययाधिक्य होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 150–153 पर)

*29—श्री हाकिम लाल—

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन जिला सहकारी बैंकों में उन बैंकों द्वारा उत्तर प्रदेश सहकारी विनियमावली के विनियम संख्या 3(2)(क) और 5(4) के अन्तर्गत बजट में बिना प्राविधान के एवं बिना विधिवत माँग के बिना पदों का विधिवत

सृजन किये हुऐ ही किन-किन व्यक्तियों को किन-किन पदों पर नियुक्ति पत्र देने के निर्देश वर्ष 1977 व 1978 में निबन्धक या अतिरिक्त निबन्धक द्वारा दिये गये हैं, जिनके विषय में बैंकों द्वारा माँग एवं पद सृजन की खानापूरी निबन्धक के निर्देश पर क्षेत्रीय स्तर पर बैठकें बुलाकर सबंधित उप निबन्धक द्वारा करायी गयी, जब कि ऐसा कोई प्राविधान नहीं है ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

उत्तर प्रदेश सहकारी विनियमावली सं03(2)(क)और 5(4) के अन्तर्गत ही समस्त कार्यवाही की गयी है तथा जिन बैंकों ने कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु बिना माँग किये स्वयं नियुक्तियाँ कर ली वे विनियम के उपरोक्त प्राविधानों का उल्लंघन कर रहे थे । इस कठिनाई के निवारण हेतु मुख्यालय से परिपत्र संख्या-सी-28/विधि--25, दिसम्बर, 1977 निर्गत किया गया, जिसकी प्रति संलग्न है।

प्रदेश के समस्त जिला सहकारी बैंकों का स्टाफिंग पैटर्न, जो रिजर्व बैंक के अध्ययन दल द्वारा निर्धारित किया गया है, के अनुसार समीक्षा आवश्यक थी और उसी को ध्यान में रखते हुए विभिन्न वर्ग के कर्मचारियों की संख्या निर्धारण हेतु बैठकें श्री आर0एस0 टौलिया, अपर निबन्धक की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई एवं बैठकों में ही पूरी सूचनाएं बैंकवार प्राप्त की गयीं । बैठकों का आयोजन एक प्रशासनिक आवश्यकता थी जिसके लिए विनियमों में प्राविधान की कोई आवश्यकता नहीं होती । सहकारी संस्थागत सेवा मंडल द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को बैंकवार विभिन्न पदों पर संलग्नक के अनुसार अतिरिक्त निबन्धक द्वारा आवंटित किया गया है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 154–157 पर)

*30--श्री राम सजीवन--

[4थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

श्री भोला नाथ सिंह, खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड सरेंनी, जिला रायबरेली के विरुद्ध शिकायतों की जांच

*31--श्री जगन्नाथ सिंह(जिला फतेहपुर)--

क्या यह सत्य है कि सन् 1972–73 में विकास खण्ड सरेनी, जिला रायबरेली में श्री भोलानाथ सिंह, जब खण्ड विकास अधिकारी थे तब इनके विरुद्ध दिनाँक 27 दिसम्बर, 1972 को भूमि विकास बैंक, लालगंज की शिकायत पर तत्कालीन जिलाधिकारी, रायबरेली (श्री सूरी) ने जाँच कराई थी व शिकायतें सही पाये जाने पर सतर्कता विभाग से पूरी जाँच कराने को लिखा था ? यदि हाँ, तो इसमें क्या कार्यवाही हुई?

श्री जमुना प्रसाद--

शाखा प्रबन्धक, भूमि विकास बैंक, लालगंज द्वारा की गयी शिकायत पर खण्ड विकास अधिकारी के विरुद्ध प्रारम्भिक जाँच जिलाधिकारी ने करायी थी। मामले की विस्तृत विभागीय जाँच अब उप विकास-आयुक्त, लखनऊ से करायी जा रही है । उनकी संस्तुति प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायगी । निलम्बन के आदेश दे दिये गये ।

सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, पडरौना के कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

*32--श्री पुरुषोत्तम कौशिक--

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि पडरौना केन यूनियन के 75 कर्मचारी मई, 1978 में वर्तमान गन्ना सीजन के चालू रहते हुए भी सेवामुक्त कर दिये गये हैं ? यदि हाँ, तो क्यों ? अकारण सेवा मुक्त करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री शिव मंगल सिंह--

सीजन 1977-78 में सहकारी गन्ना विकास समिति लि0, पडरौना के 3 क्रय केन्द्र बन्द हो गये थे, अत: 78 सीजनल कमचारियों की सेवा ए जनहित में समाप्त कर दी गयी हैं।

इस संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के कुलपति डा० धर्मपाल सिंह का त्याग-पत्र

*33--श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के कुलपति ने त्याग-पत्र दे दिया है ?

श्री राजेन्द्र सिंह--

जी हाँ, डा0 धर्मपाल सिंह ने कुलपति के पद से त्याग-पत्र दे दिया है ।

ग्राम सभाओं को धनराशि का आवंटन एवं क्षेत्र समितियों के कार्यकाल की समाप्ति

*34--श्री देवबहादुर सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा विकास खंडों को ग्रामीण अंचल में विभिन्न योजनाओं के निर्माण हेतु जो धनराशि आवंटित की गयी है उसका ग्राम सभाओं को वितरण क्षेत्र समितियों का कार्यकाल समाप्त हो जान के पश्चात् कौन कर रहा है ? क्या इस कार्य को पूरा करने हेतु किसी को अधिकृत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद--

क्षेत्र समितियों का कार्यकाल समाप्त हो जान के पश्चात् उनके अधिकारों एवं कर्तव्यों के निर्वहन हेतु की जाने वाली व्यवस्था के संबंध में शासन द्वारा सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

यू० पी० स्टेट एग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन, लखनऊ के गोदाम में जैम व मुरब्बा के अखाद्य होने की घोषणा

*35--श्री जनार्दन प्रसाद ओझा--

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू0पी0 एग्रो के लखनऊ गोदाम से अभी हाल में करीब तीस लाख रुपये मूल्य के जैम, मुरब्बा तथा दूसरे सामान अखाद्य घोषित कर नष्ट कर दिये गये ? यदि हां, तो क्यों ? इसकी हानि का दायित्व किसका है, एवं उनके विरुद्ध सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

यू0पी0 स्टेट एग्रो इडस्ट्रियल कारपोरेशन के लखनऊ गोदाम में रखे हुए जैम, मुरब्बा तथा दूसरे सामान में से केवल 3.39 लाख रु0 का माल 6-4-78 से 1-7-78 तक अखाद्य घोषित कर नष्ट कर दिया गया है। उत्पादित माल की बिक्री यथा समय न होने के कारण माल पुराना हो गया और अखाद्य हो गया। इस सम्बन्ध में निगम के निदेशक मंडल की दिनांक 23-3-78 को हुई बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये हैं :--

(अ) मानव उपयोग के लिये अनुपयुक्त/विक्रय के अयोग्य सूचित किये गये स्टाक का भलीभांति निरीक्षण निम्नलिखित अधिकारियों की एक समिति द्वारा कराया जाय तथा अपन सामने सामग्री नष्ट कर उसका एक पूर्ण विवरण तैयार करें:--

1--प्रतिनिधि--भारत सरकार, कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय, फल सब्जी विभाग।

2--प्रतिनिधि--फल उपयोग निदेशालय, उत्तर प्रदेश।

3—प्रतिनिधि--प्रोसेस्ड फूड डिवीजन (मुख्यालय)।

4—सम्बन्धित फैक्टरी प्रबन्धक।

(ब) इस प्रकार की सब अनियमितताओं का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय तथा निदेशक बोर्ड के निर्देश के अनुसार आवश्यक कार्यवाही की जाय।

बाराबंकी जिले के विकास खण्ड त्रिवेदीगंज द्वारा ईटों की खरीद

*36--श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत विकास खन्ड त्रिवेदीगंज में निर्माण कार्यों हेतु जो ईटें सरकार द्वारा खरीदी गयीं वे किन भट्टों से किन दरों पर खरीदी गयी ? क्या यह सही है कि यह सभी ईटें ब्लाक प्रमुख के भट्ठों से मनमानी दरों से खरीदी गयी हैं ? यदि हां, तो सरकार इस गम्भीर भ्रष्टाचार की निष्पक्ष उच्च स्तरीय जाँच करवाने की कृपा करेगी ?

श्री जमुना प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है।

सीतापुर जिले में बस कार्यशाला के निर्माण हेतु ली गयी भूमि

*37—श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सीतापुर में जो जमीन कार्यशाला (वर्कशाप) के लिए खरीदी जा रही है वह सीतापुर बस स्टेशन से कितनी दूर है ? सीतापुर बस स्टेशन पर कितनी बसें रखने का प्रस्ताव है तथा बसों का कार्यशाला (वर्कशाप) में आने-जाने में कितना डेड माइलेज पड़ेगा और उस पर कितना अपव्यय होगा ? क्या परिवहन मंत्री उपर्युक्त बातों को ध्यान में रखकर बस स्टेशन के पड़ोस कोई जगह खरीदने पर विचार करेंगे ?

श्री आबिद अली—

सीतापुर कार्यशाला के लिये कोई भूमि खरीदी नहीं गयी है । सीतापुर कार्यशाला के लिये ग्राम्य समाज की भूमि प्राप्त की गयी है जिसके लिये कोई भी मूल्य देना नहीं पड़ा है । यह भूमि सीतापुर बस स्टेशन से 6 कि0मी0 की दूरी पर है । सीतापुर बस स्टेशन पर 50 बसें रखने का प्रस्ताव है जिसमें से सामान्यतः प्रतिदिन 40 बसें संचालित होती रहेंगी और जिनका कार्यशाला आने जाने में प्रतिवर्ष 1,75,200 कि0मी0 डेड किलो मीटपेज होगा जिसका वास्तविक व्यय प्रतिवर्ष लगभग रु0 87,600 होगा । विकल्प के रूप में जो भूमि उपलब्ध है यदि उसमें कार्यशाला बनायी जाय तो डेड माइलेज के रूप में लगभग 21,900 व्यय होगा । इस प्रकार प्रस्तावित स्थान पर कार्यशाला बनाने पर रु0 65,700 का ही व्यय डेड माइलेज पर अधिक आयेगा जो उस व्याज के रूप में दिये जाने वाल रकम से काफी कम होगी जो वैकल्पिक भूमि खरीदन पर देनी पड़ती ।

खण्ड विकास अधिकारी, सिद्धौर के विरुद्ध आरोपों की जांच

*38—श्री राम नारायन वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खंड विकास अधिकारी, सिद्धौर के खिलाफ भ्रष्टाचार के संबंध में 9 फरवरी, 1978 को एक विशाल आम सभा का आयोजन क्षेत्रीय जनता ने करवाया था और इस क्षेत्र विकास अधिकारी के विरुद्ध कुछ आरोप-पत्र सन् 1977 में सरकार को प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो आज तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जमुना प्रसाद —

जी हां ।

आरोपों की जांच जिला उद्यान अधिकारी द्वारा कराई गई । जांच में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले । फिर भी जनभावना का आदर करते हुए खंड विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी का स्थानान्तरण कर दिया गया है ।

श्री पी० सी० पुरवार, प्राविधिक अधिकारी, भूमि संरक्षण विभाग, मिर्जापुर की चरित्र पंजिका में प्रतिकूल प्रविष्टि

*39—श्री राम सजीवन (जिला बांदा)—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री पी0सी0 पुरवार जो पहले कृषि सेवा केंद्र सीतापुर, कृषि सेवा केंद्र, जौनपुर एवं कृषि सेवा केंद्र, मिर्जापुर में इस वक्त कार्य कर रहे हैं उन्हें पूरे रीजन का टेक्निकल अफसर बनाया गया है और भूमि संरक्षण अधिकारी बना कर चुनार का कार्य कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि खराब सामान बनाने और गबन एवं गबन करने के आरोप में इनकी जांच सीतापुर, जौनपुर आदि जगहों में की गयी और इनकी चरित्र पंजिका में बैड इंट्री भी कर दी गयी है? क्या यह भी सत्य है कि भूमि संरक्षण में इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई है ? यह अनट्रेंड हैं ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां। श्री पी0सी0 पुरवार वर्तमान समय में प्राविधिक अधिकारी, कार्यालय उप-कृषि निदेशक (भूमि-संरक्षण) मिर्जापुर के पद पर कार्यरत हैं। स्थानीय प्रबन्ध में इन्हें दिनांक 2-8-77 से 1-8-78 तक भूमि संरक्षण अधिकारी, चुनार का कार्य भी सौंपा गया था।

खराब सामान बनाने अथवा गबन के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई। श्री पुरवार को जो प्रतिकूल प्रविष्टि मिली है, वह खराब सामान बनाने अथवा गबन से संबंधित नहीं है।

जी हां।

*40—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी—

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि०, उस्का बाजार, बस्ती के सचिव, श्री वृज नारायण लाल श्रीवास्तव के विरुद्ध गबन का आरोप एवं लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

*41—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय (जिला बस्ती)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहकारी क्रय-विक्रय समिति लिमिटेड, उस्का बाजार (बस्ती) में वर्ष 1975–76 में लेखापरीक्षक ने अपनी लेखा परीक्षा आख्या में कितने रुपयों का अपहरण एवं दुरुपयोग दिखाया है तथा इसका जिम्मेदार किस व्यक्ति को ठहराया है एवं इस लेखा परीक्षा पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

सहकारी क्रय-विक्रय समिति लि0, उस्का बाजार (बस्ती) के वर्ष 1975–76 के लेखा परीक्षण आख्या में लेखा परीक्षक ने 4615.78 रुपये का अपहरण तथा 40,585–08 रुपय का दुरुपयोग दिखाया है तथा इसके लिए उक्त समिति के तत्कालीन सचिव को जिम्मेदार ठहराया है।

उक्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन पर समिति के वर्तमान सचिव की आख्या पर समिति के तत्कालीन सचिव श्री वृजनारायण लाल श्रीवास्तव का स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया गया है तथा उक्त मामले की पूर्ण जांच हेतु दिनांक 7–8–1978 को अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी प्र ारी बस्ती तहसील को जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

*42—श्री मथुरा प्रसाद पा.ण्डेय—

क्या सहकारिता मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि श्री बृज नारायण लाल श्रीवास्तव, सचिव, सहकारी क्रय-विक्रय समिति लिमिटेड, उस्का बाजार (बस्ती) के विरुद्ध लेखा परीक्षा के वर्ष 1975-76, के परीक्षा आख्या के अनुसार गबन एवं पद के दुरुपयोग के संबंध में जिम्मेदार ठहराया है और उनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई ? यदि हां, तो श्री श्रीवास्तव के विरुद्ध कार्यवाही न होने के क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्नगत समिति के तत्कालीन सचिव, श्री बृज नारायण लाल श्रीवास्तव को कथित गबन एवं पद के दुरुपयोग के लिए दोषी पाया गया है । श्री बृज नारायण लाल श्रीवास्तव से स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिया गया है तथा उक्त मामलों की जांच हेतु नियुक्त जांच अधिकारी की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अपेक्षित कार्यवाही की जायगी ।

ग्राम्य विकास की पौष्टिक आहार योजना में कार्यरत ग्राम सेविकाओं का वेतन-मान

*43—श्री राम कृष्ण (जिला जौनपुर)—

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम्य विकास के अन्तर्गत पौष्टिक आहार योजना में कार्यरत ग्राम सेविकाओं का समान कार्य होते हुए भी केवल शैक्षिक योग्यता के आधार पर वेतन-मान अलग-अलग हैं ? यदि हां, तो भिन्न वेतन-मानों वाली ग्राम सेविकाओं को एक ही वेतन-मान देने हेतु अविलम्ब आदेश प्रसारित करेगी ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी हां । निम्न वेतनमान केवल महिला मंगल योजना की छटनी शुदा कार्यकर्त्रियों, जो जूनियर हाई स्कूल पास हैं, को स्वीकृत है । इन को पिछली सेवाओं का लाभ दिया जा चुका है । अतः उच्च वेतनमान दिये जाने का प्रश्न नहीं उठता । वर्तमान समय में केवल हाई स्कूल योग्यता एवं प्रशिक्षण प्राप्त महिलाओं को ही नियुक्त किया जाता है ।

*44—श्रीमती शारदा देवी—

[3रे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 51 के अन्तगत स्थानान्तरित]

पशुधन विकास अधिकारी एवं जन चिकित्सकों का वेतन-मान

*45—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पशु-चिकित्सकों तथा जन-चिकित्सकों के वेतन-मान तथा अर्हतायें क्या हैं ? तथा उत्तर प्रदेश वेटनरी कौंसिल ऐक्ट के अन्तर्गत पशु चिकित्सकों की सेवाओं की क्या शर्तें स्वीकार की गई हैं ? तथा अब तक उनके लागू न होने का क्या कारण है ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

पशु चिकित्सकों, जिनका पदनाम अब पशुधन विकास अधिकारी कर दिया गया है, का वेतनमान एवं अर्हतायें तथा जनचिकित्सकों का वेतनमान एवं अर्हतायें निम्न प्रकार हैं:—

पशुधन विकास अधिकारी	जन चिकित्सक
वेतनमान	
रु0 550-30-700-द0-रो040-900-द0रो0-50-1200	रु0 550-30-700-द0रो0-40-900-द0रो0-50-1200 (पी0 एम0 एस0 साधारण ग्रेड)

अर्हतायें

भारत के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की बी0वी0एस0सी0ऐंड ए0एच0की डिग्री ।	(1) एम0वी0 बी0 एस0 की डिग्री (न्यूनतम) (2) इंटर्नशिप का कोर्स पूरा हो । (3) मेडिकल कौंसिल से पंजीकृत हो ।

यू0पी0 वेटनरी कौंसिल ऐक्ट, 1947 में सेवा शर्तें नहीं आती हैं अतः उनके लागू होने का प्रश्न नहीं उठता ।

झांसी जिले के ग्राम हंसारी में बस डिपो कार्यशाला हेतु भूमि की खरीद

*46—श्रीमती सूर्यमुखी शर्मा(जिला झांसी)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी एवं ललितपुर जिलों में राज्य परिवहन निगम द्वारा अपने कार्य के लिये कितने रुपए वर्ग फुट के हिसाब से जमीन खरीदी गयी है ? क्या यह सत्य नहीं है कि उपरोक्त जमीनों की खरीद में पड़ोस की अन्य जमीनें भी विक्रय के भावों से परिवहन विभाग द्वारा बहुत अधिक मूल्य दिया गया है ? क्या शासन इसकी गोपनीय जांच करायेगी ?

श्री आबिद अली—

जनपद झांसी में डिपो कार्यशाला हेतु ग्राम-हंसारी में, जो जिला कचहरी से 3–5 किलो-मीटर दूरी पर ललितपुर मार्ग पर स्थित है, श्री सुरेंद्र सिंह भू-स्वामी की 1,97,738–67 वर्गफुट भूमि, 1–25 रुपया प्रति वर्गफुट के हिसाब से खरीदी गयी है । खरीदी गयी भूमि का मूल्य पड़ोस में स्थित अन्य भूमि के विक्रय मूल्य से अधिक नहीं है।

2—ललितपुर जिले में निगम द्वारा न तो कोई भूमि खरीदी गयी है और न ही ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ।

चीनी मिलों द्वारा बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान

*47—श्री चेतराम गंगवार—

क्या गन्ना विकास मंत्री को पता है कि प्रदेश में चीनी मिलों ने वर्ष 1976–77 की गन्ना कीमत का भुगतान करना पिछले कई माह से बन्द कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार चीनी मिलों के विरुद्ध वर्ष 1976, 1977 की गन्ने की सारी कीमत को भुगतान करने हेतु कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी नहीं । प्रदेश की चीनी मिलें सीजन 1976–77 के अवशेष गन्ना मूल्य का भुगतान लगातार कर रही हैं । पेराई सत्र 1977–78 के आरम्भ में (1–11–77 को) सीजन 1976–77 का गन्ना मूल्य 4–60 करोड़ रुपया अवशेष था जो अब(31–7–78 को) घट कर 1–84 करोड़ रुपया रह गया है। इसकी वसूली हेतु प्रयास जारी है।

*48—श्री मंजूर अली खां तथा श्री मकबूल अहमद—

[3रे सोमवार के लिये स्थगित]

अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी, श्री हरिहर सिंह, नानपारा, बहराइच की पदोन्नति

*49—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद) तथा श्री कमला प्रसाद वर्मा—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी, नानपारा, जनपद बहराइच को विगत 10 वर्षों से प्रतिकूल प्रविष्टि मिलने के पश्चात् भी सहायक विकास अधिकारी के पद से अतिरिक्त जिला कृषि अधिकारी के पद पर पदोन्नत किया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

प्रोन्नति के लिये विचार करते समय संबंधित कर्मचारी की पिछले 5 वर्षों की चरित्र पंजिका प्रविष्टियों को ही देखकर निर्णय लिया जाता है । श्री हरिहर सिंह की पदोन्नति अधीनस्थ कृषि सेवा वर्ग-2 स वर्ग-1 में किये जाने के प्रश्न पर वर्ष 1976 में जब विचार किया गया तो देखा गया कि उनकी वर्ष 1970–71 से वर्ष 1974–75 तक 5 वर्षों की प्रविष्टियां अच्छी थीं, अतः इन्हें तदर्थ रूप से प्रोन्नत कर दिया गया ।

बफर गोदाम, कृषि विभाग, बहराइच के उर्वरक में मिलावट की जांच

*50—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र 1978 के सातवें सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 9 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि बफर गोदाम, बहराइच में डी0ए0पी0 उर्वरक के परीक्षण परिणाम के अनुसार नाइट्रोजन तत्व का प्रतिशत 18 प्रतिशत से घटकर 16.66 प्रतिशत एवं फासफेट तत्व 46 प्रतिशत से घटकर 31.52 प्रतिशत हो गया है ? यदि हां, तो उक्त तत्वों में इतनी भारी मात्रा में घटोत्तरी किन-किन कारणों से हुई ? क्या यह सच है कि इसी डी0ए0पी0 स्टाक में से मंहगा, नानपारा तथा जरवल रोड गोदामों पर भी स्वेच्छा से डी0ए0पी0 खाद भेजी और उनमें जांच पर घटोत्तरी की मात्रा भिन्न-भिन्न पायी गयी ? यदि हां, तो बफर गोदाम निरीक्षक के विरुद्ध कौन-कौन कार्यवाही, कब-कब किस के द्वारा की गयी ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

बफर गोदाम बहराइच के डी0ए0पी0 उर्वरक के परीक्षण परिणाम में नाइट्रोजन की मात्रा 16.66 प्रतिशत तथा कुल फासफेट की मात्रा 46.049 प्रतिशत पायी गयी थी । सहन सीमा को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट था कि यद्यपि नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा में साधारण सी कमी थी पर इसे मिलावट का आधार नहीं माना जा सकता था, जबकि नमूने में कुल फासफेट 46 प्रतिशत की निर्धारित मात्रा के सम्मुख 46.049 प्रतिशत पाया गया ।

बफर गोदाम निरीक्षक ने स्वेच्छा से ही डी0ए0पी0 खाद के स्टाक में से मंहगा, नानपारा तथा जरवल रोड गोदामों को खाद भेजी । स्वेच्छा से खाद भेजने के लिये जिला कृषि अधिकारी, बहराइच द्वारा पत्रांक 148/कृषि, दिनांक 6-9-77 से बफर गोदाम निरीक्षक को चेतावनी दी गयी थी ।

विश्लेषण परिणामों से स्पष्ट है कि विभिन्न बीज गोदामों पर घटोत्तरी की मात्रा भिन्न-भिन्न पायी गयी थी, परन्तु मिलावट की संभावना केवल मंगहा में ही प्रतीत होती है । वह स्टाक अभी तक सील है और जिला कृषि अधिकारी, बहराइच द्वारा इस संबंध में कार्यवाही की जा रही है । बफर गोदाम निरीक्षक का स्थानान्तरण कर दिया गया है।

श्री व्रजेन्द्र सिंह, भूतपूर्व सीनियर एकाउन्टेंट, जिला सहकारी बैंक, अलीगढ़ की सेवा समाप्ति एवं उनके द्वारा लिखाई गई गबन की रिपोर्ट

*51—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिला सहकारी बैंक लिमिटेड के सीनियर एकाउन्टेन्ट (श्री ब्रजेन्द्र सिंह) ने यू0पी0 के अनेक जिला सहकारी बैंकों के दबे हुए गबन के कितने मामले पुलिस में दर्ज कराये ? क्या उनको आपात काल का लाभ उठाकर बिना निर्धारित कार्यवाही किये तथा सहकारी संस्थागत सेवा मंडल की अनुमति लिये बिना डिसमिस कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या निबन्धक, सहकारी समितियों ने सहकारी ऐक्ट की धारा 128 के अन्तर्गत उक्त आदेश को निरस्त किया ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री मुलायम सिंह यादव—

श्री बृजेन्द्र सिंह, भू0पू0, सीनियर एकाउन्टेंट, जिला सहकारी बैंक, अलीगढ़ द्वारा सेवा समाप्ति के पश्चात् अब तक उपलब्ध सूचना के अनुसार बिजनौर, इलाहाबाद तथा बरेली सहकारी बैंकों से संबंधित गबन के मामले पुलिस में दर्ज कराये । जिला सहकारी बैंक, अलीगढ़ जहां श्री बृजेंद्र सिंह मुख्य लेखाकार के रूप में कार्य कर रहे थे, के विरुद्ध उन्होंने कोई गबन की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई । अलीगढ़ बैंक के गबन की रिपोर्ट तत्कालीन जिला सहायक निबन्धक द्वारा पुलिस में दर्ज करायी गयी थी । श्री सिंह को आपातकाल का लाभ उठाकर सेवा से अलग नहीं किया गया और न ही उन्हें डिसमिस किया गया । श्री सिंह की सेवाएं जिला सहकारी बैंक, अलीगढ़ द्वारा तीन माह का वेतन देने के उपरान्त, समाप्त कर दी गई, क्योंकि उक्त बैंक ने यह अनुभव किया कि कई वर्षों से श्री सिंह बैंक के कार्य में कोई समय नहीं दे रहे थे । सेवा समाप्ति के आदेश के लिए संस्थागत सेवा मण्डल से पूर्व स्वीकृति लेने का कोई प्राविधान नहीं है ।

श्री सिंह ने अपनी सेवाएं समाप्त करने संबंधी मामला निबन्धक, सरकारी समितियां, उ0प्र0 लखनऊ तथा उपनिबन्धक, सहकारी समितियां, उ0प्र0 आगरा मण्डल, आगरा के समक्ष प्रस्तुत किया, किन्तु उनका मामला सहकारी अधिनियम की धारा 128 के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु उपनिबन्धक, सहकारी समितियां, उ0 प्र0 आगरा मण्डल, आगरा द्वारा उपयुक्त नहीं पाया गया जिसकी सूचना श्री सिंह को दे दी गयी ।

जिला सहकारी बैंक, शाहजहांपुर के अवैध संचालकों की बैठक पर व्यय की गयी धनराशि

*52—श्री मुहम्मद रफी खां—

क्या सहकारिता मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि जिला सहकारी बैंक लिमिटेड, शाहजहांपुर के संचालकों के 1970 में हुए, चुनावों को माननीय हाई कोर्ट द्वारा दिनांक 11 मई, 1973 को रद्द घोषित करने के उपरान्त भी इन्हीं अवैध संचालकों की बैठकें की गईं? यदि

हाँ, तो उनका ब्योरा क्या है तथा इन बैठकों आदि के आयोजन आदि पर क्या व्यय किया गया ? इस गम्भीर अनियमितता के दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? क्या इन बैठकों की कार्यवाही निरस्त करने के लिये बैंक के वैधानिक संचालकों के अनेक पत्र जनवरी से अप्रैल, 1974 तक प्राप्त हुये ? यदि हाँ, तो उनका ब्योरा क्या है ? उन पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मुलायम सिंह यादव—

11-5-73 के पश्चात् अवैध संचालकों द्वारा दिनांक 30-5-73, 1-6-73, 20-6-73 तथा 30-6-73 को बैठकें आयोजित की गई । दिनांक 1-6-73 को हुई बैठक विमान दुर्घटना के कारण दो मिनट का मौन रखकर स्थगित कर दी गई । 30-5-73 व 30-6-73 को उपसमिति की बैठकें की गई । इनके आयोजन पर 5-10 रु0 डाक खर्च तथा 166-00 रु0 संचालकों के यात्रा भत्ता पर व्यय हुआ । तत्कालीन बैंक के सचिव श्री श्याम नारायण पांडे को गम्भीर अनियमितताओं के कारण उपनिबन्धक, सहकारी समितियाँ, बरेली मडल, बरेली के आदेश दिनाँक 27-7-76 द्वारा बैंक की सेवा से हटाया जा चुका है ।

वैधानिक संचालकों के तीन शिकायती पत्र उक्त अवधि में विभाग को प्राप्त हुए जिनमें से एक में बैठकों को निरस्त करने की प्रार्थना की गई तथा अन्य दो में तत्कालीन सचिव श्री श्याम नारायण पांडे तथा अध्यक्ष, श्री नत्थूलाल मिश्र द्वारा संचालक मंडल की बैठक न बुलाने तथा अनियमितताये करने के आरोप थे। बैठक बुलाने हेतु सचिव एवं अध्यक्ष को कई बार निर्देशित किया गया । निर्देश का पालन न करने तथा अनियमितता बरतने पर अध्यक्ष, जिला सहकारी बैंक को हटाकर एक तदर्थ कमेटी गठित की गई। अनियमितताओं के संबंध में तत्कालीन सचिव एवं वैधानिक संचालक मंडल के विरुद्ध धारा 68 के अन्तर्गत सरचार्ज़ की कार्यवाही जारी है ।

कृषि विश्वविद्यालय, पन्तनगर के कुलपति को हटाये जाने के सम्बन्ध में कथित स्मृति पत्र

*53—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति को हटाने के लिये वहाँ के अध्यापकों का एक शिष्ट मंडल दिनाँक 6 जून, 1978 को मुख्य मंत्री व कृषि मंत्री तथा मुख्य सचिव और गृह सचिव से मिला और उसने अपना एक स्मृति-पत्र दिया ? यदि हाँ, तो उस स्मृति-पत्र की मुख्य-मुख्य मांगें क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी नहीं ।

*54—श्री राजेंन्द्र कुमार गुप्त—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

इलाहाबाद मण्डल के पशुधन अधिकारी की दक्षता रोक

*55—श्री देवराम (जिला गाजीपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गत चार वर्षों में इलाहाबाद मण्डल में कार्यरत जिला पशुधन अधिकारियों के कितने दक्षता-रोक के मामलों पर निर्णय नहीं लिया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ? जब कि नियमानुसार देय तिथि के एक माह के अन्तर्गत दक्षता-रोक पार हो जाना चाहिय ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

गत चार वर्षों म इलाहाबाद मण्डल में कार्यरत जिला पशुधन अधिकारियों में से केवल एक अधिकारी को उसकी चरित्र पंजिका म प्रतिकूल प्रविष्टियाँ होने के कारण दक्षतारोक देय तिथि (10–12–74) से पार करने की स्वीकृति नहीं दी जा सकी थी । उक्त अधिकारी को दक्षतारोक पार करने की अनुमति अब दे दी गई है ।

कृषि विश्वविद्यालयों के कृषि फार्मों को लिए जाने की कथित योजना

*56—श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही कि प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों स संम्बंधित कृषि फार्मों को कुलपति के अधिकार क्षेत्र से निकालने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो यह योजना क्या है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में इस वर्ष हुए श्रमिक आन्दोलन के कारण विश्वविद्यालय का शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ था, अतः वहाँ के विस्तृत फार्म के कुछ भाग को शिक्षा एवं शोध कार्य के लिये छोड़कर शेष भाग वापस लेने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है। अन्य कृषि विश्वविद्यालयों के फार्मों को कुलपति के अधिकार क्षेत्र से निकालने की कोई योजना नहीं है ।

*57—श्री फजलुलबारी—

[2रे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

*58—श्री फजलुलबारी—

[2रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 40 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

दि महाबीर शुगर मिल्स, सिसवा बाजार, गोरखपुर पर बकाया गन्ना मूल्य

*59—श्री शरदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

क्या गन्ना विकास मंत्री बतान की कृपा करेंगे कि महाबीर शुगर मिल, सिसवा बाजार, गोरखपुर पर जो रिसीवरसिप म है, मार्च/अप्रैल, 1978 में गन्ना काश्तकारों से क्रय किये गये गन्ने की कीमत 22 लाख रुपया बकाया है जब कि शासन ने आदेश दिया है कि क्रय किये गये गन्ना से उत्पादित चीनी की कीमत म सें 85 प्रतिशत धनराशि सीधे संबंधित बैंक गन्ने की कीमत का काट कर गन्ना मूल्य खाते में जमा करें, ताकि गन्ना काश्तकारों का भुगतान किया जा सकें ? कटौती की गई धनराशि बैंक म जमा होते हुए भी गन्ना काश्तकारों के गन्ने का दाम भुगतान न करने के क्या कारण है ?

प्रश्नोत्तर

श्री शिव मंगल सिंह—

दि महाबीर शुगर मिल्स सिसवा बाजार, गोरखपुर पर किसानों के गन्ना मूल्य का बकाया रु018,33,292.26 है । गन्ना मूल्य खाते में उपलब्ध 121 लाख रु0 में से 111·85 लाख रुपये का भुगतान किया गया । शेष रु09.15 लाख रुपये खाते से निकालकर मिल की आवश्यक मरम्मत तथा श्रमिकों के बकायों का भुगतान करने में व्यय किया गया, क्योंकि उपरोक्त व्यय अपरिहार्य था ।

दि काशी सहकारी चीनी मिल, औराई, जिला वाराणसी की प्रबन्ध समिति के चुनाव के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*60--श्री अठईराम (जिला इलाहाबाद)--

विधान सभा के दिनाँक 10 अप्रैल, 1978, 3रे सोमवार के तारांकित प्रश्न संख्या 33 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने जिला वाराणसी औराई के संचालक मंडल के गलत परिसीमन के संबंध में जो शिकायती-पत्र जिला गन्ना अधिकारी को दिया था उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री शिव मंगल सिंह--

विधान सभा के दिनाँक 10-4-78 के तारांकित प्रश्न संख्या 33 के उत्तर में पहले ही बताया जा चुका है कि प्रश्न कर्ता के संदर्भित शिकायती-पत्र पर जिला गन्ना अधिकारी, वाराणसी ने कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि वह परिसीमन के संबंध में कार्यवाही करने के लिये सक्षम नहीं थे ।

*61--श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

[4थे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 14 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

*62--श्री गिरीश चन्द्र तिवारी--

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

फैजाबाद जिले के अकबरपुर-इल्तफातगंज मार्ग पर बस सर्विस की मांग

*63—श्री हरीराम वर्मा--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद में अकबरपुर से इल्तफातगंज तक उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस सेवा चालू करने का आदेश शासन से हो चुका है ? यदि हाँ, तो क्या यह बस सेवा चालू हो गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आबिद अली--

जी हाँ ।

जनपद फैजाबाद में अकबरपुर से इल्तफातगंज तक मार्ग ठीक न होने के कारण उक्त मार्ग पर अभी तक बस चलाई नहीं जा सकीं हैं।

सचिव, मण्डी समिति बबेरू, जिला बांदा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*64—श्री देव कुमार (जिला बांदा)—

क्या कृषि मन्त्री को मई ,1978 में सचिव, मंडी समिति बबेरू(बांदा) के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा भेजा गया कोई शिकायती पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो आरोपों का बिवरण क्या है और सचिव के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं की गई, तो क्यों?

श्री राजेंद्र सिंह—

जी हां । आरोप यह है कि सचिव मंडी समिति, बबेरू, गल्ला व्यापारियों से मिलकर दो किलो ग्राम प्रति बोरा अधिक तौल कराते हैं जिसका पैसा काश्तकारों को नहीं दिया जाता है तथा सचिव द्वारा काफी तादाद में छन्ने बनवाये गये हैं जिसके मनमाने दाम दिये गये हैं तथा बिना टेंडर के सौदा किया गया है । आरोपों की जांच कराई जा रही है ।

*65—श्री मित्रसेन—

[2रे शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 31 क अन्तर्गत स्थानान्तरित]

गन्ना सहकारी समिति, मौजीपुर, जिला बरेली के गन्ना क्रय केन्द्र, आरामांडा द्वारा गन्ने की खरीद

*66—श्री चेतराम गंगवार—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला बरेली में गन्ना सहकारी समिति मौजीपुर के गन्ना क्रय केंन्द्र आरामांडा पर 15 मई, 1978 से 15 जून, 1978 तक कुल कितने दिन किसानों का गन्ना खरीदा गया ? तथा इस अवधि में गन्ने की खरीद न होने का कारण क्या था ? क्या यह सही है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण खरीद बन्द रही ? यदि हां, तो जिम्मेदारी किसकी है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

निर्दिष्ट अवधि में कुल 6 दिन गन्ना सहकारी समिति मौजीपुर जिला बरेली के क्रय केंन्द्र आरामांडा पर एच0आर0शुगर मिल बरेली द्वारा गन्ने की खरीद की गई । शेष दिनों में खरीद मिल से इंडेंट प्राप्त न होने के कारण नहीं हुई क्योंकि इन दिनों चीनी मिल में मशीन की खराबी, ट्रांसपोर्ट की हड़ताल तथा मिल की सफाई के कारण मिल में गन्ने की पेराई या तो बिलकुल ही नहीं हुई या जिन दिनों हुई भी तो बहुत घटी हुई मात्रा में हुई ।

श्री अजीत सिंह वर्मा, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, रामपुर, की पोस्टिंग के विरुद्ध पत्र

*67—श्री मंजूर अली खां (जिला रामपुर)—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता एवं मकबूल अहमद, विधायक रामपुर का कोई पत्र मई, 1978 के आखिरी सप्ताह में निबन्धक, सहकारी समितियां, उत्तर प्रदेश को (श्री अजीत सिंह वर्मा) असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार, कोआपरेटिव सोसायटीज के रामपुर पोस्टिंग के संबंध में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई और श्री वर्मा को रामपर में दुबारा पोस्ट किये जाने का क्या कारण है?

श्री मुलायम सिंह यादव—

प्रश्नगत पत्र निबन्धक सहकारी समितियां के कार्यालय में उपलब्ध नहीं है । श्री अजीत सिंह वर्मा ने निबन्धक से मौखिक रूप से अनुरोध किया था कि उनकी पारिवारिक परिस्थिति व उनकी सेवा निवृत्ति केवल एक वर्ष के अन्दर होने की स्थिति को ध्यान में रखकर उन्हें उनके गृह जनपद के निकट कोई छोटा जिला दे दिया जाय । जिससे वे वहां से अपनी सेवा निवृत्ति तक अपने कर्त्तव्यों का पालन करते हुए अपनी गम्भीर पारिवारिक समस्याओं को भी सुलझा सकें । अतः श्री वर्मा की पारिवारिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें बिजनौर के निकट रामपुर में नियुक्त कर दिया गया ।

आगरा जिले के राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों की हड़ताल

*68—श्री रघुवर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

क्या परिवहन मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद आगरा में राज्य सड़क परिवहन निगम के कर्मचारियों ने दिनांक 18 जून, 1978 से बिना किसी पूर्व सूचना और मांग-पत्र के दिये, राजकीय बसों की पहिया जाम कर हड़ताल कर दी जिससे निगम को प्रतिदिन एक लाख रुपए से अधिक की हानि उठानी पड़ी ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

श्री आबिद अली—

जी हां । हड़ताल से निगम को 12,28,301/—रु0 की हानि हुई ।

हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को अनुपस्थिति की अवधि का वेतन नहीं दिया गया है । कुछ कर्मचारियों के विरुद्ध पुलिस तथा आनुशासनिक कार्यवाही भी चल रही है ।

*69—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

[3रे सोमवार के लिये स्थगित]

श्री हरी सिंह, जिला कृषि अधिकारी, बरेली के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

*70—श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 1969–70 में (श्री हरी सिंह) तत्कालीन जिला कृषि अधिकारी, बरेली के विरुद्ध रुपए 1,74,750·00 के गड़बड़ घोटाले का पर्दाफाश वहां के लेखाकार की रिपोर्ट के आधार पर हुआ था जिसकी सूचना कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश ने पत्र संख्या सम्प्रेक्षण 2462, दिनांक 2 जनवरी, 1971 के द्वारा शासन को दी थी ? क्या यह सही है कि उक्त घोटाले के संबंध में चरित्र पंजिका में दी गयी प्रतिकूल प्रविष्टि के विरुद्ध कोई प्रार्थनापत्र वर्ष 1977–78 में प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी को दंडित करके प्रतिकूल प्रविष्टियों को निरस्त कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गोण्डा जिले की पचपेड़वा क्षेत्रीय सहकारी समिति में गबन

*71—श्री बिन्दू लाल (जिला गोंडा)—

क्या सहकारिता मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पचपेड़वा सहकारिता समिति (एल0एस0एस0) जनपद गोंडा में फरवरी, 1978 में कोई गबन पकड़ा गया ? यदि हां, तो उसका पूर्ण विवरण क्या है, गबनकर्ता कौन है ? उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

पचपेड़वा क्षेत्रीय सहकारी समिति, गोंडा के कार्यालय तथा गोदाम, जो 21-10-74 से सील मोहर बन्द थे, की जांच उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की निषेधाज्ञा के कारण रुकी रही । फरवरी, 1978 में निषेधाज्ञा के निष्प्रभावी होने के पश्चात् मार्च, 1978 में उपनिबन्धक, फैजाबाद ने अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी को जांच करने के लिये नियुक्त किया । जांच अधिकारी ने जून, 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । उक्त जाँच में मु0 86,349.94 रु0 का गबन/वित्तीय अनियमिततायें प्रकाश में आईं । जिसमें से मु0 63,571.96 रु0 का गबन, स्टाक में कमी, फर्जी ऋण वितरण आदि व मु0 22,777.98 रु0 वित्तीय अनियमितताओं से संबंधित हैं ।

उक्त गबन के लिए समिति के भूतपूर्व सचिव, श्री राम बहादुर तिवारी, समिति क सहायक सचिव, श्री मुनीर खां, आंकिक श्री अम्बर प्रसाद श्रीवास्तव तथा सहायक आंकिक श्री राम कुंवर उत्तरदायी हैं ।

अब तक की गई कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है :—

1—गबन की गई धनराशि पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु तहसील प्रभारी/अतिरिक्त जिला सहकारी अधिकारी, बलरामपुर को निर्देशित किया गया है ।

2—गबन/धन के दुरुपयोग के संबंध में उ0 प्र0 सहकारी अधिनियम, 1965 की धारा 68 के तहत कार्यवाही करने हेतु जांच अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

3—समिति के सचिव श्री रामबहादुर तिवारी निलम्बित हैं ।

4—सहायक सचिव, आँकिक, सहायक आंकिक के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु समिति के प्रशासक को निर्देश दिये गये हैं ।

खीरी जिले के क्रेशरों की जांच रिपोर्ट

*72—श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी)—

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मार्च, 1978 में क्रेशरों की जांच करन के सिलसिले में विशेष जांच दल जनपद खीरी में भेजा गया था ? यदि हां, तो उक्त जांच दल की क्या रिपोर्ट है और अब तक उस रिपोर्ट के मुताबिक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्रेशर मालिकों को क्यों बख्शा गया?

श्री शिव मंगल सिंह—

जी हां । मार्च, 1978 में क्रेशरों की जांच करने के सिलसिले में एक विशेष जांच दल जनपद खीरी में भजा गया था जिसने 14-3-78 से 16-3-78 तक इस जनपद का दौरा किया । इस जांच दल ने अपनी रिपोर्ट में न्यूनतम गन्ना मूल्य से कम दर पर इकाई-दारों द्वारा गन्ना खरीदने की तथा उनके द्वारा अधिक करदा काटने तथा ऐसी ही अन्य अनियमितताओं का उल्लेख किया । इन अनियमितताओं की रोकथाम के लिये लखीमपुर खीरी में एक सहायक चीनी आयुक्त अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया । उपचीनी आयुक्त के अधीन एक विशेष जांच दल इन अनियमितताओं की रोकथाम के लिये माह अप्रैल के प्रथम पक्ष में इस जनपद में भेजा गया । परिणामस्वरूप जनपद लखीमपुर में 85 मामल न्यूनतम गन्ना मूल्य उल्लंघन के तथा 3 कम तौल के पकड़े गये जिनके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

जाफरगंज मण्डी समिति, सुल्तानपुर द्वारा उत्तर गांड–जामो मार्ग के निर्माण के विरुद्ध कथित शिकायती-पत्र

*73—कुंवर तेजमान सिंह (जिला प्रतापगढ़)—

क्या कृषि मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा राज्य कृषि मंत्री को सम्बोधित दिनांक 10 अप्रैल, 1978 का कोई पत्र जिसमें जाफरगंज मंडी समिति, सुल्तानपुर द्वारा निर्मित उत्तर गांड-जामो मार्ग के निमित्त में मजदूरों की मजदूरी वितरण में की गई धांधली के संबंध में कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त शिकायती-पत्र की जांच की गई ? यदि हां, तो दोषी कर्मचारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री राजेंद्र सिंह—

जी नही ।

बहराइच जिले के ग्राम सेमरी घटही के ग्राम प्रधान के विरुद्ध पेड़ की चोरी की शिकायत

*74—श्री फजलुर्रहमान अन्सारी (जिला बहराइच)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद बहराइच, ग्राम सेमरी घटही, विकास खंड मिहीपुरवा के ग्राम पंचों ने दिनांक 10 जनवरी, 1978 को ग्राम प्रधान द्वारा ग्राम के पेड़ चोरी से कटवाने की शिकायत रजिस्ट्री द्वारा जिलाधीश व परगनाधिकारी, नानपारा को की गई थी ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जमुना प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

एटा जिले के विकास खण्ड सिढ़पुरा के अन्तर्गत मण्डी समिति द्वारा सड़कों का निर्माण

*75—श्री प्यारेलाल शाक्य (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि जनपद एटा में ब्लाक सिढ़पुरा में मंडी समिति की सड़क ग्राम खिरिया पट्टी से उतरना तथा अल्लापुर से गाड़ियां सेनाठ एवं मलावन से सोहरक्या सकीट तक सड़कें दिसम्बर सन् 1977 में ही पूर्ण होनी थीं, लेकिन अभी तक अधूरी पड़ी हैं जब कि मंडी समिति गल्ला और रुपया समय पर दे रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजेंद्र सिंह—

मण्डी समितियों के अन्तर्गत जनपद एटा के विकास खंड, सिढ़पुरा में खिरिया पट्टी से उतरना तथा विकास खंड सकीट में मलावन से सींहार तक की सड़कें दिसम्बर, सन् 1977 तक पूर्ण होनी थीं ।

मंडी समिति, गंजडुंडवार के अन्तर्गत उतरना से खिरिया पट्टी 3.5 कि0 मी0 का निर्माण स्वीकृत था, जिसमें से 2.7 कि0 मी0 निर्मित हो चुका है । शेष 0–75 कि0 मी0 बरसात के बाद पूर्ण हो जायेगा ।

अल्लापुर से गढ़िया सहनोठ नाम की कोई सड़क स्वीकृत नहीं है ।

मण्डी समिति, एटा के अन्तर्गत मलावन से सींहार मार्ग 4.0 कि0 मी0 था, जो लगभग पूर्ण हो चुका है, केवल 0.65 कि0 मी0 सड़क आबादी के निकट गहरा गड्ढा होने के कारण, मिट्टी न मिलने के कारण शेष रह गयी है ।

*76—श्री चेतराम गंगवार—

[3रे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

गाजीपुर जिले के पंचायत सेवकों को अपने कार्य का चार्ज ग्राम सेवकों को दिए जाने का आदेश

*77—श्री देवराम—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विकास अधिकारी, गाजीपुर ने अप्रैल, 1978 के अंतिम सप्ताह में जिले के समस्त पंचायत सेवकों को अपना समस्त चार्ज, क्षेत्र के ग्राम सेवकों को देकर कार्य मुक्त हो जाने का आदेश प्रसारित किया है ? यदि हां, तो अग्रिम आदेश की कोई सूचना कि कार्य मुक्त हो जाने के उपरान्त वे क्या करें, क्यों नहीं दी गई ?

श्री जमुना प्रसाद—

केवल पंचायत सेवकों को अपना समस्त कार्य क्षेत्र के समीपवर्ती ग्राम सेवकों को देने के आदेश थे, कार्य मुक्त का कोई आदेश नहीं था। ये आदेश भी 26-4-78 को निरस्त हो गये। आदेश अनुचित थे, अतः जिसके लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर रहा हूं।

बांदा जिले के नन्दवारा से नौहाई सड़क के निर्माण की मांग

*78—श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बांदा?)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि बांदा जिले की तहसील नरैनी में मांवा नौहाई से नन्दवारा तक मंडी समिति अतर्रा द्वारा सड़क बनने के लिये 9 नवम्बर, 1977 को जिलाधिकारी, बांदा के कक्ष में सर्वसम्मति से सभी विधायकों की उपस्थिति में प्रस्ताव पारित हुआ था ? यदि हां, तो किन कारणों से वहां की प्रस्तावित सड़कें नहीं बनीं, जबकि वहां के कृषक जमीन देने के लिये तैयार थे ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

जी हां। अधिशासी अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं ग्रामीण अभियंत्रण सेवा ने सर्वेक्षण के उपरान्त दिनांक 19 नवम्बर, 1977 को रिपोर्ट दी कि नन्दवारा से नौहाई सड़क निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है। अतः इस सड़क का निर्माण नहीं किया गया।

श्री राम कुमार बाजपेयी, लिपिक, विकास खण्ड हरख, जिला बाराबंकी की नसबन्दी न कराने पर सेवा समाप्ति

*79—श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की करेगी कि बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत विकास खंड हरख में दिनांक 3 अगस्त, 1976 को कार्यरत लिपिक श्री रामकुमार बाजपेयी का अपनी अथवा अपनी पत्नी की नसबन्दी न कराने से तत्कालीन अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास) बाराबंकी ने दिनांक 10 अगस्त, सन् 1976 को उन्हें अविलम्ब 3 दिन के अन्दर नसबन्दी कराने के निदेश दिये जिसके पालन न करने पर दिनांक 12 अगस्त सन् 1976 ई0 को कोई कारण बताओ नोटिस दी जिसके उचित उत्तर देने के बावजूद उसे जेल भेज कर सस्पेंड कर दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच करा कर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी?

श्री जमुना प्रसाद---

यह सत्य है कि श्री राम कुमार बाजपेयी, लिपिक, विकास खंड हरख, जनपद बाराबंकी को अपनी अथवा अपनी पत्नी की नसबन्दी न कराने पर तत्कालीन अतिरिक्त जिलाधिकारी (विकास). बाराबंकी ने दिनांक 10 अगस्त, 1976 को उन्हें अविलम्ब 3 दिन के अन्दर नसबन्दी कराने के आदेश दिये, जिसके पालन न करने पर दिनांक 12 अगस्त, 1976 को कारण बताओ नोटिस दिया गया, किन्तु केवल उपरोक्त आधार पर ही नहीं बल्कि श्री बाजपेयी द्वारा नसबन्दी के विरुद्ध व्यापक प्रचार करने तथा रोकने पर, फौजदारी करने पर आमादा होने के आरोप में अपराध संख्या-85, अन्तर्गत धारा-114/43 डी0 आई0 आर0 353 के अन्तर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी । दोषी अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्यवाही करने का आदेश दे दिया गया है।

नानपारा तहसील, बहराइच में चीनी मिल की स्थापना की माँग

*80---श्री फजलुर्रहमान अन्सारी---

क्या शासन बताने की कृपा करेगी कि क्या वह नानपारा तहसील, जनपद बहराइच में चीनी मिल के निर्माण के संबंध में विचार कर रही है ?

श्री शिव मंगल सिंह---

नानपारा, जिला-बहराइच में प्रस्तावित चीनी मिल का लाइसेंस केन्द्र सरकार द्वारा निरस्त हो जाने के कारण फिलहाल प्रश्नगत क्षेत्र में चीनी मिल के निर्माण के संबंध में विचार नहीं किया जा रहा है ।

अतारांकित प्रश्न

फैजाबाद जिले की गौहनिया-अकबरपुर सड़क पर पुलिया निर्माण की मांग

1---श्री रवीन्द्रनाथ तिवारी---

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, फैजाबाद की गौहनिया अकबरपुर सड़क पर पुलिया बनाने के संबंध में प्रश्नकर्ता का 13 फरवरी, 1978 का पत्र मिला है ? यदि हां, तो क्या यह कार्य बरसात शुरू होने के पहले पूरा हो जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद---

जी हां।

गौहनिया-अकबरपुर सड़क पर जिला परिषद् फैजाबाद द्वारा 6 पुलियों के निर्माण का प्रस्ताव है। निर्माण हेतु निविदायें आमंत्रित की जा चुकी हैं। वर्षा प्रारम्भ हो जाने के कारण इसका निर्माण अब वर्षा के बाद ही सम्भव होगा।

2---श्री रामदत्त जोशी---

[7वें बुधवार के तारांकित प्रश्न संख्या 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

श्री राधश्याम सिंह, सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां, की पदोन्नति

--श्री हरीराम वर्मा--

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सहायक निबन्धक, सहकारी समितियां के पदोन्नति में गड़बड़ी के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री को प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 20 सितम्बर, 1977 को शिकायती पत्र दिया था ? यदि हां, तो क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री मुलायम सिंह यादव--

पत्र दिनांक 20-9-77 जो श्री राधेश्याम सिंह सहायक निबन्धक की प्रोन्नति कराने के संबंध में था प्राप्त हुआ। श्री सिंह की पदोन्नति हो गयी है।

4--श्री देव बहादुर सिंह--

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

श्री मुस्तैद अली खां, सम्भागीय निरीक्षक, परिवहन कार्यालय, आगरा का कार्यकाल

5--श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यांत्रिक निरीक्षक (श्री मुस्तमन्द अली खां) को क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, आगरा में कार्य करते हुए 10 वर्ष से ऊपर व्यतीत हो गये ? यदि हाँ, तो इनका अन्यत्र तबादला न करने का क्या कारण है ?

श्री आबिद अली--

यह सही नहीं है कि श्री मुस्तैद अली खां संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) को संभागीय परिवहन कार्यालय आगरा में कार्य करते हुए 10 वर्ष से ऊपर व्यतीत हो गया है। इस कार्यालय में श्री खां की अन्तिम नियुक्ति दिनांक 23-6-77 को हुई है।

मथुरा जिले के राष्ट्रीयकृत मार्गों पर अवैध चलने वाली बसों का चालान

6--श्री हुकम चन्द्र तिवारी--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के राष्ट्रीय घोषित मार्गों पर दिसम्बर, 1977 से दिनांक 15 मार्च, 1978 तक बिना रूट परमिट के कितनी प्राइवेट बसों के चालान किये गये ?

श्री आबिद अली--

प्रश्नगत अवधि में मथुरा जनपद के राष्ट्रीयकरण मार्गों पर बिना परमिट चलने के अभियोग में 28 प्राइवेट बसों के चालान किये गये। इनमें से 19 बसे बिना परमिट चल रही थीं तथा 9 बसों के परमिट चेकिंग के समय उपलब्ध नहीं थे।

बाराबंकी जिले के परिवहन विभाग के कर्मचारी, श्री राम भरोसे सिंह यादव की अनिवार्य सेवा-निवृत्ति

7—श्री राम आसरे वर्मा--

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बाराबंकी जिले के श्री राम भरोसे सिंह यादव जो परिवहन विभाग में कार्यरत थ और जिन्हें आपातकालीन स्थिति में अनिवार्य सेवा निवृत्त किया गया था, के संबन्ध में 15 सितम्बर, 1977 और 1 फरवरी, 1978 को प्रश्नकर्ता की ओर से पत्र लिखे गये ? यदि हां, तो उक्त श्री राम भरोसे सिंह यादव की बहाली के सिलसिले में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री आबिद अली--

जी हाँ, प्रश्नकर्ता के पत्र प्राप्त हुए थे। श्री राम भरोसे सिंह यादव को असंतोषजनक कार्य होने के कारण अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया था। शासन द्वारा इसमें पुनर्विचार किया गया तथा हस्तक्षेप करने का औचित्य नहीं पाया गया।

फैजाबाद जिले की मसौधा चीनी मिल पर बकाया गन्ना मूल्य

8--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद की मसौधा चीनी मिल पर 1 जून, 1978 को किसानों का गन्ने के मूल्य का कितना रुपया बकाया है और बकाया धनराशि किसानों को कब तक दिला दी जायगी और इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री शिव मंगल सिंह--

जनपद फैजाबाद की मसौधा चीनी मिल पर दिनांक 1-6-78 को 39,81,199-70 रु0 किसानों का गन्ना मूल्य भुगतान हेतु शेष था। 31-7-78 तक चीनी मिल ने 37,70,426-00 रु0 का भुगतान कर दिया है। अब इस पर केवल 2,10,773-70 रु0 शेष रह गया है। गन्ना मूल्य के बकाया की वसूली हेतु चीनी मिल के विरुद्ध रिकवरी सर्टीफिकेट जारी किया गया है।

9--श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी--

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

वाराणसी जिले के ब्लाक, नौगढ़ में सुखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वन विभाग को दी गयी धनराशि

10—श्री ऊदल—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक नौगढ़, तहसील चकिया, जिला वाराणसी में सन् 1974 से लेकर अब तक डी0पी0ए0पी0 में लाखों रुपए वन विभाग को दिया गया है ? यदि हां, तो वन विभाग ने उक्त लाखों रुपए को कहां-कहां किन-किन योजनाओं पर खर्च किया है ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

डी0पी0ए0पी0(सुखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम) के अन्तर्गत वन विभाग को सन् 1974 से मार्च, 1978 तक 58.06 लाख रु0 दिया गया था। इसमें से 57.764 लाख रु0 की धनराशि मई, 1978 तक जिन योजनाओं एवं जिन स्थलों पर व्यय की गई है उनका विवरण संलग्नक में दिया गया है। शेष धनराशि भी जुलाई, 1978 में वनीकरण के अन्तर्गत मिट्टी के कार्यों पर लगे श्रमिकों को भुगतान एवं अन्य विविध मदों पर व्यय की जा चुकी है।

(देखिये नत्थी "ङ" आगे पृष्ठ 158–161 पर)

अकबरपुर (फैजाबाद) बस स्टेशन पर महिला प्रतीक्षालय के निर्माण की मांग

11—श्रीमती रामरति देवी (जिला फैजाबाद)—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जिले के अकबरपुर बस स्टेशन पर महिलाओं के बठने की कोई व्यवस्था है ? यदि नहीं, तो क्या निकट भविष्य में सरकार इसके लिये कोई व्यवस्था करेगी ?

श्री आबिद अली—

प्रतीक्षालय में अलग से महिलाओं और पुरुषों के लिये बैठने का प्रबन्ध नहीं किया जाता।

कटेहरी, विकास खण्ड, जिला फैजाबाद के ज्येष्ठ लिपिक के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच

12—श्री हरीराम वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ज्येष्ठ लिपिक, क्षेत्र समिति, कटेहरी, जिला फैजाबाद के विरुद्ध सतर्कता विभाग द्वारा जांच हो रही है ? यदि हां, तो आरोप क्या हैं ? क्या उनका स्थानान्तरण हुआ था ? यदि हां, तो कहां के लिये?

श्री जमुना प्रसाद —

जी हां। अभी सतर्कता विभाग की जांच पूर्ण नहीं हुई है, अतः आरोप बताना जनहित में नहीं है। ज्येष्ठ लिपिक का स्थानान्तरण जनपद फैजाबाद के कटेहरी विकास खंड से मियांव विकास खंड में कर दिया गया है।

दिल्ली से आगरा तक प्राइवेट बसों द्वारा सवारी ले जाने की कथित अनुमति और परमिट दिए जाने की मांग

13—श्री राजेश कुमार सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिल्ली की प्राइवेट कांट्रेक्ट कैरिज बसों को व्यक्तिगत (इंडीविजुवल) पर्यटक लेकर आगरा के ऐतिहासिक स्थलों के भ्रमण करने की अनुमति आपातकालीन स्थिति में किसी विशेष व्यक्ति के कहने पर दी गई ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी अनुमति के संबंध में पुनः विचार करेगी ?

श्री आबिद अली—

जी नहीं । कांट्रेक्ट कैरिज बस नियमानुसार केवल रिजर्व पार्टी ही लाने व ले जाने के लिये अधिकृत होती है । उपलब्ध सूचना के अनुसार आपातकालीन स्थिति में दिल्ली की प्राइवेट कांट्रेक्ट कैरिज बसों को किसी व्यक्ति विशेष के कहने पर अथवा अन्य प्रकार आगरा तक फुटकर सवारियां लाने अथवा ले जाने की अनुमति न तो दी गयी थी और न वर्तमान में दी गयी है । अतः इस प्रश्न पर पुनः विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

14—श्री राजेश कुमार सिंह—

क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि शासन उत्तर प्रदेश विशेष रूप से आगरा से प्राइवेट कांट्रेक्ट कैरिज बसों व टैक्सियों को पर्यटक लेकर दिल्ली जाने व लाने का परमिट प्रदान करने के संबंध में विचार कर रही है ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री आबिद अली—

आगरा से प्राइवेट कान्ट्रेक्ट कैरिज बसों व टैक्सियों को पर्यटक लेकर दिल्ली जाने व लाने के आवश्यकतानुसार अस्थायी परमिट प्रदान करने पर कोई रोक नहीं है । इसके अतिरिक्त दिल्ली व उत्तर प्रदेश के बीच हुए आपसी समझौते के अनुसार लगभग 600 उत्तर प्रदेश की टैक्सियां दिल्ली तक जाने के लिये अधिकृत हैं । इसके अतिरिक्त आगरा की 35 टैक्सियां आल इंडिया परमिटों के अन्तर्गत दिल्ली तक जाने के लिए भी अधिकृत हैं । अतः इन गाड़ियों को परमिट प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता ।

ब्लाक बड़ा गांव, वाराणसी के हेडक्लर्क का स्थानान्तरण

15—श्री ऊदल—

क्या सामुदायिक विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि ब्लाक बड़ा गांव, जिला वाराणसी के हेडक्लर्क का ट्रांसफर अक्टूबर, 1977 में ब्लाक नियामताबाद, वाराणसी में शिकायत पर किया गया था और दिनांक 13 फरवरी, 1978 को पुनः ब्लाक बड़ागांव, वाराणसी में ब्लाक नियामताबाद से लेकर दिया गया है ? यदि हां, तो किस आधार पर ?

श्री जमुना प्रसाद—

जी नहीं । विकास खंड बड़ागांव जिला वाराणसी के हेडक्लर्क का स्थानान्तरण नियामताबाद के लिये शिकायत पर नहीं, बल्कि प्रशासनिक आधार पर माह अक्टूबर, 77 में किया गया था, किन्तु ब्लाक प्रमुख बड़ागांव के अनुरोध पर माह फरवरी, 1978 में पुनः इनका स्थानान्तरण विकास खंड बड़ागांव में कर दिया गया ।

लक्ष्मी शुगर मिल, महोली जिला सीतापुर पर बकाया गन्ना मूल्य

16—श्री राजेंद्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लक्ष्मी शुगर मिल, महोली, जिला सीतापुर पर गन्ना पेरने के सीजन 1976–77 तक का गन्ना काश्तकारों का गन्ना मूल्य का कुल कितना धन बकाया है ? सरकार उसके भुगतान के लिए क्या करने का विचार कर रही है तथा भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री शिव मंगल सिंह—

लक्ष्मी शुगर मिल महोली, जिला सीतापुर पर 1976–77 तक 31–7–78 को 55.52 लाख रुपया अवशेष था जो इस प्रकार हैं :—

1973–74	4.52	लाख रुपये
1974–75	15.60	लाख रुपये
1975–76	20.89	लाख रुपये
1976–77	14.51	लाख रुपये
कुल योग ..	55.52	लाख रुपये

मिल की आर्थिक दशा अत्यंत हीन हो जाने तथा कृषकों एवं श्रमिकों के वेतन आदि का अत्याधिक बकाया हो जाने के कारण मिल के विरुद्ध मई, 1977 में बकाया प्रमाण-पत्र जारी किया गया । इस समय मिल शासकीय आदाता के अधीन कार्यरत है । मिल द्वारा चालू सत्र के गन्ना मूल्य भुगतान के साथ-साथ पुराने वर्षों का लगभग 13 लाख रुपया अदा किया गया है । जैसे-जैसे मिल की आर्थिक दशा में सुधार होगा वैसे ही पुराने बकाया का भुगतान कराने का प्रयास किया जायेगा ।

खाण्डसारी निरीक्षकों के स्थायीकरण की मांग

17—श्री मन्जूर अहमद—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तदर्थ खांडसारी निरीक्षकों को शासनादेश संख्या 19/8/75 का 1/78 दिनांक 18 अप्रैल, 1978 के अनुपालन में कितने खांडसारी निरीक्षकों का नियमितीकरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? कितने खान्डसारी निरीक्षकों को प्रत्यावर्तित किया गया तथा उसका आधार क्या है ?

श्री शिव मंगल सिंह—

शासनादेश संख्या 19–8–75 का-1–78, दिनांक 18–4–78 के प्रस्तर 2(1) में नियमावली बनाये जाने तथा उनके प्राविधानों के अनुसार तदर्थ नियुक्तियों के नियमितीकरण की कार्यवाही किये जाने का उल्लेख किया गया था । यह भी कहा गया था कि नियमितीकरण हेतु आयोग की परिधि में आने वाले पदों एवं आयोग की परिधि से बाहर वाले पदों के संबंध में दो नियमावलियां भी बनाई जा रही हैं और उन्हीं के प्राविधानों के अनुसार नियमितीकरण की कार्यवाही की जायेगी । नियमावली प्रसारित होने के अभाव में नियमितीकरण किये जाने का प्रश्न नहीं उठता । परन्तु इसी बीच लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किये हुए अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर 13 तदर्थ एवं अस्थायी रूप से कार्यरत खांडसारी निरीक्षकों को प्रत्यावर्तित किया गया है । प्रत्यावर्तित कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि "लोक सेवा आयोग द्वारा चुने हुए अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक तदर्थ एवं अस्थायी रूप से नियुक्ति की जाती है और यह भी शर्त निहित थी कि किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के यह नियुक्ति समाप्त की जा सकती है"। प्रत्यावर्तन का आधार कर्मचारियों की कनिष्ठता थी ।

गन्ना सहकारी समिति गौर, जिला बस्ती के विरुद्ध शिकायती-पत्र

18—श्री सुखपाल पाण्डेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना सहकारी समिति गौर, जिला बस्ती के विरुद्ध श्री महादेव शुक्ल, प्रबन्धक, कृषक शिक्षा समिति गौर, बस्ती तथा अन्य कृषकों या व्यक्तियों द्वारा गबन, अनियमितताओं तथा भ्रष्टाचार की जनवरी, 1978 तक कितनी शिकायतें शासन तथा उच्चाधिकारियों को किस प्रकार (अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार) की प्राप्त हुई और अब तक किन-किन व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ? यदि कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

प्रश्नगत समिति के विरुद्ध श्री महादेव शुक्ल, प्रबन्धक कृषक शिक्षा समिति, गौर, जिला बस्ती तथा अन्य द्वारा प्रेषित गबन, अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में जनवरी, 1978 तक शासन एवं उच्च अधिकारियों को 9 शिकायतें प्राप्त हुयीं। प्राप्त शिकायतों की जाँच कराये जाने के उपरान्त दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण संलग्न तालिका† में प्रस्तुत है।

मथुरा जिले में सहकारिता विभाग के विचाराधीन आर्बीट्रेशन केसेज

19—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद की माँट, छाता, मथुरा, सादाबाद तहसीलों में सहकारिता विभाग के कितने आरबीट्रेशन 1976 से 30 मार्च, 1978 तक विचाराधीन हैं और कितने आरबीट्रेशन सादाबाद सहायक बल्देव विकास खण्डों के अन्तर्गत 12 माह की अवधि तक विचाराधीन रहे ? और क्यों ? क्या इस संबंध में जनता द्वारा बिलम्ब की शिकायतें भी प्राप्त हुईं ? यदि हाँ, तो उन पर क्या कार्यवाही अमल में लायी गयी ?

श्री मुलायम सिंह यादव—

मथुरा जनपद की तहसील माँट में 1005, छाता में 631, मथुरा में 468 एवं सादाबाद में 1794 आरबीट्रेशन केसेज 1976 से 30 मार्च, 1978 तक विचाराधीन रहे। विकास खंड सादाबाद के 525, सहमऊ के 915 एवं बल्देव विकास खंड के 354 आर्बीट्रेशन केसेज 12 माह की अवधि तक विचाराधीन रहे। सम्बन्धित निर्णायकों के अन्य कार्यों में व्यस्त रहने तथा सालसी कार्यवाही हेतु आवश्यक सम्पूर्ण वैधानिक औपचारिकताएं पूर्ण न होने के कारण निर्णय में बिलम्ब हुआ। निर्णय में बिलम्ब के संबंध में दो संयुक्त-शिकायती पत्र प्राप्त हुए जिनकी जाँच कराई गई तथा जाँच के उपरान्त सालसी कार्यवाही शीघ्र पूर्ण कराने हेतु सभी निर्णायकों को सहायक निबन्धक द्वारा निर्देश दे दिये गये हैं।

---

†छापी नहीं गयी।

मथुरा जिले के ईंट के भट्ठों का लाइसेन्स

20—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि मथुरा जनपद के अन्तर्गत कितने ईंट के भट्ठे हैं जिनको जिला परिषद् अपना लाइसेन्स प्रदान करती है ? क्या यह सत्य है कि कुछ भट्ठे ऐसे हैं जिनको अभी तक लाइसेंस शुल्क विधिवत् जिला परिषद् कोष, मथुरा में जमा नहीं हुआ है ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों ?

श्री जमुना प्रसाद—

जिला परिषद्, मथुरा द्वारा 1977-78 में भट्ठों के 134 लाइसेंस जारी किये गये थे। 3 भट्ठों का लाइसेंस न लेने के कारण चालान किया गया। वर्ष 1978-79 के लिये 94 भट्ठों के लाइसेन्सों का नवीनीकरण मार्च तक किया गया है। अप्रैल, 1978 में 10 भट्ठों के लाइसेन्सों का नवीनीकरण पेनाल्टी लेकर किया गया है शेष 33 भट्ठों के मालिकान जिन्होंने अभी तक लाइसेन्स नवीनीकरण नहीं कराया, को रजिस्टर्ड नोटिस जारी कर दिये गये है। जिसके उपरान्त उन का चालान किया जावेगा।

बलिया जिले के ग्राम सभा गाय घाट में पाइरप परियोजना के अन्तर्गत कथित कूप निर्माण के विरुद्ध शिकायती-पत्र

21—श्री देव बहादुर सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा गाय घाट, विकास खंड रेवती, जिला बलिया के प्रधान श्री शिव शम्भू सिंह ने एक आरोप-पत्र सन 1972 में सामुदायिक विकास मंत्री को पाइरप परियोजना के अन्तर्गत ग्राम गाय घाट के हरिजन बस्ती में पेय जल हेतु कूप निर्माण के सम्बन्ध में भेजा था जिसमें यह आरोप था कि बिना कूप निर्माण किए उसका पूरा भुगतान कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो जाँच रिपोर्ट क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री जमुना प्रसाद—

बलिया जनपद में पाइरप परियोजना के अधीन किये गये विभिन्न निर्माण कार्यों में अनियमितता तथा शासकीय धन के गोलमाल के सम्बन्ध में श्री शिव शम्भू सिंह, प्रधान गायघाट के अलावा अन्य जनप्रतिनिधियों से भी शिकायतें शासन को प्राप्त हुयी थी। इसी तरह की शिकायतें समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुई थीं। विभागीय जांच के अतिरिक्त, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के टैकिनीकल सैल द्वारा भी जाँच करायी गई है। विभागीय जाँच के आधार पर गायघाट के हरिजन पेयजल कूप निर्माण में अनियमितता तथा शासकीय धन के दुरुपयोग के लिए दोषी तत्कालीन ग्राम सेवक श्री श्याम नारायण सिंह की सेवायें समाप्त कर दी गई हैं, बाद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के टेक्निकल सैल द्वारा जाँच करायें जाने पर उक्त परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यों में अनियमितता तथा धन के दुरुपयोग के लिये कुछ और कर्मचारी/अधिकारी दोषी पाये गये हैं जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के उद्देश्य से, प्रत्येक कार्य के लिये उनके उत्तरदायित्व की सीमा निर्धारित की जा रही है।

बलिया जिले के विकास खण्ड रेवती एवं बाँसडीह से पाइरप परियोजना के अन्तर्गत आवंटित धनराशि एवं किया गया निर्माण कार्य

22—श्री देव बहादुर सिंह--

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि 1971–72 में जिला बलिया के विकास खण्ड रेवती एवं बाँसडीह में 'पाइरप योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को पूरा करने हेतु धनराशि का आवंटन किया गया था ? यदि हाँ, तो किन-किन योजनाओं पर कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गयी थी तथा लक्ष्य की पूर्ति कितनी हुई ?

श्री जमुना प्रसाद—

पाइरप परियोजना के अन्तर्गत, वर्ष 1971–72 में कोई धनराशि बलिया जनपद के विकास खण्ड रेवती एवं बाँसडीह में विभिन्न योजनाओं को पूरा करने हेतु आबंटित नहीं की गई थी । यह परियोजना वर्ष 1972–73 में भारत सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई थी तथा भारत सरकार द्वारा इस परियोजना के कार्यान्वयन हेतु जो धनराशि विभिन्न वर्षों में आबंटित की गई थी तथा आबंटित धन से जो कार्य सम्पन्न कराये गये थे उनका विवरण संलग्न है । संलग्न विवरण से स्पष्ट होगा कि उक्त परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न वर्षों में कुल 37,23,000 रु0 का आबंटन भारत सरकार से प्राप्त हुआ था तथा पूर्ण धनराशि का उपयोग कर लिया गया। कुछ कार्य जिनका विवरण संलग्न तालिका में दिया गया है, भारत सरकार द्वारा उक्त परियोजना समाप्त कर दिये जाने तथा धन उपलब्ध न करायें जाने के कारण अधूरे रह गये ।

(देखिय नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 162–163 पर)

दि काशी सहकारी चीनी मिल, औराई, वाराणसी पर देय विकास कमीशन एवं समिति कमीशन की धनराशि

23—श्री अठई राम—

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दि काशी सहकारी चीनी मिल, औराई, वाराणसी जब से स्थापित होकर गन्ना की पेराई कर रही उसमे प्रतिवर्ष कितना विकास कमीशन तथा सहकारी समिति का कमीशन अब तक का भुगतान किया गया तथा यह भी बताने की कृपा करें कि कितना प्रत्येक वर्ष का कमीशन वाजिब हुआ ?

श्री शिव मंगल सिंह—

दि काशी सहकारी चीनी मिल, औराई, वाराणसी पर वर्ष 1971–72 से लेकर 1977–78 तक कुल विकास कमीशन 3.35 लाख रुपये देय हुआ । 0.05 लाख रुपये का भुगतान किया गया तथा 3.30 लाख रुपये अवशेष है।

समिति कमीशन 4.52 लाख रुपये देय हुआ । 2.55 लाख रुपये का भुगतान कर दिया गया है तथा 1.97 लाख रुपय अवशेष है । वर्षवार विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 164 पर)

जिला गन्ना अधिकारी, वाराणसी का दैनिक भत्ता

24—श्री अठई राम—

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि जिला गन्ना अधिकारी वाराणसी का मुख्यालय एवं कार्यालय कहां है ? क्या यह भी सही है कि अपने कार्यालय वाराणसी में कार्य करने का दैनिक भत्ता भी प्राप्त करते हैं ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री शिव मंगल सिंह—

जिला गन्ना अधिकारी, वाराणसी का मुख्यालय औराई में है तथा कार्यालय वाराणसी में ह । जिला गन्ना अधिकारी जब मुख्यालय औराई से वाराणसी आते हैं और हाल्ट करते हैं तो नियमानुसार दैनिक भत्ता, जो अनुमन्य है, प्राप्त करते हैं ।

मिर्जापुर जिले की ग्राम सभा कटाई से अलग किए गए ग्राम तिलौव कलन्दपुर

25—श्री अठई राम तथा श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद के विकास खंड लालगंज में बिना क्षेत्र समिति तथा ग्राम सभा की सहमति व प्रस्ताव के ही ग्राम सभा कटाई के ग्राम तिलौव कलन्दपुर को ग्राम सभा में से अलग कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसा क्यों ? और क्या इस बाबत जनता एवं प्रधान द्वारा कोई शिकायती पत्र जिला पंचायत राज अधिकारी मिर्जापुर को माह फरवरी, 1978 में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री जमुना प्रसाद—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला लेखाकार, कृषि, रायबरेली के विरुद्ध शिकायती-पत्र

26—श्री राम सजीवन—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संगठन मंत्री, सी0पी0 पी0आई0, बछरावां (रायबरेली) का जिला लेखाकार (कृषि) रायबरेली के विरुद्ध कोई छः पृष्ठीय गम्भीर भ्रष्टाचार व गबन से युक्त शिकायती पत्र अक्टूबर, सन् 1976 में कृषि उत्पादन आयुक्त तथा कृषि निदेशक को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो आरोप क्या थे तथा उस पर अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ? यदि कार्यवाही नहीं की गयी, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र सिंह—

संगठन मंत्री सी0 पी0 आई0 बछरावां (रायबरेली) का जिला लेखाकार (कृषि) रायबरेली के विरुद्ध एक शिकायती पत्र सितम्बर, 1976 में प्राप्त हुआ था, जिसमें भ्रष्टाचार व गबन संबंधी आरोप थे। आरोपों की जांच कराई गई । आरोप जांच में सिद्ध नहीं हुए ।

सीतापुर जिले के ग्राम मेड़ई पुरवा में लिंक सड़क के निर्माण हेतु कथित आवेदन-पत्र

27—श्री राम नारायन वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने का कृपा करेंगे कि ग्राम मेड़ई पुरवा, पो0 भंडिया, तहसील सिधौली, ब्लाक कसमंडा, जिला सीतापुर में एक लिंक रोड सड़क बनवाने के लिये दिनांक 15 मई, 1978 को एक आवेदन-पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ?

श्री जमुना प्रसाद--

जी नहीं । उक्त पत्र शासन स्तर पर प्राप्त नहीं हुआ है । शेष भाग का प्रश्न नहीं उठता ।

अकबरपुर-सिकन्दरपुर मार्ग के बस सर्विस पर घाटा

28--श्री हरीराम वर्मा--

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद फैजाबाद के अकबरपुर से सिकन्दरपुर मार्ग पर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा बस सेवा चालू है ? यदि हां, तो चौबीस घन्टे में कितनी बार बस आती और जाती है ? क्या अकबरपुर-सिकन्दरपुर बस सेवा से निगम को घाटा है ? यदि हां, तो कितना ?

श्री आबिद अली--

जी हां ।

जनपद फैजाबाद के अकबरपुर-सिकन्दरपुर मार्ग पर निगम द्वारा बस सेवा चलाई जा रही है । उक्त मार्ग पर हर 24 घंटे में 1-1 ट्रिप दोनों ओर से बस सेवा उपलब्ध है । यह भी सत्य है कि अकबरपुर से सिकन्दरपुर तक बस सेवा के संचालन में निगम को हानि उठानी पड़ रही है । उक्त हानि को ठीक-ठीक मात्रा बतलाना सम्भव नहीं है क्योंकि निगम के द्वारा लाभ व हानि मार्ग वार नहीं बनाया जाता ।

व्यवस्था का प्रश्न

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, जब प्रश्न हो रहे थे, तो काफी समय व्यवस्था के नाम पर ले लिया गया और जो आगे के प्रश्न आ सकते थे, वे नहीं आ सके । अतः निवेदन है कि उनके लिये कुछ समय बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा कोई नियम नहीं है।

भूतपूर्व सदस्य, श्री मसुरियादीन तथा श्री मदन मोहन उपाध्याय के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, आज हमारे बीच में इस माननीय सदन के दो सदस्य नहीं रहे और हमेशा के लिये हमारे बीच से चले गये । उनके लिये यह सदन शोकाकुल है । मान्यवर, ये हैं--श्री मसुरियादीन जी और श्री मदन मोहन उपाध्याय जी ।

मान्यवर, श्री मसुरियादीन जी का जन्म 2 अक्टूबर, 1911 को इलाहाबाद में हुआ था । वहीं पर उनकी शिक्षा-दीक्षा हुयी और 21 जुलाई, 1978 की रात में एकाएक हृदयगति के रुक जाने से उनका देहावसान हो गया । उसके पहले भी चार बार हृदय गति के अवरोध से वह परेशान हो चुके थे । लेकिन इस बार वह कराल-काल के गाल में जा पड़े ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम नरेश यादव]

श्री मसुरियादीन बराबर 1932 से आन्दोलनों में भाग लेते रहे और 1944 तक 8–10 बार उन्हें जेल-यात्रायें करनी पड़ीं । इसके बाद 1946 से 1952 तक वह विधान सभा में इलाहाबाद का प्रतिनिधित्व करते रहे । लेकिन वह इतने जनप्रिय थे कि अपनी जनप्रियता के आधार पर सन् 1952 से 1971 तक लोक सभा के सदस्य रहे और उनका नाम बहुत सी राजनैतिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हुआ है । उनके निधन से हमारे प्रदेश की अपूर्ण क्षति हुई है ।

इसी तरह से मान्यवर, श्री मदन मोहन उपाध्याय का जन्म अल्मोड़ा के द्वारहाट में हुआ था और उन्होंने काशी विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की । 1910 ईसवी में उनका जन्म हुआ था । ये बराबर स्वाधीनता आन्दोलनों में भाग लेते रहे और उन्होंने 20 वर्ष की उम्र में ही महात्मा गांधी द्वारा चलाये गये नमक सत्याग्रह में भाग लिया था और एक वर्ष की सजा भी हुई थी । उसके पश्चात् स्वाधीनता आन्दोलनों में भाग लेते रहे । 1942 में भूमिगत रहे और 4 वर्ष बाद 1946 में गिरफ्तार हुए और 1942 से 1946 के बीच के जीवन काल में वे अच्युत पटवर्धन और डाक्टर राम मनोहर लोहिया के सम्पर्क में आये और राष्ट्रीयता का संदेश पूरे देश को देते रहे । 1946 में गिरफ्तार हुए और अल्मोड़ा लाये गये । वहां पर उन्हें 13 साल की सजा भी दी गयी । लेकिन वह मुक्त कर दिये गये । उनका अधिकाधिक संबंध जनसेवा से रहा, राजनैतिक क्षेत्र में रहा और बराबर राजनैतिक जीवन में रहते हुए हमेशा ऐसे कार्य करते रहे जिससे कभी चरित्र पर आंच नहीं आई । वे इस सम्मानित सदन के सदस्य भी रहे । उनके निधन पर मैं अपनी ओर से और इस सदन की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और यह चाहता हूं कि हमारा यह शोक-सन्देश उनके परिवार वालों तक पहुंचा दिया जाय । इन शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से पुनः उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, माननीय नेता सदन ने स्वर्गीय मसुरियादीन और मदन मोहन उपाध्याय के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के संबंध में जो श्रद्धांजलि के शब्द निवेदित किये हैं, मैं भी विनम्रतापूर्वक अपने को उन भावनाओं से सम्बद्ध करता हूं । श्रीमन्, मुझे यह सौभाग्य प्राप्त रहा है कि मैं इन दोनों दिवंगत विभूतियों के निजी सम्पर्क में रहा हूं और कार्य करने का अवसर मिला है । मसुरियादीन जी केवल इलाहाबाद जनपद के ही नहीं वरन् समस्त उत्तर प्रदेश के महान नेता थे और इलाहाबाद में चाहे किसान आन्दोलन हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम का आन्दोलन हो, उन्होंने जिस प्रकार पं० जवाहर लाल नेहरू और बाबू पुरुषोत्तम दास टंण्डन आदि नेताओं के साथ जो कार्य किया है, वह सदैव स्वर्णाक्षरों में लिखा जायगा । वे बहुत गम्भीर व्यक्ति थे । अपने विचारों के पक्के और निष्ठावान थे । जिसका साथ दिया उसका जीवन भर निभाया, यह उनकी विशेषता थी । उन्हें किसी प्रकार के पद का लोभ नहीं था । वे अपने त्याग के आधार पर सदैव प्रतिनिधि चुने गये और सदैव जिन विचारों के प्रति उनकी निष्ठा रही, जिन व्यक्तियों के प्रति उनकी निष्ठा रही उनके प्रति आस्थावान

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रहे । वे तत्कालीन मुख्य मंत्री, श्री चन्द्र भानु गुप्त के अनन्य सहयोगी रहे । उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में जो सामाजिक, शैक्षणिक कार्य राजनैतिक जीवन की मर्यादा में रहते हुए किया वह अनुकरणीय रहेगा । उन्होंने लोक सभा में सन् 1952 से लेकर सन् 1971 तक उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया । ऐसे महामानव के निधन से हम सभी शोकाकुल हैं ।

स्वर्गीय श्री मदन मोहन उपाध्याय एक अद्भुत व्यक्ति थे । सन् 1942 के आन्दोलन में उनका नाम प्रदेश के इने गिने लोगों में लिया जायगा । सन् 1942 में जो विद्यार्थी थे, वे उनके अगुआ कहे जाते थे और उनको जिन्दा या मुर्दा लाने पर 5 हजार रुपए का इनाम था जो उन दिनों इने-गिने व्यक्तियों के लिये ही हुआ करता था । वे जब बोलते थे तो ऐसा लगता था कि अंगारे बरसा रहे हैं । इसी सदन में वे पांच वर्ष तक उप नेता विरोधी दल थे जब माननीय राज नारायण जी विपक्ष के नेता थे । उस समय जो इस सदन के सदस्य थे उन्हें ज्ञात होगा कि दबने वाले व्यक्तियों में वे नहीं थे, जिसके कारण राजनीति में उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ा । वे ऐसी कोई बात सहन नहीं कर पाते थे जो समाजवादी विचारों के विपरीत हो । इसीलिए जो राजनैतिक सफलता उन्हें मिलनी चाहिए थी दुर्भाग्य से वह नहीं मिल पायी । उनके जीवन में पर्वतीय क्षेत्र के विकास की तड़प थी । निर्बल वर्ग तथा प्रखर समाजवादी विचारक होने के नाते उनकी पीड़ा सदैव हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी । मैं भी नेता सदन के विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुए अपने दल तथा सदन के माननीय सदस्यों की ओर से यह प्रार्थना करता हू कि मृतक नेताओं के परिवार तक हमारी श्रद्धांजलि के फूल अर्पित करने की कृपा करें और हमारे समवेदना के स्वर उन तक पहुंचा भी दें ।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव (जिला जौनपुर)--

मान्यवर, नेता सदन और श्री तिवारी जी ने जो विचार प्रकट किए हैं उससे मैं अपने को और कांग्रेस दल को सम्बद्ध करता हूं । स्वर्गीय मसुरियादीन जी इलाहाबाद के निवासी, हमारे बहुत पड़ोस के थे, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी और सामाजिक कार्यकर्ता थे । खास तरीके से निर्बल वर्ग के लिए, हरिजनों के लिए वे हर वक्त, जब भी कोई उनके पास पहुंचता था, वह रात दिन का ख्याल न करके दौड़ कर जाते थे जिसकी व्यक्तिगत रूप से मुझे जानकारी है । वे जेल यात्री थे । जैसा कि कहा गया वे 1946 से 1952 तक विधान सभा के सदस्य थे और 1952 से 1971 तक लोक सभा के सदस्य रहे और जहाँ तक मेरी जानकारी है श्री मसुरिया दीन संविधान सभा के भी सदस्य रह चुके हैं । उनके निधन से हरिजन और निर्बल वर्ग और खास तरीके से इलाहाबाद जिले को विशेष नुकसान हुआ है । वैसे सारे प्रदेश की हानि हुई है ।

श्री मदन मोहन उपाध्याय, उनका भी हमारा व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क और परिचय था । स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सेवी और बड़े सरल स्वभाव के थे । लेकिन विचारों के बड़े दृढ़ थे । उनके निधन से पर्वतीय क्षेत्र और गरीब लोगों का अहित हुआ है, मेरा आपसे निवेदन है कि कांग्रेस दल की तरफ से भी श्रद्धांजलि और शोक सन्देश भेजने की कृपा करें । मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उन दिवगत आत्माओं को शांति और उनके परिवार और सबधित लोगों को दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, सदन के दो भूतपूर्व सदस्यों, श्री मसुरियादीन जी और श्री मदन मोहन उपाध्याय जी के असामयिक निधन से हम शोकाकुल हैं । स्वाधीनता आन्दोलन में उनकी भूमिका, उसके बाद राजनीतिक, सामाजिक जीवन में उनकी सक्रिय भूमिका से सदन अवगत है । उनके असामयिक निधन पर नेता सदन ने, माननीय तिवारी जी ने और माननीय यादव जी ने जो श्रद्धांजलि अर्पित की है, जो उद्गार प्रकट किये है उनसे मैं प्रगतिशील विधायक दल को और अपने को सम्बद्ध करता हूं और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं । आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे दल की ओर से समवेदना के स्वर और श्रद्धांजलि उनके शोकाकुल परिवार तक पहुंचाने का कष्ट करें।

*श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, स्वर्गीय मसुरियादीन और श्री मदन मोहन उपाध्याय के बारे में जो प्रस्ताव और उद्गार माननीय मुख्य मंत्री जी ने रखा है और दूसरे नेताओं ने जो उद्गार व्यक्त किये हैं मैं उनसे अपने और अपने दल को सम्बद्ध करता हूं । मसुरियादीन जी और और मदन मोहन उपाध्याय जी यह दोनों महान स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी थे और उन्होंने देश की आजादी मिलने पर सामाजिक जीवन में, राजनीतिक जीवन में अच्छे खासे उदाहरण हमारे सामने पेश किये हैं, इस सदन में और इस सदन के बाहर, लोक सभा में मसुरियादीन जी का नाम बहुत उजागर रहा और हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में खास कर मसुरियादीन जी का नाम काफी लोग जानते हैं और जिसके बारे में माननीय तिवारी जी ने कहा, खास कर गरीबों के लिए, निर्बल वर्ग हरिजनों के लिए वह रात दिन, हमेशा वह कार्य करते ही रहते थे ।

इसलिए इन दो महान नेताओं का हमारे बीच से उठ जाना बहुत ही शोक का विषय है और इस जगह की पूर्ति असम्भव है । श्रीमन्, इसीलिए हम और शोकाकुल हैं । मैं आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि शोक सन्तप्त परिवारों को हमारी श्रद्धांजलियां पहुंचाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष--

श्री मसुरिया दीन और श्री मदन मोहन उपाध्याय के निधन पर माननीय नेता सदन और विरोधी पक्ष के नेताओं ने जो अपनी समवेदनाएं व्यक्त की हैं, मैं भी अपने को उनसे सम्बद्ध करता हूं । श्री मसुरियादीन और श्री मदन मोहन उपाध्याय दोनों ही से मेरा सन् 1952 से निकट सम्पर्क रहा । श्री मसुरियादीन इस प्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानी, पिछड़े और निर्बल वर्ग के लिए हमेशा संघर्ष करने वाले और भारत की विधान निर्माता समिति के सदस्य रहे । सन् 1971 तक वह निरन्तर लोक सभा के सदस्य रहे । 1952 तक इस माननीय सदन के सदस्य रहे । जैसा माननीय तिवारी जी ने कहा वह अपने सिद्धांत के पक्के थे और उनको किसी तरह का प्रलोभन नहीं था । 1969 में कांग्रेस का विभाजन हुआ तब वह लोक सभा के सदस्य थे । वह सिद्धांत पर अटल रहे और अन्त तक संघर्ष करते रहे । श्री मदन मोहन उपाध्याय जब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के उप नेता थे तो वह बड़े विनोद प्रिय थे और सभी सदस्यों में बड़े लोकप्रिय थे । उनके सुझाव रचनात्मक हुआ करते थे । असहयोग आन्दोलन में उनका विशेष योगदान रहा है । सन् 30, 32, 41

और 42 में उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम में सक्रिय भाग लिया और 1942 की क्रांति में तो वह बहुत आगे थे । इन दो महान नेताओं के निधन से प्रदेश की बड़ी हानि हुई है । मैं अपनी समवेदना उनके प्रति प्रकट करता हूं और सदन में जो भावनाएं व्यक्त की गयी हैं, उनके परिवारों तक पहुंचा दूंगा ।

(सभी सदस्य दो मिनट के लिए अपने-अपने स्थान पर मौन खड़े हुए ।)

हिन्डालको के राष्ट्रीयकरण के संबंध में मंत्रियों के परस्पर विरोधी वक्तव्य तथा पत्राचार को सदन के पटल पर रखे जाने की मांग

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)--

मान्यवर, 12 अगस्त को प्रदेश में एक बहुत बड़ी घटना घटी है । मथुरा में 2 माननीय सदस्य जो आश्वासन समिति के सदस्य हैं गये थे ।

श्री अध्यक्ष--

जिन लोगों ने लिखित सूचना दी है मैं पहले उनको लूंगा ।

श्री सत्य प्रकाश मालवीय--

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा एक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

जो सूचना मुझको लिखित दी गयी है मैं पहले उनको बुलाऊंगा ।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मेरा एक औचित्य का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष--

इसी प्रकार का प्रश्न 22 तारीख को आ रहा है । उसका उत्तर आ गया है इसलिए जो प्रश्न आपने उपस्थित किया है वह कल सदन में होगा ।

श्री श्याम धर मिश्र--

मान्यवर, मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग यह देख रहे हैं सदन के बाहर भी और सदन के अन्दर भी कि माननीय मंत्री लोग वक्तव्य देते हैं और परस्पर विरोधी वक्तव्य देने की अब एक परिपाटी सी दिखाई देने लगी है । मान्यवर, मंत्रिमण्डल का संयुक्त उत्तरदायित्व होता है । मैंने सूचना दी है । इसी प्रकार पिछले सत्र में हिन्डालको के राष्ट्रीयकरण के संबंध में श्री रेवती रमण सिंह जी ने कहा था कि राष्ट्रीयकरण नहीं किया जायगा और उसके बाद माननीय विद्युत मंत्री जी ने कहा कि उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रीयकरण किया जायेगा। बाद में माननीय विद्युत मंत्री जी ने यह भी कहा कि उन्होंने वह निजी तौर से लिखा है । अब मेरी मांग यह है कि सम्पूर्ण मामले से संबंधित जो पत्र हैं, जो वहां से आये हैं और जो यहां से गये हैं उनको सदन के पटल पर रखा जाय। इस प्रकार के जो परस्पर विरोधी वक्तव्य आ रहे हैं उनसे स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है। माननीय सदस्यों को भी स्थिति स्पष्ट होनी चाहिये इसलिये मैंने यह प्रश्न यहां पर उठाया है ।

श्री अध्यक्ष--

कल के लिए मैंने इसी प्रकार का प्रश्न स्वीकार किया है । शासन की ओर से उसका उत्तर आ जायेगा इसलिये इस पर मुझे व्यवस्था देने की आवश्यकता नहीं है । कल सरकार इस सम्बन्ध में जो कहना चाहती है प्रश्नोत्तर के समय वह स्पष्ट हो जायगा ।

श्री श्याम धर मिश्र--

मान्यवर, प्रश्न के उत्तर में प्रश्न पूछना यह तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस को समय दें लेकिन मैं जो प्रश्न उठा रहा हूं कि माननीय मंत्री जी जो यहाँ बैठे है वह निश्चित करें कि किस तरह से यह मंत्रि मंडल परस्पर विरोधी वक्तव्य देकर संयुक्त उत्तर-दायित्व को नहीं निभा पा रहा है । दो प्रकार की बातें हमारे सामने हैं । मंत्रिमंडल का जो वार्तालाप हुआ है और केंद्र से जो आया है वह सब यहाँ पर रखा जाय । केवल उत्तर से सन्तुष्टी नहीं होगी ।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

आपने, मान्यवर, खुद पढ़ा होगा कि माननीय कृषि मंत्री द्वारा जो बयान दिया गया है वह मुख्य मंत्री जी के विपरीत था जिससे जनता में भावना फैली हुई है ।

श्री अध्यक्ष--

माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण करें । मैंने आपको अनुमति नहीं दी है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं खड़ा हुआ था । आपने कहा था कि एक व्यवस्था के प्रश्न पर दूसरी व्यवस्था का प्रश्न नहीं हो सकता । मैं दूसरी व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहा हूं । श्री श्याम धर जी ने जो प्रश्न उठाया है उस संबंध में मेरा निवेदन यह था कि जो प्रश्न स्वीकार हुआ है और उसका जो उत्तर आयेगा उस सम्बन्ध में इस औचित्य के प्रश्न का उसके साथ नहीं बनता । मेरा यह निवेदन है कि नीतिगत फैसले मंत्रिमंडल द्वारा ही लिये जाते हैं । भारत सरकार कहती है कि राष्ट्रीयकरण नहीं होगा और यहाँ लोग कहते हैं कि होगा तो कम से कम श्रीमन्, नीतिगत मामलों में यह बात तय होनी चाहिये कि मंत्रि मंडल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है या नहीं । यह एक औचित्य का प्रश्न है । इस संबंध मे सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रश्न आता है । एक मंत्री ने कहा कि पत्राचार किया जा रहा है । हमने अखबारों में पढ़ा कि केन्द्र में भी 2-1 मंत्रियों ने कहा है कि विचार किया जा रहा है । विभिन्न मंत्रियों की ओर से विभिन्न बयान आये हैं । जहाँ तक उत्तर प्रदेश का सवाल है किसी मंत्री की ओर से भारत सरकार के किसी मंत्री के साथ इस संबंध में पत्राचार हुआ है जिसके बारे में नीति का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है । आप स्वयं देख लें, माननीय सदस्यों को सुन लें और फिर अपना निर्णय दें । इस प्रश्न को कल आने वाले प्रश्न के साथ जोड़ने की कृपा न करें ?

श्री अध्यक्ष--

इस पर किसी विवाद की आवश्यकता नहीं है।

एक सदस्य--

मान्यवर, बाढ़ के संबंध में आप कब डिस्कशन (चर्चा) करवा रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष--

आप कृपया बैठ जायं । मैं इसके लिए आपको अनुमति नहीं देता हूं ।

इस प्रकार का यह प्रश्न कल के लिये स्वीकृत है और नियमावली में व्यवस्था है कि जो प्रश्न पहले से स्वीकृत हैं .....

श्री श्यामधर मिश्र--

किस रूप में ?

श्री अध्यक्ष—

इसी रूप में है जिस रूप में आपने उठाया है । राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कल इस प्रश्न का उत्तर आने को है । फिर जो प्रश्नोत्तर होंगे, उसके बाद ही विचार किया जा सकता है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

क्या कल मुझे भी अवसर मिलेगा?

श्री अध्यक्ष—

कल, उसके बाद में मिलेगा ।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

प्रश्नोत्तर काल में तो नीति से सम्बन्धित कोई बात पटल पर नहीं आ सकती है । मैं चाहूंगा कि भिन्न-भिन्न मंत्रियों ने भारत सरकार से जो पत्राचार किया है उसको सदन के पटल पर रखा जाय ताकि पता लग सके कि किस-किस प्रकार से भिन्न-भिन्न पत्र लिखे गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो कल ही निर्णय करेंगे ।

श्री श्याम घर मिश्र--

वह अध्यादेशों के सम्बन्ध में है उस सम्बन्ध में अगर आप आज्ञा दें तो मैं .....

श्री अध्यक्ष—

आपने जो प्रश्न उपस्थित किया है इसका उसमें औचित्य नहीं है । आपने 48 आइटम पर कार्य स्थगन के रूप में दिया है । जब वह आयेगा, तो मैं देखूंगा ।

'रविवार' नामक पत्रिका में एक मंत्री के संबंध में छपे लेख पर आपत्ति

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)--

मान्यवर नियम 286 को आप देखें । उसमें दिया हुआ है कि "जब सदन का उपवेशन हो रहा हो, तो सदस्य (1) ऐसी पुस्तक, समाचार पत्र या पत्र नहीं पढ़ेंगे" . . . , . . मान्यवर, मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि अभी राम अधार राय "रविवार" नामक अखबार पढ़ रहे थे जिसमें लिखा है कि [× × ×]

नोट:—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न भी प्रोसीडिंग का भाग नहीं होगा ।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)--

मेरा कहना यह है कि इस तरह की बात लिख करके एक मंत्री का अपमान किया गया है । मैं चाहता हूं कि यह मालूम किया जाय कि वह मंत्री कौन हैं और थाने की जी0डी0 मंगाई जाय कि किसने लिखी है । यह बड़ी अजीब बात है । "रविवार" के खिलाफ कार्यवाही हो ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

यह सरकार को बदनाम करने की साजिश है । इसकी साफतौर पर एक जांच होनी चाहिये जो यह बात लिखी गयी है ।

(श्री गनेशी लाल चौधरी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष--

गनेशी लाल जी, आप बैठें । आरोप समाचार पत्रों में छपते हैं, उनके आधार पर किसी प्रश्न को यहां पर अहमियत देना उस पत्र को अहमियत देना है। इसलिए यह सदन की गरिमा के विरुद्ध है, इस तरह के प्रश्नों को उठाना ।

श्री शतरुद्ध प्रकाश--

मैंने तो नियम 286 के अन्तर्गत व्यवस्था का प्रश्न उठाया है जिसमें दिया हुआ कि कोई ऐसी पुस्तक या समाचार-पत्र यहां नहीं पढ़ा जायगा और राम अधार राय उसको पढ़ रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं, तो मैं तो 286 के अन्तर्गत आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

ऐसा लगता है कि आपने श्री राम आधार राय से बात कर रखी है, इसलिये मैं इसका नोटिस ही नहीं ले रहा हूं ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

हमें जानने का अधिकार है कि आपने व्यवस्था किस विषय पर दी ? मामला तो मालूम हो ?

श्री अध्यक्ष--

मामला इस सदन के सामने नहीं है, इसलिये मैंने इजाजत नहीं दी । 286 के अनुसार वह किसी पत्रिका का जिक्र कर रहे थे कि माननीय राम अधार पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा कि मैंने इसकी उपेक्षा की, इसलिये मैं इसको कार्यवाही का अंश बनने की इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री राम आसरे (जिला हरदोई)

श्री राम अधार जी से ले लिया जाय तो ज्यादा अच्छा हो, नहीं तो वह और लोगों को दिखायेंगे ।

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की परीक्षाओं में अनिश्चितता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

प्रदेश के विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की परीक्षाओं में अनिश्चितता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राजेंद्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

प्रदेश में विश्वविद्यालयीन शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राओं का गत एक शिक्षा सत्र नष्ट हो गया। अध्यापन कार्य संभव नहीं हुआ, परीक्षायें भी नहीं हुई। शासन ने घोषणा की थी कि इस वर्ष सितम्बर में परीक्षाएं होकर व्यवस्था ठीक हो जायगी, परन्तु स्थिति उसी प्रकार बनी हुई है। अभी तक परीक्षाएं न तो प्रारम्भ हुई हैं और न तो वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए प्रारम्भ होने की संभावना ही है।

मान्यवर, कानपुर विश्वविद्यालय ने परीक्षा की तिथि घोषित की थी परन्तु आगे बढ़ा दिया। लखनऊ विश्वविद्यालय में तिथि के संबंध में विवाद बना हुआ है। यही दशा अन्य विश्वविद्यालयों की है। परिणाम स्वरूप छात्रों एवं अभिभावकों में चिन्ता व्याप्त है। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के प्रति अनादर एवं संदेह उत्पन्न हो रहा है। साथ ही छात्रों का अमूल्य समय नष्ट हो रहा है।

अतएव इस अनिश्चितता को समाप्त करने के लिए आवश्यक है कि सरकार विश्व-विद्यालयीन शिक्षा की व्यवस्था, सत्र आरम्भ तथा परीक्षाओं का कराया जाना आदि के स्पष्ट नीति एवं कार्यक्रम की घोषणा करें। गत मास हुए कुलपति सम्मेलन एवं शिक्षाविद् सम्मेलन द्वारा इस बारे में लिये गये निर्णयों की भी जानकारी आदरणीय सदन चाहता है।

अन्त में माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में यह विषय लाना चाहता हूं कि परीक्षाओं को तुरन्त कराने एवं सत्र आरम्भ कराने हेतु समुचित व्यवस्था करने की कृपा की जाय।

गोरखपुर मंडल में झुलसा, खैरा रोग तथा गन्ने की फसल में रेडरार रोग के प्रकोप के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री हरिकेवल प्रसाद (जिला देवरिया)—

मान्यवर, गोरखपुर मंडल में बाढ़-सूखा के साथ ही लहलहाती धान की फसल पर झुलसा खैरा आदि रोगों का प्रकोप हो गया है। उस मंडल में एक तरफ सभी नदियों में बाढ़ से किसानों की फसल पूर्णतया बरबाद हो चुकी है। बांगर में सूखा का भी प्रकोप है, जहां पर लोगों के निजी नलकूप, पंम्पिग सेट तथा सरकारी नलकूपों से सिंचाई कर धान की फसल की रोपाई की थी उसपर गत एक सप्ताह से झुलसा रोग का व्यापक प्रसार हो गया है। जब किसान इस रोग को समाप्त कराने के लिये कृषि रक्षा केंद्रों पर पहुंचते हैं तो उससे दवा छिड़कवाने हेतु 18 रुपये प्रति एकड़ की मांग की जाती है। जिससे किसानों में घोर चिन्ता और निराशा व्याप्त हो गयी है। जहां हमारा नारा है "एक कदम गांव की ओर चलो" वहीं किसान की फसल रोग ग्रस्त होती जा रही है तथा जो गन्ने की फसल खड़ी है उसमें भी 'रेडरार" की बीमारी लग गयी है और उसके पौधे पीले पड़ कर कुछ जमीन पर गिर रहे हैं तथा कुछ खंडित हो रहे हैं। कृषि रक्षा विभाग बीमारियों को रोकने में मौन साधे हुये है। विशेष कर यह बीमारी देवरिया जनपद में तेज हो गयी है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री हरिकेवल प्रसाद]

अस्तु आज माननीय सदन में माननीय कृषि मंत्री से यह मांग करता हूं कि जनहित में खड़ी धान एवं गन्ने की फसलों पर मुफ्त दवा छिड़काव का कार्य युद्ध स्तर पर किया जाय।

इलाहाबाद तथा लखनऊ में सार्वजनिक स्थानों पर लगे प्रधान मंत्री विरोधी पोस्टरों के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

अभी हाल में उत्तर प्रदेश के विभिन्न नगरों की दीवालों तथा सार्वजनिक स्थानों पर, विशेषकर इलाहाबाद तथा लखनऊ में, असख्य पोस्टर चिपके दिखलायी पड़े जिसके द्वारा यह प्रदर्शित तथा प्रचारित किया गया कि वह पोस्टर देश के प्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई को निकालने के अभियान से संबंधित था और उसमें अन्य बातों के अतिरिक्त यह भी लिखा था कि "चन्डाल चौकड़ी गद्दी छोड़ो"। पोस्टर में यह छपा हुआ है कि उसे किसान सम्मेलन की ओर से प्रकाशित कराया गया है तथा उसमें अनेक लोगों के नाम भी छपे हुए हैं, प्रिन्ट लाइन में छपा है "रामायण प्रेस, कटरा, इलाहाबाद।"

देश के प्रधान मंत्री को "चन्डाल चौकड़ी" प्रचारित व प्रदर्शित करना न केवल अपमान-जनक (डिफेमेटरी) है अपितु भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत यह एक दंडनीय अपराध है और दस्तनदाजी अपराध (काग्नेजिबिल आफेंस) है तथा शासन व पुलिस का कर्त्तव्य था और है कि पोस्टर के प्रकाशन से संबंधित लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा कर न्यायालय में मुकदमा चलवा कर दोषी लोगों को दंडित करवाया जाय। अपराधियों के विरुद्ध इतने महत्वपूर्ण व गम्भीर मामले में कार्यवाई न करने से आम जनता में रोष तथा असंतोष व्याप्त है।

उक्त विषय सार्वजनिक महत्व का है और उसे मैं माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा से सदन में उठाना चाहता हूं जिससे कि शासन की जानकारी में आने के पश्चात् दोषी व्यक्तियों को दंडित कराया जा सके।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, माननीय सदस्य ने माननीय सदन को जो सूचना दी है वह देश के प्रधान मंत्री से संबंधित होने के कारण यह सदन चिन्तित है वस्तु स्थिति जानने के लिये। माननीय मुख्य मंत्री जी को आप निर्देश दें कि वे इसके बारे में सदन को अपना वक्तव्य देकर जानकारी करायें। प्रधान मंत्री इस प्रदेश के ही नही है, वे देश के हैं और इस तरह किसान सम्मेलन द्वारा पोस्टर के जरिये प्रचार करना सही नहीं है। इस संबंध में मुख्य मंत्री को वक्तव्य देने के लिये आप कृपया आदेश देने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अन्तर्गत जितनी सूचनायें आती है उनमें निर्देश देना आवश्यक नहीं है। यह नियम 51 की सूचनायें नहीं हैं। शासन के संज्ञान में यह बातें आ गयी हैं। मुख्य मंत्री जी यदि चाहेंगे तो वे स्वतः कोई वक्तव्य इस पर दे सकते हैं। मैं कोई निर्देश नहीं दे सकता।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

वे चूंकि मौन हैं, इसलिये इसको स्वीकार करते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्यारे लाल शर्मा अस्पताल, मेरठ में डाक्टरों तथा दवाइयों के अभाव के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

जिला मेरठ में प्यारे लाल शर्मा अस्पताल में डाक्टर तथा दवाइयों के अभाव में जनता को भीषण कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । नये वर्ष में होने वाले स्थानान्तरणों के कारण सभी वरिष्ठ डाक्टर तबादले पर चले गये और उनकी जगह पर या तो लोग पहुंचे नहीं हैं या छुट्टी पर हैं ।

कोई सीनियर सर्जन अस्पताल में नहीं है और बेहोश करने वाला डाक्टर भी नहीं है न ही कोई पैथालोजिस्ट है । कुत्ते काटने के इन्जेक्शन शहर के उस अस्पताल में उपलब्ध नहीं, चारों ओर जनपद से इलाज के लिये आने वाले मरीजों को कोई चिकित्सा की सुविधा न मिलने के कारण भीषण कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । कुत्ते काटने के इन्जेक्शन न होने के कारण बहुत से लोग पागल हो गये।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर शासन को तुरन्त कार्यवाही करने तथा सदन के समक्ष वस्तुस्थिति को रखने का आदेश दिया जाये।

इलाहाबाद के ग्राम मंहगूपुर में गिरे गुब्बारे में चीनी सामग्री प्राप्त होने के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

महोदय, तारीख 9 जुलाई को इलाहाबाद के एक गांव महंगूपुर में लगभग 4 बजे शाम एक बड़ा गुब्बारा गिरा । मालूम हुआ है कि गुब्बारा बहुत बड़ा था और इसमें चीन के प्रचार की पुस्तकें, उनके नेताओं के फोटो, तौलिया, जर्सी, कलम, कपड़े और एक एलेक्ट्रोनिक यंत्र भी गिरा । कहा जाता है कि यह ट्रांसमीटर था ।

पर आश्चर्य की बात यह है कि तारीख 16 जुलाई को एक सप्ताह बाद पुलिस अधिकारियों को मालूम हुआ, अधिकतर चीजें गांव वालों ने ले ली थी । कैसे ग्राम प्रधान, लेखपाल अथवा सेक्रेटरी, चौकीदार अथवा सेक्रेटरी आदि ने पुलिस को 7 दिन तक इसकी सूचना नहीं दी, यह विस्मय की बात है ।

बैलून के पुलिस के हाथ में आने के पश्चात् क्या पता चला, यह ज्ञात नहीं है । उत्तर प्रदेश सरकार के इतने बड़े भू-भाग के ऊपर से चलता हुआ यह गुब्बारा कैसे बिना देखे आ गया । सुरक्षा तथा वायुयान अधिकारियों ने इसमें क्या किया, इसका अभी तक ज्ञान नहीं है । किस उद्देश्य से और कहां से यह गुब्बारा उठाया गया, यह भी अंधकार में है ।

सरकार कृपया इस पर तत्काल वक्तव्य देने का कष्ट करे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इटावा जनपद के थाना बिवियापुर में चल रहे अवैध हथियार बनाने के कारखाने तथा पुलिस साजिश के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं जनपद इटावा के थाना दिवियापुर के थाने के भीतर चल रहे अवैध हथियार बनाने के कारखाने और पिछले सप्ताह पुलिस उपाध्यक्ष श्री एस0पी0सिंह के नेतृत्व में फफूंद थाने की पुलिस द्वारा पकड़े जाने के संबंध में आकृष्ट करना चाहता हूं । विश्वस्त सूत्रों से मुझे मिली जानकारी के अनुसार उक्त कारखाना पिछले काफी दिनों से थाना की इमारत के अन्दर पुलिस संरक्षण में चलाया जा रहा था जिसे राजनीतिक सहयोग भी मिला हुआ था । उक्त कारखाने का उपयोग निरअपराध नागरिकों को अवैध हथियार लगा कर झूठा चालान करने और अपनी वाहवाही के लिये झूठे गिरोह दिखा कर भारी मात्रा में शस्त्रास्त की बरामदगी का नाटक दिखाने में किया जाता था । इस थाने के अन्तर्गत अनेकों तमंचा, बंदूक, अनेकों अबदने हथियार, नालें, बट व कारतूस बरामद हुए हैं किन्तु विभागीय कर्मचारियों के होने तथा राजनीतिक दबाव के कारण उक्त सी0ओ0 द्वारा पुलिस कर्मचारियों का चालान न दिखा कर एक बढ़ई का चालान दिखा कर तथा घटना का विवरण अन्यत्र दिखा कर संतुष्ट होना पड़ा ।

उक्त राम किशोर से बात करने पर ज्ञात हुआ कि वह काफी दिनों से थाने के भीतर ही पुलिस निर्देशन में हथियार बनाने और पुलिस को देने का काम कर रहा था किन्तु यह सब करने में उसके सामने पुलिस का डर, उसका कोपभाजन बनने की मजबूरी थी । इस घटना से पूरे जनपद में आतंक का वातावरण बना है और प्रशासन के प्रति जनता में घोर अनास्था उत्पन्न हो गयी है ।

अस्तु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए इस पूरे कांड की उच्चस्तरीय गुप्तचर जांच करा कर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की मांग करता हूं ।

आश्वासन समिति के सदस्य, श्री राधेश्याम शर्मा तथा विधान परिषद् सदस्य, श्री अब्बास अली के साथ मथुरा में घटी घटना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री सत्य प्रकाश मालवीय (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, जो मैंने शुरू में प्रश्न उठाया था, मेरा यह कथन था कि 12 अगस्त को इस प्रदेश के दो विधायक और आश्वासन समिति के सदस्य, राधेश्याम शर्मा तथा अब्बास अली जो विधान परिषद् के सदस्य हैं, मथुरा में थे, वहां पर एक घटना घटी और उसके अन्तर्गत 147/323 . . . .

श्री अध्यक्ष—

यह आज मझे प्राप्त हुआ है, तो आप जानते हैं कि जो प्राप्त सूचनायें होती हैं उनमें जितनी मैं स्वीकार करता हूं, उन सदस्यों को पुकारता हूं । तो मैंने इसको स्वीकार नहीं किया है । मैंने कहा था कि जिस रूप में लिखा है, उसमें मैं स्वीकार नहीं कर सकता हुं । पुनः जब मेरे पास आयेगा तो विचार करेंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

आश्वासन समिति के सदस्य, श्री राधे श्याम शर्मा तथा विधान परिषद् के सदस्य श्री अब्बास अली के साथ मथुरा में घटी घटना के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री सत्य प्रकाश मालवीय——

मान्यवर, एक घटना घट जाय और वहां के जो पुलिस अधिकारी हैं, कार्यवाही नहीं कर रहे हैं । राधेश्याम शर्मा इसी माननीय सदन के सदस्य हैं, उनका भी तजकिरा है । लेकिन आज तक पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की, सर्किल आफीसर जब कि मौजूद थे । उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है । मेरा निवेदन है कि मुख्य मंत्री जो उपस्थित हैं वह आश्वासन दे दें कि जो रिपोर्ट लिखाई जायगी उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायगी?

श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)——

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मालवीय जी ने जो प्रश्न उठाया है उस सम्बंध में कहना है । बे बुनियाद, झूठी रिपोर्ट, केवल अधिकारियों और एक वर्ग को भयभीत करने के लिए लिखायी गयी है। इसका सम्बंध न तो श्री राधे श्याम शर्मा न श्री अब्बास अली से है । केवल इसको राजनीतिक रूप देने के लिये व्यक्ति विशेष को परेशान करने के लिए, इतना ही नहीं अधिकारियों को प्रताड़ना देने के लिये और उन पर अपना प्रभाव जमाने के लिये यह सारी कारगुजारी की गयी है (शोर)

श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)——

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं निवेदन करूंगा कि ऐसा अपमान हमारे जनता पार्टी के अध्यक्ष व माननीय शर्मा जी का किया गया है लज्जा की बात है। वहां पर पुलिस खड़ी रही । मुख्य मंत्री जी बैठे हैं । यह राजनीति की हत्या है । मैं निवेदन करूंगा कि इसकी चर्चा हाउस में होनी चाहिये । नहीं तो मुख्य मंत्री को हाउस से इस्तीफा देना चाहिये (शोर)

श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)——

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय सदस्य ने जो यह बात कही कि यह झूठी बात है ।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)——

मैं मथुरा का रहने वाला हूं ।

श्री अध्यक्ष——

आप बैठिये ।

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)——

मान्यवर, मालवीय जी ने जिस प्रकार से प्रथम सूचना पत्रों की चर्चा की और जिस प्रकार से घटना घटी उसको चर्चा का या विवाद का विषय यहां पर नहीं बनाना चाहिये । दो प्रथम सूचना पत्रों को थाने में अंकित कराया गया और उनमें जो भी कानूनी कार्यवाही हो सकेगी, हो रही है । तफतीस हो रही है उस तफतीस से जो भी दोषी व्यक्ति बच जाय तब फिर यह सवाल खड़ा हो सकता है । इसलिये इतना ही कहना चाहता हूं कि जो भी रिपोर्टें अंकित की गयीं हैं, तफतीस हो रही है, कहीं कोई उसमें ढिलाई नहीं है ।

एक सदस्य——

अ ी तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री अध्यक्ष——

इसकी इजाजत नहीं है। यह विवाद का प्रश्न नहीं है।

श्री राम अधार (जिला आजामगढ़)—

माननीय सदस्य राधे श्याम शर्मा जो मौजूद हैं उनकी बात सुननी चाहिये (शोर)।

श्री राधे श्याम शर्मा(जिला मथुरा)—

मान्यवर, ...

श्री लक्खी सिंह—

मान्यवर, उनसे पहले मुझको समय दीजिये ।

श्री राधेश्याम शर्मा—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री लक्खी सिंह—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं । यह प्रोसीडिंग का भाग नहीं होगा।

श्री राधे श्याम शर्मा—

हमारा व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय मालवीय जी ने जो प्रश्न उठाया वह पता नहीं कैसे उठाया ? लेकिन जब प्रश्न उठ ही गया तो जो श्री हुकम चन्द्र तिवारी ने कहा कि रिपोर्ट [illegible] है तो यह असत्य है। चूंकि मामला पार्टी के अन्दर का है इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से मिला था तो उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि उसका सही निराकरण होगा। इसलिये मैं यहां चर्चा नहीं करना चाहता हूं । चूंकि नेता सदन की बात को मैं सर्वोपरि मानता हूं, क्योंकि मैं एक अनुसाशित सिपाही हूं। इसलिये मैं उनकी बात को सही मानता हूं।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आज जनता पार्टी के अन्दर झगड़े चल रहे हैं । उन्हीं झगड़ों को सदन के अन्दर लाना, उसकी इजाजत देना और इस प्रकार सदन का समय नष्ट करना मैं ठीक नहीं समझता हूं । इसलिये मैं चाहता हूं कि इस पर आप व्यवस्था दें ।

श्री अध्यक्ष—

यह अत्यन्त अनुचित है और ऐसे प्रश्न नहीं आना चाहिये । इसलिये मैंने इस प्रश्न की अनुमति नहीं दी।

अध्यादेशों को सदन के पटल पर रखने पर आपत्ति

(सहकारिता मंत्री को पुकारे जाने पर)

श्री श्याम धर मिश्र—

सहकारिता मंत्री के सिलसिले में मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मैं यह कहना चाहता हूं कि आप देखें कि कार्य सूची में 3 से लेकर 13 तक मंत्रीगण केवल अध्यादेश पटल

नोट:-[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

पर रखने आये हैं और इन ढाई-तीन महीनों में यह अध्यादेश द्वारा शासन चल रहा है । एक का तो औचित्य मालूम होता है जो शराबबन्दी से सम्बंधित है । लेकिन न सहकारिता का और न और चीजों का ही औचित्य है। जो बराबर नुक्ताचीनी करते थे कांग्रेस सरकार की कि वह अध्यादेश पर चलते हैं तो उसी चीज के यह शिकार हो गये हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि यह किस तरह सही है ?

श्री अध्यक्ष---

आप पटल पर रखने पर आपत्ति नहीं कर सकते हैं । जो भी अध्यादेश है वह संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार रखे जाते हैं । इसलिये सदन का समय लेना उचित नहीं है ।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1978†

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 1978 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1978†

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) अध्यादेश, 1978 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 1978†

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री जमुना प्रसाद)---

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद (संशोधन) अध्यादेश, 1978 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्प कालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1978†

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री जमुना प्रसाद)---

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश जिला परिषद् (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1978 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

श्री गोबिन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)---

मैंने इसमें एक अननुमोदन का प्रस्ताव दिया है।

श्री अध्यक्ष---

जब यह आयेगा तभी आप दीजियेगा । इस समय नहीं। जिस समय विधेयक विचार के लिये पेश होता है तभी आप इस पर अननुमोदन का प्रस्ताव पेश कर सकते हैं ।

---

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1978†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)--

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1978 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1978†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)--

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) अध्यादेश, 1978 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1978†

श्रम मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)--

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश आबकारी (तृतीय संशोधन) अध्यादेश, 1978 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) अध्यादेश, 1978†

शिक्षा मंत्री (श्री कालीचरण)

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) अध्यादेश, 1978 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1978†

न्याय मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मैं सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1978 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1978†

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरीनाथ त्रिपाठी)--

अध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) अध्यादेश, 1978 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1978†

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 1978 को सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

दी उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लि० मुरादाबाद का वर्ष 1976-77 का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं कार्य वितरण†

उद्योग राज्य मंत्री (श्री अब्दुल रऊफ लारी)—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश स्टेट ब्रासवेयर कारपोरेशन लि०, मुरादाबाद का वर्ष 1976-77 का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं कार्य विवरण को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं

उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड की वार्षिक समीक्षा वर्ष 1974-75††

उद्योग राज्य मंत्री (श्री अब्दुल रऊफ लारी)—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश राज्य चर्म विकास एवं विपणन निगम लिमिटेड की वार्षिक समीक्षा वर्ष 1974-75 को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-एक की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (ग्यारहवां संशोधन) नियमावली, 197 -††

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

मान्यवर, मैं राजस्व अनुभाग-1, की अधिसूचना संख्या 232/2-1(4)-77-यू०पी०ए० 1-51 नियम-52 ए०एम०(11)-78, दिनांक 14 अप्रैल, 1978 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (ग्यारहवाँ संशोधन) नियमावली, 1978 को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 344 की उपधारा (2) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1978††

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

मान्यवर, मैं संसदीय अनुभाग की अधिसूचना संख्या 1962 स०/सत्रह-78-217-76, दिनांक 3 जुलाई, 1978 द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों) की (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1978 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 की धारा 23-क की उपधारा (1) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

यू० पी० स्टेट एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, लखनऊ की दसवी वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1976-77†

कृषि मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, मैं यू०पी० स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि०, लखनऊ की दसवीं वार्षिक रिपोर्ट एवं लेखा विवरण 1976-77, को कम्पनीज ऐक्ट, 1956 की धारा 619-ए की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

---

†छापा नहीं गया ।

††छापा नहीं गयी ।

वित्त बिक्री कर अनुभाग-2 की विज्ञप्ति†

संस्थागत वित्त मन्त्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी आज्ञा से वित्त (बिक्री-कर) अनुभाग-2 की दिनाँक 30 जून, 1978 के असाधारण गजट म प्रकाशित विज्ञप्ति संख्या एस0टी-2-4046/दस-6(20)-73-उ0प्र0 अधि015-48 आदेश, 78, दिनाँक 30 जून, 1978 को उत्तर प्रदेश बिक्री-कर अधिनियम, 1948 की धारा 3-क की उपधारा (3) के अनुसार सदन के पटल पर रखता हूं ।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1978 में किये गये अनुषांगिक संशोधन का विवरण

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 160 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1978 में किये गये अनुषांगिक संशोधन का विवरण सदन के पटल पर रखता हूं ।

(संशोधन के लिए देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 165 पर ।)

सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि सोसायटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपन दिनाँक 30 मार्च, 1978 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनाँक 11 अप्रैल, 1978 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनाँक 26 अप्रैल, 1978 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1978 का उत्तर प्रदेश का 13वाँ अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (संशोधन) विधेयक, 1978 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनाँक 10 अप्रैल, 1978 की बैठक में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 17 अप्रैल, 1978 के उपवेशन में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनाँक 26 अप्रैल, 1978 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1978 का उत्तर प्रदेश का 14वाँ अधिनियम बन गया ।

---

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधियों का संशोधन विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश विधियों का संशोधन विधेयक, 1978 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 4 अप्रैल, 1978 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 अप्रैल, 1978 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनाँक 26 अप्रैल, 1978 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1978 का उत्तर प्रदेश का 15 वाँ अधिनियम बन गया ।

आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि आवश्यक वस्तु (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनाँक 17 अप्रैल, 1978 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 19 अप्रैल, 1978 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनाँक 26 अप्रैल, 1978 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1978 का उत्तर प्रदेश का 16वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 1978 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 7 अप्रैल, 1978 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 14 अप्रैल, 1978 की बैठक में पारित किया था, राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 26 अप्रैल, 1978 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1978 का उत्तर प्रदेश का 17वां अधिनियन बन गया।

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा--

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1978 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 13 मई, 1978 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 मई, 1978 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 मई, 1978 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1978 का उत्तर प्रदेश का 18 वां अधिनियम बन गया ।

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1978 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 मई, 1978 के उपवेशन में पारित किया था तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 24 मई, 1978 की बैठक में पारित किया था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 मई, 1978 को प्राप्त हो गई है और वह सन् 1978 का उत्तर प्रदेश का 19वां अधिनियम बन गया।

उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1978

सचिव, विधान सभा---

माननीय अध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से घोषणा करता हूं कि उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1978 पर जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपने दिनांक 17 मई, 1978 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो भी अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 25 मई, 1978 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 28 मई, 1978 को प्राप्त हो गयी है और वह सन् 1978 का उत्तर प्रदेश का 20वां अधिनियम बन गया।

एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन की रिपोर्ट पर चर्चा की मांग

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)---

अध्यक्ष महोदय, मुझे एक निवेदन करना है। एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन की रिपोर्ट जिसे माननीय कृषि मंत्री जी ने सदन के पटल पर रखा है उस पर आप कृपा करके चर्चा करने का समय दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---

मैंने भी पत्र लिखा था।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)---

चर्चा होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

आप जानते हैं, कृपया इस पर आप नोटिस दीजिये कि बहस करना चाहते हैं जैसे कि नियमों में व्यवस्था है। उस पर समय दे दिया जायेगा। नोटिस आप दे दें।

श्री श्याम धर मिश्र—

मान्यवर, नियम भी है, लेकिन आपकी आज्ञा होनी चाहिये । अभी आपने देखा कि कारपोरेशन में एक करोड़ का घाटा था । व्यवस्था सरकारी अधिकारियों द्वारा हो रही है । लेकिन नीति संबंधी बात सदन में आनी चाहिये और माननीय सदस्यों को मालूम होना चाहिये कि हो क्या रहा है । तो इस संबंध में इसको चर्चा का विषय बनायें ।

श्री अध्यक्ष—

मेरी नोटिस में आयेगा तो अवश्य समय देने पर विचार करूंगा ।

सदस्यों की गिरफ्तारी एवं रिहाई के सम्बन्ध में सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

जिला मैजिस्ट्रेट, मेरठ के टेलीप्रिंटर मेसेज दिनांक 9 अगस्त, 1978 एवं अधीक्षक, जिला कारागार, मेरठ के रेडियोग्राम दिनांक 9 अगस्त, 1978, जो इस सचिवालय में दिनांक 10 अगस्त, 1978 को प्राप्त हुए, के अनुसार श्री मंजूर अहमद, सदस्य, विधान सभा (मेरठ) तथा श्री अजीत सिंह सेठी, सदस्य विधान सभा (मेरठ) ने सी–आर0पी0 सी0 की धारा 151 के अन्तर्गत अपने आपको गिरफ्तार करवाया तथा उन्हें सी–आर0पी0सी0 की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत दिनांक 9 अगस्त, 1978 को जिला कारागार, मेरठ में रखा गया है ।

विधान सभा के विगत अधिवेशन के पश्चात् प्राप्त निम्नलिखित माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी तथा रिहाई इत्यादि संबंधी सूचनायें संबंधित अधिकारियों से प्राप्त हुई जिसकी सूचना बुलेटिन 17 से 22 द्वारा माननीय सदस्यों को प्रसारित की जा चुकी है। माननीय सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

(1) श्री गोविन्द सिंह नेगी (टेहरी गढ़वाल),
(2) श्री मित्रसेन (फैजाबाद),
(3) श्री जयराम (गाजीपुर),
(4) श्री बाबू सिंह (अलीगढ़),
(5) श्री विशुन दयाल (बहराइच) ।

श्री अरविन्द कुमार शुक्ल, विधान भवन रक्षक के विरुद्ध उठायी गयी विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

श्री हुक्म सिंह परिहार, सदस्य विधान सभा ने 20 अप्रैल, 1978 को श्री अरविन्द कुमार शुक्ल, विधान भवन रक्षक के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी। माननीय सदस्य का कहना था कि 19–4–1978 की शाम को 5 बजे जब वे रिक्शे पर सदन में उपस्थित होने के लिये आ रहे थे उस समय उक्त पहरेदार ने उन्हें रोका और उत्पीड़ित किया ।

मैंने इस संबंध में 24 अप्रैल, 1978 को सदन में माननीय मुख्य मंत्री से अनुरोध किया था कि वे इस संबंध में मुझे वस्तु स्थिति से अवगत करायें तदुपरान्त मैं इस प्रश्न पर अपना निर्णय दूंगा ।

[श्री अध्यक्ष]

श्री हुक्म सिंह परिहार ने 25 अप्रैल, 1978 को मुझे एक पत्र द्वारा सूचित किया कि श्री अरविन्द कुमार उनके पास गये और उन्होंने अपनी गलती के लिए खेद प्रकट किया और यह आश्वासन दिया कि भविष्य में वे ऐसी कोई बात किसी विधायक के साथ नहीं करेंगे । माननीय सदस्य श्री परिहार ने अपने पत्र में मुझसे यह भी अनुरोध किया है कि इस विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर अब कोई कार्यवाही न की जाय । माननीय मुख्य मंत्री ने भी मुझे 2-5-1978 की अपनी टिप्पणी में यह सूचित किया कि विधायक महोदय ने उन्हें सम्बोधित अपने पत्र में यह कहा है कि उन्होंने रक्षक को अपनी गलती मान लेने पर क्षमा कर दिया है ।

ऐसी दशा में मैं इस मामले को समाप्त करता हूं ।

दैनिक 'रण स्थली' के सम्पादक के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

श्री अशोक बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा ने श्री राम आसरे वर्मा, सदस्य, विधान सभा एवं उन्नाव से प्रकाशित होने वाला दैनिक "रणस्थली" के सम्पादक के विरुद्ध 26 अप्रैल, 1978 को विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी । सूचना में कहा गया था कि "रणस्थली" में प्रकाशित समाचार में कहा गया है कि माननीय श्री राम आसरे वर्मा ने एक भेंट में बताया कि माननीय राजस्व मंत्री जी 20 सूत्री कार्यक्रम में आस्था व्यक्त कर माफी मांगने वालों में से थे । मैंने इस संबंध में श्री राम आसरे वर्मा एवं सम्पादक रणस्थली से लिखित स्पष्टीकरण मंगाये । श्री राम आसरे वर्मा ने अपने स्पष्टीकरण में कहा है कि उनके विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का कोई आरोप नहीं बनता और न हीं उनके द्वारा उठाये गये प्रश्न एवं अनुपूरक प्रश्न से सदन की मर्यादा का उल्लंघन ही होता है । जहां तक सदन की कार्यवाही का संबंध ह, माननीय सदस्य द्वारा सदन में पूछे गये प्रश्नोत्तर के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न नहीं उठता । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि श्री राम आसरे वर्मा ने उक्त समाचार पत्र के अनुसार एक भेंट में माननीय राजस्व मंत्री की ओर इशारा किया है किन्तु वह सदन की कार्यवाही से बाहर की बात है । सम्पादक रणस्थली ने कहा है कि प्रश्नगत समाचार के पीछे माननीय राजस्व मंत्री के ऊपर व्यंग एवं कटाक्ष की कोई मंशा नहीं थी । उन्होंने अपने स्पष्टीकरण में यह भी कहा कि फिर भी यदि माननीय सदस्य एवं सदन की भावना को इससे ठेस पहुंची हो तो वे खेद प्रकट करते हैं । अतः मैंने इस मामलें को विशेषाधिकार की अवहेलना के रूप में उठाने की अनुमति नहीं दी हैं।

नियोजन राज्य मंत्री श्री लक्ष्मण सिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष--

श्री सोहन वीर सिंह तोमर तथा श्री आरिफ मोहम्मद खां, सदस्यगण, विधान सभा ने दिनांक 26 अप्रैल, 1978 को अलग-अलग माननीय नियोजन राज्य मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना इस आधार पर दी थी कि दिनांक 25 अप्रैल, 1978

को श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी, श्री गिरीश चन्द्र तिवारी तथा श्री वंश गोपाल चौबे द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-7 "कि वर्तमान विधान सभा के सदस्यों में से कितने सदस्य ऐसे हैं जो हिस्ट्रीशीटर रह चुके हैं अथवा जिन पर कत्ल, डकैती आदि के संगीन अभियोग चल चुके हैं अथवा चल रहे हैं" का उत्तर माननीय नियोजन राज्य मंत्री ने यह देकर "कि इस प्रश्न का उत्तर देने हेतु सूचना एकत्र करने में जितना समय व धन का व्यय होगा वह उसके उत्तर से प्राप्त लाभ के अनुपात में बहुत अधिक होगा" माननीय सदन का अवमान किया है । श्री तोमर का मुख्य आरोप यह था कि उक्त उत्तर से जनसाधारण के मन पर यह प्रभाव पड़ा है कि इस माननीय सदन के इतने अधिक सदस्य इतने अधिक संगीन अपराधों के अभियुक्त है कि उनके अपराध की सूचना एकत्र करना सरकार के लिये सम्भव तथा व्यावहारिक नहीं है । श्री आरिफ मोहम्मद खां का आरोप यह था कि माननीय अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत प्रश्न का उत्तर केवल समय और धन के व्यय के अनुपात की आड़ में न देकर माननीय नियोजन राज्य मंत्री ने माननीय अध्यक्ष, विधान सभा के अधिकारों और विवेक की अवहेलना की है जिससे निश्चय ही सदन का अवमान हुआ है।

दिनांक 25 अप्रैल, 1978 को जब यह प्रश्न उठा था तो कुछ माननीय सदस्यों ने उक्त उत्तर पर आपत्ति की थी तथा श्री श्यामधर मिश्र तथा श्री कल्पनाथ सिंह ने इस विषय पर व्यवस्था का प्रश्न भी उठाया था । श्री तोमर तथा श्री आरिफ मोहम्मद खां ने भी उक्त संबंध में अपने विचार व्यक्त किये थे । दिनांक 26 अप्रैल, 1978 को श्री राजेंद्र कुमार गुप्त ने इस संबंध में कहा था कि इस विषय पर अनेक सदस्य अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं । इसलिये पहले उनकी बात सुन ली जाय तथा उसके बाद ही श्री अध्यक्ष इस पर अपना निर्णय दें । तदनुसार मैंने यह प्रश्न उस दिन स्थापित कर दिया था । दिनांक 27 अप्रैल, 1978 को श्री कल्पनाथ, श्री श्याम धर मिश्र, श्री ब्रह्मत्त द्विवेदी, श्री ऊदल, श्री राजेंद्र कुमार गुप्त, श्री मैनेजर सिंह, श्री राधेश्याम शर्मा, श्री सोहनवीर सिंह तोमर तथा माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने इस संबंध में अपने विचार व्यक्त किये । मैंने उक्त विचारों को दृष्टिगत रखते हुए तथा प्रक्रिया नियमावली के नियम 38 के उप नियम (3) नियम 45, वर्ष 1935 में केंद्रीय असेम्बली में किये गये प्रश्न पर निर्णय, उत्तर प्रदेश विधान सभा में भूतपूर्व अध्यक्षों द्वारा दिये गये निर्णयों का उल्लेख करते हुए दिनांक 27 अप्रैल, 1978 को व्यवस्था दी थी कि जो प्रश्न का उत्तर मंत्री जी ने दिया है वह यह नहीं कह सकते कि उन्होंने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है लेकिन जैसा कि 1935 की केंद्रीय असेम्बली के निर्णय में कहा है कि अध्यक्ष कभी यह उचित समझें तो मंत्रियों को किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिये जिसमें श्रम और साथ ही साथ समय ज्यादा खर्च होता हो उसका निर्णय करके आदेश दे सकते हैं । मैंने यह भी कहा था कि जो उत्तर दिया गया है वह नियम के अनुकूल है और इसमें कोई विशेषाधिकार का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है ।

दिनांक 27 अप्रैल, 1978 को मैंने श्री कल्पनाथ सिंह द्वारा उठाये गये व्यवस्था के प्रश्न पर उक्त व्यवस्था देते समय यह भी कहा था कि इसमें कोई विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त नहीं है । अतएव, मैंने उक्त दोनों विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचनाओं को अग्राह्य कर दिया है ।

श्री मन्जूर अहमद की गिरफ्तारी के संबंध में सदन में दी गयी सूचना पर आपत्ति

श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)—

मान्यवर, मुझे यह कहना है कि आपको जो सूचना मिली है और जिस आधार पर आपने उसे पढ़कर सुनाया है । उसके बारे में मैं आपके द्वारा पूरे प्रदेश और सदन को बतलाना चाहता हूं कि यह सौ फीसदी अनुचित सूचना है । कोई भी आदमी अपने आपको गिरफ्तार करवायेगा, यह मेरी समझ से बाहर की बात है । मान्यवर, जब 6 व 7 तारीख को हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी दौरा करने गये थे, हमारे जिले में भारत बचाओ आन्दोलन के सिलसिले में बीसों हजार नर-नारी तथा किसान इकट्ठा हुए (शोर गुल)

श्री अध्यक्ष—

आप केवल वहीं तक सीमित रहिये कि यह सूचना कहां तक गलत है ।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, मैं उस बात से हट गया । जैसे ही हमारा जुलूस चला जो पहले से जिलाधिकारियों ने रूट दे रखा था । हमारा जुलूस शांतिपूर्ण था । लेकिन मुख्य मंत्री के कहने पर लाठी चार्ज करा दिया और लगभग 150 आदमी घायल हुए । डाक्टरी मुआयने में तीन लाठियां मुझे भी लगी थीं । तो यह सूचना अनुचित है ।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री सोहनवीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मेरा निवेदन यह है कि जो शासन से सूचनाऐं आती है । उन पर चर्चा नहीं हो सकती । अगर मंजूर भाई को सूचना के संबंध में कोई सन्देह है तो सदन में और समय में इसके संबंध में प्रश्न उठा सकते हैं । इस प्रकार की चर्चाओं से सदन का अनावश्यक रूप से समय नष्ट होता है ।

श्री अध्यक्ष—

श्री सोहनवीर सिंह तोमर जी ने जो प्रश्न उपस्थित किया है वह बिलकुल ठीक है । नियमों के अनुसार जो भी सूचनाएं अध्यक्ष को प्राप्त होती हैं, वह उन्हें सदन के संज्ञान में लाते है । यह कोई अवसर श्री मंजूर अहमद के लिए नहीं है कि वह कहें कि कैसे घटना घटी, कैसे क्या हुआ । उनको कुछ कहना है तो किसी प्रस्ताव या यदि वह समझते हैं कि अधिकारियों ने गलत सूचना दी है तो नियमों के अनुसार सदन में उसे ला सकते हैं । इसलिये तोमर जी का व्यवस्था का प्रश्न उचित है और माननीय सदस्यों को इस प्रकार की किसी गिरफ्तारी के संबंध में यहां प्रश्न उपस्थित नहीं करना चाहिये ।

श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद)—

श्रीमन्, मैंने नियम 52 के अन्तर्गत आपको सूचना दी है कि उत्तर प्रदेश के गृह सचिव ने समस्त जिला अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को हिदायत दी है कि उनके यहां जितने भी उपद्रवी या अशांति उत्पन्न करने वाले छात्र हैं, उनको किसी भी दफा में पकड़कर गिरफ्तार कर लिया जाय और उनकी जमानतें जब्त की जायें .....

श्री अध्यक्ष—

मुझे बड़ा खेद है कि इस प्रकार के प्रश्न उपस्थित करके अनावश्यक रूप से इस सदन का समय नष्ट किया जाता है । आपका अगर मुझे कोई नियम 52 का प्रश्न मिला है तो उसकी ग्राह्यता पर मैं विचार करूंगा, स्वीकार करूंगा तो उस पर समय की व्यवस्था होगी। इसलिये इसको यहां पर उठाना बिलकुल गलत है और मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह सदन का समय बचायें, क्योंकि यहां पर और भी बहुत से अन्य आवश्यक कार्य है ।

श्री मित्र सेन—

[× × × × ×]

श्री अध्यक्ष—

अब कुछ नहीं, यह कार्यवाही का भाग नहीं बनेगा ।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

जो प्रश्न माननीय सदस्य मेरठ, श्री मंजूर अहमद जी ने उठाया है और जिसे श्री सेठी भी उठाना चाहते थे उन्होंने विशेषाधिकार की प्रथम सूचना दी और संबंधित नियमों में यह है कि वह अर्लियेस्ट पास्विल अपारचुनेटी में उठाना चाहिए। अर्लियेस्ट अपारचुनेटी प्राग्दर्शन में यही है। मुख्य बात यह है कि जो आपको सूचना देनी है, उसमें एक धारा का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह है कि उन्होंने अपने को गिरफ्तार कराया । उस धारा में, कानून में कहीं अधिकार नहीं है कि कोई अपने को गिरफ्तार कराये, तो गिरफ्तार हो । उसमें गिरफ्तार करने का है वह कारवाने का नहीं है । इसलिए श्रीमन्, 151 धारा आप पढ़ लें, उसमें कहीं शासन को अधिकार नहीं है कि कोई अपने को गिरफ्तार करवाना चाहता है तो गिरफ्तार करावे । यह निर्धारित फार्म में आपको सूचना दी गई है और यह माननीय सदस्य पर व्यंग कसा गया है और यह व्यंग भी मैं समझता हूं कि एक प्रकार का कान्टेम्प्ट है । सीधे लिखना चाहिये कि गिरफ्तार किया गया, यह कौन-सी भाषा है, धारा की कौन सी भाषा है ? इसे आप विशेषाधिकार का प्रश्न मानें और समिति को यह प्रश्न भेज दिया जाए ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

मुझे अत्यन्त आश्चर्य है कि माननीय तिवारी जी ने, जो नियमावली के पंडित हैं, इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित किया है। सदन में, सदन के सामने यदि कोई अपमान होता है, कोई विशेषाधिकार की अवहेलना होती है तभी उसे उठाया जा सकता है, अन्यथा नहीं । विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना लिखित रूप में 2 प्रतियों में देनी चाहिए । यहां पर आपका नोटिस हो सकता है डी0एम0 या अन्य अधिकारियों के विरुद्ध । तो जब आप इस प्रकार की सूचना मेरे कक्ष में देंगे तो मैं उसकी ग्राह्यता पर विचार करूंगा और यदि आवश्यक होगा तो उसे मैं समिति को भी सुपुर्द कर सकता हूं ।

नोट—यह [× × ×] अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष जी,.....

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मैं आपका ध्यान नियम 63 की ओर दिलाना चाहता हूं । नियम 63 "विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान के प्रश्न का उठाया जाना"--इसके परन्तुक में लिखा है--"परन्तु यदि विशेषाधिकार भंग अथवा अवमान सदन के प्रत्यक्ष ही हुआ हो तो सदन अध्यक्ष की सम्मति से, बिना किसी शिकायत के ही कार्यवाही कर सकेगा । " अब जो सूचना श्रीमन्, आपने सदन को दी वह सूचना लिखित आयी है, उसको हमने सुना, उससे स्पष्ट होता है कि प्राग्दर्शन में विशेषाधिकार की अवहेलना हुई है । उसमें लिखा हुआ है, इस सदन के इतिहास में (व्यवधान) पुरानी नोटिस ले लें, नोटिस का एक फार्म होता है, शासन की ओर से ऐसी सूचना, अगर कोई माननीय सदस्य गिरफ्तार किये जायं, उस प्रपत्र में , फार्म में सूचना भेजनी चाहिये । उस फार्म के अनुसार सूचना नहीं दी गयी, बल्कि यह लिखा गया है कि मंजूर अहमद जी और अजीत सिंह जी आदि ने अपने को गिरफ्तार करवाया, यह क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में नहीं है, जिसमें कहा गया कि अपने को गिरफ्तार करवाया । यह व्यंग्यात्मक है, अगर अखबारों में छपेगा तो माननीय सदस्यों के प्रति जनमत में भावना फैलेगी कि उन्होंने स्वयं अपने को गिरफ्तार करवाया, जो कानून में भी नहीं है, प्रपत्र में भी नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

(कुछ सदस्यों के खड़े होने पर) आप लोग बैठिए । इसमें मैं बहस की इजाजत नहीं दे रहा हूं । माननीय तिवारी जी ने स्वयं नियम 63 पढ़ा, सदन के सामने विशेषाधिकार की अवहेलना हो तो तुरन्त विचार हो सकता है । यह डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने लिखा है, मैं कहता हूं कि मैंने अपने को स्वयं गिरफ्तार करवाया। जब हम सत्याग्रह करते थे, नोटिस देते थे, स्वयं अपने आपको गिरफ्तार कराते थे । जो यह प्रश्न है कि गिरफ्तार कराया, यह तो विवेचना का प्रश्न है । (एक सदस्य के खड़े होने पर) आप बैठिए । इस पर मैं कोई बहस की इजाजत नहीं देता। आप कृपया नोटिस लिख कर भेज देंगे, तब मैं विचार करूंगा ।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि मैंने नियम 52 के अन्तर्गत जो सूचना दी है, मैं जानना चाहता हूं कि उसको रिजेक्ट कर दिया है या किसी और नियम . . . . .

श्री अध्यक्ष--

अभी मैंने कोई विचार नहीं किया है, कोई निर्णय नहीं किया है ।

एक सदस्य--

मान्यवर, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र .....

श्री अध्यक्ष--

आप रुकिये ।

कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशें

श्री अध्यक्ष—

कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी 19 अगस्त, 1978 की बैठक में यह सिफारिश की है कि सदन के 21 अगस्त, 1978 से 24 अगस्त, 1978 तक के उपवेशनों में निम्नलिखित कार्य-क्रम रखा जाय—

सोमवार, 21 अगस्त, 1978—(क) अपराह्न 4-30 बजे तक प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा (ख) अपराह्न 4-30 बजे से निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण के प्रस्ताव जब तक वे निस्तीर्ण न हो जायं—

(1) मोटर विहिकिल्स (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 ;

(2) उत्तर प्रदेश ऋण अनुतोष (संशोधन) विधेयक, 1978 एवं

(3) उत्तर प्रदेश भिक्षावृत्ति प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक, 1978।

मंगलवार, 22 अगस्त, 1978 (क) अपराह्न 3-00 बजे तक प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा समाप्त । (ख) अपराह्न 3-00 बजे से निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनके पारण के प्रस्ताव, जब तक वे निस्तीर्ण न हो जायं—

(1) उत्तर प्रदेश औद्योगिक झगड़ा (संशोधन) विधेयक, 1978,

(2) उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1978

(3) उत्तर प्रदेश पाठ्य पुस्तक विधेयक, 1978 एवं

(4) उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1978।

बुधवार, 23 अगस्त, 1978 (क) निम्नलिखित बिधेयकों पर विचार एवं उनका पारण—

(1) उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1978,

(2) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1978

(3) उत्तर प्रदेश हाई स्कूल एवं इटरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) विधेयक, 1978 तथा

(4) सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978।

(ख) अपराह्न 5-00 बजे से श्री राजेंद्र कुमार गुप्त, सदस्य विधान सभा द्वारा नियम 52 के अन्तर्गत चीनी मिलों के बन्द हो जाने के पश्चात् खेतों में गन्ना खड़ा रह जाने के संबंध में दी गयी सूचना पर 2 घंटे की चर्चा ।

गुरुवार 24 अगस्त, 1978 (क) अपराह्न 2-00 बजे तक निम्नलिखित विधेयकों पर विचार एवं उनका पारण—

(1) उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) विधेयक, 1978 एवं

(2) उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1978।

[श्री अध्यक्ष]

(ख) अपराह्न 2-00 बजे से 5-00 बजे तक असरकारी कार्य ।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । आप धारा 225 को देखें "किसी विधेयक या विधेयक समूह या अन्य कार्य के संबंध में समिति द्वारा सिफारिश की गयी समय सारिणी की सूचना साधारणतया सदस्यों को पत्र द्वारा, सदन को अध्यक्ष द्वारा प्रतिवेदन किये जाने से कम से कम एक दिन पूर्व दी जायेगी "। मेरा निवेदन है कि आज दो विशेष कार्य होने वाले हैं। एक तो बाढ़ से सम्बन्धित है, उसमें कोई कटौती नहीं है, अगर कल भी ले लिया जाये, ठीक ही रहेगा। जो अध्यादेशों के बारे में है, हमको नहीं मालूम था कि कौन-कौन से अध्यादेश आज लिये जायेंगे । उनकी सूचना अभी मिली है । 24 घंटे पूर्व सूचना नहीं मिली है । आप कहेंगे कि मैं कार्य मंत्रणा समिति में नहीं आया। सेशन देर से बुलाते हैं और जल्दी उठना चाहते हैं । मुझे यह यहां पर मालूम हुआ । उस समिति में केवल एक विरोधी दल के सदस्य थे। इसलिये मेरा सुझाव है कि कल सुबह कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक बुला ली जाय और तब कार्य निर्धारित किये जाये । आपने जो समय निर्धारित किया है वह बहुत कम है ।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

माननीय मिश्रा जी ने नियम पढ़ दिया । मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं। यह जो सदन का कार्य निश्चित किया गया है वह समय को देखते हुए बहुत अधिक है । इतने अध्यादेश पास होने हैं और दुर्भाग्य से बाढ़ का प्रकोप पूरे प्रदेश में है और उस पर सभी माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे । बाढ़ के लिए जो समय का एलाटमेंट किया है वह बहुत ही कम है पूरे दो दिन की बहस के बाद भी वह कम है । आपको सदस्यों का समय काटना पड़ेगा और कहना पड़ेगा कि आप 5 मिनट में बोलिये । किसी-किसी अध्यादेश में आधे घंटे का समय निश्चित किया गया है । आधे घंटे में मंत्री जी क्या कहेंगे और इधर से क्या कहा जायेगा । संशोधन के ऊपर क्या कहा जायेगा । इन सब चीजों को देखते हुए समय बहुत ही कम है ।

श्रीमन्, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि बाढ़ के लिए पूरे दो दिन का समय आप रखवा दें । पांच बजे तक पूरे दो दिन का समय दें। मेरा दूसरा निवेदन यह था कि जो विधान सभा का कार्यक्रम निश्चित किया गया है सरकारी कार्यों के लिये गैर सरकारी कार्यों के लिए, यह जो बाढ़ का दो दिन का समय हो यह उससे अलग होना चाहिये । अभी जैसा कि 11 दिन का कार्यक्रम तय किया गया है अगर 11 दिन के बजाय 13 दिन या 14 दिन हो जायें तो मैं समझता हूं कि इस प्रश्न पर समुचित ढंग से विचार हो सकेगा । इसलिये मेरा तो आपसे निवदन है कि कार्य-मंत्रणा समिति पुनः इस पर विचार कर ले । इस प्रकार मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि बाढ़ के प्रश्न पर आप पूर दो दिन का समय दें ।

*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—

श्रीमन्, माननीय सदस्य, वाराणसी और माननीय नेता कम्युनिस्ट पार्टी ने जो विचार व्यक्त किये हैं मैं उनसे सहमत हूं। श्रीमन्, कार्य-मंत्रणा समिति में इसकी सूचना न होने पर तथा विरोधी दलों के लोग इसमें भाग नहीं ले सके। श्रीमन्, सत्र शुरू होने के पूर्व जो पहले आप विभिन्न दलों के नेताओं को आमंत्रित करते थे। वह विभिन्न कारणों से नहीं किये गये हैं। इसलिये भी श्रीमान्, इस संबंध में हम लोग अपने विचार व्यक्त नहीं कर सके।

श्री अध्यक्ष—

मैंने आप ही के अनुरोध पर नहीं बुलाया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी—

मान्यवर, मैं तो केवल सूचना दे रहा हूं। जो कार्यक्रम है उसके अनुसार 4 दिन में 15 विधेयक पारित होंगे। बाढ़ पर डिबेट भी हो जायेगी और गन्ने के संबंध में भी जो चर्चा होनी है, वह भी हो जायेगी। असरकारी दिवस जो कि एक दिन का होता है उसको आधा दिन कर दिया गया है। इस प्रकार बाढ़ के ऊपर जो समय रखा गया है उसके अनुसार केवल 5 घंटे बाढ़ पर चर्चा हो पायेगी। उसमें से भी एक घंटा राजस्व मंत्री जी लेंगे। एक या आधा घंटे में उत्तर होगा। इस तरह मैं समझता हूं कि बाढ़ के लिये जो समय है वह बिलकुल ही कम है। मेरी राय है कि कार्य-मंत्रणा समिति दोबारा बुला ली जाय। गन्ने के लिये समय पूरा नहीं है। विरोधी दलों के लोगों ने आपको पत्र लिखकर मांग की है उसका कहीं भी उल्लेख नहीं है। गन्ने क लिए कम से कम दो दिन का समय होना ही चाहिये। मान्यवर, गन्ने की समस्या केवल इसी वर्ष के लिए नहीं है। अगले वर्ष के लिए भी इस संबंध में माननीय सदस्य सुझाव देंगे। गन्ने की समस्या हमारे प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या होने जा रही है तो अगर दो दिन का समय आप न दे पायें तो कम से कम एक दिन का पूरा समय तो अवश्य ही गन्ने के लिये दें, मेरा आग्रह है कि माननीय संसदीय कार्य-मंत्री जी इस पर पुनर्विचार कर लें।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने जो विचार व्यक्त किये वह उचित ही हैं। मान्यवर, आप तो जानते ही हैं कि बाढ़ की स्थिति अत्यन्त गम्भीर है जिस पर सदन के बहुत से माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करेंगे। ऐसी परिस्थिति में मेरा आपसे अनुरोध है कि कार्य-मंत्रणा समिति में इस पर विचार हो और बाढ़ के संबंध में कम से कम 3 दिन का समय रखा जाय।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

मान्यवर, मैंने नियम 52 में दिया है।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया बैठ जायं। श्याम धर मिश्र जी बोल चुके हैं, मैं आपको अनुमति नहीं देता हूं। आपने नियम 52 में लिखा है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री देव बहादुर सिंह--

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि मेरी प्रार्थना को भी उसमें शामिल कर लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

गन्ने पर 5 बजे से बहस होगी, उसमें जोड़ दूंगा। यह तो समिति का निर्णय अपनी रिपोर्ट में बताया है।

श्री देव बहादुर सिंह--

आपने बताया कि नियम 52 का इस्तेमाल कर लीजिये इसलिये मैं कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष--

जिन-जिन माननीय सदस्यों के प्रस्ताव हैं, सब पर विचार किया जायगा। अब इस पर बहस नहीं चल सकती है।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, मुझे खेद है कि कार्य-मंत्रणा समिति में विरोधी दलों के जो अनेक सदस्य हैं जिनको वहां पर उपस्थित रहना चाहिये था और जिन्होंने राजनीतिक उद्देश्यों से पत्र भेजे आपके पास, मेरे पास और माननीय मुख्य मंत्री के पास भी, मैंने उनको अपने यहां पर आमंत्रित किया था इस उद्देश्य से कि जो भी विभिन्न प्रश्न इस प्रदेश की जनता से संबंधित हैं उन पर विस्तार से विचार हो और उनके जो प्रजातांत्रिक अधिकार हैं, वे सुरक्षित रहें। लेकिन जब पत्र उन्होंने दे दिया, वे दूसरे कामों में लग गये अपनी-अपनी पार्टी के झंझटों में। जो भी कारण हो वे उस बैठक में सम्मिलित नहीं हो सके। मान्यवर, इतना ही नहीं मैंने बहुत ही अच्छे ढंग से चाय और नाश्ते का इन्तजाम भी किया था और उनके न आने से वह सब बेकार हो गया। माननीय रियासत साहब वहां पर मौजूद थे। मैंने कहा कि जितने भी बिल हैं, उनको पहले ले लिया जाय और उनको समाप्त कर लिया जाय और फिर उसके बाद रात के 11 या 12 बजे तक जब भी वे चाहें, सदन बैठे और बाढ़ पर चर्चा करें लेकिन कार्यमंत्रणा समिति में जो सदस्य उपस्थित थे उनके आग्रह पर उनके दबाव पर आपने मुझे दबाया और स्वीकार कराया कि पहले बाढ़ पर चर्चा हो जाय और उसके बाद जो सरकारी कार्य है उसको ले लिया जाय और उसके अनुसार किया गया। मैंने उस समय कहा था कि एक दिन हो। माननीय रियासत साहब उसके गवाह हैं, उन्होंने दबाया कि नहीं दूसरे दिन भी हो। तो सब बातों को ध्यान में रखकर इस बात को स्वीकार किया गया कि दूसरे दिन भी बाढ़ पर चर्चा करेंगे। मैं यहां पर यह भी निवेदन करूंगा कि माननीय तिवारी जी ने हमें बाढ़ पर 2 दिन चर्चा करने का कभी भी समय नहीं दिया।

मैं तो जब भी कोई प्रश्न आता है, स्वीकार कर लेता हूं लेकिन निवेदन करना चाहता हूं कि जितना समय निर्धारित किया गया है, उसमें काफी चर्चा बाढ़ के संबंध में हो सकती है, लेकिन अगर कोई दूसरा प्रश्न उठाना है तो दूसरी बात है। संसदीय परम्पराओं में माननीय तिवारी जी की जो आस्था है, ज्ञान भी हमसे उनको ज्यादा है, तो जब भी वे भाषण देंगे पूरे प्रदेश की बाढ़ के संबंध में 5-7 मिनट में ही पूरा खाका खींच देंगे और पूरे तथ्यों को देकर थोड़े ही समय में बाढ़ के संबंध में चर्चा समाप्त हो सकती है। जो प्रस्ताव आया आपका उस पर जो निर्णय हुआ उस पर किसी को कोई एतराज नहीं होना चाहिये और उसे चर्चा का माध्यम नहीं बनाना चाहिय। इसलिय मुझे प्रस्ताव पेश करने की इजाजत दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय, मुझे बड़ा दुख हुआ कि हमारे मित्र मंत्री जी कुछ परम्पराओं का पालन नहीं कर रहे हैं । मैं उनका उल्लेख यहां पर नहीं करना चाहता हूं । लेकिन चूंकि उल्लेख कर दिया तो संसदीय-कार्य मंत्री नेता तो नहीं होता । नेताओं को नेता ही आमंत्रित कर सकते हैं । संसदीय-कार्य मंत्री सचेतक होने के नाते नेता नहीं होते । वैसे हम उनके घर में जा सकते हैं, लेकिन कुछ संसदीय परम्परायें हैं, उसको भी समझे । चिट्ठी आयी है, लेकिन अगर नेता को बुलाना हो तो नेता ही बुलाते हैं । मुख्य सचेतक मुख्य सचेतक को बुलाते हैं । उसका एक ढंग होता है । इस संबंध में व्यवस्था है । आपके यहां भोजन होता है, सब पार्टियों के नेता एकत्रित होते हैं तब निर्णय होता है । लेकिन मधुकर जी ने नयी प्रणाली अपनायी है । वैसे तो सभी कोई बुला सकता है ।

श्री अध्यक्ष--

आपने अवसर ही नहीं दिया ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

परम्परा जरा ठीक करें । दूसरी बात यह है कि वह चाहते हैं कि हम कम बोलें, वह ज्यांदा बोलें और सदस्य बिलकुल न बोलें । अगर यही बाढ़ के लिये आपका दृष्टिकोण है तो धन्य है ।

और उन्होंने कहा कि हमने बाढ़ में अपने शासन काल में ज्यादा समय नहीं दिया । कांग्रेस शासन में तो मुझसे ज्यादा आप शासन में रहे हैं, आप बता दें कि कभी भी शासन में बाढ़ें आयी हों और चर्चा न हुई हो ? जितनी बार बाढ़ आई, चर्चा हमेशा हुई जब कभी भी चर्चा मांगी गयी तो ज्यादा से ज्यादा विरोधी दल को समय दिया गया । यह जो कार्य-मंत्रणा समिति की बात थी तो कई बार मांग की गयी कि दोबारा प्रश्न को उसमें भेज दिया जाय और वह भेजा गया । और आज तो उसका औचित्य भी है । खैर, हम क्षमा चाहते हैं, हम नहीं आ सके, उसके लिय क्षमा मांगते हैं । पार्लियामेंटरी पद्धति में खेद प्रकाश करना कोई बुरी बात नहीं है । और हमको तो राजनीतिक कार्य था, आपको नहीं था । हम तो बाढ़ पीड़ित सेवा में लगे हुए थे आपको पूरी फुरसत थी । आपको धन्यबाद देते हैं । लेकिन आप कृपा करके कार्य-मंत्रणा समिति को फिर बुला लें । आज पूरी चर्चा हो जाय । मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वह जरा खड़े हों ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

एक निवेदन करना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठें । माननीय मुख्य मंत्री जी और संसदीय-कार्य मंत्री से संस्तुति करूंगा कि सदन की जैसी भावना है, आज बाढ़ पर बहस चलने दी जाय और कल पुनः कार्य-मंत्रणा समिति बुला करके फिर से कार्य-क्रम पर विचार कर लिया जाय तो ज्यादा अच्छा होगा ।

मुख्य मंत्री (श्री राम नरेश यादव)--

मान्यवर, यह प्रश्न तो वैसे आपकी उपस्थिति में ही तय हो चुका था और ऐसा नहीं है कि जिस बाढ़ की विभीषिका की बात तिवारी जी ने कही उससे शासन चिंतित नहीं है। शासन चिंतित रहा है, सजग है और उस सम्बन्ध में जो भी प्रयास किया जा सकता था, शासन ने प्रयास किया है और कर भी रहा है और करेगा भी। इस बात को ध्यान में रख कर इस बात का निर्णय लिया गया था कि चर्चा रख दी जाय ताकि माननीय सदस्य अपने विचारों और भावनाओं को, अपने क्षेत्रों के बाढ़-जनित प्रश्नों को रख सकें। उस पर फिर हमें भी आसानी होगी समझने में और करने में। तो मैं यह समझता हूं कि यहां पर तो बहुत ही अनुभवी लोग हैं। तिवारी जी भी बहुत अनुभवी हैं और मैं समझता हूं कि जो जितने अनुभवी होते हैं उतने ही सूक्ष्म रूप से अपने विचारों को, सूत्रवत् रखने में समर्थ हो सकेंगे। इसलिए आज इस पर जो चर्चा रही है वह कर लें तो कल बैठ करके विचार किया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष--

आज इस पर चर्चा होगी और कल विचार कर लेंगे। लेकिन तिवारी जी से अवश्य निवेदन करूंगा कि कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक 19 तारीख को बुलाई थी और मुझे खेद है कि सिवाय रियासत साहब के और कोई विरोधी पक्ष का व्यक्ति उसमें मौजूद नहीं था। 2 बजे से साढ़े 4 बजे तक का समय बाढ़ पर चर्चा के लिए था। साढ़े 4 बजे से नियम 51 लिये जाते हैं। दो बजे तक सामान्य कार्य होता रहता है। इस तरह दो दिन में जो 5-6 घंटे का समय होगा वह दो दिन के बराबर ही हो जाता है। जो और औपचारिक प्रश्न रखे जाने हैं, इसके बाद बाढ़ पर चर्चा शुरू होगी।

हरदोई जनपद में बूढ़े बाबा मंदिर में विषाक्त भोजन से कुछ व्यक्तियों के बेहोश हो जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री कल्याण सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा दिनाँक 11 मई, 1978 को दी गयी अपनी सूचना में यह उल्लेख किया गया है कि जनपद हरदोई में दिनाँक 10 मई, 1978 को बूढ़े बाबा मंदिर में लगभग 30 व्यक्ति विषाक्त भोजन खाने से बेहोश हो गये। उनका यह अनुमान है कि भोजन में कोई जहरीली चीज मिल गई थी।

शासन द्वारा इस मामले में जाँच कराई गयी है, जिससे यह विदित हुआ है कि जनपद हरदोई में दिनाँक 10 मई, 1978 को ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। वस्तु-स्थिति इस प्रकार है कि ग्राम लालपुर, थाना कोतवाली, हरदोई की निवासिन श्रीमती मन्ना अपने पुत्र का मुण्डन कराने के लिये अपने परिवार के सदस्यों, सम्बन्धियों तथा अन्य ग्रामवासियों के साथ दिनाँक 5 मई, 1978 को हरदोई शहर स्थित बूढ़े बाबा मंदिर में प्रातः लगभग 11 बजे पहुंची। इस समारोह में सम्मिलित होने वाले लोगों की संख्या 35 थी।

मुण्डन के उपरान्त वहाँ 35 में से 32 लोगों ने भोजन किया। यह भोजन श्रीमती पन्ना अपने घर से ही बना कर लाई थीं। खाद्य पदार्थों में पूड़ी, आलू की सब्जी तथा मीठे चावल थे। दिनाँक 4 मई, 1978 को उन्होंने आलू उबाल कर रख लिये थे और उसी

दिन उन्हें छील भी लिया था। आलू की सब्जी 5 मई, 1978 को प्रातः बनाई थी। पूड़ियां तथा मीठे चावल भी दिनांक 5 मई, 1978 को बनाये गय। यह खाना सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा दिनाँक 5 मई, 1978 को दिन में लगभग 2 बजे खाया गया तथा उसके बाद सब लोग बाबा मंदिर से घर के लिये रवाना हो गये। बैल गाड़ियों से लगभग एक किलो मीटर चल पाने के उपरान्त कुछ लोगों को कै तथा कुछ को कै तथा दस्त हुये। अधिकांश व्यक्तियों को केवल कै ही की शिकायत हुई। जिन 3 व्यक्तियों न वह खाना नहीं खाया था उन्हें कै अथवा दस्त की शिकायत नहीं हुई।

पुलिस तथा जनता के कुछ प्रतिनिधियों द्वारा कुछ मरीजों को ट्रक द्वारा जिला अस्पताल में लाया गया। जन प्रतिनिधियों द्वारा जब यह बताया गया कि अभी कुछ और मरीज आने को हैं तो उनके लिये विभाग द्वारा गाड़ी भेजी गयी और उन्हें जिला अस्पताल में लाया गया। अस्पताल में पहुंचने तक कुछ मरीजों को कै हो रही थी। कुल 32 मरीजों में से 15 को केवल प्राथमिक चिकित्सा की ही आवश्यकता थी उनका उपचार वाह्य रोगियों की भांति करके कुछ समय के बाद उनकी स्थिति को देखते हुये उन्हे अपने-अपने घरों को जानें की अनुमति दे दी गयी। शेष 17 व्यक्ति ऐसे थे जिन्हें कै तथा दस्त के कारण डी-हाइड्रेशन हो गया था। ऐसे व्यक्तियों को जिला अस्पताल, हरदोई में भर्ती कर लिया गया, उनका उपचार किया गया तथा उनके ठीक महसूस होने के उपरान्त अगले दिन अर्थात् दिनाँक 6 मई, 1978 को उन्हें अस्पताल से अवमुक्त कर दिया गया।

शासन को प्राप्त सूचनानुसार जो खाना प्रश्नगत व्यक्तियों द्वारा खाया गया उसमें कोई जहरीली वस्तु होने का संकेत नहीं मिला। सम्बन्धित व्यक्तियों को कै तथा दस्त होने का कारण केवल यही प्रतीत होता है कि श्रीमती मन्ना द्वारा तैयार की गयी सब्जी बासी तथा बदबूदार थी। इसी कारण उसका प्रभाव विषाक्त कहा जा सकता है। डीहाइड्रेशन के कारण कुछ व्यक्ति सुस्त तथा कमजोर हो गये थें। वास्तव में बेहोश नहीं हुये थे। यह उल्लेखनीय है कि सभी रोगियों का उपचार तत्परता से किया गया, लोग उपचार से संतुष्ट हैं तथा संबंधित व्यक्ति स्वस्थ हैं। इस घटना से किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई।

उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 पर नियुक्त प्रवर समिति के कार्य-काल में वृद्धि का प्रस्ताव

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न प्रस्ताव करता हूं :--

"चूंकि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977 सदन के 17 अप्रैल, 1978 के निश्चयानुसार इस निदेश के साथ प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन आगामी सत्र के प्रथम दिन प्रस्तुत करे और चूंकि समिति अभी तक विधेयक पर विचार कर अपना प्रतिवेदन नहीं तैयार कर सकी है ;

और चूंकि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 258 के उप नियम (1) के अनुसार सदन को यह अधिकार है कि वह किसी

[श्री शारदा भक्त सिंह]

भी समय प्रस्ताव किये जाने पर निर्देश दे सकेगा कि समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय ;

अतएव यह सदन निदेश देता है कि प्रवर समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के आगामी सत्र के प्रथम दिन तक के लिये बढ़ाया जाय।"

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

यह प्रस्ताव अस्पष्ट है, इसलिए कि यह निश्चित नहीं है कि आगामी सत्र कब होगा, कब आगामी सत्र ,फरवरी का सत्र माना जाय या दूसरा, इसको सीधा लिख दिया जाय फरवरी तक या दिसम्बर तक, तो बात स्पष्ट हो जाती है। सत्र की बात तो मालूम नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी यह बता दे कि सत्र कब होगा, तब हम स्वीकृति दे दें।

श्री अध्यक्ष--

यह जो आपकी आपत्तियाँ हैं, आप स्वयं जानते हैं कि सदन जब भी होगा, पहले दिन यह प्रतिवेदन पेश हो जायगा। नियमावली में निश्चय है कि इस तरह अधिवेशन होंगे। यह दूसरा है और तीसरा भी यकीनन बजट से पहले ही होगा। तो आपत्ति आपकी नियमानुसार नही है। प्रस्ताव उचित है।

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

प्रवर समिति अपना काम पूरा कर लेती है, तो अगले सत्र के पहले दिन पेश कर देगी। यह कहना ही गलत है कि नवम्बर या दिसम्बर में पेश कर दिया जायगा। अगर नवम्बर या दिसम्बर तक समिति अपना कार्य पूरा नहीं कर सकी, तो कैसे प्रस्तुत कर सकती है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम 258 के परन्तुक (2) की ओर दिलाना चाहता हूं। श्रीमन्, 258 का उप-नियम (1) इस प्रकार है:--

(1) विधेयक के प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के बाद शीघ्र ही प्रवर समिति विधेयक पर विचार करने के लिये समय-समय पर समवेत होगी और सदन द्वारा निश्चित समय के भीतर उस पर प्रतिवेदन देगी :

परन्तु जब सदन ने प्रतिवेदन उपस्थापन के लिये कोई समय निश्चित न किया हो, तो प्रतिवेदन उस तिथि से तीन मास समाप्त होने से पहिले उपस्थित कर दिया जायगा, जिस तिथि को सदन ने प्रवर समिति को विधेयक निर्दिष्ट किये जाने का प्रस्ताव स्वीकार किया था।

किन्तु सदन किसी भी समय, प्रस्ताव किये जाने पर निदेश दे सकेगा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिये समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय।

तो दूसरा परन्तुक जो है--इसमें जो प्रयोग किया गया है, इसमें तिथि है। प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि माननीय राजस्व मंत्री जी ने जो प्रस्ताव किया है, कोई तिथि नहीं

है । इसमें जो प्रस्ताव किया है--"कि प्रवर समिति को उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के आगामी सत्र के प्रथम दिन तक के लिए बढ़ाया जाय।" यह काल्पनिक है । इसलिए यह प्रस्ताव जो है नियम 258 (1) जिसका उल्लेख इस नियम में भी है, तो यह 258 के विपरीत है। इसलिए यह प्रस्ताव जो है, इसको अस्वीकृत किया जाय ।

श्री अध्यक्ष--

मैं आपका ध्यान नियम 258 के उप नियम (2) की ओर दिलाऊंगा, जिसमें लिखा है--"किन्तु सदन किसी भी समय, प्रस्ताव किये जाने पर निदेश दे सकेगा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदन के उपस्थापन के लिए समय प्रस्ताव में उल्लिखित तिथि तक बढ़ा दिया जाय। और लिखा है प्रतिवेदन प्रारम्भिक या अंतिम हो सकेंगे। तो इसमें इसलिए निश्चित तिथि है। जब भी दूसरा अधिवेशन होगा, पहले दिन पेश हो जायगा।

श्री श्याम धर मिश्र--

तिथि नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रस्ताव भी इसी प्रकार का है ।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

आप 20 फरवरी-मार्च कर दें तो निश्चित तिथि हो जायगी ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

आप ऐसी रूलिंग न दें । तिथि होनी चाहिये ।

श्री अध्यक्ष--

पहले प्रस्ताव जो रखा गया है जिससे प्रवर समिति का गठन हुआ है उसमें भी लिखा हुआ है ।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

गलत था ।

श्री अध्यक्ष --

यह परिपाटी है। मुझे तो आश्चर्य है कि आप ऐसा कहते हैं।

श्री श्यामधर मिश्र--

कभी गलत हो सकती है। यह तो गलत है । अब सही हो जाय ।

श्री अध्यक्ष --

इसमें लिखा है कि "राजस्व मन्त्री ने प्रस्ताव किया कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता विधेयक, 1977, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनाँक 1 नवम्बर, 1977 के निश्यानुसार जनमत संग्रह के लिये परिचालित किया गया था और जिस पर प्राप्त मतों का साराँश दिनाँक 18 मार्च, 1978 को सदन के पटल पर रखा गया है, को विधान सभा की एक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय जो अपना प्रतिवेदन विधान सभा के आगामी सत्र के प्रथम दि प्रस्तुत करें।" तो इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं है ।

श्री श्याम धर मिश्र---

एतराज नहीं हुआ, इसलिये हुआ ।

श्री अध्यक्ष--

आपकी आपत्ति उचित नहीं है। आप बैठें मैं प्रस्ताव रख रहा हूं।

प्रश्न यह है कि जो प्रस्ताव माननीय राजस्व मन्त्री ने रखा है उसके अनुसार प्रवर समिति जो उसके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के आगामी सत्र के प्रथम दिन तक के लिये बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री राज्यपाल अभिभाषण के अवसर पर किये गये अशोभनीय एवं अवांछनीय व्यवहार पर गठित जांच समिति के कार्य-काल में वृद्धि का प्रस्ताव

श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं:---

"चूंकि दिनाँक 17 मार्च, 1978 को उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों को श्री राज्यपाल द्वारा सम्बोधन के अवसर पर किये गये अशोभनीय एवं अवाँछनीय व्यवहार की जाँच के लिये एक जाँच समिति का गठन सदन द्वारा दिनाँक 17 मार्च, 1978 को स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार इस निर्देश के साथ किया गया था कि वह अपना प्रतिवेदन 15 दिन के भीतर सदन को प्रस्तुत करे और उक्त समिति द्वारा निर्धारित समय के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत न कर सकने के कारण समिति का कार्यकाल सदन के 30 मार्च, 1978 के निश्चयानुसार एक माह के लिये और फिर सदन के 29 अप्रैल, 1978 के निश्चयानुसार तीन मास के लिये बढ़ा दिया गया था और चूंकि समिति उक्त बढ़ायी गयी अवधि में भी अपना प्रतिवेदन तैयार नहीं कर सकी ,

अतएव, यह सदन यह निदेश देता है कि उक्त जांच समिति द्वारा सदन को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय तीन मास और बढ़ाया जाय।"

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि उक्त जांच समिति द्वारा सदन को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय तीन मास और बढ़ा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1978 †

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री गणेश दत्त बाजपेयी)---

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

---

† दिनांक 21 अगस्त, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है. कि उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गणेश दत्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइ ड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) (संशोधन) विधेयक 1978 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) विधेयक, 1978†

शिक्षामन्त्री (श्री काली चरण)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडिएट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री कालीचरण--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश हाई स्कूल और इन्टरमीडियेट कालेज (आरक्षित समूह अध्यापक) (द्वितीय) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं ।

सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978†

न्याय मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, आपकी आज्ञा से सिविल प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

†दिनांक 21 अगस्त, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1978†

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश साहूकारी विनियमन (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978†

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरः स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा प्रदान की जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शारदा भक्त सिंह—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1978†

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश सहकारी भूमि विकास बैंक (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं।

---

†दिनांक 21 अगस्त, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1978*

सहकारिता मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव)—

मान्यवर, आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मुलायम सिंह यादव--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1978†

संस्थागत वित्त मंत्री (श्री केशरी नाथ त्रिपाठी)—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरः-स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री केशरीनाथ त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश आमोद तथा पणकर (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरः-स्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1978†

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री गणेशदत्त बाजपेयी)--

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री गणेशदत्त बाजपेयी--

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 1978 को पुरःस्थापित करता हूं ।

---

*दिनांक 21 अगस्त, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

†दिनांक 21 अगस्त, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

उत्तर प्रदेश ईंट के भट्ठों पर निर्बन्धन (बागों का संरक्षण) विधेयक, 1978†

कृषि राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र सिंह)--

मैं उत्तर प्रदेश ईंट के भट्ठों पर निर्बन्धन (बागों का संरक्षण) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश ईंट के भट्ठों पर निर्बन्धन (बागों का संरक्षण) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री राजेन्द्र सिंह--

मान्यवर, मैं उत्तर प्रदेश के ईंट के भट्ठों पर निर्बन्धन (बागों का संरक्षण) विधेयक, 1978 को पुर:स्थापित करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

कमेटियों के सम्बन्ध में एक प्रस्ताव आना था। कल इस सम्बन्ध में बातचीत हो गयी थी।

श्री अध्यक्ष--

कमेटियों वाले प्रस्ताव को कल रखा जायगा।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

श्री देव बहादुर सिंह का एक कार्य स्थगन प्रस्ताव है। "दिनाँक 25-6-78 को राज्य मंत्री, श्री सत्यदेव त्रिपाठी द्वारा शिमला में धारा 144 का उल्लंघन करके जबरदस्ती सभा का किया जाना तथा मुख्य मंत्री द्वारा उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही न किया जाना।" यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर कार्य स्थगित किया जाय। मने इसे स्वीकार नहीं किया है।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)--

25 जून को शिमला में श्री सत्यदेव त्रिपाठी ने निशेधाज्ञा का उल्लंघन ही नहीं किया बल्कि धमकी भी दी कि खून की नदियाँ भी बहानी पड़ी तो ऐसा करेंगे और हिमाँचल प्रदेश के किसी व्यक्ति को हम अपने प्रदेश में आने नहीं देंगे। उनके इस अपराध में सहभागी श्री राजनारायण भी थे। प्रधान मंत्री ने जाँच करने के बाद श्री राज नारायण से त्याग पत्र माँग लिया और उनको पद मुक्त भी कर दिया। मैं जानना चाहता हूं कि यहाँ मुख्य मंत्री जी मौन क्यों हैं। एक ही अपराध करने में केन्द्रीय सरकार के मंत्री को पद मुक्त किया गया लेकिन यहाँ प्रदेश के मंत्री से न त्याग पत्र माँगा गया, न उनको बरखास्त किया गया। इस लिये यह चिन्ता की बात है। इसलिये आवश्यक है कि सारा कार्य स्थगित करके इस विषय पर सदन में विचार किया जाय क्योंकि विधि के राज्य में हमारी आस्था है और जो मंत्री स्वयं मंत्री हो उसे भी विधि के शासन मे आस्था होनी चाहिये। इनकी विधि द्वारा स्थापित राज्य में आस्था नहीं है इसलिए इनको कोई अधिकार नहीं ह कि मंत्रिमंडल में बने रहे।

---

†21 अगस्त, 1978 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा ह।

श्री अध्यक्ष--

मैं इस पर आपको बहस करन की अनुमति नहीं दूंगा (श्री नारायण दत्त तिवारी के खड़े होने पर) तिवारी जी हमको प्रमाणित रूप से नहीं मालूम कि घटना क्या है। आप अखबारों के आधार पर कहते हैं यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर सदन का कार्य-स्थगित किया जाय।

बाढ़ पर बहस आज हमको लेनी है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

हमने अलग से प्रस्ताव रखा है। श्री गुलाब सेहरा जी ने प्रस्ताव रखा है। सचिव महोदय के पास है। इसी विषय पर।

श्री अध्यक्ष---

मेरे पास प्रस्ताव की नोटिस नहीं है। श्री सुन्दर लाल, श्री ऊदल, श्री रियासत हुसैन ने भी बाढ़ पर दिया है। आज इसी विषय पर बहस हो रही है।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)--

आप मुझे सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

श्री श्यामधर जी को जनता सरकार द्वारा पिछले तीन महीनों में लगभग एक दर्जन अध्यादेश जारी करने के संबंध में है? यह कोई प्रश्न नहीं है इसकी अनुमति मैं नहीं देता।

श्री श्यामधर मिश्र---

आपने कहा था कि समय आयेगा तो मैं समय दूंगा इसलिए मुझे मौका मिलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष---

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं। आप कृपया बैठ जायं।

श्री श्याम धर मिश्र--

आप अगर कह दें कि मैंने नहीं कहा था तो मैं बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष--

मैंने कहा था जब प्रश्न आयेगा विचार करेंगे। मैंने विचार कर लिया है। जब विधेयक पर चर्चा आयेगी तब आप कहियेगा।

श्री श्यामधर मिश्र--

श्रीमन्, आप सुन लें। आप जो सुझाव दे रहे हैं मुझे लगता है कि विधेयक पर बहस के समय की बात कह रहे हैं। पर मैं यह कह रहा हू कि यह सरकार सत्ता हटने के तीन महीने में 11, 12 अध्यादेश लाई है। यह सरकार अध्यादेशों से चल रही है। अभी यह विधेयक भी लाये हैं कि जिनमें इन अध्यादेशों का समावेश हो सकता था।

श्री अध्यक्ष--

मैं अनुमति नहीं देता हूं। आप बैठें। यह महामहिम राज्यपाल का संवैधानिक अधिकार है उस पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती। श्री नारायण दत्त तिवारी जी बैठे हैं इनके समय में कितने अध्यादेश जारी हुए।

लखनऊ में जी० पी० ओ० पार्क के सामने एक जुलूस पर पुलिस द्वारा लाठी चार्ज के संबंध म सूचना

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

मैं आपसे एक दूसरी बात निवेदन करना चाहता हूं। अभी-अभी मुझे सूचना मिली है कि नौजवानों का एक शांतिपूर्ण जुलूस जी0पी0 ओ0 पार्क के सामने आ रहा था उस पर पुलिस ने बुरी तरह लाठी चार्ज किया और नौजवान लड़कियों के बाल पकड़ पर घसीटा। 5-6 जगह लाठी चार्ज किया है, काफी लोगों को चोटें आई हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट की तरफ से आप बयान दिलायें। इस प्रकार की घटना विधान भवन के सामने हो रही है।

श्री श्याम धर मिश्र (जिला वाराणसी)--

आप स्वयं कार्य स्थगित कर सकते हैं।

श्री अध्यक्ष--

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसके बारे में सूचना मंगवा लीजिय और सूचना प्राप्त होने पर सदन को अवगत कराया जाय।

श्री ऊदल--

तब उस पर थोड़ा समय हम लोगों को भी स्पष्टीकरण के लिए दें।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों का सूचनाएं (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष --

श्री हामिद रजा खां, श्री राम आसरे वर्मा ने कुछ छात्रों द्वारा बाहर के लोगों की सहायता से रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति तथा रजिस्ट्रार से जबरदस्ती इस्तीफा लिखवाना तथा 9 अगस्त को सिविल लाइन बरेली में सहायक रजिस्ट्रार पर फायर किये जाने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है यह भी कार्य-स्थगन का विषय नहीं है। आप प्रश्नों के द्वारा मालूम कर सकते हैं।

प्रदेश में बाढ़ से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा

श्री अध्यक्ष--

बाढ़ के सम्बध में विस्तृत नोट सभी माननीय सदस्यों को मिल गया होगा। मैं चाहूंगा कि माननीय राजस्व मंत्री जी इस पूरी पुस्तिका को न पढ़कर जो आवश्यक सूचना सदन को देनी हो, दे दें।

राजस्व मंत्री (श्री शारदा भक्त सिंह)--

मान्यवर, पिछले वर्ष को देखते हुये इस वर्ष बाढ़ की व्यापकता और तीव्रता को सभी माननीय सदस्य अनुभव करते होंगे। पूर्वी जिलों और पश्चिमी जिलों को मिलाकर लगभग 46 जिले बाढ़ से पूरी तरह से पीड़ित हुये और इस वर्ष लगभग एक महीने की लगातार वर्षा

के कारण राहत कार्य तो चलते रहे लेकिन अवरोध होने के कारण लोगों को कठिनाइयां अधिक उठानी पड़ी होंगी। मैं जानता हूं कि जिस प्रकार की लोगों को कठिनाइयां हो रही हैं और उनको क्षति हो रही है उसकी पूर्ति करना सरकार के सामर्थ्य में भी नहीं है और सम्भव भी नही है। लेकिन इस दैवी आपदा के दौरान जो भी लोगों को राहत के कार्य शासन द्वारा किये जा सकते थे उसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता या शासन की वित्तीय कठिनाइयों को नहीं आने दिया जायेगा। मैं वित्त मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि कठिनाइयों के होते हुये भी उन्होंने इस बात के आदेश दिये कि जहां तक राहत कार्य हैं उनको वित्तीय कठिनाइयों के कारण किसी भी तरह से प्रदेश के लोगों को कोई ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिये कि जिससे कठिनाई पैदा हो सके। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जहां इस व्यापक बाढ़ में सभी लोगों के द्वारा अधिकारियों से और शासन ने स्थान-स्थान पर लोगों को सहायता पहुंचायी, वहीं पर यह बात अवश्य कह देना चाहता हूं कि सदन के माननीय सदस्यों ने भी स्थान-स्थान पर दौड़ कर, मौके पर अधिकारियों से कहकर और सहयोग देकर जो कार्य किया है, उसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना अपना कर्त्तव्य समझता हूं।

(इस समय 2 बज कर 20 मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद पीठासीन हुए।)

यद्यपि प्रदेश में साधारणतः प्रतिवर्ष वर्षा काल में अतिवृष्टि, जलप्लावन और नदियों में बाढ़ से धन-जन की हानि होती रही है परन्तु गत वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष वर्षा की व्यापकता अधिकता और निरन्तरता के कारण स्थिति अधिक विषम रही। जुलाई में प्रदेश के आधे से अधिक जिलों में माह की औसत वर्षा से अधिक वृष्टि हुई। अगस्त के प्रथम पक्ष में मास में औसत के आधे से कहीं अधिक वृष्टि लगभग 50 जिलों में हुई। कुछ जिलों में तो दो ही दिन में जुलाई अगस्त की पूरी औसत वर्षा के योग से अधिक वर्षा हुई। बलरामपुर (जनपद गोण्डा) इसका प्रमुख उदाहरण रहा। जहां तक निरन्तरता का प्रश्न है हम देख ही रहे हैं कि 16-7-78 से वर्षा का जो क्रम आरम्भ हुआ है वह अब तक बना हुआ है।

अतिवृष्टि के साथ प्रदेश की बड़ी नदियों का जलस्तर भी बढ़ने लगा। इस संदर्भ में उल्लेखनीय बात यह रही कि एक ओर तो कुछ नदियों का जलस्तर एकाएक बढ़ा और दूसरी ओर कुछ नदियां ऐसी हैं जिनका जलस्तर संकट के चिन्ह से एक लम्बी अवधि से लगातार ऊपर है। प्रथम कोटि में राप्ती प्रमुख है जिसका जल स्तर 16-7-78 को एकाएक लगभग साढ़े तीन मीटर बढ़कर संकट स्तर से डेढ़ मीटर से भी अधिक हो गया जिसके कारण बलरामपुर और उसके आस-पास के क्षेत्रों को उग्र बाढ़ का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर घाघरा की स्थिति यह रही कि 16-7-78 को एलगिन पुल पर खतरे का निशान पार करने के बाद 17-8-78 तक वह इस स्तर के ऊपर रही और बलिया में वह अभी भी संकट स्तर के ऊपर है। गंगा, बूढ़ी राप्ती और बड़ी गंडक नदियां भी संकट स्तर से ऊपर रहीं।

उत्तरकाशी में अभूतपूर्व भूस्खलन से परिणामस्वरूप भागीरथी का प्रवाह अवरुद्ध हो गया और इस स्थान से ऊपर का भाग एक झील के रूप में परिवर्तित होने लगा। यह घटना 6-8-78 की है परन्तु उसी दिन अवरोध में एक दरार पड़ी जिसके फलस्वरूप एकत्र पानी का लगभग 3/4 भाग बह गया। इस जलाशय की लम्बाई लगभग 1.75 किलोमीटर, चौड़ाई 100 मीटर तथा गहराई 50 मीटर है। विशेषज्ञों द्वारा स्थिति का सर्वेक्षण बराबर हो

[श्री शारदा भक्त सिंह]

रहा है। पहले इस अवरोध के स्वतः फटने से खतरे की आशंका थी परन्तु इधर विशेषज्ञों की राय हुई है कि पानी से इस समय खतरा नहीं है और यदि अवरोध आंशिक रूप से फट भी जाय तो नीचे के जनपदों को क्षति न होगी। फिर पुनः इजीनियर्स तथा भूगर्भ वैज्ञानिकों की टीम स्थिति का परीक्षण करने हेतु भेजी जा रही है।

इस प्रकार व्यापक एवं एक मास तक निरन्तर होने वाली अतिवृष्टि, नदियों में बाढ़ तथा भू-स्खलन आदि से प्रदेश के 43 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। संक्षेप में हानि का विवरण निम्नलिखित हैं:--

1--प्रभावित ग्रामों की संख्या	21,108
2--प्रभावित जनसंख्या	84,61,498
3--प्रभावित क्षेत्र	80,70,468 एकड़
4--प्रभावित कृषि क्षेत्र	32,81,252 एकड़
5—क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	1,53,392
6--मृतक मनुष्यों की संख्या	230
7--मृत पशुओं की संख्या	771

बाढ़ की स्थिति तथा इस सम्बन्ध में किये गये बचाव व राहत के कार्यों का प्रदेश तथा जिले स्तर सम्बन्धी विवरण पुस्तिका के रूप में माननीय सदस्यों की सेवा में प्रस्तुत किया गया है। इस पुस्तिका में जो आँकड़े हैं वे प्रारम्भिक हैं क्योंकि अभी सारा स्टाफ पूरी तत्परता से राहत कार्यों में केन्द्रित है और दूरस्थ क्षेत्रों से राहत कार्यों में रत होने के कारण सूचनाएं पूरी तरह से उपलब्ध नहीं हो सकी हैं। यद्यपि उल्लेखनीय है कि अनुमानतः कृषि क्षेत्रफल के बाढ़ ग्रस्त होने से 160 करोड़ रुपये तथा मकानों आदि के क्षतिग्रस्त होने से 12 करोड़ रुपये की क्षति हुई है। इसके अतिरिक्त करोड़ों रुपये की हानि सार्वजनिक मार्गों, पुल व अन्य सरकारी, गैर सरकारी इमारतों को अतिवृष्टि व बाढ़ के कारण क्षति पहुंचने से हुई है जिसका पूरी तरह से मूल्यांकन अभी सम्भव नहीं हो सका है।

शासन द्वारा अप्रैल मास में ही बाढ़ की समस्याओं से निपटने के लिये प्रारम्भिक तैयारियां पूरी कर लेने हेतु विस्तृत निदेश जिलाधिकारियों को दिये थे तथा पीड़ितों की तात्कालिक सहायता हेतु प्रत्येक जिले को दस हजार रुपये आवंटित किया था। 2 जून, 1978 को प्रदेश स्तर पर स्थिति की समीक्षा भी की गयी।

बाढ़ का प्रकोप सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बरेली, शाहजहाँपुर, फर्रुखाबाद, गोण्डा, बस्ती में अत्यधिक होने के कारण सैन्य सहायता भी लेनी पड़ी। इन जिलों में सेना के 500 से अधिक जवानों ने लगभग 44 सैन्य मोटर बोटों द्वारा बचाव व राहत कार्य किया और यथा आवश्यकता अभी भी कर रहे हैं।

उत्तरकाशी व शाहजहाँपुर जनपदों में भारतीय वायुसेना के हेलीकाप्टरों की सेवाएं ली गयीं। उत्तरकाशी के हरसिल अंचल में, जो जिले के शेष भाग से कट गया है, वायु सेना के हेलीकाप्टरों द्वारा आवश्यक वस्तुएं भिजवाने का कार्य किया गया। हरसिल क्षेत्र में फंसे व्यक्तियों को हेलीकाप्टरों से लाए जाने की भी व्यवस्था की गयी। लगभग 50 से अधिक व्यक्ति प्रारम्भिक सूचनाओं के अनुसार हेलीकाप्टर से लाए जा चुके हैं।

बाढ़ पीड़ितों की तत्काल सहायता हेतु शासन द्वारा अब तक अहेतुक सहायता, गृह निर्माण अनुदान तथा विशेष सहायता के निमित्त कुल 2.38 करोड़ रुपया जिलाधिकारियों को आवंटित किया गया है। जिलाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि धन की आवश्यकता की माँग तुरन्त शासन से की जानी चाहिये और धन की कमी के कारण राहत कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता नहीं आनी चाहिये ।

अभी तक अहेतुक सहायता हेतु एक एकड़ तक के ही कृषक पात्र थे। शासन ने निर्णय लिया है कि सीमान्त कृषकों अर्थात् उन कृषकों को भी जिनके पास ढाई एकड़ तक असिंचित भूमि तथा 1.6 एकड़ तक सिंचित भूमि है अहेतुक सहायता का पात्र माना जाय।

उपरोक्त आर्थिक सहायता के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्राप्त 13,600 मीट्रिक टन गेहूं अत्यधिक प्रभावित 37 जिलों में बाढ़ पीड़ितों में निःशुल्क वितरण हेतु जिलाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया है।

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में जिन खातेदारों को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है उन्हें सभी कृषि देयों की वसूली स्थगित करने के आदेश दिये जा चुके है।

इसी प्रकार कक्षा-7 से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक के जिन छात्रों के अभिभावकों की जोतों पर वर्तमान बाढ़ से 50 प्रतिशत से अधिक हानि हुई है उनकी ट्यूशन फीस की वसूली तत्काल स्थगित करने के आदेश सम्बन्धित समस्त जिलाधिकारियों तथा समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को भेजे जा चुके हैं।

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में बीमारी की चिकित्सा तथा महामारी की रोकथाम के लिये लगभग 530 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं। इनके माध्यम से अब तक लगभग आठ लाख व्यक्तियों के टीके लगाये जा चुके हैं तथा 1 21 लाख कुओं का पानी शुद्ध किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त 5 लाख अन्य रोगियों का भी उपचार किया गया है। टीके लगाने का कार्य भारत सरकार द्वारा भेजी गयी दो जेट टीमों द्वारा भी किया जा रहा है।

पशुओं की बीमारी की रोकथाम व चिकित्सा के सन्दर्भ में प्रभावित जिलों को यथोचित मात्रा में वैक्सीन भेजी गयी है जिसमें अब तक लगभग 16 लाख वैक्सीनों का उपयोग किया जा चुका है ।

पशुओं के चारे में कमी न होने देने के लिये समीप के वन क्षेत्रों में जानवरों को निःशुल्क चराने की अनुमति शासन द्वारा दे दी गयी है। जिलाधिकारियों को यह भी निदेश दिये गये हैं कि वे कमी होने पर स्थानीय डीलर्स अथवा ठेकेदारों द्वारा जिला बाढ़ सहायता समिति के परामर्श से निर्धारित दर पर भूसा उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर लें। यह भी आदेश हैं कि जो व्यक्ति निःशुल्क सहायता के पात्र हों वे सहायता की नगद धनराशि के बदले भूसा ले सकते हैं ।

प्रभावित जिलों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार निम्नलिखित वस्तुएं और वितरित की गयी हैं:—

1—गेहूं	5,500 मी0 टन
2—चना	9016 क्विन्टल

[श्री शारदा भक्त सिंह]

3--आटा	50 क्विन्टल
4— मिटटी के तेल	1.90 लाख लीटर
5--नमक	6,500 क्विन्टल
6--माचिस	15,200 दर्जन
7—धोती साड़ी	20,000

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार, निम्नलिखित संख्या में व्यक्तियों व पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है :

1—व्यक्तियों की संख्या	1.77 लाख
2--पशुओं की संख्या	2·06 लाख

केन्द्रीय सहायता की माँग

प्रदेश सरकार के साधन सीमित हैं। भारत सरकार की ओर से मात्र 2.18 करोड़ का मार्जिन मनी है जिसके विरुद्ध शासन द्वारा लगभग 2.50 करोड़ रुपया स्वीकृत हो चुका है। इसके विरुद्ध प्रदेश शासन में दैवी आपदाओं के निमित्त 4·18 करोड़ का बजट में प्राविधान किया है। स्थिति की गम्भीरता और व्यापकता को देखते हुए यह यथेष्ट नहीं होगा। इसलिये इस विषम स्थिति में प्रदेश शासन ने भारत सरकार से 122.53 करोड़ रुपये की सहायता की माँग क्षतिग्रस्त मकानों की मरम्मत, मनुष्यों व पशुओं की चिकित्सा व महामारी की रोकथाम के लिए दवाएं खरीदने, शिक्षा शुल्क माफ करने, क्षतिग्रस्त विद्यालयों की मरम्मत करने, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था करने, बीज खाद आदि पर कृषकों को अनुदान देने, क्षतिग्रस्त कृषकों, पुलियों की मरम्मत, बाँधों तथा बाढ़ सुरक्षा कार्यों की मरम्मत, बाढ़ क्षेत्रों में विद्युत् लाइनों के निर्माण, बाढ़ सुरक्षा में लगे कर्मचारियों के लिये बाढ़ नौकाओं लाइफ वेल्ट्स आदि उपलब्ध कराने तथा निराश्रितों को राहत देने की व्यवस्था के लिये की है।

केन्द्रीय सरकार ने इस संदर्भ में स्थिति का अध्ययन करने के लिये दो बार अध्ययन दल भेजें हैं। इस सन्दर्भ में यह विशेष उल्लेखनीय है कि अभी तक केन्द्रीय अध्ययन दल बाढ़ बीतने के बाद आते रहे हैं जिसके कारण वे बाढ़ की उग्रता प्रत्यक्ष नहीं देख सकते थे। इस बार प्रदेश शासन के विशेष अनुरोध पर केन्द्रीय अध्ययन दल के अधिकारी बाढ़ के दौरान ही आये और उन्होंने गोरखपुर आदि पूर्वी आँचल के जिलों तथा शाहजहाँपुर, मेरठ आदि मध्य तथा पश्चिमी अंचलों के जिलों के भ्रमण करके बाढ़ की उग्रता को उससे हुई क्षति को प्रत्यक्ष देखा है। उन्होंने कुछ हवाई सर्वेक्षण भी किये हैं। हमें आशा है कि भारत सरकार से शीघ्र अधिकाधिक सहायता मिलेगी।

स्थानीय समाज सेवी संस्थाएं तथा सामाजिक व राजनीतिक कार्यकर्त्ता भी बचाव एवं राहत कार्यों में उत्साहपूर्वक आगे आ रहे हैं। इस सन्दर्भ में केअर का नाम विशेष उल्लेख योग्य है जिनके द्वारा, बस्ती, गोण्डा, गोरखपुर, देवरिया आदि जनपदों में पीड़ितोंकी सहायतार्थ धोतियाँ, साड़ियां, दलिया, गेहूं आदि वितरित किए गए हैं। पीड़ितों की सहायतार्थ आगे आने वाले प्रत्येक संगठन अथवा व्यक्ति का हम स्वागत करते हैं। जिलाधिकारियों से लगातार इस आशय की सूचनाएं हमें मिल रही हैं कि क्षेत्र में उन्हें इनमें अधिकाधिक सक्रिय सहयोग मिल रहा है।

बाढ़ की विभीषिका का युद्ध स्तर पर सामना करने के लिये और प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति तक सहायता पहुंचाने के लिये सेना तथा राजस्व व अन्य विभागों के कर्मचारी एवं अधिकारी दिन-रात निष्ठापूर्वक और कुशलता से लगे हैं। उनके कर्त्तव्य निर्वाह की सराहना करता हूं। मुझे विश्वास है कि सभी अधिकारी/कर्मचारी स्थानीय सहयोग प्राप्त करते हुए और अधिक परिश्रम व तत्परता से काम करेंगे। एक सूचना देहरादून के बारे में कल प्राप्त हुई है। एक ही परिवार के 12 सदस्य अत्यधिक वर्षा के कारण वह गये थे। जिनमें से खोज करने पर दो की लाश मिली हैं शेष लापता हैं और जिलाधिकारी के अनुसार उनकी तलाश जारी है। इस विषय में दो लाख रुपये तुरन्त सहायतार्थ भेज दिये गये हैं।

अन्त में मैं अतिवृष्टि व बाढ़ के इस दैवी प्रकोप में दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके आश्रितों तथा अन्य बाढ़ पीड़ितों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शासन संकट की इस घड़ी में अपनी पूरी शक्ति व निष्ठा के साथ उनके साथ है तथा इस बात के लिए कृत संकल्प है कि इस दैवी प्रकोप का मुकाबला सुनियोजित ढंग से तत्परता पूर्वक किया जाय।

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष--

चूंकि यह बाढ़ का विषय है और जितने जिले प्रभावित हैं उनके माननीय सदस्य बोलना चाहेंगे तो मैं इसके लिए 7 मिनट का समय निश्चित करता हूं।

नेताओं को दस मिनट का समय मिलेगा।

श्री नाथूराम शिक्षक--

उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रपट पेश की गयी है राजस्व मंत्री जी की ओर से इसमें इलाहाबाद जिले के दोआब क्षेत्र में एक किल्हनाई नाम की नदी है उसका नाम नहीं जोड़ा गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

आपको जब मौका मिलेगा तो अपनी बात कह लीजिएगा।

(श्री नारायण दत्त तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी-गढ़वाल)--

श्रीमन्, प्रत्येक सदस्य के लिये आपने कितना समय रखा है ?

श्री उपाध्यक्ष--

नेताओं के लिए 10 मिनट और शेष सदस्यों के लिए 7 मिन

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

आप सभी के लिए 10 मिनट रखिए।

श्री उपाध्यक्ष--

यह सब बाद में देख लिया जायेगा, अभी 7 मिनट ही रखा है, इसे चलने दीजिए।

श्री शिवानन्द नौटियाल (जिला गढ़वाल)--

श्रीमन्, कुछ सदस्यों के क्षेत्र में बाढ़ ही नहीं आई है और कहीं तो बहुत आई है हाहाकार मचा है, इसलिए समय की पाबन्दी नहीं रखनी चाहिये। जो ठोस प्रमाण दे उसको पूरा बोलने का मौका मिलना चाहिए।

[*श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--

मान्यवर, आपको राजस्व मंत्री के लिए भी कुछ समय निर्धारित कर देना चाहिए था, उन्होंने तो काफी समय ले लिया है, हमारे लिए बहुत कम समय रह गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने केवल 15 मिनट लिया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

खैर उन्होंने जितना समय लिया है, उतना ही समय ले लिया जाएगा। इस वर्ष बाढ़ का सामना करने में शासन जितना विफल रहा है, उतना इतिहास में कभी नहीं रहा है। (हंसी)

श्री उपाध्यक्ष--

सुनें, शोर न करें।

श्री नारायणदत्त तिवारी--

मैं उन माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं, जो राहत कार्य से सन्तुष्ट हों। यदि उनके यहां राहत कार्य हुआ है, तो वह बधाई के पात्र हैं। वे अपना सन्तोष यहां प्रकट करेंगे, तो मैं उनका भाषण सुनना चाहूंगा। श्रीमन्, मैं फिर दोहराता हूं कि बाढ़ का ठीक प्रकार से सामना करने में और जनता को राहत पहुंचाने में जितना असफल वर्तमान शासन रहा है, उतना शायद इतिहास में पहले कभी देखने का नहीं मिला है (व्यवधान) इसके तथ्य मे सारे समाचार पत्र यदि आप देखें-पिछले दो-डेढ़ महीनों के तो चाहे कोई किसी पार्टी का नेता हो, जनप्रतिनिधि हो, गांवस भाओं के प्रतिनिधि हों, सबके द्वारा चारों तरफ हाहाकार समाचार पत्रों में दिग्दर्शित है। यह पार्टी का कोई प्रश्न नहीं है, इसको मैं किसी दलगत दृष्टि से नहीं कहता हूं। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, बाढ़ आने पर एक नहीं सैकड़ों माननीय सदस्यों ने यहां आपके पास और मेरे पास हजारों तार और पत्र भेजे हैं। मेरे पास रोजाना कार्यालय में 100 पत्र और तार आते रहते हैं, जिनको कभी राजस्व मंत्री को, कभी बाढ़ नियंत्रण कक्ष को और कभी मुख्य मंत्री जी के पास भेजता रहा हूं।

मुझे जिलों में जाने का अवसर भी मिला है। शासन ने समय से कोई कार्य नहीं किया है। समय से निर्देश नहीं दिए गए हैं, समय से जिलाधिकारियों को धन नहीं दिया गया है। जब किसी जिलाधिकारी से पूछा गया तो उसने कहा कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। इस पुस्तिका के देखने से विदित है कि 10 हजार रुपया डी0 एम0 के पास भेजा गया है। उसके बाद जहां-जहां बाढ़ आई, जिलाधिकारी तथा दूसरे अधिकारी रुपयों के लिए तड़फते रहे हैं, वहां पर नावों आदि का कोई प्रबन्ध नहीं रहा है। इस नोट से भी स्पष्ट है कि जहां 21 हजार गांव प्रदेश

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मे प्रभावित हुए हैं और 84 लाख 81 हजार व्यक्तियों पर इसका असर पड़ा है, मेरे विचार से ये आंकड़े गलत हैं, कम से कम डेढ़ करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं और कम से कम 25 हजार गांवों पर इसका प्रभाव पड़ा है। इसमें खुद माना गया है कि अभी अधूरे आंकड़े हैं, जो सहायता दी गयी है, जो नुकसान हुआ है इसको देखते हुए, कुल ढाई करोड़ रुपया अभी तक आबंटित हुआ है। उसमें भी अहेतुक सहायता के लिए कुल 1 करोड़ 10 लाख आबंटित हुआ है। इसका आधार क्या है, इसका भी पता नहीं है।

बदायूं जिले में जहाँ इतनी बाढ़ आयी कुल 2 लाख 85 हजार अहेतुक सहायता दी गयी। फर्रुखाबाद जिले में जहाँ पर एक पूरा ब्लाक डूब गया महज 5 लाख 49 हजार, शाहजहाँपुर में जहाँ पर जलालाबाद ब्लाक बिलकुल कट गया वहाँ कुल 4 लाख 77 हजार रुपये की सहायता दी गयी। उत्तर काशी जहाँ का इलाका ऐसा है जहाँ आज भी बाढ़ की विभीषिका बनी हुई है, न जाने कब बाढ़ का पानी टूट सकता है कुल 70 हजार रुपये की सहायता लिखी हुई है। शासन कहता है कि कुल साढ़े चार करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध है, रुपये की कमी है। जब साढ़े चार करोड़ रुपया उपलब्ध है तो क्यों खर्च नहीं किया गया क्यों ढाई करोड़ का आबंटन हुआ है, जब कि 122 करोड़ की माँग गयी है, केन्द्रीय सरकार से, ढाई करोड़ कुल खर्च किया गया है। इतनी कन्जूस यह सरकार है।

शासन में हिम्मत होती तो दस-बारह करोड़ खर्च कर दिया होता। मालूम होता है कि इस सरकार को केन्द्रीय सरकार पर विश्वास नहीं है। तुरन्त आवश्यक वस्तुएं बटनी चाहिय थीं। गेहूं आबंटित करने के लिए 13 हजार मीटरिक टन चाहिये था। कुल 5 हजार 5 सौ टन बाँटा गया। यह लिखा है। पृष्ठ 4 पर देखें। गेहूं क्या करें, जहाँ बाढ़ आयी हुई है, क्या चक्की चलायेंगे ? आटा कुल 50 हजार क्विंटल बटा है। गेहूं पहले एक किलो दिया। जब इंदिरा जी का दौरा हुआ, लाखों जनता वहाँ गयी, उन्होंने माँग की (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप लोग बोलने दें।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

इन्दिरा जी के नाम का इतना चमत्कारिक प्रभाव। इसके लिये मैं माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं। केवल नाम लेने से इतना भड़कना। तीन किलो किया गया गेहूं। गेहूं का क्या करें ? किसान लोग हमारे सामने लाये, कहा कि कहां पिसाय एक किलो गेहूं क्या करें ? जहाँ पर गाँवों में आग जलाने का सामान न हो वहाँ गेहूं दिया जाय। इससे बड़ा मजाक क्या हों सकता है ?

एक सदस्य--

आपके समय में कितना दिया जाता था ?

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय सदस्य बड़ी आपत्तियाँ कर रहे हैं। यह उनका दुर्भाग्य है कि उस समय वह असेम्बली के मेम्बर नहीं थे। उस समय असेम्बली को बता दिया गया था कि कितना दिया गया था '(व्यवधान) आटा कुल 50 क्विन्टल दिया गया। मैं कहना चाहता हूं कि मैं विरोधी दल का एक मुख्य नेता होने के कारण, मेरा अधिकार है अपनी बात कहने

[श्री नारायण दत्त तिवारी]

का बाढ़ की बात हो रही है। जिस प्रकार राजस्व मंत्री का वक्तव्य हमने बिना टोकाटोकी के सुना, कमसे कम सदन में यह मर्यादा बननी चाहिये, मेरा अधिकार है इतना। अगर श्रीमन्, यह लोग ऐसा करें तो शासन के किसी सदस्य को बोलना मुश्किल हो जायगा। मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्य सहयोग करें। अब श्रीमन्, उत्तर काशी में जो भू-स्खलन हुआ है, उसका जो आँकड़ा दिया गया है इतना गलत दिया गया है, अगर ठीक से हिसाब लगाया जाय, उत्तर काशी का इण्डियन एक्सप्रेस अखबार में सही रूप दिया है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसका कहीं पर वर्णन नहीं है। रेडियो में घोषित कर दिया गया कि जो ताल है वह टूट चुका है अब कोई खतरा नहीं रह गया है। मैंने खुद सुना कि वह ताल टूट गया है। दूसरे दिन यह आया कि ताल में पानी भरा हुआ है। आप इतनी भी सूचना वायरलेस से नहीं मंगा सकते हैं। आल इंडिया रेडियो पर ऐलान हो गया। लोगों को संतोष हो गया। अगर दुर्घटना हो जाती तो कौन जिम्मेदार होता? आज भी कहा जा रहा है कि कोई खतरा नहीं है। इस रिपोर्ट में भी है। डेढ़ किलो मीटर लम्बा और 50 मीटर ऊंचा पानी का बाँध है। तो इस तरह की बातें कही जा रही हैं।

माननीय, इन्होंने जो नावों का प्रबन्ध किया है उसको आप देखें। किसी भी जिले में अर्द्ध सरकारी या देशी नावों का समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया है। सहारनपुर में एक भी नाव का प्रबन्ध नहीं किया गया है। मुजफ्फरनगर में एक देशी नाव का प्रबन्ध किया गया है। बुलन्दशहर में कुल 5 देशी नावों का प्रबन्ध किया गया है। मथुरा में एक भी नाव का प्रबन्ध नहीं किया गया है। आगरा में भी एक भी नाव का प्रबन्ध नहीं हुआ है। बरेली में एक नाव का प्रबन्ध किया गया कोई मोटर बोट दिया ही नहीं गया। बस्ती में जहाँ पर इतनी भीषण बाढ़ का प्रकोप है वहाँ पर केवल एक मोटर बोट का प्रबन्ध किया गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

कृपया अपना भाषण 3 मिनट में समाप्त कीजिये।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

यह सब आँकड़े मैं आप द्वारा दी गयी पुस्तक से ही पढ़ रहा हूं। मैं कहीं दूसरी जगह से नहीं पढ़ रहा हूं। तो श्रीमन्, यह कुछ मिसालें हैं कि शासन समय का सही उपयोग करने में असफल रहा है। मैं बलरामपुर गया था, वहाँ पर सेना बुला ली गयी। सेना आ गयी परन्तु उसको कोई रास्ता बताने वाला नहीं था। सेना के अधिकारियों ने कहा अगर हमारा काम न हो तो वापस जायें तब कहीं अधिकारी आये और उन्हें रास्ता बताया। सेना बुलायी गयी लेकिन उसका उपयोग क्या किया गया? गवर्नमेन्ट आफ इंडिया से सेन्ट्रल टीम कई-कई बार आयी लेकिन आप उससे एक पैसा भी मंजूर नहीं करा पाये। 8 लाख रु0 प्रधान मंत्री कोष से दिया गया, कल मैंने सुना। यह आपकी असफलता है। आपने न किसी विधायक की सहायता ली और न किसी एम0पी0 की सहायता ली। 20 अप्रैल को एक जी0ओ0 निकाला गया जिसमें इस बात का उल्लेख था कि जिलाधिकारी बाढ़ समिति की बैठक बुलावे। कितने जिलों में बाढ़ समिति की बैठक बुलायी गयी, 31 मई तक। क्यों नहीं बुलायी गयी? एक भी जिले में बैठक नहीं बुलाई गयी।

31 मई के पहले की बात मैं कर रहा हूं । अब मान्यवर, इसी प्रकार जो राजनैतिक दल हैं उनका सहयोग नहीं लिया गया । आखिर क्या कारण है कि विरोधी दल के जो लोग हैं उनका सहयोग इस संबंध में कहीं भी किसी जिले में नहीं लिया गया है। हमारी पार्टी के लोगों ने बताया कि हम लोगों को नावें देने के लिए भी मना कर दिया गया । तो इस प्रकार मान्यवर, जन सहयोग न लेकर इस बाढ़ की रिलीफ के मामले में भी राजनीति को लाना यह कहाँ तक उचित है। मैं राजस्व मंत्री जी से कहूंगा कि मुझे उनकी गम्भीरता में विश्वास है । वह हर समय राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं सोचते । वह आज भी अगर आदेश जारी करें कि सभी दलों का सहयोग लिया जाय तो बहुत ही उचित होगा । बाढ़ की विभीषिका कोई जनता पार्टी या काँग्रेस पार्टी या अन्य किसी दल का प्रश्न नहीं है इसलिये श्रीमन्, मैं जानना चाहता हूं कि सभी लोगों का सहयोग लेने में क्या आपत्ति है?

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय तिवारी जी आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं बहुत शीघ्र ही समाप्त कर रहा हूं । तो, मान्यवर, मैं कह रहा था कि राजस्व विभाग से एक जी0ओ0 हुआ था पशुपालन विभाग बाढ़ एवं अभावग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए भूसा की पूर्ति करें । सिंचाई विभाग जून, 78 तक सारे बाढ़ कार्यों को पूरा कर ले । जलनिगम को आदेश दिये गये कि नगरों में पानी की निकासी के लिए जून, 78 तक इन्तजाम करा लें । मेरठ में जो अलीपुर बाँध है उसमें गैप खाली रह गये हैं ।

सिंचाई मंत्री (श्री बलबीर सिंह)--

मेरठ के अलीपुर बाँध का कार्य वर्षा से पहले ही समाप्त कर लिया गया था।

श्री नारायण दत्त तिवारी--

मान्यवर, मेरे पास अखबार की कटिंग है । मैं आपके पास भेज दूंगा जिसमें लिखा है कि अलीपुर बाँध में गैप रह जाने के कारण पानी नहीं रुक पा रहा है । इसी प्रकार मान्यवर, मधुबनी बाँध में भी गैप रह जाने के कारण पानी आ गया है। तो मैं यह जानना चाहूंगा कि राजस्व विभाग से जो यह जी0ओ0 निकला इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ? श्रीमन् बाढ़ अभी भी आ रही है । अभी भी प्रदेश का 1/5 वाँ हिस्सा जल मग्न है । गांव के गाँव जल मग्न है । मैं शासन से कहना चाहता हूं कि अब भी चेतें। सेन्ट्रल से जो सहायता मिलेगी उसके अलावा प्रदेश का शासन इस ओर तुरन्त आवश्यक कदम उठाये और बाढ़ पीड़ितों की सहायता करें ।

(श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कल्पनाथ सिंह (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, अगर आपके पास बोलने वाले माननीय सदस्यों की कोई सूची हो तो बता द । बार-बार उठने पर भी समय नहीं मिल पाता है। यदि सूची में मेरा नाम हो तो कृपया बता दें।

श्री उपाध्यक्ष--

आपका नाम इस सूची में नहीं है । वैसे भी मैं श्री यूसुफ को बुला चुका हूं इसलिये श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसफ ही बोलें ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ (जिला बस्ती)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका दिया बाढ़ के ऊपर बोलने का । मान्यवर, हमारे जिले में इस वर्ष इतनी भीषण बाढ़ आयी कि पहले कभी भी नहीं आयी थी । मान्यवर, बस्ती जिले का 75 प्रतिशत भाग आज बाढ़ की चपेट में है । मान्यवर, हमारी तहसील 3 ओर नदियों से घिरी हुयी है । एक ओर कुओना नदी, दूसरी ओर राप्ती और बूढ़ी राप्ती । मान्यवर, मेरा क्षेत्र भी उसी में आता है । हमारी तहसील में कुल 750 गाँव प्रभावित हुए हैं । मेरी कान्सटीटुएन्सी में कुल 468 गाँव हैं जिनमें से 400 गाँव प्रभावित हुए हैं । इस इलाके में माननीय विश्वनाथ पाँडेय और श्री शिव लाल मित्तल की कान्सटीटुएन्सी भी पड़ती है । अभी-अभी माननीय तिवारी जी ने कहा कि बस्ती जिले में राहत कार्य कुछ नहीं किया गया है । मुझे मालूम हुआ है कि जब माननीय तिवारी जी वहाँ पर गये थे और उन्होंने व्यवस्था की बात की हम लोग भी गाँव-गाँव गये और हमने देखा कि सबसे ज्यादा राहत का कार्य इस शासन ने किया है। उस बाढ़ में एक दिन भी एक आदमी इनका नजर नहीं आता था ।

हमारे मंत्री लोग वहाँ पर कमर-कमर पानी में पदल चल कर गये, उन्होंने गाँवों का निरीक्षण किया । आप वहाँ पर कभी भी नहीं गये । आप जब शासन में थे तो जमीन के नीचे पैर नहीं उतारते थे । मेरी प्रार्थना है कि आज हर गाँव में तत्काल सहायता पहुंचाई जाय । जब तिवारी आप डुमरिया गंज में गये और बोलने के लिए खड़े हुए तो जनता पार्टी के लोगों का एक मजमा खड़ा हो गया और उन्होंने कहा कि लगभग 11-12 मिनिस्टर यहाँ पर आये हैं और आप झूठ बोल रहे हैं । मैं इस बात से इंकार नहीं करता लेकिन चूंकि आप विरोधी दल में हैं चाह जो बोलें । मान्यवर, मैं बाढ़ के बारे में केवल एक बात कहना चाहता हूं कि जितनी भीषण बाढ़ इस साल रही है उतनी कभी पहले नहीं रही है । हमारे जिले में सबसे पहले सूखा पड़ा, फिर भीषण ओले पड़े और उससे भी निजात नहीं मिल पाई थी कि बाढ़ आ गयी । सबसे ज्यादा जो समस्या पैदा हुयी है वह वहाँ के पशुओं के चारे की है ।

दूसरा मसला वहां पर भुखमरी का है । मेरी माननीय राजस्व मंत्री जी से इस बारे में बात हुयी और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जैसे ही पानी कम होगा, वहाँ पर टैस्ट वर्क्स शुरू कर दिये जायेंगे । तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि वे वहाँ पर तत्काल राहत के कार्य की व्यवस्था की जाय । सिंचाई मंत्री जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं गाँवों की पटाई से भी बाढ़ से निपटा जा सकता है ।

*श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, में आपके माध्यम से आज उत्तर प्रदेश की विधान सभा को यह बताना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में जो भीषण बाढ़ आयी है, उसके कारण क्या है ? मान्यवर, इस बाढ़ के पीछे 27 वर्ष का गलत नियोजन का परिणाम है जिसकी वजह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से आज लोगों की बाढ़ से तबाही हो गयी है। यह अवधि बहुत ज्यादा होती है । इन सालों में जो नियोजन कार्य किया गया है उसमें कांग्रेस के नेताओं की जेब में पैसा रखा गया है। इसीलिय आज प्रदेश के 45 जिलों में बाढ़ से तबाही हुयी है । अभी माननीय राजस्व मंत्री जी को हमने सुना। जनता पार्टी की सरकार ने क्या-क्या किया उस सम्बन्ध में सही आँकड़े उन्होंने सामने रखे हैं । उन्होंने एक भी घड़ियाली आँसू नहीं बहाया, जैसा कि इसके पहले की सरकार बहाया करती थी । उसके बाद हमने अपने बहुत ही सम्मानित विधान सभा के सदस्य माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी जी को सुना । हमको आशा थी कि उत्तर प्रदेश की जनता जब विपत्ति में पड़ी हुई है तो वह कोई ऐसा वक्तव्य देंगे जिससे सबको राहत मिलेगी, परन्तु उन्होंने वही साधारण राजनीतिक चुटकी ली और यह नहीं बताया कि उत्तर प्रदेश के इस भीषण बाढ़ के समय जनता को क्या-क्या राहत दी गयी।

मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन तमाम जिलों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं जहाँ पर आज भी गलत नियोजन की वजह से तबाही मची हुयी है । मैं विशेषरूप से वाराणसी की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं वहाँ का प्रतिनिधि हूं । वहाँ 10 से लेकर 15 अगस्त तक जो भीषण बाढ़ आयी उससे जो चन्दौली विधान सभा का क्षेत्र है और कैंटूनमेंट इलाका, गंगा के दोनों तटों पर और कर्मनाशा और चन्द्रप्रभा नदियों के किनारे काफी फसलें नष्ट हुयी हैं । मैं प्रार्थना करता हूं कि जो आँकड़ें आये हैं उनको पुन: मंगा लें, क्यों जल्दी-जल्दी में पूरे नहीं आ पाये हैं। मुझे जानकारी है, वाराणसी में राहत कार्य जितना अच्छा हुआ है उतना कामी नहीं हुआ । हमारे अधिकारी और विधायक जहाँ पर जरूरत पड़ती थी वहाँ जाते थे नावों पर बैठ-बैठ कर । मैं कोई प्रशंसा नहीं कर रहा हूं परन्तु अधिकारी लोग जहाँ देखते थे तहसीलदारों को सोते हुए तो तुरन्त सस्पेंड उन्होंने कर दिया । 27 वर्ष में कभी ऐसा नहीं हुआ । एक भी जान नहीं गयी जबकि थानापुर और चन्दौली तहसील तमाम गंगा की चपेट में आ गयी और तबाह हो चुकी थी ।

मैं वाराणसी नगरपालिका के उन मकानों की ओर भी ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जहाँ अतिवृष्टि से नुकसान हुआ है । गरीबों की, हरिजन बस्तियों में जहाँ पर कि पुराने मकान रहे हैं वहाँ लाखों-लाखों की सख्या में मकान गिर गये हैं । राजस्व मंत्री जी से चाहूंगा कि वाराणसी नगरमहापालिका में जहाँ मकान गिरे हैं, अधिक से अधिक सहायता दी जाय ।

इसके साथ ही साथ मैं अपने राजस्व मंत्री और सिचाई मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जहां तमाम राहत का काम हुआ है । वहाँ कुछ अधिकारी जिनको हमने पकड़ा है चौकियों पर सोते हुए, ऐसे अधिकारी पाये गये कि जिनकी बाढ़ में डयूटी लगी थी और अपने बंगलों पर सोते हुए पाये गये ऐसे लोगों की लिस्ट विधायकों ने अपने-अपने क्षेत्रों की राजस्व मंत्री और सिचाई मंत्री को दी है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और आतताइयों को पनिशमेंट देने में रिआयत जरा भी न करें।

श्री उपाध्यक्ष—

समाप्त करें ।

श्री श्याम देव—

अन्त में मैं पुनः उत्तर प्रदेश की बाढ़ में जो लोग शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आशा करता हूं कि नियोजन ठीक करके बाढ़ के प्रभाव को हमेशा के लिये खत्म करें ।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं उस बाढ़ का जिक्र कर रहा हूं जिससे न केवल जिलों को बल्कि पूरे प्रदेश को एक बहुत गम्भीर खतरा आज भी बना हुआ है । उत्तरकाशी की बाढ़ के बारे में समाचार पत्रों में आपने पढ़ा होगा, रेडियो में सुना होगा, लेकिन जिन लोगों ने उसे आंखों से देखा है वही अन्दाजा लगा सकते हैं । न अखबार बता सकता है और न आल इंडिया रेडियो । मुझे अफसोस है कि इतनी बड़ी चर्चा बाढ़ के बारे में चल रही है, उत्तर-काशी के बारे में तमाम लोगों ने सुना, लेकिन इस बाढ़ की चर्चा के समय हमारे मुख्य मंत्री जी को समय नहीं है। वह सदन में आकर बैठें रहें और बाढ़ की वास्तविक स्थिति के बारे में सुने ।

मान्यवर, मैं उम्मीद करता था कि माननीय मुख्य मंत्री जी हेलीकाप्टर लेकर शायद उस क्षेत्र में जा सकें जहाँ पर यह विभीषिका आई हुई है, लेकिन एक बाढ़ दिल्ली में आई हुयी है जिसकी चपेट में दो नेता हैं चौधरी चरण सिंह और श्री राजनारायण उस बाढ़ की उनको फिक्र है, लेकिन जो तबाही उत्तरकाशी में होने जा रही है और जो हुयी है, मुख्य मंत्री जी के पास समय नहीं है कि उसको देखने के लिए हेलीकाप्टर का, इस्तेमाल कर सकें । एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जिसने जाकर देखा है कि आखिर उसमें वास्तविकता क्या है और उसका क्या प्रभाव है ? मान्यवर, अब तक अखबारों में कहीं नहीं पढ़ा कि आप वहां भी गये .....(व्यवधान)

जो सहायता दी गयी है, जो आंकड़े दिये हैं उनके अनुसार, मान्यवर, उत्तर काशी के लिये 80 हजार का अनुमान दिया गया है जितने गांव वहाँ बरबाद हो गये हैं, जो नुकसान वहां हुआ है, उसको देखते हुए यह कुछ भी नहीं है । हमारे यहां के दूसरे विधायक भी वहां की स्थिति बतायेंगे, पर इस झील के कारण गांव के गांव पहाड़ों पर बरबाद हो गये हैं और अब भी खतरा बना हुआ है । 8–9 हजार फुट की ऊंचाई पर जो गूजर जाति रहती है उनका बड़ा नुकसान हुआ है । जिन अधिकारियों को आपने राहत कार्यों के लिये भेजा है वे वहां पर जाकर ताश खेलते हुए देखे गये हैं । गंगोत्री मार्ग नष्ट हो गया है । तमाम पुल टूट गये हैं । यहां प्लेंस में तो पुल टूट जाता है तो आप नाव से जा आ सकते हैं, पर पहाड़ों पर ऐसा नहीं है । वहां तो फंसे ही रह जाते हैं । वहाँ जब बढ़ आती है तो शिलाखंड टूट जाते हैं । मार्ग अवरुद्ध हो जाता है।

मान्यवर, जो सूचना दी गयी है उसमें यह तक नहीं पता कि कितने पुल टूट गये हैं, कितनी सड़कें टूट गयी है । जो यात्री गंगोत्री मार्ग पर फंसे हैं वे जिन्दा हैं या मर गये हैं, इसकी कोई सूचना नहीं दी गयी है । माननीय मंत्री जी की तरफ से उत्तर काशी के बारे में जो भी वक्तव्य दिये गये हैं वे परस्पर विरोधी है । आल इन्डिया

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रेडियो से कभी यह सूचना प्रसारित की जाती है कि इस झील को तोड़ दिया जायेगा । कभी यह सूचना दी जाती है कि इसको तोड़ने से और खतरा उत्पन्न हो जायेगा । आज तक इस बात का पता नहीं कि क्या किया जायेगा । आज भी इस झील से खतरा ज्यों का त्यों बना हुआ है ।

अब राहत कार्य जो बताये गये हैं, मान्यवर, उनको देखें। अहेतुक सहायता की जो पुरानी सीमायें रखी गयी थीं वही आज भी हैं। आजकल जैसी उत्तर काशी की भीषण दयनीय स्थिति के होते हुए अगर वही पुराना माप दंड सहायता देने का रखा गया तो उससे भला होने वाला नहीं है । जो गांव के गांव उजड़ गये हैं अगर तकावी के नाम पर उनको 200 रुपया दिया जाता है तो उससे उनकी क्या सहायता होगी ? वह तो उनको जिन्दगी के साथ एक तरह का खिलवाड़ होगा। अगर आप चाहते हैं कुछ राहत देना तो आपको सबसे पहले वहां के लिये राशन का और दवा का प्रबन्ध करना चाहिये।

आज गांव के गांव ऐसे हैं जिनका मुख्यालय से सम्पर्क टूट चुका है । टेलीफोन के तार टूट गये हैं । हेलीकाप्टर से आप तुरन्त राशन और दवायें भिजवाने का काम करें । अगर दवायें वहां तुरन्त नहीं भेजी जायेंगी तो वहां महामारी जैसी भयंकर बीमारी फैल जायेगी । टेलीफोन के तार आदि की मरम्मत के लिये भी पर्याप्त धन दिया जाना चाहिए। चौथी चीज यह है कि जो सड़कें अस्त-व्यस्त हो चुकी, उन सड़कों की मरम्मत के लिए आपको युद्ध स्तर तक काम करना पड़ेगा । अगर सिचाई विभाग या सार्वजनिक निर्माण विभाग को देखेंगे, तो असम्भव है । तमाम पुल टूट चुके हैं । एक जगह से दूसरी जगह आना जाना बन्द हो गया है । अगले अहेतुक अनुदान द्वारा व्यवस्था की, तो वह व्यवस्था आपकी पूरी नहीं हो सकेगी । आपको सड़कों और नहरों की मरम्मत के लिये देना पड़ेगा । जो नहरें अस्त-व्यस्त हो चुकी हैं। आपको वहां के मकानों को बनाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी और वहां पर लोगों को बसाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी । 70–80 हजार रुपये जो हैं वह उत्तर काशी के खाते में डालते हैं, तो वहां की जनता के बारे में मजाक है । मैं आशा करता हूं कि यह सरकार इस संबंध में कोई शीघ्र कदम उठायेगी ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय (जिला बस्ती)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बस्ती जिले की बाढ़ से संबंधित कुछ विषयों पर अपनी बात करने के लिए खड़ा हुआ हूं । बस्ती जिला प्रति वर्ष बाढ़ से प्रभावित रहता है । लेकिन इस साल की बाढ़ बड़ी ऐतिहासिक बाढ़ थी, जैसा कि हम सब को पता है कि 13–14 तारीख माह जुलाई तक हम लोग सूखे से परेशान थे। और चारो तरफ पूरे क्षेत्र में सूखे से हाहाकार मचा हुआ था कि एकाएक लगातार 3–4 दिन की बारिस से हमारा पूरा जिला बाढ़ से प्रभावित हो गया । मान्यवर, मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं, उस क्षेत्र में नदियों का जाल है । राप्ती, बूढ़ी राप्ती, बांघ गंगा सिकरी आदि अनेक ऐसी पहाड़ी नाले और नदियों के बीच में वह हमारा इटवा क्षेत्र 18 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक चारों तरफ पानी से घिरा था । हमारे क्षेत्र में बाढ़ के कारण कुल 4 मौतें हुई हैं । मान्यवर, इस बात को भी छिपाया नहीं जा सकता है कि जहां ऐतिहासिक बाढ़ थी, वहां सरकार की ओर से सहायता करने का जो कार्य था, वह भी ऐतिहासिक था । मुझे बड़ा

[श्री विश्व नाथ पाण्डेय]

दुखद है कि हमारे मान्यवर, विरोधी दल के नेता स्वयं डुमरियागंज में जाकर वहां की हालत देखे थे और खुलेआम जनता के बीच में उन्होंने झूठी तकरीर की कि इसकी हालत को देखने यहां कोई नहीं आया, जबकि 4 मंत्री उससे पहले आकर हालत देखने के लिये दौरा कर चुके थे ।

श्री राम जी (जिला आजमगढ़)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है । हमारे विरोधी दल के कोई नेता नहीं है इसलिये वह भाग जो नेता विरोधी दल के संबंध में कहा गया है, कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जाइये, यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र--

आपने विरोधी दल को शून्य कर दिया है ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय--

हमारे विरोधी दल के नेता ने जहां तक बस्ती जिले में नावों की व्यवस्था की बात कही, जहां शून्य लिखा हुआ है, ग्राम समाज की नावों के बारे में उस पर तो उनकी निगाह पहुंची, लेकिन जहां पर 894 नावें लिखी हुई हैं कि यह नावें सहायता कार्य के लिए लगायी गयी, उसकी तरफ उनकी निगाह नहीं गयी ।

मान्यवर, मैं इस बात को खुले आम दावे के साथ कहना चाहता हूं कि शासन की ओर से हमारे बस्ती जिले को जो भी सहायता गयी है उससे पूरी जनता में उत्साह है । आज तक 30 साल के शासनकाल में कभी एक किलो से ज्यादा सहायता नहीं दी जाती थी। लेकिन इस साल 20,40 किलो तक गेहूं परिवार के हिसाब से दिया गया है। एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि जो राजस्व मंत्री जी के वक्तव्य में आया है कि ढ़ाई एकड़ तक के लोगों को सहायता दी गयी है । मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि सहायता तो बंट चुकी है । मैं निवेदन करूंगा कि आज भी एक से ढाई एकड़ के बीच में जो काश्तकार सहायता पाने से रह गये हैं उनको भी सहायता दिलाने की कृपा करें । एक बात के बारे में मैं खासतौर से माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे बस्ती जिले में सहायता बांटने के लिये जिलाधिकारी की ओर से ही एक आदेश पूरे जिले में प्रसारित किया गया था । लेकिन दुख की बात है कि डुमरिया गंज के तहसीलदार और परगनाधिकारी की ढिलाई की वजह से शासन के आदेश के अनुसार सहायता नहीं दी गयी, बल्कि कम दी गयी । डुमरियागंज में 18 किलो के हिसाब से सहायता दी गयी है जबकि अन्य जगहों पर 40,40 किलो की सहायता दी गयी है । यह तहसीलदार और परगनाधिकारी की वजह से हुआ है । अब इस संबंध में मैं एक सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करूंगा । हमारे क्षेत्र में जहां ओला, सूखा और बाढ़ आई है वहां पर जल्दी से जल्दी कोई काम शुरू करायें बांध बनाने का या अधूरी सड़कों को बनाने का काम शुरू होना चाहिये नहीं तो हमारा क्षेत्र भुखमरी का शिकार होगा । इसमें गांव कटाई का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाय । अंत में मैं पुनः प्रार्थना करता हूं कि एक एकड़ से ढ़ाई एकड़ के बीच में जो लोग सहायता पाने से रह गये हैं उनको सहायता देने की कृपा करें ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा(जिला आगरा)—

माननीय उपाध्यक्ष जी यह जो, रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें 15-8-78 तक की बाढ़ का जिक्र किया गया है । मैं राजस्व मंत्री जी को बताना चाहता हूं 19 तारीख को मैं अपने क्षेत्र में दौरे पर था । यमुना का जलस्तर ढाई फुट ऊंचे जा चुका था जिससे लगभग 20 गांवों में पानी घुस चुका था। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि राहत देने का कार्य आप से संबंधित है, राहत देने के संबंध में पुराने नियम बने हुए हैं । उनके मातहत काश्तकार को सहायता दी जाती है । लेकिन बाढ़ में चाहे दस बीघे का, 5 बीघे का, ढ़ाई बीघे का या एक बीघे का काश्तकार हो, नुकसान पूरे क्षेत्र में बराबर होता है । लेकिन इस बाढ़ की परिधि से ऐसे लोग बाहर कर दिये जाते हैं जिनका अधिक नुकसान होता है और जिनका कम नुकसान होता है उनको अधिक सहायता मिलती है । इसके अलावा जिन लोगों के मकान गिर जाते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा 25 रुपये की सहायता दी जाती है जिससे एक जोड़ी किवाड़ भी नहीं खरीदे जा सकते हैं । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सहायता एक समान देने की व्यवस्था आप करें ।

हमारा क्षेत्र फिरोजाबाद तीन तरफ से नदियों से घिरा है । सिरसा सेंगर, उत्तर की तरफ हैं । यमुना दक्खिन की तरफ है । इससे 70-80 गांव प्रभावित हैं । शिकोहाबाद से एक नहर निकलती है और इस नहर को दोनों नदियां क्रास करती है । उसका साइफन बना है । अंग्रेजीकाल में जो साइफन बने हैं वह बराबर साफ होते रहते थे लेकिन विगत वर्षों में सफाई नहीं हुई है । वहां जो पानी आता है उसकी क्षमता को देखते हुए जब तक 2-3 साइफन नहर में न बनाये जायं नदियों से, तबतक बाढ़ का खतरा फिरोजाबाद और एटा में बना रहेगा । इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां इस प्रकार के साइफान नहरों के किनारे हैं उसको दो बनाकर किया जाय। बाढ़ समिति की बैठक आगर में हुई उसमें सुझाव दिया था कि इस साइफन को दो कर दिया जाय तो हमारा इलाका बाढ़ से बच सकता है । लेकिन बाढ़ नियंत्रण विभाग को ओर से सिंचाई विभाग को सूचना देने के बावजूद भी न तो समय पर सफाई हुई और न दूसरा साइफन बनाने का ही व्यवस्था की गयी । इसलिये सिंचाई मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस मामले में प्रभावी कदम उठाकर सिरसा और सेंगर नदी पर दो साइफन बनाने की कृपा करें ।

इसके बाद जमुना नदी के किनारे के 30-40 गांव जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं उनके संबंध में जिलाधीश से कहा कि विगत वर्षों से उनको कोई सहायता नहीं दी जाती है जिससे वहां के लोग अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकें । जमुना नदी की बाढ़ का खतरा वहां कई बार आता है । आगरा में कभी-कभी खतरा पैदा हो जाता है । इसलिये बाढ़ नियंत्रण को ऐसे प्रभावी कदम उठाने चाहिये जिससे वहां बाढ़ का खतरा रोका जा सके और देश को बरबादी से बचाया जा सके । मैं आशा करता हूं कि जो हमने निवेदन किया हैं उस पर आप अमल करवायेंगे ।

*श्री सत्यपाल सिंह यादव(जिला शाहजहांपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारा जनपद शाहजहांपुर है जिसका उल्लेख राजस्व मंत्री जी ने अपने भाषण में किया है। वह उत्तर प्रदेश के 8 जिलों में एक है जो कि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सत्यपाल सिंह यादव]

सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित हुआ है । उत्तरकाशी और शाहजहांपुर में हेलीकाप्टर से सहायता पहुंचाई गयी है। राजस्व मंत्री जी हमारे क्षेत्र से परिचित हैं । मैंने तिवारी जी का भाषण सुना । उनके भाषण के दौरान व्यवधान किया गया है। मैं माननीय सदस्यों के सम्मुख कुछ तथ्य रखना चाहता हूं और वह आलोचना की दृष्टि से नहीं और न दलगत प्रश्न बनाकर बल्कि मैं सत्य बात कहना चाहता हूं । हमारे क्षेत्र में 360 गाँव जलालाबाद क्षेत्र के 102 गाँव तिलहर के हमारे क्षेत्र के बाढ़ से प्रभावित हुये हैं । हमारे जनपद में 4 तारीख को बाढ़ आयी और 8 तारीख को समाप्त हो गयी । उसके बाद 11 अगस्त से 13 अगस्त, 1978 तक मैंने अपने क्षेत्र का दौरा किया।

मंत्री जी भी शाहजहाँपुर गये थे । तिलहर तहसील में 102 गाँव बाढ़ से प्रभावित हुए थे जहाँ आपका एक भी अधिकारी उस क्षेत्र में नहीं गये थे। 14 अगस्त को जिलाधीश के वहाँ बैठक हुयी थी, वहाँ मैं गया था। इसलिये आपसे (मंत्री जी) नहीं मिल पाया था। लेकिन बैठक में स्पष्ट रूप से कहा था कि आपके कोई भी अधिकारी तिलहर क्षेत्र में नहीं पहुंचे थे । वहाँ सारे गाँव जलमग्न थे । सहायता पहुंचाई गयी यह कहा गया तो मैं राजस्व मंत्री जी के सामने तथ्य रखना चाहता हूं कि तिलहर तहसील में ही नहीं हमारे जनपद में जो गाँव प्रभावित हुए हैं वहाँ शासन की तरफ से प्रति व्यक्ति के हिसाब से 200 ग्राम चना और 200 ग्राम गुड़ के अलावा कोई भी चीज नहीं बाँटी गयी है। जबकि इससे मिला हुआ जनपद बदायूं है जहाँ गुड़ तथा चने के साथ अनुदान के रूप में 25 और 50 रुपये भी बाँटे गये जिस के फलस्वरूप वहाँ के गरीब तथा बाढ़ से प्रभावित परिवार अपनी सहायता कर सके लेकिन शाहजहाँपुर तथा तिलहर में केवल चना तथा 200 ग्राम मिठाई बंटवा कर वहाँ के गरीब परिवारों का मजाक उड़ाया गया है।

हमारी जनपद के अन्दर आपकी पार्टी के सदस्य खेड़ाबड़ा में रहते हैं । वहाँ सारे अधिकारी गये और हाजिरी लगा आये और शाम को शाजहाँपुर वापस आ गये । जितना खर्च सरकारी अफसरों के खेड़ाबड़ा आने जाने पर पड़ा उतने रुपये की आपने वहाँ पर चीजें नहीं बाँटी । 13 तारीख को वहाँ जाने पर सूचना मिलती है कि कुछ अनुदान उन्होंने वहाँ बाँटना शुरू किया है। जिन परिवारों में कोई व्यक्ति मृत माना गया उनके परिवारों को 25 रूपये से ज्यादा अनुदान नहीं दिया गया सहायता के रूप में और काँग्रेस सरकार के जमाने में भी इससे कम अनुदान सहायता के रूप में वहाँ नहीं दिया गया जितना कि इस जनता सरकार के समय में दिया गया ।

जनपद शाहजहाँपुर के अन्दर बहुत से गाँव रामगंगा, गंगा तथा बेहगुल नदियों से कट गये हैं और बहुत से लोगों की जमीन उनमें चली गयी है। जिलाअधिकारी ने कहा कि उन लोगों को वहाँ बसाने की व्यवस्था की जा सकती है जहाँ गाँव सभा की रिक्त जमीन हो । लेकिन गाँव सभा की जमीन न होने पर मैं जिलाधिकारी से निवेदन किया कि सरकारी धन से जमीन एक्वायर करके उन लोगों को वहाँ बसाया जाय या बड़े काश्तकारों को मुआवजा करके उनसे जमीन लेकर उस जमीन पर उनको बसाया जाय जिनकी जमीन इन नदियों से कट गयी है। इसके अलावा एक नाव की व्यवस्था के लिये जिलाधिकारी से कहा गया लेकिन नये होने के कारण वह एक नाव की व्यवस्था करने में भी असमर्थ

अपने को पा रहे हैं । ऐसे भी मकान थे जो बाढ़ की चपेट में आ गये, झोपड़ियां गिर गयीं और उन घरों के अन्दर सिवा कीचड़ के कुछ नहीं मिला । ऐसे परिवारों को बसाने के लिये अधिक से अधिक सहायता दी जानी चाहिये।

किताब के आँकड़ों से यह ज्ञात होता है कि इस बात के निर्देश जिला अधिकारियों को दिये गये हैं कि कहीं भी पैसे के अभाव से राहत कार्य नहीं रुकना चाहिये। जब सरकार और शासन की यह नीति है कि वह हर सूरत में ऐसे परिवारों की मदद करे तो क्या कारण है कि शाहजहाँपुर जनपद भूखा मर रहा है और आपके अधिकारी तथा कर्मचरी वहाँ उपेक्षापूर्ण नीति बरत रहे हैं और हाथ पर हाथ धरे सो रहे हैं ? आपको ऐसे वर्ग की तरफ भी विशेष कर ध्यान देना चाहिये और इनको बसाने का प्रबन्ध किया जाय।

जानवरों के चारे की व्यवस्था के बारे में भी आपने कहा है भूसे की व्यवस्था की जा रही है । मैं कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ इसकी कोई व्यवस्था नहीं है । हाँ, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से थोड़ा काम विभिन्न अंचलों में जाकर किया है। मैं कहना चाहता हू कि जितना बुरा प्रबन्ध इस साल हुआ है उतना अभी तक कभी नहीं हुआ । मेरा प्रबल अनुरोध है कि मैंने जो सुझाव दिये हैं उन पर गौर करेंगे और लोगों को राहत पहुंचायेंगे ।

*श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस माननीय सदन में बाढ़ और गर्की के बारे में बहस हो रही है। मैं सबसे पहले माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी से एक बात कहना चाहता हूं और उनको याद दिलाना चाहता हूं शासन की कुर्सी पर बैठ कर दूसरी तरह की बात कहते हैं और विरोध में बैठ कर उल्टी बात कही जाती है । आप मथुरा जिले में चल कर देख लें । वैसे तो सारा प्रदेश बाढ़ से ध्वस्त हो रहा है लेकिन मथुरा जिले में प्रलय जैसा हो रहा है । चारों तहसीलों छैहों निर्वाचन क्षेत्रों के 70 प्रतिशत गांवों में फसलों का नामोनिशान नहीं है । नदियां और नाले उफन कर चल रहे हैं । मैं समझता हूं कि आधे से ज्यादा जनसंख्या भाग कर चली गई है । माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी का जब शासन था हमारे जिले में एक स्पेशल स्कीम बनाई थी। उत्तर प्रदेश के मन्त्रि-मण्डल की बैठक 6 दिन तक मथुरा में की थी । लेकिन खोदा पहाड़ निकली चुहिया वाली बात उस मीटिंग में हुई । मैं कहना चाहता हूं कि इतनी घोषणायें आप कर आये थे उसके बाद भी आज पूरा जिला ध्वस्त हो गया है । उत्तर प्रदेश की सरकार नें जो पिछले साल हम लोगों ने हल्ला मचाया था उसके कारण साढ़े 10 करोड़ दिया।

माननीय सिंचाई मंत्री जी पार साल दो तीन बार हमारे यहाँ गये थे फिर भी अगर डैम सही तरह से न खोदे गये तो इसके लिए क्या किया जा सकता है। मैं कहना चाहता हू कि कि साल भर तक विभाग वाले गर्की और बाढ़ के बारे में सोचते नहीं हैं और सोते रहते हैं और जब अगस्त का महीना आता है और इन्द्र देवता जब जोर से प्रकट होते हैं और जब ऐसा लगने लगता है कि आसमान फट जायगा तब बाढ़ के काम में जुटते हैं । अगर यह काम शुरू से ही चालू किया जाय और जनवरी के बाद निरन्तर बाढ़ और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राधेश्याम शर्मा]

गर्की को मिटाने का प्रयास किया जाय तो इतनी समस्या नहीं आयेगी । हाँ, यह अलग बात है कि कोई असाधारण बात हो जाय जिसकी कल्पना नहीं की जा सके जैसा कि इस साल बारिश हुई तो अलग बात है । जून तक विभाग वाले कुछ करेंगे नहीं और जुलाई आयेगा तो एक दो मीटिंग बुला लेंगे और अगस्त का महीना आयेगा तो फिर चना और गुड़ फेंकवा देंगे और राहत कार्य शुरू करेंगे । जिसके आँकड़े यहाँ पर कलेक्टर से आ जायेंगे । ऐसा ही माननीय श्री नारायण दत्त तिवारी भी करते थे और यह सरकार भी कर रही है और आगे जो सरकार आयेगी वह भी करेगी।

मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो राजस्व मंत्री जी और सिंचाई मंत्री जी से संबंधित है । वैसे तो हमारे जिले में माननीय सिंचाई मंत्री पिछले साल स्वयं गये थे और जोरदार तरीके से उन्होंने वहाँ पर देखा था और एक-एक किसान की बात सुनी थी । वह नाव में भी बैठकर गये और गाँवों में जहाँ पर पानी भरा हुआ था धोती उठाकर पैदल स्वयं हमारे साथ गये थे । मान्यवर, माननीय मंत्री जी जितना रुपया खर्च कर रहे हैं, जितना प्रयास कर रहे हैं, वह तो सराहनीय है लेकिन जो कर्मचारियों की एजेंसी है, उसको थोड़ा सख्ती से काम लें तो यह काम और ठीक हो सकता है । जैसे 10 1/2 करोड़ मथुरा जिले के लिये दिया और अगर उसका ईमानदारी से इस्तेमाल हो, उसका दुरुपयोग न हो गोवर्धन महराज दुबारा आ जाएं तो नहीं कहता लेकिन बाढ़ का नाम नही रहेगा । लेकिन इसमें बहुत गड़बड़ी होती है । ऐसे कितने डैम हैं जो खुदे नहीं और लिखकर दे दिया कि इतने फीट गहरे हो गये, इतने फीट चौड़े हो गये । तो शासन कितना भी कड़ाई के साथ काम करें, दुरुपयोग होता है ।

मथुरा जिले में 6 निर्वाचन क्षेत्र हैं जिसमें मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात कहता हूं कि सभी ने कहीं हैं । छाता क्षेत्र मे 6 न्याय पंचायतें जलमग्न हैं । मोठ क्षेत्र के तमाम गाँव जलमग्न हैं जैसे फौलाहाट, नीमगाँव । इसी तरह से कराहरठ, इरौली, कोड़वारा, धौलाहार, जुमलाहार, तुलगढ़ी में गढ़ीसरा और राजागड़ी डीह ये तमाम गाँव जलमग्न हैं । पचासों मील का इलाका बाढ़ की भयंकर चपेट में है । जितने डैम खुदे सही काम नहीं हुआ। नौझील के बारे में परसाल भी बता चुका हूं । बहुत भारी झील है। अथाह पानी भरा है। बाँध है लेकिन पानी निकालने की कोई व्यवस्था नहीं है । नसीठी पर जो सास बनाने का सवाल है, वह नहीं बना । तो, मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी का ध्यान अवश्य उधर है, लेकिन कड़ाई से प्रयास करें तो सारी समस्या का हल हो जायेगी ।

मान्यवर, इस वक्त 45/46 जिले बाढ़ से त्रस्त है । जहाँ तक मथुरा जिले की बात है, वहाँ तो हाहाकार मचा है । एकाध और तगड़ी बारिश हो गयी तो लोग दूसरे जिले को भागने लग जायेंगे । तो माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इस संबंध में जितनी सख्ती हो सके, करें तो प्रदेश को बाढ़ के प्रकोप से बचाया जा सकता है ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि मथुरा की बात इस आदरणीय सदन में उठाता ताकि जितनी भी सहायता वहां पहुंचायी जा सके, पहुंचायी जाय । जितनी भी वहां सहायता दी गयी है, वह वहां नाममात्र को नहीं पहुंची । न अनाज पहुंचा है और न रुपया

पहुंचा है । अतः माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि रिलीफ के काम को अगर जोरदार ढंग से करावें तो जिला बच सकता है ।

मेरा अन्तिम सुझाव है कि जैसे बाढ़ आने पर इस ओर ध्यान दिया जाता है, अगर उसी तरह से साल भर उस ओर ध्यान दिया जाय और सरकारी एजेंसी को लगाया जाय, तो इस समस्या से बचा जा सकता है । अगर एक साल तक पूरा प्रयत्न हो जाय तो कोई कहने की बात नहीं होगी । क्योंकि जब काम बिगड़ जाता है तो फिर काम ठीक नहीं होता । इन शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को इस आशा से समाप्त करता हूं कि इस वर्ष गर्मी और बाढ़ के बारे में जुटकर काम नहीं करेंगे तो जनता में बुरा हाल होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय ओम प्रकाश (राम मिलन सिंह) से निवेदन है कि वह केवल 4 मिनट में समाप्त कर लें ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)--

मान्यवर, सूची आपके सामने है । मेरा निवेदन है कि सूची के अनुसार मौका दें, तो ज्यादा अच्छा होगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

चूंकि उनको जाना है, इसलिये उनको मौका दे रहे हैं ।

*श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)--

मान्यवर, इस साल बस्ती में 92 मीटर तक बाढ़ आयी । सरकारी अधिकारियों का कहना था कि अगर 95 मीटर तक बाढ़ आ जाती तो बस्ती जिले का पता ही नहीं चलता । यह सोचने की बात है । कारण सारी नदियां पहले से ज्यादा उथली हो गई हैं । उनमें बालू आ गयी और गहराई कम हो गयी है । इसलिए बाढ़ आती है । बस्ती में 7 हजार गांवों में से 5 हजार गांव बाढ़ से जलमग्न थे शायद उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा । हमें खेद है कि आकाशवाणी ने बस्ती जिले की उपेक्षा की और कोई चर्चा तक नहीं किया । जबकि सूबे में सबसे ज्यादा बाढ़ बस्ती में थी और सन् 38 से कहीं ज्यादा थी । 38 में तो केवल चार दिन पानी रहा अबकि 15 दिन तक पानी भरा रहा और उससे कितनी क्षति हुई इसका अनुमान करना बड़ा कठिन है । हमारे जिले के लिए ड्रेनेज के लिए 65 लाखरुपया मिला । लेकिन पता नहीं वह रुपया क्या हो गया । हमारे इर्रीगेशन डिपार्टमेन्ट द्वारा उसका ठीक से रख रखाव नहीं किया गया और न ही कोई जांच करने वाली कमेटी है । कहां पर एक लाख पत्थर गिरा दिया कोई रिकार्ड नहीं है । सिंचाई विभाग को इस दुरुपयोग को रोकना चाहिए । अगर नहर विभाग बेईमानी नहीं करता तो इतने गांव न डूबते । हजारों ट्रक पत्थर न मालूम कहां फेंक दिये ।

मैं समझता हूं कि चीन तथा अमेरिका जैसे देशों ने अपने यहां बाढ़ की समस्या पर कन्ट्रोल कर लिया । लेकिन हमारे देश में 30 वर्ष की आजादी के बाद भी बाढ़ की विभीषिका उत्तरोत्तर बढ़ रही है और उस पर आज तक कन्ट्रोल नहीं हो पाया है । यद्यपि

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री ओम प्रकाश—]

अमेरिका और चीन की समस्याएं इतनी गम्भीर नहीं थीं । लेकिन यहां पर शासन द्वारा इसकी उपेक्षा की जा रही है । इसके बारे में जब तक कोई ठोस हल नहीं निकाला जायगा समस्या का कोई हल नहीं निकल सकता है । इसी प्रकार मुडेरवा-बभनान जो कि बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, वहां पर मिल के ऊपर किसानों का लगभग 82 लाख रुपया गन्ने का बकाया है । शासन मिल मालिकों से किसानों को गन्नें का दाम तुरन्त दिलवाये । वे भीख नहीं मांग रहे हैं । वे चाहते हैं कि उनको उनके गन्ने की कीमत मिल जाय । दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि कर्जे का सूद एक दम माफ कर दिया जाय । बस्ती जिले में सूखा तथा ओला भी पड़ा और बाढ़ भी आई । इसलिए कर्ज की वसूली स्थगित कर दी जाय तथा कर्जे पर व्याज नहीं लगना चाहिए । इस प्रकार शासन से अनुरोध है कि अगर शासन बाढ़ की विभीषिका से बचाना चाहता है तो कोई स्थायी हल निकाले और बाढ़ को रोके ।

*श्री शतरुद्ध प्रकाश (जिला वाराणसी)—

मान्यवर, बनारस में और खासकर मेरे क्षेत्र में बाढ़ आयी थी । मान्यवर, जैसा कि उत्तर प्रदेश गरीब सूबा है, यहां पर यह दुर्भाग्य है कि गर्मी में सूखा, जाड़े में पाला और बरसात में बाढ़। इन सब के बाद जो बचता है वह गरीबी और भुखमरी है । अब तक तो बाढ़ के बारे में और खासकर राहत कार्य के बारे में बहुत चर्चा हुई और भूतपूर्व मुख्य मंत्री नारायणदत्त तिवारी जी जब बोल रहे थे तो मैं सोचता था कि वह कोई बुनियादी बात कहेंगे, जिससे कोई बुनियादी योजना और बुनियादी हल सामन आएगा, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई, जिसके द्वारा किसी नई नीति का प्रतिपादन होता । आज नम्बर एक का कार्य राहत कार्य, राहत पहुंचाने का है, लेकिन हर साल जो बाढ़ आती है और करोड़ों रुपये की क्षति होती है, उसको लेकर उत्तर प्रदेश की जनता पार्टी की सरकार पूरे राज्य स्तर पर एक सम्मेलन बुलावे—बुद्धिजीवियों, तकनीशियनों, वैज्ञानिक और अधिकारियों तथा सम्मानित सदस्यों का, जो बैठकर इस बात पर विचार करे कि उत्तर प्रदेश को हर साल की बाढ़ की विभीषिका से कैसे बचाया जा सकता है । वर्ना होता यह है कि जब बाढ़ आती है, यहां चर्चा होती है, उसकी रोकथाम के उपाय होते हैं, लेकिन अगले साल के लिए आगे की बात भूल जाते हैं ।

इसलिए मेरा सुझाव है कि निकट भविष्य में इस बुनियादी सवाल पर विचारार्थ एक सम्मेलन बुलाया जाए । यह प्रदेश की सीमा में ही सम्मेलन वाली समस्या नहीं है, पूर्वी उत्तर प्रदेश को बाढ़ से बचाने के लिए आवश्यक है कि नैपाल सरकार के साथ भी इस पर बात की जाए । क्योंकि पूर्वी क्षेत्र की अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल नैपाल में है । जब वहां से वे आती हैं तो बर्बादी का रूप धारण कर लेती हैं । आवश्यकता इस बात की है जितनी जल्दी हो सके, उत्तर प्रदेश की सरकार नैपाल की सरकार से बात करे और जो उनके उद्गम स्थल हैं, उनके बारे में विचार किया जाए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

केवल हिन्दुस्तान में ही नहीं, दुनियां के अनेक देशों में बाढ़ से हर साल बर्बादी होती रही है, लेकिन उन्होंने अपनी नदियों को ठीक करके अपनी नदियों को अभिशाप के स्थान पर बरदान के रूप में बदल लिया है। चीन देश इसकी जीती जागती मिसाल है, जिसने ह्वांग ही नदी को अभिशाप के स्थान पर बरदान में बदल दिया है। यहां नदियों पर बांध बना कर केवल धरनी के ऊपर ही कार्य किया गया है, यही उसके लिए एक विकल्प प्रस्तुत किया गया है, लेकिन जो जमीन के ऊपर कार्य किया गया है वह असफल साबित हुआ है, उनके स्थान पर अब नदियों को और अधिक गहरा और साफ करने की योजना बनाई जाए तो उससे ज्यादा और वास्तविक फायदा हो सकता है क्योंकि नदियों के तलहटी में जितना प्रक्षेपण हो रहा है, वह निरन्तर प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है।

30 साल तक जो गलत दिशा में कार्य चला है, उसमें परिवर्तन करते हुए नदियों को गहरा किया जाए और नदियों का सफाई कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जाए। यह एक सांस्कृतिक कार्य भी होगा। इसके अलावा जैसा राजस्व मंत्री जी ने कहा है 50 फीसदी से ज्यादा जहां फसल बर्बाद होगी, लगान माफ किया जाएगा और कक्षा 7 से लेकर विश्व-विद्यालय स्तर तक की फीस भी स्थगित की जाएगी। इस संबंध में मेरी मांग है कि इसे (फीस) स्थगित न किया जाए, बल्कि छात्रों की फीस को माफ किया जाय। और जो 122 करोड़ की मांग इस सरकार ने केन्द्रीय सरकार से किया है हम सदन के जरिये से सदन से मांग करते हैं कि बिना पक्षपात किये यहां की आवश्यकताओं को देखते हुए। 122 करोड़ रुपये की सहायता तत्काल यहां भेजी जाय।

इसके साथ-साथ मैं बनारस के बार में दो चार शब्द बोलूंगा। बनारस में इस साल बाढ़ आयी। मेरे क्षेत्र में करीब 10 गांव डूब गये एक हजार बीघा से ज्यादा फसल बरबाद हो गयी। इस पूरी रिपोर्ट में बनारस को कोई भी सुविधा राहतकार्य में नहीं दी गयी तत्काल उसको भी सुविधा दी जाय। बाढ़ के कारण एक नक्खा पुल टूट गया, जिसकी पूर्व सूचना जिला अधिकारी को दे दी गयी थी फिर भी पुल को बचाने के लिए कोई कार्य नहीं किया गया। उस पुल को तत्काल बनाया जाय, छात्रों की फीस माफ की जाय, मालगुजारी माफ की जाय, बाढ़ को रोकने के लिए उचित कदम उठाये जायं, यह मेरी मांग है इस छोटे से भाषण के दौरान।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन्, मैं पहले तो उन तीन सौ इंसानों को जिनकी इस बाढ़ में जानें गयी हैं, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मुझे दुख जरूर है लेकिन मौजूदा शासक दल को इस बाढ़ का मुकाबला करने में नाकामयाबी के ऊपर कोई ताज्जुब नहीं है न मुझे उनसे कोई शिकायत है, इसलिए कि पिछले सालों से इन लोगों ने तांत्रिक लोगों पर ज्यादा विश्वास किया है।

एक सदस्य—

माननीय उपाध्यक्ष जी,

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपा करके बाढ़ पर बोलें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रियासत हुसैन—

मैं विषय से बाहर नहीं जाऊंगा । अबकी, इस बार भी जंत्रियों में कहा गया कि इस साल वर्षा नहीं होगी, वर्षा कम होगी । लोगों ने धान बोने का प्रोग्राम स्थगित कर दिया जंत्रियों को देख कर । लेकिन वर्षा हुई । तांत्रिकों और नजूमियों की बात भूतपूर्व गृह मंत्री के लिए कही गयी कि वह प्रधान मंत्री बनने वाले हैं ।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

आपको जंत्रियों से शिकायत है या मंत्रियों से ?

श्री रियासत हुसैन—,

मुझ को मंत्रियों से भी शिकायत है और जंत्रियों से भी शिकायत है । भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री के लिए भी कहा गया कि जनता पार्टी के अध्यक्ष होने वाले हैं । इसलिए मुझे कोई इस बात पर शिकायत नहीं है कि जनता पार्टी की सरकार इस बाढ़ का मुकाबला करने में असफल हुई । मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि मैं एक-एक बात सही कहूंगा । अगर जरा भी मेरी बात में कोई मंत्री फर्क बता दें तो मैं असेम्बली की सदस्यता से इस्तीफा दे कर चला जाऊंगा । अब गौर कीजिये । 1971–72 में मुरादाबाद में सैलाब आया बड़ा भारी उस वक्त गर्वनर का राज्य था । अकबर अली महोदय वहां गये । इतनी बड़ी बाढ़ उन्होंने देखा । बैठकर उन्होंने सारे अधिकारियों और विधायकों से बातचीत हुई और यह मसला सामने आया, नबाबपुरा मोहल्ला कट गया, इसको रोकने के लिए एक बांध यहां बनाया जायगा, किश्तियों का इंतजाम होगा । लेकिन 1972 से लेकर 1978 में दूसरी बाढ़ आ गयी, जब जिला अधिकारी से यह बात पूछी कि 1972 के प्रोग्राम का क्या हुआ तो जिला अधिकारी ने कहा कि मुझसे और लोगों ने कहा, कागजात दिखवाये लेकिन उस चीज का कहीं पता ही नहीं है । गवर्नर महोदय की मौजूदगी में एक प्लान बना 1972 में और 1978 तक कुछ न हो, इसके मानी सिर्फ यह हैं कि जब बाढ़ आती है तो भागदौड़ होती है और जब चली जाती है तो किसी चीज पर ध्यान नहीं दिया जाता ।

श्रीमन, मैं बहुत ही साफ तौर से कहना चाहता हूं कि मेरा अपना क्षेत्र जो है उसका 3/4 भाग बाढ़ से प्रभावित है । 4 तारीख को मैं दिल्ली में था । नेशनल एक्जीक्यूटिव में जयपुर जा रहा था । मुझे मालूम हुआ कि मेरा क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित हो गया है । जब मैं लौट कर आया तो सही पाया कि 3/4 भाग बाढ़ से प्रभावित है । कुमरिया कोसी नदी का पानी आ गया और हमारा क्षेत्र चारों ओर से घिर गया । मैं टाइम और घड़ी देख कर बता सकता हूं कि 25 गांव कोसी और रामगंगा की बाढ़ से घिरे हुए थे । 4, 5 और 6 तारीख तक यह नहीं मालूम हो सकता कि उस 20 हजार लोगों की आबादी जिन्दा है अथवा नहीं या वे सब बह गये । उनको देखने के लिए मैं गया । मसुढिया स्टेशन पर मैं गया तो वहां पर तहसीलदार मिले । उन्होंने कहा कि उस क्षेत्र में आप जा रहे हैं, तो सब पता चल जायेगा । वहां जाकर कानूनगो से पूछा कि क्या हालत है तो उन्होंने कहा कि कोई साधन ही नहीं हो पाया है कि यह पता लगाया जाये कि वहां पर क्या हुआ । किश्ती भी नहीं थी । अगर कोई साधन नहीं हो सका था तो तैराकों को भेजकर पता लगाया जा सकता था, लेकिन कुछ नहीं किया गया । यह सब लौटकर मैंने तहसीलदार को बताया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप 2 मिनट में समाप्त कीजिए ।

श्री रियासत हुसैन—

मैंने एस0 डी0 एम0 से कहा, तो वह क्या कहते हैं कि मुझे इस क्षेत्र की टोपोग्राफी नहीं मालूम थी । तहसील का लगान वसूल करने के लिए मालूम रहती है । लेकिन बाढ़ की सहायता के लिए नहीं मालूम होती है । माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं । मई और जून के महीने में उनको लिख कर दिया कि हुसैनगंज बन्धे का काम नहीं हो रहा है । तो उसका उत्तर प्राप्त हुआ कि आपका पत्र सिंचाई सचिव के पास आवश्यक कार्यवाही के लिए भेज दिया गया है । जब बन्धा टूट गया तो के0 सी0 अग्रवाल को सस्पेंड किया गया । अगर एक महीना पहले सस्पेंड कर देते तो वह पूरा हो जाता ।

श्री बलबीर सिंह—

आज्ञा हो तो मैं एक मिनट में बता दूं । बन्धा टूटा नहीं । दो जगह पर बन्धे में गैप रह गया था । हाई कोर्ट से स्टे था दूसरे लोगों ने बनाने नहीं दिया । बाद में पी0 ए0 सी0 भेजी गयी । इसकी आप को जानकारी है । टूटा नहीं । ऊपर से पानी आ गया ।

श्री रियासत हुसैन—

माननीय मंत्री जी ने हाई कोर्ट की बात कही । बन्धा 12 मीटर बनने को रह गया और वह बह गया ।

(लाल बत्ती जलने पर)

मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं । मैं एक मिनट में अपने सुझाव आपको देता हूं अधिक समय नहीं लूंगा । आप एक रिटायर्ड इंजीनियर की एक कमेटी बनावें जिससे आपको हर बन्धे की रिपोर्ट मिलती रहे । 20 किलो मीटर सड़क का हर क्षेत्र में टेस्ट वर्क होना चाहिए जिससे लोगों को काम मिले । लगान का रेमिशन फौरन हो, अभी भी बन्द नहीं है । फीस अगस्त की लड़कों से वसूल कर ली गयी है । आप फ्लड डिविजन के जरिये सर्वे करा लें । जो नये कंस्ट्रेक्शन हुए हैं वह पूरे नहीं हुई हैं । ऊपर से लगातार बारिश होने के कारण भी स्थिति खराब हो गयी है । वाटर लागिंग होने तथा पानी का आउट लेट न होने से हर साल सैलाब आता है । जब तक आप इन प्राब्लम्स को दूर नहीं करेंगे तब तक सैलाब पर कन्ट्रोल नहीं किया जा सकेगा ।

श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नैपाल की नदियों से हमारे क्षेत्र में हर साल बाढ़ आती है । इस संबंध में कई बार माननीय मंत्री जी को लिखा गया है । वहां की नदियों की गहराई न होने के कारण नारायणी, गण्डक आदि नदियों पर बांध की व्यवस्था की जानी चाहिये । इसके लिए केन्द्रीय सरकार ने बैराज बनाने के लिए करोड़ों रुपये दिये थे । यू0पी0 गवर्नमेन्ट ने भी 4 लाख रुपये देने की बात कहीं थी तथा बिहार सरकार ने भी 14 लाख रुपये देने की बात कही थी । परन्तु समय से रुपया न आने के कारण हर साल बाढ़ उस क्षेत्र में आया करती है । गोरखपुर जनपद जो कि तराई क्षेत्र है उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का वह भाग है जो सबसे ज्यादा गल्ला पैदा करता है, निरन्तर बाढ़ आने के कारण फसल का वहां पर भारी नुकसान होता है । मैं चाहूंगा कि शिकारपुर, सोहगीबाबा, चन्दागूल रमा

[श्री शारदा प्रसाद जायसवाल—]

कलनहीं आदि गांव जो नदियों से घिरे हुए हैं। उन गांवों में हर साल बाढ़ आने से सरकार का लाखों रूपया व्यय होता है, सारी शक्ति लगाई जाती है परन्तु बाढ़ कन्ट्रोल होना असम्भव होता है, तो मैं माननीय राजस्व मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सोंहगीबाबा, शिकारपुर चन्दागुलर भार, कलनहीं गांवों के लिए ऐसी व्यवस्था करें जिससे हर साल आने वाली बाढ़ से राहत मिल सके। वह गांव जंगल तथा नदी से घिरा हुआ है। वहां की जनता का यह सुझाव है कि सरकार गांव की आबादी की जमीन तथा खेती योग्य जमीन पर जिस पर वृक्षारोपण हो सकता है। सरकार जंगल विभाग को देकर जंगल विभाग की ऊंची जमीन जो हो उस पर कलनहीं, चन्दागुलरमार सीमा पर सोहगीबाबा के ग्रामवासियों को बसा कर हर साल आने वाली बाढ़ से बचा सकती है और प्रति वर्ष 1,00,000 रुपया राहत कार्य पर होने वाले खर्च को भी बचाया जा सकता है। साथ ही साथ में यह भी कहूंगा कि अब तक जो राहत कार्य हुआ है वह सराहनीय है। सोहगी बाबा तथा शिकारपुर आदि गांव 16-7-78 से पानी से भरे हुए हैं। जिसमें 500 जानवर, दो लड़कियां व एक स्त्री उसमें डूब गयी। पुलिस विभाग की 3 मस्कटें पानी के नीचे गिर गयीं। इन मस्कटों को निकाल लिया गया लेकिन उसमें बैठने वालों की जान नहीं बच सकी। मैं यह भी चाहूंगा कि वहां के लोगों के लिए रबी की फसल के लिए मुफ्त बीज व खाद की व्यवस्था की जाय। यदि ऐसा नहीं किया गया तो वहां के लोगों के सामने एक गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जायेगी। वहां के लोगों की हर साल बाढ़ के आने से स्थिति जर्जर हो गई है।

हमारे क्षेत्र के गोरखपुर जनपद की महाराजगंज तहसील का पूरा इलाका अतिवृष्टि के कारण बाढ़ से प्रभावित है तथा वहां की पूरी फसल नष्ट हो गयी है। अतः उस क्षेत्र को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया जाय। इण्टरमीडियेट तक के बच्चों से शिक्षा शुल्क की वसूली भी न की जाय। वहां पर जो लोग निवास करते हैं उनके अधिकतर मिट्टी की दीवालों के मकान होते हैं और फूंस के होते हैं। मेरी प्रार्थना है कि उनके लिए जंगल विभाग से लकड़ी और फूंस का प्रबन्ध कराया जाय ताकि वे लोग अपने मकान बना सकें। मेरी यह भी शासन से प्रार्थना है कि उनको 300 रुपया प्रति परिवार के स्थान पर कम से कम 1,000 मकान बनाने के लिए दिया जाय ताकि वे अपने मकान बना सकें और तकावी की तरह से उनसे यह रकम 3 वर्ष तक वसूल न की जाय। इसी तरह से खेखड़ा नाले, छोटी गंडक और नारायणी से मेरा इलाका प्रभावित है। इसमें चटिया, नव्वाबारी, ठूठीवारी, घर मौली सड़कहवां, मिरचहवां और गड़ौरा ग्राम सभाओं के क्षेत्र प्रभावित हैं। इस इलाके में हजारों मकान ध्वस्त हो गये हैं। जिन लोगों ने राजस्व की वसूली भी दे दी उनसे फिर वसूल की जा रही है। इसका कारण यह है कि अमीनों ने वसूली के चालानों को अपने विभाग को नहीं दिया है जिसके कारण दुबारा वसूली हो रही है। हमारे गांव वालों को 18 लाख 50 हजार रुपया का भुगतान जो गन्ने का बकाया है दिलवाया जाय। बैंकों को भी आदेश दिए जायं कि वे किसानों की पर्चियों को जमा करने पर गन्ने के काश्तकारों को 75 प्रतिशत का भुगतान कर दें। इस बात के लिए ग्रामीण बैंक के रीजनल मैनेजर सहमत हो गये हैं। यदि ऐसा कर दिया जाता है तो वास्तव में वहां के किसानों को इस मुसीबत के समय कुछ राहत हो सकती है।

*श्री बदन सिंह (जिला आगरा)—

मान्यवर, मैं फतेहपुर सीकरी में जो बाढ़ आयी है उसके बारे में कुछ तथ्य निराकरण के लिए इस माननीय सदन में रखना चाहता हूं। मान्यवर, मेरा पूरा क्षेत्र बाढ़ और गर्की से प्रभावित हुआ है। इसका कारण यह है कि राजस्थान के बांध से वहां पर एक दम प्रवाह के साथ पानी आ जाता है। उस अजान बांध की क्षमता बहुत कम रहती है और वहां पर पानी भर जाता है तो उस बांध के पानी को खोल दिया जाता है जिससे फतेहपुर सीकरी की ओर पानी आने लगता है। उसमें 93 मोरे हैं जिन्हें एक दम छोड़ दिया जाता है। तो मेरी शासन से प्रार्थना है कि उस बांध के पानी को वे एक दम न छोड़ें और उस पानी को भिन्न-भिन्न दिशाओं में डाइवर्ट कर दिया जाय। इसके अलावा भरतपुर में जो ड्रेन है उसमें से अधिक पानी रिलीज कर देते हैं। मेरी माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है कि बाणनदी पर महुआ में बांध बनाकर और गम्भीर नदी का पानी खानवा बांध में डालकर के उटंगन नदी में निकाल दिया जाय तभी फतेहपुर सीकरी का क्षेत्र राजस्थान के इस पानी से बच सकता है।

जो अपने क्षेत्र के लिए काम किया जा सकता है उसका निवेदन करूंगा कि जो अजान बाँध से पानी आता है तो एक धारा मुहम्मदपुर सुनौठी होती हुई तेंरामीरी बाँध में आती है। दूसरी चौमा शाहपुर से चिकसाना बाँध में जाती है। वे दोनों अपनी गोद में उस पानी को नहीं समा पाती है। इसलिए में माँग करूंगा कि इन दोनों धाराओं को नाले के रूप में चौड़ा और गहरा कर दिया जाय जिससे पानी फसल में न फैले और खारी नदी में निकल जाया करें।

मैं आपके सामने विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि शासन ने मेरें क्षेत्र को इस समस्या से बचाने के लिए बहुत कुछ खर्च किया लेकिन नहर विभाग के अधिकारियों नें ठीक प्रकार से उस पैसे का सदुपयोग नहीं किया। गवस नाले के लिए दो लाख रुपया और फतेहपुर सीकरी ब्रांच के मार्डनाइजेशन के लिए दो लाख रुपया और चौंगा नाले के लिए 20 हजार रुपये की माँग की गयी थी। मैं माँग कर रहा हूं कि चौंगा नाले के ऊपर जो लायबिलिटी दिखाई गयी है 20 हजार रुपये की, उस नाले को तो नहर विभाग के अधिकारियों ने जाकर किनारे से भी नहीं देखा है, उसको साफ करने की बात तो दूर रही और इस प्रकार से झूठा पैसा माँगा जा रहा है। तो मैं सदन के द्वारा मंत्री जी से माँग करूंगा कि इस प्रकार का झूठा भुगतान बिलकुल नहीं होना चाहिए और यह पैसा जनता के कार्यों में लगवाना चाहिए। वहाँ पर सहायक इंजीनियर द्वारा जो काम हुआ है उनसे बराबर माँग की जा रही है कि वे एम0बी0 प्रस्तुत करें लेकिन वह एम0 बी0 नहीं दे रहे हैं। तो भ्रष्टाचार से सम्बन्धित कागज उनसे माँगे जायं जिससे हमारे क्षेत्र पर जो पैसा खर्च किया गया है उसका सदुपयोग हो।

मान्यवर, हमारे क्षेत्र में दूसरें जो 78 गाँव गर्की से प्रभावित हैं उसका एक मात्र कारण यह है कि आगरा टरमिनल-आगरा रजबहा और सिकन्दरपुर रजबहा तीनों नहरों के बीच में वह क्षेत्र आता है। वहाँ नाले कम गहरें हैं, पानी के निकास की समुचित व्यवस्था

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बदन सिंह--]

नहीं है। इस क्षेत्र का सर्वे करके वहाँ अतिरिक्त नये नाले खुदवाये जायं। कासोटी नाला और वेस्टर्न डिप्रेशन ड्रेन इन नहरों को जब तक चौड़ा नहीं किया जायगा तब तक गर्की से इस क्षेत्र को नहीं बचाया जा सकता। मैं माँग करूंगा कि आगरा टरमिनल के दोनों तरफ जो पानी का सीपेंज होता है और सदैव रबी की फसल को बरबाद करता रहता है उसके दोनों तरफ सीपेज ड्रेन बनवा दिये जायें जिससे वह पानी नालों के द्वारा निकल जाया करें। मैं यह माँग करना चाहूंगा कि समय-समय पर जब इस प्रकार की समस्याओं का निराकरण होगा तभी यह काम पूरा हो पायेगा।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री बदन सिंह--

एक मिनट में। उत्तर प्रदेश के अधिकारी लोग और राजस्थान के लोग जब तक बैठ कर इस समस्या को नहीं सुलझायेंगे तब तक हमारे क्षेत्र को किसी प्रकार से भी बाढ़ से नहीं बचाया जा सकता। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि केवल आपके द्वारा समस्या का हल नहीं होगा। आपके सहयोग और राजस्थान का सहयोग जब मिलेगा तभी उस क्षेत्र को बचाया जा सकता है। अन्त में मैं पुनः आग्रह करूंगा कि हमारे क्षेत्र को बचाने के लिए राजस्थान सरकार को बाध्य किया जाय कि वह अपने पानी पर नियंत्रण करे जिससे फतेहपुर सीकरी को तबाही से बचाया जा सके।

(श्री राम चरन शाह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री भगवती प्रसाद सिंह (जिला फैजाबाद)--

व्यवस्था का सवाल है।

एक सदस्य--

साढ़े चार बजे इस पर चर्चा खत्म हो जायगी....

श्री उपाध्यक्ष--

कल फिर चलेगी।

(व्यवधान)

भगवती प्रसाद सिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह दुख का विषय है जो अभी अभी सुनने में आया है कि इस माननीय सदन के एक माननीय सदस्य श्री राजबहादुर यादव की डेथ हो गयी है। परम्परा यह रही है कि जब ऐसी दुखद घटना घटती है तो सदन की कार्यवाही उस दिन बन्द हो जाती है।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी कोई विधिवत सूचना उसकी नहीं आयी है। आप कृपया बैठ जायें।

(श्री रामचरन शाह का नाम पुनः पुकारे जाने पर)

एक सदस्य--

आज साढ़े 4 बजे यह चर्चा समाप्त हो जायेगी। तो क्या जो नाम आज दिये गये हैं वे ही कल लिये जायेंगे या कल फिर से नाम देने होंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

इस समय जो नाम सूची में हैं उनमें से ही मैं ले रहा हूँ।

श्री राम चरन शाह (जिला खीरी)—

श्रीमन्, नेपाल से जितनी नदियां.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें। मैंने श्री शाह को बुलाया है।

एक सदस्य---

व्यवस्था का प्रश्न है। जो हम लोगों ने नाम दिये हैं क्या यह कल भी लिये जायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

कल कोशिश करूंगा। मैंने सब नाम लिख लिये हैं। आप लोग कृपया बैठे। श्री शाह को बोलने दें।

श्री राम चरन शाह—

सभी नदियाँ हमारे यहाँ से होकर जाती हैं.....

(व्यवधान)

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। पूरा प्रदेश बाढ़ से तबाह हो रहा है। 40 जिलों में भयंकर बाढ़ आयी हुई है। भिन्न-भिन्न क्षेत्रो से आये लोग स्थिति को बता रहे हैं और उपयोगी सुझाव दे रहे हैं मगर इसकी गम्भीरता को आज नहीं लिया जा रहा है। यहाँ पर राजस्व विभाग, सिचाई विभाग, बाढ़ विभाग, पशुपालन विभाग आदि के अधिकारियों को रहना चाहिये था।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय राजस्व मंत्री जी. इस बात का खयाल रखें कि जिन विभागों का सम्बन्ध आज की चर्चा से हो, वे यहाँ पर रहें।

श्री बलबीर सिंह--

सिचाई विभाग के हैं।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप लोग कृपया बैठें।

एक सदस्य—

जिनके नाम आज की सूची में हैं उनको कल मौका दिया जायगा।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कोशिश की जायेगी कि जिनके नाम हैं सब को मौका मिले।

श्री रामचरन शाह—

मेरे यहाँ की तहसील इन तमाम नदियों से घिरी हुई है। हमारी तहसील के कई क्षेत्रों में बाढ़ के कारण कटाव शुरू हो गया है। हमारे क्षेत्र में शारदा नदी, सरजू नदी व मुहाना नदी नेपाल से आकर घेरे हुए है और शारदा नदी का कटान-अदलावाद गाँव तथा लाल बोझी में कटान इतना भयानक है कि यह गाँव और इसकी जमीन पूरी की पूरी नदी के अन्दर चली गयी है। उसको निकाल कर किसी दूसरे स्थान पर बैठालने की व्यवस्था करना सरकार को हो गया है। बघवा, महादेवा गाँव पूरा का पूरा कट गया है। कड़ियाला और घाघरा का जो मोहाना है जहाँ पर बाँध बना हुआ है उसके आगे आपने स्वयं देखा है कि नरेन्द्र नगर बरेली की पूरी की पूरी जमीन कट गयी। कबीरगंज व प्रतापनगर कालोनी पूरी की पूरी बोकरिया नदी में चली गयी है। इसके पहले मैं बताना चाहता हूं कि इसी प्वायन्ट को लेकर जो वहाँ पर सड़क पी0 डब्लू0 डी0 की बनी हुई थी पिछले साल मैंने माननीय मंत्री जी से कहा था। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि मैं इस प्वाइट को ठीक करवाऊंगा और धन भी था केन्द्रीय सरकार का धन बाढ़ के कटाव को रोकने के लिए था परन्तु सरकार के अधिकारियो ने अपनी टेक्निकल पोजीशन को लेकर उस काम को नहीं किया। वहाँ पर बहुत जन-धन और खेती का नुकसान हुआ। इसको अभी जब सिंचाई विभाग का बजट था मैंने उनके अधिकारियो को नोट कराया था कि इस प्वाइंट को बचाया जाय अगर यह नहीं बचेगा, तो आधा खीरी कापलिया एरिया तबाह हो जायगा। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था परन्तु अधिकारियों ने आज तक वहाँ पर वर्क नहीं किया बाढ़ आ गयी है और कटाव को रोका नहीं जा सकता। अगर उस समय पैसा लगा कर रोका गया होता तो आज यह स्थिति न होती। आज हमारी तहसील को खतरा हो गया है।

मैं माननीय मंत्री जी से माँग करता हूं कि जिन अधिकारियों ने उस समय टेक्निकल प्वाइट को लेकर हमारे मुल्क का खिलवाड़ किया है। आज उसी में पत्थर डाले जा रहे हैं। अगर उस समय किया गया होता तो आज यह मुंह न देखना पड़ता। अगर उन अधिकारियों की गलती है तो उनको मोअत्तल करें या उनको निकालें। आज जो वहाँ पर पत्थर डाले जा रहें हैं एक ट्रक पत्थर जाता है मगर जब पत्थर चला जाता है तो लिख देंगे कि 10 ट्रक गया है। मैं वहाँ पर गया हुआ था वहाँ पर लोगों ने कहा कि अगर ये लोग पिछले साल बचाने का प्रयत्न किये होते तो यह दुर्गति देखने का मौका नहीं मिलता। पिछले साल से जब मैं बराबर लिख रहा हूं तो क्यों नहीं वह कार्य हुआ? मैं जहाँ-जहाँ पर दौरे पर गया हूं वहाँ पर भीषण विभीषिका भी देखा है। आप भी मेरे साथ एक दिन घूमें है। जो धन आबंटित किया गया है, दो लाख 60 हजार किया है, परन्तु वितरण 1 लाख किया गया है। उनको पूरा धन वितरण किया जाय। वहाँ पर नावों की व्यवस्था की भी कमी है। उसके बारें में अधिकारियों को मैंने कहा है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है। जब तक बाढ़ विभीषिका खत्म न हो जाय. रेवेन्यू विभाग को वसूलयाबी के लिए रोका जाय जो गन्ना किसानों का धन बकाया है, उसको तुरन्त पेमेन्ट कराया जाय।

मेरे क्षेत्र में तमाम सड़कें टूट गयी हैं। इनके बारे में बोर्ड ने मंजूरी दे दी है। उन्होंने वायदा किया था कि आपकी सरकार पैसा खर्च करने के लिये प्लान बनाये और केन्द्र सरकार से पैसा ले। केन्द्रीय सरकार पैसा देने के लिये तत्पर है, लेकिन मुझको मालूम होता है कि

हमारी सरकार पैसा लेने को टाल रही है। हमारे 85 लोग उत्तर प्रदेश के वहां बैठे हैं। हमारी सरकार को पैसा लेना चाहिये और इन एम0 पीज0 की मदद से प्रेशर डालकर अधिक से अधिक पैसा बाढ़ योजनाओं के लिये लें। हमारे तीनों मंत्री राजस्व मंत्री, सिंचाई मंत्री, कृषि मंत्री विशेष रूप से जागरूक हों और इस काम के लिये सक्रिय रूप से ध्यान दें जिससे इन समस्याओं का समाधान हो।

श्री प्रताप सिंह पुष्पवान (जिला चमोली)—

उपाध्यक्ष महोदय, . . .

श्री भगवती प्रसाद सिंह —

मान्यवर, मैंने एक प्रस्ताव रखा था उस पर आपने जवाब नहीं दिया है।

श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

मान्यवर, पडरौना में विप्लवकारी घटनायें हुयीं हैं, इधर भी ध्यान देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

कल आपको मौका मिलेगा।

श्री भगवती प्रसाद सिंह—

मान्यवर, मेरे प्रस्ताव पर विचार करें।

श्री उपाध्यक्ष—

उसकी कोई सूचना अभी हमारे तक नहीं आयी है। आप बैठिये।

एक सदस्य—

मान्यवर, गोंडा जिले में स्थिति सबसे ज्यादा खराब है।

*श्री प्रताप सिंह पुष्पवान—

मान्यवर, बाढ़ के संबंध में चर्चा हो रही है। मैं चाहता हूं कि इस पर हम दलगत राजनीति के बजाय प्रदेश को एक समस्या के रूप में विचार करें। मान्यवर, बाढ़ के संबंध में बहुत सी बातें कहीं गयीं हैं लेकिन यह बाढ़ कहां से आती है क्यों आती है इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। मैं सन् 70 की याद दिलाता हूं। बेलाकूचों में अलकनंदा में बाढ़ आई। जिसमें दर्जनों गाड़िया और करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति स्वाहा हो गयी। मैंने पिछले सत्र में याद दिलाया था कि बेलाकूंची की बाढ़े इसलिये आयी कि जंगल को 15 लाख रुपये में नीलाम कर दिया गया और इसके कारण वहां पर भू-स्खलन आमंत्रित किया जिसका नतीजा यह हुआ कि अवर गंगा कैनाल को साफ करने के लिये एक करोड़ 15 लाख रुपये खर्च करने पड़े। पर्वतोय क्षेत्र के लोग हमेशा मांग करते रहें हैं कि पहाड़ों का कटान पर जंगलों का कटान बंद किया जाय लेकिन आज भी शासन कोई ध्यान नहीं देता। यह कोई जनता या कांग्रेस का सवाल नहीं है। उत्तर प्रदेश को जीवित रखने का प्रश्न है। अगर उत्तर प्रदेश को बचाना है तो पहाड़ के जंगलों को बचाना होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री प्रताप सिंह पुष्पवान]

आज अलकनंदा, भागीरथी में बाढ़ आई। कल काली, गौरी, मंदाकिनी में बाढ़ आयेगी।

मान्यवर, शासन में बैठने वाले अधिकारी कितना झूठ बोलते हैं कि उत्तरकाशी में 80 प्रतिशत जंगल हैं। अभी जो वहां का अध्ययन किया गया है उसके अनुसार वहां केवल 15 प्रतिशत जंगल अब शेष हैं। कहा जाता है कि वहां वैज्ञानिक ढंग से दोहन जंगलों का हो रहा है। दिन-प्रति-दिन वहां के जंगलों का विनाश हो रहा है। इसलिये यदि हिमालय की रक्षा करनी है तो वहां के जंगलों को बचाना होगा। लेकिन अभी तक इस तरफ शासन का ध्यान विशेष रूप से नहीं गया है। इसलिये यह पहाड़ का ही विषय नहीं है बल्कि संपूर्ण देश का विषय है। अतः यदि जंगलों को न बचाया गया तो हर साल बाढ़ आती जायेगी। चमोली में गांव के गांव तबाह हैं जबकि इसमें एक गांव की सूचना अंकित है। स्पष्ट है कि जहां तक गाड़ी जाती है वहां तक अधिकारी लोग जाते हैं और बाकी जगह नहीं। मैं कहना चाहता हूं कि दोसली विकास खंड जाने के लिये 80 मील पैदल चलना पड़ता है जहां कि सारे गांव बह गये हैं। लेकिन वहां कोई देखने वाला नहीं है। इसलिये आप ऐसे लोगों का एक दल बनाये जो उन गांवों को देख सकें और उनकी रक्षा कर सकें।

मान्यवर, 50 हजार रुपये सहायता के रूप में दिये गये हैं जिससे काम नहीं चलने वाला है। यदि आप पुरस्कार देना चाहते हैं तो हमारे जंगलों को और वहां की मिट्टी को बचायें। वाडिया इंस्टीट्यूट आफ ज्योलोजी, देहरादून में एक कान्फरेन्स हुई थी उसमें वैज्ञानिकों ने तय किया था कि पहाड़ को यदि बाढ़ से बचाना चाहते हैं, मैदान को बाढ़ से बचाना चाहते हैं तो वहां के बनों की रक्षा करनी चाहिये। हमारे वहां से 3 मुख्य मंत्री आये लेकिन वह बरेली की फैक्ट्री को और मोटे लोगों को खुश करने के लिये काम किया यह हमारा दुर्भाग्य रहा। इसलिये मैं अपील करता हूं कि आप उस नीति में परिवर्तन लायें और इस पर गम्भीरता से विचार करें। बनों तथा मिट्टी को बचायें अन्यथा जैसे बिलाकोली, बिरही और अभी भागीरथी का कांड हुआ उसी प्रकार और कांड होंगे यदि बनों को न बचाया गया। डी0 एम0 जो आदेश देते हैं वह डाइरेक्टर और सचिव की जो रिपोर्ट होती है उस पर ध्यान दे कर देते हैं। इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि वहां के गांवों को बड़ी बुरी हालत है। इसलिये बच्चों की वहां फीस पूरी माफ की जाय या आधी माफ की जाय। इसके साथ ही जो सरकारी वसूली और ऋणों की वसूली है उसको भी रोक दिया जाय। यह मेरा निवेदन है।

श्री मंगल देव (जिला गोण्डा)—

मान्यवर, वैसे तो बाढ़ एक दैवी प्रकोप है। लेकिन बलरामपुर तहसील में बाढ़ का प्रकोप प्रदेश के अन्य स्थानों से विशेष ही रहा है। मान्यवर, स्थिति को दुरुह बनाने के लिये वहां के जिलाधिकारी ने गोंडा जनपद के 500 गांव, बलरामपुर तहसील के, अपने अनुभवहीनता की वजह से तबाह कर दिया है। 15 तारीख से 16 और 17 तारीख तक लगातार अति वृष्टि होती रही। बलरामपुर के कार्यकर्त्ताओं ने स्थानीय अधिकारियों से यह कहा कि निचली तराई में बाढ़ के आने की पूरी संभावना है उसके

लिये व्यवस्था की जानी चाहिये, लेकिन खेद का विषय है कि स्थानीय अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सबसे दुखद विषय यह है कि जिला का एक हिस्सा देश से पूरी तरह से कट गया तथा तुलसीपुर रेलवे मार्ग तीन जगह से कट गया, संचार व्यवस्था ध्वस्त हो गयी लेकिन जिला अधिकारी तीन दिन तक बलरामपुर नहीं आये। 18 तारीख को कुछ उच्चाधिकारी बलरामपुर आते हैं। शायद उनका ध्येय बाढ़ को मनोरंजन की दृष्टि से देखना था क्योंकि अपनी पत्नियों को लेकर आये थे। उनका घेराव किया गया और उनसे मांग की गयी कि लखनऊ में सरकार को यह सूचना दें कि वहां की क्या स्थिति है लेकिन समझ में नहीं आता कि उस अधिकारी को किन लोगों का प्रश्रय प्राप्त है कि बलरामपुर जनपद में इतना क्षेत्र बरबाद हो गया फिर भी उसकी तारीफ के पुल बांधे जा रहे हैं।

पत्रकारों का एक दल बलरामपुर तहसील गया जिसने वहां जनता से सम्पर्क स्थापित किया और जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने वहां की वस्तु स्थिति उनको बतलाई और जब समाचार पत्रों में वहां की स्थिति छपी तो खेद के साथ कहना पड़ता है कि सरकार ने उसका खंडन किया और ऐसा लगता कि जनता की बरबादी तथा दुखदर्द से उनको कोई हमदर्दी नहीं है और अपने अधिकारियों का बचाने का सरकार का खास मकसद था। कोई भी अधिकारी 20 तारीख तक किसी भी गांव में नहीं गया, अगर कोई साबित कर देगा तो मैं विधान सभा की सीट से इस्तीफा दे दूंगा। यही कार्यकुशलता है अधिकारियों की ? अगर आपको विश्वास नहीं है तो स्वतः चल कर आप देख सकते हैं। रामनगर, भगवानपुर, मिर्जापुर, रोमारी, आवर तथा खजुरिया गांव पूरी तरह से बह गये। लोग सड़कों पर आ कर रह रहे थे। भूखे जानवरों की हड्डियां निकल आई थीं लेकिन राहत के नाम पर सरकार ने चाहे जो भी आंकड़े प्रस्तुत किये हों लेकिन यह देखने की कोशिश नहीं की कि राहत कार्य कितना हुआ है उस क्षेत्र में ? वहां वितरण किस प्रकार किया जा रहा है इसकी जांच की जाय।

तुलसीपुर क्षेत्र में तो सड़ा हुआ गेहूं वितरित किया गया और जनता पार्टी के कार्यकर्त्ताओं ने ही खाद्य मंत्री को यह सूचना दी लेकिन आज भी वह अधिकारी वितरण कर रहा है और कोई कार्यवाही उसके खिलाफ नहीं की गयी। खेद की बात यह है कि अपने को यह सरकार प्रजातंत्र की हामी बतलाती है, प्रजातंत्र की दुहाई देती है लेकिन वितरण में जिस तरह से भेदभाव हमारे क्षेत्र में बरता गया है वह अपने में एक मिसाल है।

तुलसीपुर के निकट एक गंवरिया गाँव है जिसमें अल्पसंख्यक लोग रहते हैं। चूंकि वह हरिजनों का गाँव है और वह कांग्रेस के समर्थक हैं इसलिए 30 ता0 तक कोई सहायता वहाँ नहीं दी गई। यह बड़े दुख की बात है। इसकी जाँच होनी चाहिये कि इसके दोषी अधिकारी हैं या आपने स्वयं ऐसी नीति बनाई है। बाढ़ की विषय में सब के सहयोग से काम होना चाहिये लेकिन आपने यह नहीं किया। आपके सेवा दल मंडल है, सनातनधर्म संस्था है उसमें किसी से भी सहायता ली जा सकती थी लेकिन नहीं ली। और एक आपकी दिल्ली की संस्था है उसने एक नेता जिनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं। दवाईयों का वितरण उस संस्था के द्वारा कराया गया। जिसका कि एक राजनीतिक दल से सम्बन्ध है।

(व्यवधान)

श्री अशफाक (जिला गोण्डा)—

यह सरासर झूठ है। [इनका काम ही यही है।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दें।

श्री मंगल देव--

हमारें अशफाक साहब प्रशासन के विषय में बोले थे और उन्होंने स्थायी अधिकारियों के खिलाफ समाचार पत्रों में बात कही, लेकिन आज उनकी कार्यकुशलता पर संतोष प्रकट कर रहे हैं। यह बड़े दुख की बात है। ऐसी विपदा के समय में वहाँ पर राजनीतिक दृष्टि से काम किया गया। जनता आज वहाँ परेशान है, बच्चे नंगे घूम रहे हैं। राशन के बटवारे का काम सड़कों पर किया गया। मैं कहना चाहता हूं कि यह काम सड़कों पर न करके गाँवों में हो। आज जितना पेट्रोल में पैसा फूका गया उतना शहरों में बाढ़ भी नहीं आई है। गाँवों तक अधिकारी गये भी नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपना भाषण समाप्त करें।

श्री मंगल देव--

आज वहाँ गाँव पानी से घिरे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठे। समय समाप्त हो गया है।

श्री नाथूराम शिक्षक —

मान्यवर, इलाहाबाद जिला तीन प्राकृतिक भागों में बंटा हुआ है। पहला गंगा पार, दूसरा जमुना पार और तीसरा गंगा जमुना के बीच का हिस्सा जिसे दुाबा कहते हैं। इस साल इलाहाबाद जिले में यमुना नदी में बाढ़ का प्रकोप कम रहा और उसके मुकाबले में गंगा में बाढ़ का प्रभाव बहुत तेज रहा जिससे काफी प्रगति हुई है। किन्तु इलाहाबाद जिले के जिलाधिकारी और एस0 एस0 पी0 अपने-अपने कंट्रोल रूम खोले हुये थे और पूर्वी जिलों को भी कंट्रोल किये हुये थे। और जहाँ से भी माँग आई वहाँ नाव भेजी। रातों रात 60 नावें भेजी गई और मिलिट्री की सेवा भी जहाँ उनकी सहायता की जरूरत थी, भेजी गई। इस कार्यकुशलता के लिए, जिलाधिकारी इलाहाबाद और एस0 एस0 पी0 महोदय के हम आभारी हैं।

मान्यवर, इलाहाबाद जिले में गंगा नदी की बाढ़ के साथ-साथ गंगा-यमुना के बीच में दो बरसाती नदियाँ हैं जिनमें एक का नाम है ससुरखदेरी और दूसरी का नाम किलनहाई। ये नदियाँ बरसाती मिट्टी को ला-ला कर इतनी भर गयी हैं कि बरसात में चारों तरफ पानी का फैलाव इतनी तेजी से हो जाता है कि हजारों एकड़ जमीन और कृषि योग्य भूमि नष्ट हो जाती है। मान्यवर, हमने हमेशा इस बात की माँग की थी कि इस तरह की जो छोटी छोटी बरसाती नदियाँ हैं प्रदेश में हर जिले में इनको गहरा कराया जाय और उनमें एक-एक दो मील पर बाँध डालकर पानी इकट्ठा किया जाय तो इनको सिंचाई का साधन बनाया जा सकता है। ये बरसाती नादियाँ बुलडोजर या जनशक्ति के द्वारा गहरी करायी जा सकती है। मेरा निवेदन है कि इससे प्राकृतिक साधन को, बरसाती पानी

को इकट्ठा करने का प्रयास करें । ये कुदरती नहरें हैं । न इनमें किसी का खेत जाता है और न भूमि जाती है । केवल थोड़ा प्रबन्ध की व्यवस्था की आवश्यकता है। इससे हजारों एकड़ जमीन को एक तरफ हानि से बचा सकते हैं, फसलों और गाँवों की जो हानि होती है और दूसरी तरफ सिंचाई का साधन भी बना सकते हैं। इन बरसाती नदियों के किनारे यदि ट्यूब-वेल लगा दिये जांय तो बारहों महीने सिंचाई के साधन बनाये जा सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं ।

मान्यवर, इलाहाबाद जिले के दुआबा क्षेत्र हमेशा से उपेक्षित रहा है । लेकिन इस जनता सरकार ने जो कदम उठाये हैं उससे गंगापार और जमुना पार तथा दुआबा क्षेत्र को सरसब्ज बनाने के लिये व्यवस्था की जा रही है । इसके लिये हम आज जनता सरकार के प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। एक-एक व्यक्ति को जो पीड़ित था बाढ़ से उसको सहायता पहुंचायी गयी है । माननीय नेता विरोधीदल ने कहा कि थोड़ा सा सामान बाँटा गया है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज वह जमाना नहीं रहा कि यह सामान अपने एजेंटों को दे दिया जाय जिसको वह अपने घरों में रख लेते थे । आज एक-एक व्यक्ति और एक-एक परिवार के घर में जिसकी जैसी आवश्यकता है सामान बाँटा जा रहा है। कम मात्रा होते हुए भी पात्र व्यक्तियों के पास सामान पहुंच जाता है । लेकिन पहले क्या होता था। मान्यवर, लोग करोड़ों रुपये और मनों गल्ला अपने घरों में रख लेते थे । आज ऐसा नहीं है । जनता सरकार द्वारा जिसको जैसी आवश्यकता की जरूरत है उस प्रकार से उसकी सहायता की जाती है । इन शब्दों के साथ माननीय राजस्व मंत्री जी द्वारा प्रदेश को बाढ़ के प्रकोप से बचाने के लिये सराहनीय प्रयत्न किये जा रहे हैं । उसकी मैं भूरि-भूरि प्रसंशा करता हूं ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, अभी माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहा था कि छात्रों पर जो लाठी चार्ज हुआ है, उसकी सूचना इकट्ठा करके सदन को अवगत करायें । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि इसके बारे में स्थिति क्या है?

श्री उपाध्यक्ष—

अभी तो सदन चल ही रहा है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि आज ही सूचना मिल जाय और वक्तव्य हो जाय। यह जी0पी0ओ0 के सामने विद्यार्थियों पर लाठी चार्ज हुआ था, उसके बार में है ।

राजस्व मंत्री (श्री शारदा मक्त सिंह)—

मान्यवर, अभी तो ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुयी है।

*श्री नेम सिंह चौहान (जिला अलीगढ़)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस देश और प्रदेश में बाढ़ और सूखे पर अरबों रुपये सालाना खर्च होते रहे हैं और आजादी के बाद पिछली सरकार और मौजूदा सरकार ने करोड़ों रुपये से इसकी सहायता के लिये प्रयास किया। नियोजन भी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री नेम सिंह चौहान]

किया गया, लेकिन पिछले दिनों जो प्रयास हुए उससें अधिक मेरी सरकार ने प्रयास किया है, यह मैं मानता हूं। लेकिन नियोजन में कहीं न कहीं कोई कमी है। सिचाई मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कोई नवीन विधि अपनाने के लिये फिर भी सरकार तो अपना प्रयास कर ही रही है। आज भी इसमें समाज सेवी संस्थाओं का योगदान दिया हुआ है। राहत कार्य के लिए इस प्रदेश की सकार तथा समाजवादी संस्थाओं ने बड़ा योगदान दिया है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं खामी अवश्य है। लेकिन यह भी पिछली सरकार की एक आयोग्यता रही है।

रावण ने कुम्भकरण को बाद में जगाया जब उसका सर्वनाश हो चुका था। शासन तंत्र का जो प्रशासन है वह तत्परता से काम नहीं कर रहा है। मैं अलीगढ़ का उदाहरण दे रहा हूं। वहाँ के लिये एक लाख 55 हजार रुपया अहेतुक अनुदान और गृह सब्सिडी के रूप में दिया है। लेकिन 18 तारीख तक के जो आँकड़े हैं उसके अनुसार उपाध्यक्ष महोदय आपको आश्चर्य होगा यह जानकर कि 820 किलो आटा बाँटा गया और 220 किलो नमक बाँटा गया। क्या वे नमक खाकर ही रहेंगे?

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

420 किलो बाँटा गया।

श्री नेम सिंह चौहान--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात बता रहा हूं। 17 और 18 तारीख वितरण की रखी गयी थी। सिकन्दरराव तहसील मे सरकार आँकड़े के अनुसार 253 गाँवों में से 237 गाँव बाढ़ की चपेट में हैं जिनमें 75 प्रतिशत तक केवल थाने में 25 प्रतिशत तथा शेष में 50 से 75 प्रतिशत तक नुकसान हुआ है। तीन व्यक्ति तथा एक पशु मरा। यह सरकारी रिपोर्ट है। मैं जब वहाँ पहुचा और पूछा कि राहत के लिए क्या दिया जा रहा है तो तहसीलदार के पास केवल 6,450 रुपया उपलब्ध था अहेतुक सहायता के लिये तथा 2 हजार रुपया हाउस सब्सिडी के लिये था। उसमें भी ऊपर से आदेश था कि तीन-तीन हजार रुपया सुरक्षित रखा जाय अन्य स्थान के लिये और तकावी के लिये केवल 10 हजार रुपया था। सरकार तो बहुत प्रयास करती है लेकिन नीचे के स्तर के अधिकारी कुम्भकरण की तरह सो रहे हैं। अभी भी उन पर पिछली सरकार का असर है और वे नहीं जग रहे हैं।

आज मान्यवर, स्थिति क्या है? हमारे टप्पल में बाढ़ से राहत कार्य में 5 व्यक्तियों को 8 सौ रुपये और 4 व्यक्ति को चार सौ रुपये हाउस सब्सिडी के रूप में दिया गया है जबकि इसके लिये 1 लाख 55 हजार रुपया है। जब बाढ़ उतर जायगी उसके बाद सहायता देगें। यह सब हमारे अधिकारियों की निष्क्रियता है। मैं चाहूंगा कि सरकार इस और बड़ी मजबूती के साथ कदम उठाये। सिकन्दरराव तहसील में हरसायल झील की स्थिति यह है कि पिछले दिनों जो सायफन बनाया गया वह पीछे पानी फेंक रहा है। सुझाव देना चाहूंगा कि इसमें परिवर्तन किया जाय और ओवर हेड साइफन बनाया जाय। कहा गया था कि ड्रेनेज से पानी निकालने के लिये मई के महीने में कह दिया गया था।

आज अगस्त समाप्त होने जा रहा है मगर अधिकांश काम पूरा नहीं हो पाया है कहीं-कहीं तो प्रारम्भ भी नहीं किया गया है। इस पर माननीय सदन विचार करें।

सिकन्दरराव में हालत यह है कि पिछले लगान का बकाया जो स्थगित हुआ है वह 15 लाख 53 हजार रुपया है जबकि कुल रेवेन्यू 16 लाख 34 हजार रुपया है। या तो इसको जोड़ा जाय नहीं तो यह बराबर बढ़ता जायगा। यह बराबर बढ़ता जायगा, इस पर कोई न कोई योजना पूरा सदन और सरकार बनावे। आज स्थिति यह है कि वहाँ पर 53 प्रतिशत कुल वसूली हो पाई है सारी शक्ति लगाने के बावजूद। जहाँ एक तहसील में केवल 16 गाँव बचते हैं, तो मान्यवर, यह योजना में पूरे साल पूरी प्लानिंग करके बनाई जाए।

पूर्व की रिपोर्टों पर इंजीनियर्स और अधिकारी कोई कार्य नहीं करते हैं। मेरे मित्रों ने सुझाव दिया है कि पर्वतीय क्षेत्रों में जो छेड़खानी हो रही है, उस पर भी ध्यान दिया जाय और नदियों तथा नालों की सफाई का कार्य आरम्भ किया जाए, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। मेरे क्षेत्र में एक सड़क मथुरा-बरेली जो है, वह बीच में एक जगह से बुरी तरह कट गई है और अब केवल एक मार्ग सिकन्दराराऊ-जलेसर मार्ग बचा है, किन्तु उसकी भी हालत खराब और जीर्ण हो रही है। अधिकारी कुम्भकरण की नींद सो रहे हैं, वें जब जागेंगे तब तक सड़क बिलकुल टूट जाएगी। माननीय सदस्य और समाजसेवी लोग बराबर इसके रोकथाम के लिए प्रयास करते हैं, अब नौकरशाही भी उसमें अपना पूरा योगदान करें तो बड़ा अच्छा कार्य हो सकता है।

(इस समय 4 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

श्री अध्यक्ष—

सदन का समय 15 मिनट बढ़ाया जाता है।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

अध्यक्ष महोदय, बाढ़ जैसे गम्भीर एवम् महत्वपूर्ण प्रश्न पर यहाँ चर्चा हो रही है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की जनता बाढ़, तबाही और बर्बादी से त्रस्त है। मैं आपका और सदन का ध्यान अपने बाराबंकी जिले में बाढ़ से उत्पन्न गम्भीर संकट की ओर दिलाना चाहता हूं। वहाँ पर दो तहसील-फतेहपुर और रामसनेही घाट में घाघरा नदी की प्रचण्ड प्रकोप से वहाँ के गाँवों की जनता और सारी फसल बरबाद और नष्ट हो गयी है। मैं इससे इंकार नहीं कर सकता हूं कि राजस्व मंत्री जी ने अतिवृष्टि और बाढ़ की जो समीक्षा प्रस्तुत की है, उसमें बाराबंकी जिले के बारे में जो पढ़ा है, उससे आभास होता है कि वहाँ के अधिकारियों ने मन्त्री जी को वास्तविक स्थिति से अवगत नहीं कराया है, क्योंकि वहाँ का आधा क्षेत्र ऐसा है, जिससे मैं चुनकर आता हूं, यानी हैदरगढ़ का क्षेत्र, वहाँ अतिवृष्टि के कारण 45 गाँव और 80 फीसदी फसल बिलकुल नष्ट हो गई है। वहाँ पर जलनिकासी का कोई रास्ता न होने के कारण पूरा क्षेत्र जलमग्न होकर बर्बाद हो गया है। इसका कारण यह है कि पिछले शासन ने भारत सरकार के माध्यम से त्वरित योजना के माध्यम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुन्दर लाल दीक्षित]

से जो ड्रेनों का निर्माण कराया, उसका निर्माण सिंचाई विभाग द्वारा कराया गया है, जो बहुत ही दोषपूर्ण है और लापरवाही की मिसाल है।

वहां पर कुछ घटनायें घटी हैं, वहां हैदरगढ़ और लाही जो नहरें हैं, उनके बारें में हमारी जनता का ध्यान गया और सिंचाई विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया गया कि बरसात से पहले इनके सफाई का कार्य पूरा किया जाये। लेकिन मान्यवर, मेरें निवेदन के बावजूद कोई उस पर ध्यान नहीं दिया गया और जब सारे के सारे गाँव डूबने लगे और हमने जनता को लेकर अधिकारियों को वस्तुस्थिति से अवगत कराने का प्रयास किया तो तमाम सिंचाई अधिकारियों ने उपेक्षा बरती जिसकी सूचना मैंने अपने सिंचाई मंत्री को दी। मेरा निवेदन है कि बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए पक्ष और विपक्ष की बात को छोड़कर, आज प्रदेश की जनता .....

एक सदस्य—

एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने माननीय सुन्दरलाल जी का नाम लिया था। माननीय सुन्दरलाल जी के तो दाढ़ी थी।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

मैं ही बोल रहा हुं, भाई साहब।

श्री अध्यक्ष—

आप अपना भाषण जारी रखें।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित—

मान्यवर, मैं निवेदन करता हूं कि बाढ़ की स्थिति से निपटने में जिन्होंन अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभाया है, चाहे वह राजस्व विभाग के हों या स्वास्थ्य विभाग के हों या सिंचाई विभाग के हों मैं सम्बन्धित मंत्रियों से मांग करता हूं कि उन अधिकारियों को तत्काल निलम्बित किया जाय। माननीय सिंचाई मंत्री से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में माननीय मंत्री जी जाते हैं, हमें खुशी है, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जाकर जनता के लिए जो अच्छे काम हैं उनका सुझाव दें तो मुझे खुशी होगी। मेरे एक मित्र हैं, जो समाजवादी नहीं हैं, वह केवल व्यक्तिगत बात करते हैं, वह मेरा व्यक्तिगत विरोध करते हैं।

मैंने सिंचाई मंत्री जी से निवेदन किया, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में जो अधिशासी अभियन्ता हैं जो भूतपूर्व सिंचाई मंत्री पंडित लोकपति त्रिपाठी के रिश्तेदार हैं, जिन्होंने उस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि की उपेक्षा की है और जनता के साथ दुर्व्यवहार किया है। मुझे ज्ञात हुआ है कि माननीय सिंचाई मंत्री के हस्तान्तरण आदेश के बावजूद मुख्य अभियन्ता श्री हरीकृष्ण और सारे इंजीनियर मिल कर वहां गतिरोध और घोर असंतोष पैदा करना चाहते हैं। ऐसे अधिकारियों को जो जन विरोधी काम कर रहे हैं उनको इस परिस्थिति में रखा जाना उचित नहीं है। जहां पर बाढ़ का संकट पैदा हुआ है। वहां पर उन लोगों को सस्ता कपड़ा मिले, जहां पर जाने का रास्ता नहीं है। वहां पर माननीय मंत्री जी हेलिकाप्टर भेज कर सुविधाएं दे सकते हैं। यदि यह सम्भव नहीं है तो निःशुल्क राजकीय भोजनालयों की व्यवस्था करें, बाढ़पीड़ित क्षेत्रों के लोगों को खाना देने के लिए जानवरों के लिए चारा की व्यवस्था करें। जो बीमार हो गये हैं उनके लिए चिकित्सा की व्यवस्था करें।

मुझे खुशी है कि कक्षा 7 तक विद्यालयों के छात्रों का शिक्षा शुल्क माफ किया जायगा। मेरा निवेदन है कि आज जहां पर सारे मार्ग अवरुद्ध हो गये है, वहां अधिक से अधिक सुविधाएं दें। मैं राजस्व मंत्री से मांग करता हुं, जनता पार्टी की इस सरकार से प्रदेश की जनता को बड़ी-बड़ी आशाएं हैं लेकिन तीस साल तक जो काम किया उसे वह अग्रसर न हों। आप आगे बढ़ें और सहयोग लें? मेरा निवेदन है कि जिला अधिकारी, बाराबंकी या हरदोई या मेरठ की रिपोर्ट पर .....

श्री अध्यक्ष--

अब आप समाप्त कीजिये।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित--

बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र जो हैं जहां पर इतनी क्षति हुई है, उसकी जांच के लिए एक सर्वदलीय समिति गठित की जाय। धन्यवाद। जैहिन्द।

श्री अध्यक्ष--

आज यह विवाद स्थगित हुआ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष--

नियम 51 में जो सूचनाएं मिली हैं उनमें एक श्री श्यामधर मिश्र की जिला प्रशासन झांसी द्वारा दिनांक 24 जून, 1978 को विदेशी बन्दूकों, रायफलों तथा पिस्तौल आदि की नीलामी किसी समाचार-पत्र में न विज्ञापित किये जाने से इन हथियारों को पुलिस तथा जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा ही सस्ती कीमत पर खरीदें जाने के सम्बन्ध में है। इसको मैंने स्वीकार किया है।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

इसको परसों रख लिया जाये।

श्री अध्यक्ष--

दूसरी सूचना जिसे मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है, वह श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त की छात्र-छात्राओं को नियंत्रित मूल्य पर कापियों के न मिलने के कारण असुविधा के सम्बन्ध में है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

एक सूचना मैंने उत्तरकाशी के बारे में दी थी। मैं स्पेसिफिक सूचना चाहता था और मैं आपसे आपके कक्ष में भी मिला था।

श्री अध्यक्ष--

अभी तो कल अवसर मिलेगा। अगर आवश्यकता हुई तो इस पर विशेष समय दिया जायेगा।

श्री गोविन्द सिंह नेगी--

यह बड़े लोक महत्व का प्रश्न है। पूरे प्रदेश को खतरा है। इलाहाबाद तक सफाया हो जायेगा। इसको कल मैं फिर लिखकर आपको दे दूंगा।

श्री देव बहादुर सिंह (जिला नैनीताल)—

लाठी चार्ज के बारे में कब वक्तव्य देंगे ?

श्री मधुकर दिघे—

जो प्रश्न माननीय सदस्य जी ने उठाया था उसके सम्बन्ध में कल गृह मन्त्री जी बयान देंगे।

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं कल 11 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 8 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊः
21 अगस्त, 1978

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय

परिशिष्ट 'क'

(देखिये अल्प सूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 का उत्तर पीठे पृष्ठ 10 पर)

सत्र 1977–78 के दिनांक 31– –78 तक गन्ना मूल्य अवशेष का विवरण

(लाख रु0 में)

क्रम संख्या	नाम चीनी मिल	गन्ना मूल्य		
		कुल देय	भुगतान	अवशेष
1	2	3	4	5
	पश्चिमी क्षेत्र			
1	इकबालपुर	410–16	284–89	125–27
2	देवबन्द	813–12	539–69	273–43
3	लक्सर	480–76	211–15	269–61
4	मन्सूरपुर	449–31	390–07	59–24
5	खतोली	588–77	560–17	28–60
6	शामली	876–21	762–36	113–85
7	दौराला	644–54	556–40	88–14
8	मोदीनगर	252–61	219–71	32–90
9	सिमावली	566–60	440–70	125–90
10	मवाना	910–61	799–86	110–75
	योग पश्चिमी क्षेत्र	5992–69	4765–00	1227–69
	मध्य क्षेत्र			
11	कासिमपुर	410–51	268–06	142–45
12	बिलारी	362–36	241–30	121–06
13	रामपुर	465–74	351–25	114–49
14	सेवहारा	875–56	831–50	44–06
15	धामपुर	617–10	468–06	140–04
16	नेवली	254–75	213–39	41–36
17	बहेड़ी	392–90	342–12	50–78
18	पीलीभीत	461–39	308–42	152–97
19	रोना	195–84	107–00	88–84
20	हरदोई	476–38	358–45	117–93

1	2	3	4	5
21—हरगांव		660–45	514–59	145–89
22—बिसवां		244–85	212–95	31–90
23—गोला		1100–24	1016–69	83–55
24—ऐरा		368–88	272–04	96–84
25—पलियाकलां		342–57	270–65	71–92
योग मध्य क्षेत्र		7229–52	5776–47	1453–05
पूर्वी क्षेत्र				
26—मसोधा		247–22	245–11	2–11
27—शाहगंज		142–03	142–03	—
28—नवाबगंज		224–46	196–61	27–85
29—तुलसीपुर		219–78	192–35	27–43
30—बलरामपुर		282–27	249–83	32–44
31—खलीलाबाद		121–09	94–68	26–41
32—मुंडेरवा		119–21	83–95	35–26
33—बस्ती		287–50	287–50	—
34—वाल्टरगंज		157–82	157–82	—
35—बभनान		118–59	78–53	40–06
36—सरदारनगर		413–02	382–04	30–98
37—आनन्दनगर		199–10	155–94	43–76
38—परतावपुर		77–55	77–55	—
39—बंतालपुर		169–92	148–87	21–05
40—गौरीबाजार		133–80	127–01	6–79
41—देवरिया		153–21	131–10	22–11
42—कैप्टेनगंज		269–55	265–82	3–73
43—लक्ष्मीगंज		172–76	159–80	12–96
44—रामकोला (पी)		348–10	320–16	27–94
45—पडरौना		269–56	253–93	15–63
46—कठकुइयाँ		164–88	144–54	20–34
47—सेवरही		218–56	201–29	17–27
योग पूर्वी क्षेत्र		4509–98	4096–46	413–52

1	2	3	4	5
	चीनी निगम के अन्तर्गत			
48	सखौतीटाँडा	222–67	130–30	92–37
49	मोहिउद्दीनपुर	214–22	110–33	103–89
50	बाराबंकी	105–77	91–98	13–79
51	खड्डा	146–76	136–17	10–59
52	भटनी	119–40	112–14	7–26
53	किच्छा	492–74	406–88	85–86
54	पिपराइच	158–66	146–27	12–39
55	चाँदपुर	198–64	173–00	25–64
56	छाता	63–18	13–00	50–18
	योग–चीनि०	1722–04	1320–07	401–97
	डी० आई० आर० के अन्तर्गत			
55	डोईवाला	212–95	197–05	15–9
	योग–डी० आई० आर०	212–95	197–05	15–90
	रिसीवरशिप के अन्तर्गत			
56	रोहाना	296–88	199–90	96–18
57	सहारनपुर	332–88	253–00	79–88
58	बु० शहर	240–89	145–43	95–46
59	बुढ़वल	123–78	111–31	12–47
60	अमरोहा	443–33	295–88	147–45
61	रामकोला (के)	149–72	139–80	9–92
62	जरवलरोड	107–06	85–57	21–49
63	बिजनौर	258–56	180–40	78–16
64	बरली	232–85	165–23	67–62
65	जसवन्त	261–61	157–58	104–03
66	घुघली	128–38	128–38	––
67	सिसवाबाजार	130–01	111–67	18–34
68	छितौनी	96–88	74–64	22–24
69	महौली	337–40	242–36	94–74
	योग–रि० शि०	3139–43	2291–45	847–98

1	2	3	4	5
	कोआपरेटिव शु0 फै0			
70--बागपत		323-73	230-67	93-06
71--मझोला		388-67	299-19	89-48
72--सरसावा		238-01	147-20	90-81
73--औराई		123-92	115-72	8-20
74--बाजपुर		550-86	493-42	57-44
75--कायमगंज		185-03	149-59	35-44
76--रसड़ा		134-90	134-77	0-13
77--सठियाँव		122-92	122-67	0-25
78--साथा		154-02	106-83	47-19
79--नादेही		227-52	154-63	72-89
80--बदायूं		141-25	61-90	79-35
81--बिलासपुर		44-43	--	44-43
82--बीसलपुर		147-20	54-95	92-25
83--अनूपशहर		229-66	101-11	128-55
योग--को0 शु0 फै0		3012-12	2172-65	839-47
महायोग		25818-73	20619-15	5199-58

अतर तारांकित

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम 38 (2) के तारांकित प्रश्न संख्या 17 का उत्तर पीछे पृष्ठ 28पर)

नाम काश्तकार	घनराशि
1—श्री बिशम्भर पुत्र गुलजारी, बटेश्वर	22–50
2—श्री बैजनाथ पुत्र गोपी, बटेश्वर	15–00
3—श्री सुधीर पुत्र सुदर्शन, कलींजर	12–00
4—श्री लक्ष्मन सिंह पुत्र लायक सिंह, कलींजर	157–00
5—श्री उदय राज पुत्र बीरबल, कलींजर	15–00
6—श्री कल्याण सिंह पुत्र हुकुम सिंह, मई	5–00
7—श्री खचेरा पुत्र देवीराम, मई	21–00
8—श्री राम स्वरुप पुत्र छोटे लाल, बटेश्वर	17–00
9—श्री महादेव प्रसाद पुत्र राम प्रसाद बटेश्वर	29–50
10—श्री मदन लाल पुत्र राम प्रसाद, बटेश्वर	29–50
11—श्री जगदीश प्रसाद पुत्र राम प्रसाद, बटेश्वर	29–50
12—श्री राम दयाल पुत्र बाबू राम, बटेश्वर	22–50
13—श्री विजय कुमार पुत्र कन्ही, बटेश्वर	15–00
14—श्री गिरजा शंकर पुत्र रघुनाथ, बटेश्वर	14–00

नत्थी "ग"

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 28 का उत्तर पीछे पृष्ठ 37 पर)

जिला सहकारी बैंकों में रिक्त पदों पर विभिन्न वर्ग के कर्मचारी जो आवंटित किये गये हैं से सम्बधित सची

क्रम-संख्या	जिले का नाम	बैंक की पर्सनल वर्ग-1	वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक वर्ग-2	कनिष्ठ शाखा प्रबन्धक	टेकनिकल असिस्टेंट	सहायक आंकिक	सांख्यकि सहायक	कनिष्ठ/सहायक कैशियर	टंकक
1	मेरठ ..	—	6	3	—	—	1	1	—
2	सहारनपुर ..	1	6	2	—	1	1	2	2
3	मुजफ्फरनगर ..	1	3	1	—	—	—	—	—
4	बुलन्दशहर ..	—	1	—	—	4	1	—	—
5	बिजनौर ..	—	5	2	1	—	2	1	2
6	रुड़की ..	—	—	2	1	—	1	5	1
7	आगरा ..	1	—	4	1	—	1	—	—
8	अलीगढ़ ..	—	—	2	1	—	1	—	—
9	मथुरा ..	—	—	—	—	1	—	—	—
10	मैनपुरी ..	2	—	4	1	—	—	9	—
11	एटा ..	—	—	2	—	—	1	2	—
12	बरेली ..	—	5	—	—	2	—	1	1
13	बदायूं ..	1	4	2	—	—	—	7	—
14	शाहजहांपुर ..	1	6	10	1	7	—	7	1
15	पीलीभीत ..	1	3	6	—	4	—	6	2

16—मुरादाबाद	—	6	2	1	6	—	—	1
17— रामपुर	1	—	—	—	—	—	8	—
18—इलाहाबाद	—	4	3	1	—	—	—	—
19—फर्रुखाबाद (फतेहगढ़)	1	3	—	—	—	1	7	—
20—इटावा	1	—	3	—	—	1	4	1
21—कानपुर	—	—	10	1	—	—	4	1
22—फतेहपुर	—	—	5	5	—	1	9	—
23—झांसी	—	—	4	—	2	—	5	—
24—जालौन (उरई)	1	—	3	—	2	—	10	—
25—हमीरपुर (महोबा)	2	—	5	1	—	1	4	—
26—बांदा	1	1	3	—	1	1	8	—
27—ललितपुर	—	—	—	—	—	—	—	—
28—वाराणसी	—	—	3	1	—	1	—	—
29—जौनपुर	—	—	2	1	—	1	9	—
30—मिर्जापुर	1	2	8	1	—	1	5	—
31—गाजीपुर	1	—	—	1	6	—	7	—
32— बलिया	—	—	—	1	2	4	5	—
33— गोरखपुर	—	—	2	1	2	—	18	1
34— बस्ती	2	1	2	1	—	1	8	—
35— आजमगढ़	1	2	3	1	—	1	9	—
36—देवरिया	1	—	—	—	—	—	—	—
37—हल्द्वानी (नैनीताल)	2	1	—	1	—	1	4	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्रम सं0	जिले का नाम	बैंक की पर्सनल वर्ग-1	वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक वर्ग-2	कनिष्ट शाखा प्रबन्धक	टेकनिकल असिस्टेन्ट	सहायक आंकिक	सांख्यकि सहायक	कनिष्ठ/सहायक कैशियर	टंकक
38	—अलमोड़ा	1	—	1	1	1	—	1	—
39	—पथौरागढ़	2	—	2	—	3	—	—	—
40	—गढ़वाल (कोटद्वार)	1	1	5	1	6	—	10	—
41	—टेहरी गढ़वाल	1	—	5	1	1	—	9	—
42	—चमोली	—	—	—	1	—	—	—	1
43	—उत्तर काशी	—	—	1	1	—	—	—	—
44	—देहरादून	—	—	—	—	—	—	—	—
45	—लखनऊ (मोहन लाल गंज)	—	—	6	1	1	1	10	1
46	—उन्नाव	—	—	3	1	—	—	3	1
47	—सीतापुर (बिसवां)	1	1	—	1	—	1	7	1
48	—रायबरेली	1	2	6	1	2	—	8	—
49	—लखीमपुर खीरी	1	2	—	2	—	—	6	—
50	—हरदोई	—	—	3	1	—	—	8	—
51	—फैजाबाद	—	3	3	1	—	5	11	—
52	—प्रतापगढ़	2	—	7	1	2	3	9	—

उत्तर प्रदेश विधान सभा

53—बाराबंकी ..	1	–	2	–	4	1	12	–
54—बहराइच ..	1	–	1	1	–	1	9	–
55—सुल्तानपुर ..	1	–	–	–	–	–	–	–
56—गोंडा (बलरामपुर)	1	–	–	–	–	1	–	1
सम्पूर्ण योग ..	37	68	143	34	61	38	273	18

कुल योग—672

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या 29 का उत्तर पीछे पृष्ठ 38 पर।)

प्रेषक,

सहकारी समिति निबन्धक,
उत्तर प्रदेश,
लखनऊ ।

सेवा में,

सचिव :—

1—समस्त शीर्ष सहकारी संस्थायें, उ0 प्र0।
2—समस्त जिला/केंद्रीय सहकारी बैंक लि0 उ0 प्र0 ।
3—समस्त जिला सहकारी संघ लि0, उ0 प्र0।
4—सहकारी सूती मिल लि0 बुलन्दशहर ।
5—उ0 प्र0 सहकारी आवास संघ लि0, लखनऊ ।
6—यूपिका, कानपुर ।
7—ओ0 ऐंड आर0 रेलवे इम्पलाईज कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ ।
8—यू0पी0 पोस्टल प्राइमरी कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ ।

परिपत्र संख्या 28-मण्डल-विविध/25-दिनांक लखनऊः दिसम्बर, 7, 1977

विषयः—उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मण्डल के गठन के पश्चात् कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नतियों व अनुशासनिक मामलों का नियमानुसार सम्पन्न किया जाना ।

महोदय,

उपरोक्त विषय से संबंधित पार्श्वांकित पत्रों की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिनमें समय-समय पर मण्डल के गठन, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियमावली का लागू किया जाना, मण्डल के अधिकार व कार्यों के विषय में वस्तुस्थिति बतायी जाती रही है। उपरोक्त के अतिरिक्त मण्डल में भी अपने स्तर से मार्गदर्शन व संस्थाओं द्वारा बरती जाने वाली औपचारिकताओं के विषय में संस्थाओं का मार्गदर्शन किया है। परन्तु देखने में आया है कि संस्थाओं द्वारा निबन्धक व मण्डल द्वारा भेजे गये परिपत्रों के अनुसार कार्यवाही नहीं की गई है ।

1—पत्रांक 425/विधि/168, दिनांक 9-3-1972
2—,, सी-440/विधि/168, दिनाक 28-3-1972
3—,, 597/विधि/168(बी), दिनांक 21-6-1972
4—,, सी-1/मण्डल/विधि/73, दिनांक 13-8-1973
5—,, 757/विधि/168(सी), दिनांक 29-2-1974
6—,, 828/विधि/168(बी), दिनांक 14-3-1974
7—,, सी-649/विधि/मंडल/75, दिनांक 2-9-1975

(2) मण्डल का गठन सहकारिता विभाग की अधिसूचना विज्ञप्ति संख्या 366 सी/12-सी 3-36-71, दिनांक 4-3-1972 द्वारा हुआ था, जिसकी प्रति इस कार्यालय के पार्श्वांकित पत्र क्रमांक द्वारा भेज दी गई थी । शासन द्वारा मण्डल को उसके अधिकार क्षेत्र की समस्त सहकारी

संस्थाओं के कर्मचारियों के चयन, प्रशिक्षण व अनुशासनिक मामलों के नियंत्रण का अधिकार दिया गया है । मंडल ने अपने पत्रांक सी--मण्डल-72, दिनांक 25–7–72 द्वारा भर्ती एवं अनुशासनिक नियंत्रण संबंधी निर्देश संस्थाओं के मार्ग-दर्शन तथा उचित कार्यवाही हेतु भेज दिये थे और उसी तिथि से सेवा विनियम लागू मान लिये गये हैं। अतः इस तिथि के पश्चात् संस्थाओं द्वारा सेवा मण्डल की अवहेलना करके जिन कर्मचारियों की नियुक्ति व पदोन्नति स्वयं कर ली गयी है वह अवैधानिक है । इन नियुक्यिों को इस कार्यालय द्वारा समय-समय पर भेजे गये परिपत्रों में सेवा विनियमावली के विरुद्ध बताते हुए उन्हें समाप्त करने को कहा जाता रहा है और नियमानुसार सेवा मंडल को अपनी मांग भेजकर उनका चयन कराने के निर्देश दिये जाते रहे हैं, परन्तु खेद है कि अब भी संस्थाओं में अनेकों ऐसे कर्मचारी कार्यरत हैं, जो अनियमित रूप से रखे गये है तथा ऐसे ही अनेक मामलों अनियमित पदोन्नति से संबंधित प्रकाश में आये हैं । इस कार्यालय के पत्रांक क्रमांक 7 के अनुसार कुछ सूचनायें निधरित रूप-पत्रों पर मंडल को भेजने को लिखा गया था, परन्तु इस दिशा में भी बांछित व संतोषजनक कार्यवाही नहीं की गई ।

(3) अतः इस पत्र द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि नियुक्तियां 25–7–1972 के पश्चात् संस्थाओं में की गई है, उन्हें पत्र प्राप्ति के 15 दिन के भीतर समाप्त कर दिया जायें तथा उ0प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी सेवा नियमावली के विनियम संख्या 5(4) के अनुसार अपनी मांग सेवा मंडल को प्रत्येक दशा में 31 दिसम्बर, 1977 तक अवश्य भेज दी जायें । मांग भेजने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि संबंधित पद व उन पदों के लिये अर्हतायें निबन्धक द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है । इसी प्रकार 25–7–1972 के पश्चात् विभिन्न पदों पर जो पदोन्नतियां की गई हैं वे भी अवैधानिक हैं । अतः विनियमों के अनुसार पदोन्नति के समस्त मामले मंडल को पूर्व अनुमोदन हेतु प्रेषित किये जायें । यह कार्यवाही भी 31 दिसम्बर, 1977 तक कर दी जायें । यदि उपरोक्त तिथि तक बांछित कार्यवाही नहीं की जाती है, तो इसके लिये संस्था का सचिव, उत्तरदायी होगा ।

(4) यहां तक भी स्पष्ट किया जाता है कि वर्तमान कार्यरत कर्मचारियों की सेवा समाप्ति व मंडल से तत्काल नियमित प्रकार से चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु उपलब्ध न होने के कारण संस्थाओं के कार्य पर कुप्रभाव न पड़े । इसके लिये सेवा विनियमावली के विनियम संख्या 5(3) के अनुसार तदर्थ-आधार पर नियुक्तियां की जा सकती है, जिसका पूर्व अनुमोदन उपरोक्त विनियम के अनुसार मंडल से लेना आवश्यक है । यदि कोई संस्था पूर्व अनुमोदन को न लेकर तदर्थ नियुक्ति करती है और बाद में अनुमोदन हेतु संस्था मंडल को मांग भेजते हैं, तो यह भी अनियमित है । अतः इस प्रकार की प्रवृत्ति भी बिल्कुल न अपनायी जाय । मंडल को अपनी मांग भेंजते समय कैलेंडर वर्ष 1978 में नये पदों के सृजन, कार्यरत कर्मचारियों के अवकाश प्राप्त हो जाने, संस्था के किसी कर्मचारी के प्रति नियुक्ति पर जाने आदि के फलस्वरूप सम्भावित रिक्त पदों के अनुसार मांग पत्र भेजा जाये, ताकि मंडल द्वारा समयानुसार चयन की व्यवस्था की जा सके ।

(5) कृपया संलग्न प्रपत्र 'क' व 'ख' पर नई रिक्तियों व पदोन्नति से संबंधित सूचनायें जिले के सहायक निबन्धक के माध्यम से इस कार्यालय को 30 नवम्बर, 1977 तक अवश्य भेज दें, जिसकी एक प्रति सचिव, उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मंडल, 9, बेनी प्रसाद रोड, लालबाग, लखनऊ को भी भेजी जाय ।

(6) ऐसे अनेक अनुशासनिक मामलों के स्तर पर लम्बित हैं जिनका निर्णय करते समय उ0प्र0 सहकारी समिति कर्मचारी सेवा विनियमावली के प्राविधानों का ध्यान नहीं रखा गया है । विनियमावली के विनियम संख्या 87 के अनुसार कर्मचारी की पदोन्नति उसे सेवा से हटाये जाने तथा सेवा से प्रथम लिये जाने के आदेश पारित करने से पूर्व सेवा मंडल की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य है । अतः इस प्रकार के सभी मामलों को अंतिम आदेश पारित करने के पूर्व मंडल की सहमति हेतु भेजा जाना चाहिये और जिन मामलों में 25-7-1972 के पश्चात् ऐसा न किया गया हो उनका कारण दर्शाते हुए मंडल के विचारार्थ भेजा जाये तथा वांछित सूचना रूप पत्र 'ग' पर निबन्धक कार्यालय व सचिव, उ0प्र0 संस्थागत सेवा मंडल को भेजी जाय।

(7) कृपया इस पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाय ।

भवदीय,
(ह0) नृपेन्द्र मिश्र,
सहकारी समिति निबन्धक,
उत्तर प्रदेश ।

परिपत्रांक 28/विधि/मंडल/251, उपरोक्त दिनांक

प्रतिलिपिः—

1—समस्त मंडल सहकारी समिति उप निबन्धक, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित है कि वे कृपया प्रपत्र में दिये गये निर्देशों का पालन सुनिश्चित करायें ।

2—समस्त जिला सहकारी समिति, सहायक निबन्धक, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही करें और देखें कि निर्देशों का समुचित पालन होता है ।

3—सचिव, उ0प्र0 सहकारी संस्थागत सेवा मंडल, लाल बाग, लखनऊ ।

(ह0) नृपेन्द्र मिश्र,
सहकारी समिति निबन्धक,
उ0प्र0 लखनऊ ।

परिपत्रांक 28/मंडल/251, उपरोक्त दिनांक

प्रतिलिपि:—

दुग्ध आयुक्त, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे भी कृपया सहकारी दुग्ध संस्थाओं द्वारा आवश्यक कार्यवाही किये जाने के लिये आदेश जारी करने की कृपा करें।

(ह0) नृपेन्द्र मिश्र,
सहकारी समिति निबन्धक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ङ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 10 का उत्तर पीछे पृष्ठ 58 पर)

संलग्नक

ब्लाक नौगढ़-तहसील चकिया के अन्तर्गत वर्ष 1974–75 से 1977–78 तक किये गये कार्यों का विवरण

योजना का नाम	वर्ष	वन खण्ड तथा कक्ष	क्षेत्रफल (हे0 में)	सफलता प्रतिशत	व्यय (लाख रु0 में)
विविध प्रजातियों का वृक्षारोपण (जामुन, महुआ, आम, सहजन आदि)	1974–75	मूसाखण्ड 16 बी	50.0	47 प्रतिशत	
		मौसोड़ा 8, 11, 18 व	500.0	48 ,,	
		शिकारगंज 16, 17 ब	300.0	65 ,,	
		गहिला 5, 6, 8, 11 व 17	450.0	59 ,,	
		योग ..	1300.00		14.510
	1975–76	अमदहा 14 अ एवं 15	250.0	32 प्रतिशत	
		भैंसोड़ा 14	200.0	50 ,,	
		योग ..	450.0		5.550
	1976–77	गहिला 3, 10 ब, 15 भाग, 19 ब	550.0	82 प्रतिशत	
		भैंसोड़ा 6, 17	200.0	60 ,,	
		शिकारगंज	200.0	93 ,,	
		योग	950.0		11.955

1977–78

रोपण				अगले वर्ष के रोपण हेतु अग्रिम मिट्टी का कार्य		
वन खण्ड तथा कक्ष	क्षेत्रफल हे0 में	सफलता प्रतिशत	व्यय लाख रु0 में	वन खण्ड तथा कक्ष	क्षेत्रफल	व्यय (लाख रु0)
गहिला 6 व 9 ब	250.0	86 प्रतिशत		मूसाखण्ड 11 व 12	100.0	
शिकारगंज 2, 3, 4 सी एवं 8, 9 ..	350.0	99 ,,		पण्डी 13 व 10 भाग	200.0	
				गहिला 3	150.0	
पण्डी 11 व 12 ..	250.0	92 ,,		अमदहा 8 व 15	110.0	
				शिंकारगंज 13 बी	140.0	
मैसोड़ा 14 ..	200.0	76 ,,		मैसोड़ा	200.0	
योग	1050.0		9.380		900.0	9.109
				घेराबंदी	600.0	1.500
				योग 1977–78		13.989
वर्ष 1974–75 से 1977–78 तक का कुल योग						49.004

उत्तर प्रदेश विधान सभा

योजना का नाम	वर्ष	मार्ग का नाम	पंक्ति कि मी0	सफलता प्रतिशत	व्यय (लाख रु0)
पथ वृक्षारोपण	1976-77	चकिया-नौगढ़ एवं नौगढ़-मद्धूपुर	28.0	82 प्रतिशत	
		नौगढ़-मद्धू पुर	12.0	83 प्रतिशत	
		योग	40.0		1.180
	1977-78				

रोपण				अगले वर्ष के रोपण हेतु अग्रिम मिट्टी कार्य		
मार्ग का नाम	पंक्ति कि मी0	सफलता प्रतिशत	व्यय (लाख रु0 में)	मार्ग का नाम	पंक्ति कि मी0	व्यय (लाख रु0 में)
चकिया-नौगढ़	8.0	50	0.120	नौगढ़-सुरहुरिया	30.0	
				संकठापुल तिवारी पुर	20.0	
				योग	50.0	0.420
				योग 1977-78		0.540
वर्ष 1974-75 से 1977-78 तक कुल योग						1.700

योजना का नाम	वर्ष	वन खंड तथा वृक्ष	क्षेत्रफल (हे0 मे)	सफलता प्रतिशत	व्यय (लाख रु0 में)
ईंधन एवं चारा	1676–77	मैसोड़ा 17	30.0	60	0.860
रिजर्व	1977–78	मैसोड़ा 14	50.0	70	1.100
वर्ष 1974-75 से 1977-78 तक कुल योग					1.780
निम्न वर्गीय वनों का पुनरुद्धार	1974–75	—	4935 हे0	—	2.890
(बाँस का कच्चर)	1975–76	—	2120 हे0	—	1.700
वर्ष 1974-75 से 1977–78 तक कुल योग			7055 हे0		4.590

योजना का नाम	वर्ष	रोपण (चैन)	अगले वर्ष रोपण हेतु अग्रिम मिटटी खुदान कार्य (चैन)	व्यय (लाख रु0 में)
वायु अवरोधक	1976–77	4940		2.480
वृक्षारोपण	1977–78	7000	5000	1.250
वर्ष 1974-75 से 1977-78				3.710
वर्ष 1974-75 से 1977-78 तक के समस्त कार्यों का सम्पूर्ण योग				57.784

नत्थी "च"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 22 का उत्तर पीछे पृष्ठ 63 पर)

परियोजना वित्तीय वर्ष		आवंटित धनराशि	नाम कार्य जो स्वीकृत हुए		स्वीकृत कार्यों की संख्या	पूर्ण कार्यों की संख्या	अधूरे कार्यों की संख्या
1972–73	बाँसडीह	.. 5,00,000	1—सड़क बाँसडीह निर्माण रेवती		15	13	2
	रेवती	.. 5,00,000			9	1	8
		10,00,000			24	14	10
1973–74	बाँसडीह	.. 8,25,000	2—पेयजल कूप	बाँसडीह	34	34	—
	रेवती	.. 6.75,000		रेवती	46	36	10
	योग	15,00,000			80	70	10
1974–75	बाँसडीह	.. 6,00,000	3—तालाब	बाँसडीह	19	19	—
	रेवती	.. 4,23,000		रेवती	10	5	5
	योग	10,23,000			29	24	5

अनुपूरक नहीं

1975-76	बाँसडीह	..	1,00,000	4--बंधा	बाँसडीह	3	2	1
	रेवती	..	12,00,000	5--समतलीकरण	बाँसडीह	2	2	—
					रेवती	1	1	—
		योग ..	20,00,00			3	3	—
		कुल योग ..	37,23,000	6--मेडबंदी	रेवती	1	--	1

उत्तर प्रदेश विधान सभा

परिशिष्ट "छ"

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 23 का उत्तर पीछे पृष्ठ 63 पर)

(अ) समिति कमीशन

	देय धनराशि	भुगतान की धनराशि	अवशेष धनराशि
1971–72 ..	3050.92	3050.92	—
1972–73 ..	38740.70	38740.70	—
1973–74 ..	45382.14	45382.14	—
1974–75 ..	69101.30	69101.30	—
1975–76 ..	76680.25	70988.87	5691.38
1976–77 ..	95205.63	13733.13	81472.50
1977–78 ..	123752.10	14458.46	109293.64
योग ..	451913.04	255455.52	196457.52

(ब) विकास कमीशन

1971–72 ..	2668.87	—	2668.87
1972–73 ..	42944.20	—	42944.20
1973–74 —	36755.52	—	36755.52
1974–75 ..	59991.24	—	59991.24
1975–76 ..	46591.55	—	46591.55
1976–77 ..	63470.41	5000.00	58470.41
1977–78 ..	82501.40	—	82501.40
योग ..	334923.19	5000.00	329923.19

नत्थी "ज"

(देखिये पीछे पृष्ठ 82 पर)

उत्तर प्रदेश विधान मंडल (सदस्यों की उपलब्धियों और पेंशन का) (संशोधन) विधेयक, 1978 में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 147 के अन्तर्गत किया गया आनुषंगिक संशोधन:—

खण्ड 2 के पश्चात् आने वाले स्पष्टीकरण (दो) में शब्द "बारह मास की" के पश्चात् शब्द "उस" बढ़ा दिया गया है ।

सत्यमेव जयते

पी०एस०यू०पी०—एल-304 वि०सभा (520)—1978—835।